चतुर्दश माला, खंड 15, अंक 17

गुरूवार, 15 दिसम्बर, 2005
24 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छटा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gaz... Unit
Parlia... Building
Ro... 025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 13 March 2007

(खण्ड 15 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 15, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 17, गुरूवार, 15 दिसम्बर, 2005/24 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 323 से 327 तथा 331 और 334	1-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 322, 328 से 330, 332, 333 तथा 335 से 341 .	33-58
अतारांकित प्रश्न संख्या 3286 से 3431 तथा 3433 से 3492 . .	58-208
सभा पटल पर रखे गए पत्र	208-212
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	212
लोक लेखा समिति	
विवरण	212-213
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
आठवां तथा नौवां प्रतिवेदन .	213
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे से पांचवे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रणब मुखर्जी	213
(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स फार इंडिया (आर एन आई) का कार्यकरण" के बारे में सूचना तथा प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी .	214-215
(तीन) आई.ओ.सी. के अम्बाला डिपो से लेह स्थित आर्मी डिपो को डीजल की आपूर्ति करते समय होने वाली चोरी	
श्री मणि शंकर अय्यर	215-217

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के दो महत्वपूर्ण विमान पत्तनों अर्थात् मुम्बई और दिल्ली के आधुनिकीकरण और उनके प्रचालन के लिए निजी कंपनियों की सेवाएं लिए जाने संबंधी सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति

मो. सलीम 217

श्री प्रफुल पटेल 218

श्री बसुदेव आचार्य 230

श्री सुनील खां 232

श्री अजय चक्रवर्ती 233

श्रीमती सुमित्रा महाजन 235

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 237–245

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005 245

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश में हरे पेड़ों की कटाई पर लगे प्रतिबंध के कारण आवर्ती घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह 246

(दो) राजमपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सौ करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री ए. साईं प्रताप 246

(तीन) तमिलनाडु में पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वेदासेन्दुर, कंगयम और कल्लिमंडियम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 247

(चार) कर्नाटक के तुमकुर जिले में नारियल किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए नारियल के पेड़ों को प्रभावित करने वाली भयानक बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए उपयुक्त एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. मल्लिकार्जुनैय्या 248

विषय कॉलम

(पांच) रेलवे में कार्यरत चलंत कर्मिकों, जिसमें "गार्ड" भी शामिल हैं की शिकायतों को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ 248

(छह) उड़ीसा में के बी के क्षेत्र के विकास के लिए पुनरीक्षित दीर्घावधि कार्य योजना को वर्ष 2007-08 से पांच वर्षों की अवधि तक जारी रखने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव 249

(सात) गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा . 249

(आठ) पश्चिम बंगाल में उत्तर और दक्षिण 24 परगना में सुन्दरवन क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त रेल सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. बसुदेव बर्मन 250

(नौ) केरल में परंपरागत मछुआरों को राज सहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का विशेष आबंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री के.एस. मनोज 250

(दस) उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव 251

(ग्यारह) पांडिचेरी में शीघ्र पंचायत चुनाव कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 251

(बारह) चाय पर लगाए गए वैट को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को निदेश जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 252

(तेरह) अप्रत्याशित तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लद्दाख और लेह क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति हवाई जहाज द्वारा करने के लिए टनेज का कोटा और सेवा विमानों में गैर-सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री छेवांग थुपस्तन 253

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2005-2006 253

श्री पी. चिदम्बरम . . . 254

विषय	कॉलम

विनियोग (सख्यांक 5) विधेयक, 2005

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम . . . 269

खंड 2, 3 और 1 . . . 270

पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . 270

आंध्र प्रदेश विधान परिषद विधेयक, 2004

विचार करने के लिए प्रस्तव

श्री हंसराज भारद्वाज . . . 271

श्री बिक्रम केशरी देव . . . 272

श्री के.एस. राव . . . 274

श्री किन्जरपु येरननायडु . . . 275

श्री वरकला राधाकृष्णन . . . 283

श्री मोहन सिंह . . . 287

डा. रतन सिंह अजनाला . . . 290

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन . . . 291

श्री भर्तृहरि महताब . . . 293

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह . . . 296

श्री जी. वेंकटस्वामी . . . 299

श्री मुरवरम सुधाकर रेड्डी . . . 301

श्री रविन्दर नाइक धारावत . . . 302

डा. बाबू राव मीडियम . . . 304

श्री शैलेन्द्र कुमार . . . 307

श्री असादुद्दीन ओवेसी . . . 308

श्री खारबेल स्वाईं . . . 313

खंड 2, 4, 5 और 1 . . . 325

पारित करने के लिए प्रस्ताव . . . 327

विषय	कॉलम
नियम 193 के अधीन चर्चा	
कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याएं	
चौधरी विजेन्द्र सिंह	327
श्री बिक्रम केशरी देव .	331
कार्यमंत्रणा समिति	
बीसवां प्रतिवेदन	343-349
सदस्य द्वारा निवेदन	
पाकिस्तान द्वारा बंधक बनाए गए मछुआरों और उनकी नावों को शीघ्र छोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में . .	349-350
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	355-356
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	356-362
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	363-364
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	363-366

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2005/24 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 322

श्री योगी आदित्यनाथ -- उपस्थित नहीं।

श्री जे.एम. आरून रशीद -- उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

मॉडल स्टेशन

***323. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :** *क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) देश में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, किन-किन रेलवे स्टेशनों की मॉडल स्टेशन के रूप में पहचान की गई है;

(ख) क्या इन स्टेशनों पर कार्य शुरू हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) उन्नत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में 327 स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में नामित किया गया है जिनमें से 13 स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इन 13 स्टेशनों की सूची स्थिति सहित अनुबंध के रूप संलग्न है।

(घ) मार्च, 2005 तक चुने गए 319 स्टेशनों के लिए मार्च, 2008 निर्धारित की गई है।

अनुबंध

I. 'मॉडल स्टेशनों' के रूप में चुने गए 327 स्टेशनों की सूची

रेलवे	स्टेशन का नाम
1	2
मध्य (17)	अकोला, भुसावल, चंद्रपुर, छत्रपति साहू महाराज टर्मिनस (कोल्हापुर), दादर, गुलबर्गा, जलगांव, कल्याण, कुर्ला (लोकमान्य तिलक टर्मिनस), मल्कापुर, मुंबई सी.एस.टी., नागपुर, नासिक रोड, पुणे, सोलापुर, ठाणे, वर्धा
पूर्व (41)	अंडाल जंक्शन, आसनसोल, बैद्यनाथधाम, बंडेल, बारासत, बर्धमान, बरुईपुर जं., बसीरहाट, भागलपुर, बिधाननगर रोड, बोलपुर, बोंगांव, बज बज, कैनिंग, दानकुनी, ढकुरिया, दमदम, दुर्गापुर, गडिया, घुटियारी शरीफ, हावड़ा, जमालपुर जं., जसीडीह, कृष्णनगर रोड, कुल्टी, लाबपुर, मधुपुर, मध्यग्राम, माल्डा टाउन, मुर्शीदाबाद, नवद्वीप धाम, न्यू फरक्का, राणाघाट जं., रानीगंज, सैंथिया, सियालदाह, सोनारपुर, सुल्तानगंज, तारकेश्वर, टॉलीगंज, उल्टाडंगा
पूर्व मध्य (32)	अक्षयवत राय नगर, आरा, बक्सर, बरौनी जं., बेगूसराय, बेतिया, डाल्टनगंज, दानापुर, दरभंगा, धनबाद, देहरी-ऑन-सोन, गया, हाजीपुर जं., जनकपुर रोड, खगड़िया, कोडरमा, मोकामा, मोतीहारी, मुगलसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नयागांव, नरकटियागंज जं., नवाडा, पारसनाथ, पटना, सगौली जं., सासाराम, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीतामढी, सोनपुर जं.
पूर्व तट (17)	बड़ाखानदीता, भद्रक, भुवनेश्वर, बहरामपुर, बायरी, कटक, धेनकनाल, गोलानथा, जजपुर-क्योंझार रोड, कपिलास रोड, खोरघा रोड, पुरी, रेहामा, संबलपुर, सुरला रोड, टिटलागढ, विशाखापत्तनम
उत्तर (40)	अंबाला कैंट, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, अयोध्या, बागपत रोड, बड़ौत, बरेली, भटिंडा, ब्यास, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला, धुरी जं., फैजाबाद, फरीदाबाद, फिरोजपुर, गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद, हरिद्वार, हजरत निजामुद्दीन, जालधंर सिटी, जम्मू तवी, कालका, कथुआ, लखनऊ, लुधियाना, मेरठ सिटी, मुरादाबाद, नांगलोई, नई दिल्ली, पानीपत जं., पाठनकोट, पटियाला, प्रयाग, रयबरेली जं., सहारनपुर, शिमला, वाराणसी
उत्तर मध्य (10)	आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, अलीगढ़, इलाहाबाद जं., इटावा, ग्वालियर, झांसी, कानपुर सेंट्रल, मथुरा जं., टूंडला
पूर्वोत्तर (16)	बादशाह नगर, बलिया, बस्ती, छपरा जं., देवरिया सदर, गोंडा जं., गोरखपुर, इज्जतनगर जं, काठगोदाम, कटरा, लखनऊ, मंडुआडीह, मऊ जं., पीलीभीत, रावतपुर, सिवान जं.

1	2
पूर्वोत्तर सीमा (32)	अलीपुरद्वार जं., अलूबाडी रोड, अररिया कोर्ट, कूचबिहार, दालखोला, धर्मनगर, डिब्रूगढ, दीमापुर, घूम, गोसांईघाट, गुवाहाटी, हरीशचंद्रपुर, जलपाईगुडी, जोरहाट टाउन, कामाख्या, कटिहार, किशनगंज, कोकराझार, लमडिंग, माल बाज़ार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुडी, न्यू माल जं., न्यू तिनसुकिया, पूर्णिया जं., रायगंज, जं., रंगिया जं, सिलचर, सिलीगुडी टाउन, श्रीरामपुर
उत्तर पश्चिम (9)	आबू रोड, अजमेर, बीकानेर, हिसार, जयपुर, जोधपुर, रेवाड़ी, श्री गंगा नगर, उदयपुर
दक्षिण (31)	अलवाई, अरक्कोणम जं., कालीकट, कण्णूर, चेंगण्णूर, चेंगलपट्टू, चेन्नै सेंट्रल, चेन्नै एषम्बूर, कोयमबात्तूर, एर्णाकुलम जं., ईरोड जं., कन्याकुमारी, कटपाडि, कायनकुलम, कोट्टायम, मदुरै, मांबलम, मंगलौर, पालयाट, पांडिचेरी, कोल्लम, रामेश्वरम, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुत्तानी, त्रिचूर, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, तूतीकोरीन, वर्काला
दक्षिण मध्य (14)	धर्मावरम जं., गुंतकल, गुंतूर, हैदराबाद, काचेगुडा, काकिनाडा टाउन, नांदेड, नल्लौर, रायचूर, राजामुंद्री, सिकंदराबाद, तिरुपति, विजयवाडा, वारंगल
दक्षिण पूर्व (21)	आद्रा, बगनान, बालासौर, विष्णुपुर, बोकारो स्टील सिटी, चक्रधरपुर, कोंटी रोड, गडबेटा, हटिया, झारग्राम, झारसुगुडा, खडगपुर, कोलाघाट, मेचेडा, मिदनापुर, रांची, राउरकेला, संतरागाछी जं., तामलुक टाटानगर, उलुबरिया
दक्षिण पूर्व मध्य (3)	बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर
दक्षिण पश्चिम (8)	बेंगलूरु कैंट, बीजापुर, होसपेट, हुबली, मैसूर, शिमौगा टाउन, तोरणागल्लू, वास्को-डि-गामा
पश्चिम (24)	अहमदाबाद, आनंद जं., बामनिया, बांद्रा टर्मिनस, भरुच, भावनगर, चित्तौड़गढ़, दादर, धारनगांव, द्वारका, गांधीधाम, गांधीग्राम, इंदौर, मुंबई सेंट्रल, नवसारी, निंबाहेडा, ओखा, राजकोट, रतलाम, सूरत, उज्जैन, वड़ोदरा, वलसाड, वापी
पश्चिम मध्य (11)	भोपाल, दमोह, हबीबगंज, गुना, हौशंगाबाद, जबलपुर, कटनी जं., कोटा, पिपरिया, सतना, सवाई माधोपुर
कोंकण रेल (1)	मडगांव

II. आंध्र प्रदेश में मॉडल स्टेशनों की संख्या और उनकी मौजूदा स्थिति

क्रम सं.	मॉडल स्टेशन का नाम	रेलवे ज़ोन	स्थिति
1.	विशाखापत्तनम	पूर्व तट	पूरा हो गया है।
2.	धर्मावरम जंक्शन	दक्षिण मध्य	कार्य प्रगति पर है।
3.	गुंतूर	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
4.	गुंतकल	दक्षिण मध्य	कार्य प्रगति पर है।
5.	हैदराबाद	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
6.	काचेगुडा	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
7.	काकिनाडा	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
8.	नल्लौर	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
9.	राजामुद्री	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
10.	सिकंदराबाद	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
11.	तिरुपति	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
12.	विजयवाड़ा	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।
13.	वारंगल	दक्षिण मध्य	पूरा हो गया है।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने देशभर में ऐसे 327 स्टेशनों की पहचान की है जिन्हें भारतीय रेलवे ने आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करना है। आंध्र प्रदेश में केवल 13 स्टेशनों की पहचान की गई है और समस्त दक्षिण मध्य रेलवे जोन में 14 स्टेशनों की पहचान की गई है जिनकी संख्या अन्य जोनल रेलवे की तुलना में बहुत कम है जबकि दक्षिण मध्य रेलवे के अपने 6 मंडल और 748 स्टेशन हैं जिसके अंतर्गत पांच राज्यों का माल, यात्री और माल भाड़ा यातायात शामिल है। यह जोन सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाले जोन में से एक है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आदर्श स्टेशन के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। सामान्य यात्री सुविधाओं के अलावा कौन-सी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण मध्य रेलवे में इसके बाद किसी और स्टेशन का चयन किया गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पूरा ब्यौरा नहीं पूछ सकते हैं। वह किस तरह उत्तर दे सकते हैं? क्या किसी संसद सदस्य से कोई दबाव है?

श्री आर. वेलु : दबाव के अलावा सामान्यत: हम भारतीय रेल में पर्यटक महत्व को ध्यान में रखते हैं और यदि यह जंक्शन है तो

उसका चयन तभी होगा यदि वहां कारोबार की मात्रा अधिक है। हम ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की दृष्टि से भी इस पर ध्यान देते हैं, जहां उस स्टेशन के यातायात की मात्रा को देखते हुए अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। ये कुछ मानदण्ड हैं, जिन्हें हम अपनाते हैं।

अगले प्रश्न के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम पहले ही 327 स्टेशनों का चयन कर चुके हैं। वर्ष 1999-2000 के बजट के दौरान तत्कालीन माननीय मंत्री ने घोषणा की थी कि यात्री वर्ष होने के कारण चयनात्मक आधार पर प्रत्येक मंडल से एक स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में चुनना है। तद्नुसार, 61 मंडलों में से 61 स्टेशनों का चयन किया गया था। तदनन्तर 67 मंडल स्थायी हो गए हैं।

जैसाकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने पूछा है, अधिक दबाव आया है। आखिरकार, हमने इस सूची को बढ़ाकर इसमें 327 स्टेशन शामिल किए हैं। इसके लिए ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं है कि एक राज्य को ज्यादा या कम क्यों दिया गया है। यह प्रत्येक स्टेशन की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह प्रसन्न हो जाए कि 13 स्टेशन आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं जिनमें से 11 स्टेशनों का कार्य पूरा हो गया है तथा केवल 2 का कार्य शेष हैं। इस वर्ष के अंत में यह कार्य भी पूरा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : इस सूची में दो के नाम हैं। वर्षों से वहां कुछ नहीं हुआ है।

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि स्टेशनों को 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'ङ' और 'च' में वर्गीकृत करने के लिए यात्री यातायात से प्राप्त राजस्व को ही ध्यान में रखा जाता है। कुछ स्टेशनों में यात्री यातायात से प्राप्त राजस्व कम है वे जबकि माल यातायात से प्राप्त राजस्व अधिक है। इसलिए, यदि स्टेशनों का वर्गीकरण करने के लिए यात्री यातायात से प्राप्त राजस्व पर विचार किया जाता है तो जिन स्टेशनों में माल यातायात से प्राप्त राजस्व अधिक है, उन्हें नुकसान होगा। महोदय, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्टेशनों के वर्गीकरण के लिए दोनों से प्राप्त राजस्व को ध्यान में रखेगी और क्या सरकार के पास बहुत पहले बनाए गए न्यूनतम अनिवार्य सुविधा मानदण्डों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि ये मानदण्ड वर्तमान यात्रियों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बहुत लम्बा प्रश्न है। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आर. वेलु : महोदय, यह यात्री उन्मुखी अधिक हैं। ये सुविधाएं केवल यात्रियों के लिए है। मैं सदस्य की उत्सुकता को अच्छी तरह समझता हूं क्योंकि रेलवे माल-भाड़ा उन्मुखी अधिक है जो रेलवे को अधिक आय दे रहा है। मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन अधिक माल-भाड़े का मतलब होगा कि हमारा यात्रियों से सरोकार नहीं है। इसलिए यह मानदण्ड है। श्रेणी 'क' स्टेशन का अर्थ है वह स्टेशन जो 6 करोड़ से अधिक कमाते हैं, श्रेणी 'बी' स्टेशन का अर्थ है जो 3 करोड़ रुपये से 6 करोड़ रुपये के बीच कमाते हैं, श्रेणी 'ग' स्टेशन से तात्पर्य सभी उपनगरीय स्टेशन, श्रेणी 'घ' स्टेशन से तात्पर्य 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपये के बीच अर्जन तथा श्रेणी 'ङ' स्टेशन का अर्थ है जो 1 करोड़ रुपए से कम कमाते हैं। हम इस तरह के यात्री अर्जन को ध्यान में रखते हैं। माननीय सदस्य द्वारा माल-भाड़ा अर्जन के बारे में कही गई बात के संबंध में हम इस पहलू की जांच करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टेशनों के वर्गीकरण के लिए कुछ भाग अथवा किस बात को ध्यान में रखा जा सकता है।

उन्होंने अन्य बात न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं के बारे में कहीं थी। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी अथवा इस सम्माननीय सभा की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल में दिनांक 31.3.2005 तक हमने 8,055 स्टेशनों में न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। जबकि उनके कहने का तात्पर्य बेहतर शौचालय सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, प्लेटफार्म पर छत लगाने तथा विश्राम गृहों आदि में फर्नीचर प्रदान करने जैसे न्यूनतम अनिवार्य सुविधाओं के प्रावधान से है। इस बात पर विचार कर सकते हैं कि हम अपने स्टेशनों में मौजूदा सुविधाओं को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इस बात पर ध्यान देंगे।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी : महोदय, उत्तर में माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि दक्षिण पश्चिम जोन से होसपेट और तोरणगल्लू को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चुना गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दो स्टेशनों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और कब तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। क्या बेल्लारी सिटी रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन चुने जाने का कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : वह अलग-अलग स्टेशनों के बारे में किस तरह उत्तर दे सकते हैं?

श्री जी. करूणाकर रेड्डी : महोदय, यह आदर्श स्टेशन के बारे में प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि मार्च, 2008 तक काम पूरा हो जाएगा। वह उत्तर पुनः सुनना चाहते हैं।

श्री आर. वेलु : हमने जिन स्टेशनों पर काम शुरू किया है, उसे हम मार्च, 2006 तक पूरा कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : विस्तार के अध्यधीन।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी : मैं बेल्लारी के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री आर. वेलु : इस समय मैं बेल्लारी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि एक बार जब हम चयन कर लेते हैं तो हम आरंभ से ही न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। यदि वह

श्रेणी 'क' स्टेशन है तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें उसे 23 मदें प्रदान करनी होती हैं। इस तरह हमने इस तरह कार्य करने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में कई रेलवे स्टेशन्स ऐसे हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि देश में कुछ मॉडल स्टेशन बनाने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में स्टेशनों पर जहां सुविधायें नहीं हैं, ऐसे कितने स्टेशन्स हैं जिन्हें आप मॉडल स्टेशन्स के रूप में बनाने जा रहे हैं? पटना जंकशन पर बहुत बड़ी तादाद में यात्री आते हैं मगर अभी भी उसकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पटना जंक्शन और आस-पास के स्टेशन्स को विशेष सुविधा, देने के लिये क्या सरकार के पास कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : महोदय, जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, बिहार में 36 स्टेशनों का चयन किया गया है जिसमें से हमने दो स्टेशनों यथा छपरा और पटना में आदर्श स्टेशन बनाया है। अनेक और स्टेशनों को लिया जाएगा। हम पूरा करेंगे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात है।

श्री आर. वेलु : महोदय, हम ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मगर पटना साहिब स्टेशन गुरु गोविन्द सिंह जी की जन्म स्थली और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह रिकॉर्ड में नहीं जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : छपरा क्यों हुआ, उसे हम जानते हैं और पटना क्यों हुआ, उसे भी हम जानते हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नोट करके प्रसन्नता होती है कि देशभर में लगभग 327 रेलवे स्टेशनों की पहचान आदर्श स्टेशनों के रूप में की गई है तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 रेलवे स्टेशनों की मॉडल स्टेशनों के रूप में पहचान की गई है। पिछले दो वर्षों में कटक रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं तथा पाराद्वीप की ओर से दूसरा गेट बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्रदान की गई थी। लेकिन मुझे मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाने में खेद हो रहा है कि कटक रेलवे स्टेशन की ओर से दूसरा गेट बनाने के लिए निधि आबंटित किए जाने के बावजूद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इसे आदर्श स्टेशन घोषित कर दिया गया है तो यहां काम न शुरू होने के क्या कारण हैं?

श्री आर. वेलु : महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उड़ीसा में 19 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है जिसमें से 9 स्टेशनों पर काम पूरा हो गया है। यह कार्य सुविधा निधि के अंतर्गत किया जाता है। हमने पिछले वर्ष के बजट में 215.05 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं और इस वर्ष हमने इसे 222.15 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है। जोनल रेलवे, जहां से माननीय सदस्य हैं, के लिए भी आबंटन बढ़ाया गया है। माननीय सदस्य ने विशेषरूप से कटक रेलवे स्टेशन के बारे में प्रश्न पूछा है। मुझे मालूम नहीं है कि वहां कार्य लंबित क्यों है। तथापि, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह काम कम से कम समय में पूरा हो जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सी.एस. सुजाता : अध्यक्ष महोदय, कायनकुलम और चेंगनूर स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित हैं और इन दोनों स्टेशनों को मॉडल स्टेशन घोषित किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन दोनों स्टेशनों को मॉडल स्टेशन घोषित किये जाने के बाद, इनमें किये गये निर्माण कार्यों के लिए कितना धन आबंटित किया गया है और उस धन में से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु : महोदय, मैं भी श्रीमती सुजाता के पद्चिन्हों का अनुसरण कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भडाना : मंत्री जी, आप भी हिन्दी में बोलिये।

श्री आर. वेलु : हम हिन्दी सीखेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप अंग्रेजी में बोलिए।

श्री आर. वेलु : महोदय, केरल में 12 मॉडल स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 4 स्टेशनों में काम पूरा हो गया है। माननीय सदस्य

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ने चेंगान्नूर और कायाकुलम के बारे में पूछा है। उन्हें यह जानकर खुश होना चाहिए कि केरल में 12 मॉडल स्टेशनों में से 2 मॉडल स्टेशन उनके निर्वाचन क्षेत्र में हैं। इस वर्ष हमने इन सुविधाओं के लिए दक्षिण रेलवे को 17.63 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि प्रत्येक स्टेशन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है। तथापि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कायाकुलम और चेंगान्नूर स्टेशनों का कार्य माननीय सदस्य की इच्छा के अनुरूप हो।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि इतने स्टेशनों को पूरे देश में मॉडल स्टेशन बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मॉडल स्टेशन बनाने का मापदंड क्या है। क्या मंत्री जी हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उन्नाव को भी मॉडल स्टेशन बनाने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वे पहले भाग का उत्तर दे चुके हैं वे प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न के लिए नीति की व्याख्या नहीं कर सकते।

मंत्री महोदय, आपको पहले भाग का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्नाव के बारे में, आप जानकारी दे सकते हैं।

श्री आर. वेलु : जी हां, श्रीमान। मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर उन्हें इसका ब्यौरा भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अक्टूबर, 2003 में मेरे क्षेत्र संभाजीनगर, औरंगाबाद स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने का शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी धूमधाम से किया था। उस समय वहां रेलवे के चेयरमैन उपस्थित थे, हाउथ सैन्ट्रल रेलवे के जी.एम., डायरेक्टर (ट्रैफिक) तथा अन्य लोग वहां उपस्थित थे। मेरा क्षेत्र संभाजीनगर, औरंगाबाद साउथ सैन्ट्रल रेलवे में है, लेकिन वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अजन्ता और एलोरा जैसे पर्यटक स्थलों के कारण इस स्टेशन का डैवलपमैंट मॉडल स्टेशन के रूप में करना तय हुआ था। वहां बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं और वहां से नांदेड़ और दूसरी जगहों पर भी जाते हैं। यह हमारे मराठवाड़ा की कैपिटल भी रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए उन्हें आदर्श (मॉडल) स्टेशन घोषित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां अभी तक कुछ नहीं हुआ। तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने अक्तूबर, 2003 में इसका शिलान्यास किया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए वे पटना आए हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : लेकिन अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके सुझाव नोट कर लिए हैं। माननीय सदस्यगण अनुपूरक प्रश्न आपके अपने स्टेशनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं पूछे जा सकते। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : लेकिन उनका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने बोल दिया और मंत्री जी ने नोट कर लिया है।

आई.ओ.सी. द्वारा अपरिष्कृत गैस की आपूर्ति

***324. श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल निगम (उत्तरी क्षेत्र) ने एल.पी.जी. के स्थान पर "गेल" (इंडिया लिमिटेड की सस्ती और अपरिष्कृत गैस की आपूर्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने सूचित किया है कि उत्तरी अंचल में अपने भरण संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वह गेल के विजयपुर और औरैय्या के प्रभंजकों से एल.पी.जी. ले रही है। इन प्रभंजकों से ली गई एल.पी.जी. भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) विनिर्देशों अर्थात् बी.एस. 4576 के अनुसार होती है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभान सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि स्पेसिफिकेशन बी.एस. 4576 के नॉर्म्स क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं यह कहने जा रहा हूं कि आई.एस. 4576 के अंतर्गत विशिष्टताओं का संबंध 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दबाव पर वाष्प; असंतृप्त हाइड्रोकार्बनंस, वाष्पशीलता और सल्फर की कुल वाष्पशीलता, तांबा पट्टी संक्षरण, हाइड्रोजन सल्फाइड और मुक्त जल संघटक सहित सी 2, सी 3, सी 4 और सी 5 का मिश्रित तरल कबकच्छड प्रतिशत से है। आप यह देखेंगे कि मौखिक रूप से एक विस्तृत उत्तर देना बहुत सरल नहीं हैं। मुझे माननीय सदस्य को 1990 के आई.एस. 4576 के लिए विशिष्टताओं का ब्यौरा भेजने में प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : अपने बी.एस. लिखा है न कि आई.एस.।

श्री मणि शंकर अय्यर : इसमें आई.एस. है।

अध्यक्ष महोदय : लिखित उत्तर में बी.एस. लिखा है। खैर, यह ठीक है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभान सिंह : दूसरा प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य के किसी स्थान को समाहित करने की योजना है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसका कोई सर्वे कराया है?

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं इसके प्रति निश्चित नहीं हूं कि वास्तव में प्रश्न में क्या पूछा गया है। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि वे प्रभंजकों और शोधनशालाओं के स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं; यदि वे यही जानना चाहते हैं तो मुझे उन्हें यह जानकारी प्रदान करने में प्रसन्नता होगी।

सूचना यह है कि ओ.एन.जी.सी. अंकलेश्वर, हजीरा, गंधार और उरान में अपने प्रभंजकों में एल.पी.जी. का उत्पादन करती है। ओ.आई.एल. अपनी एल.पी.जी. का उत्पादन दुलियाजोन स्थित प्रभंजक में करती है। गेल के प्रभंजक उत्तर प्रदेश में ओरैया, असम में लखुवा, गुजरात में गंधार, गुजरात में वगोधिया, मध्य प्रदेश में विजैपुर और महाराष्ट्र में उस्सर में स्थित हैं।

सरकारी और निजी विमान सेवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा

+

***325. श्री कमला प्रसाद रावत :**
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निजी विमान सेवाओं ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अपनी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में कुछ आकर्षक योजनाओं/रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या एयर इण्डिया (ए.आई.) और इण्डियन एयर लाइन्स (आई.ए.) का विचार भी निजी विमान सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में इसी प्रकार की आकर्षक योजनाओं/रियायतों की घोषणा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ए.आई. और आई.ए. का विचार निजी प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना किस प्रकार करने का है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रतिस्पर्धी बने रहने के प्रयोजनार्थ इंडियन एयरलाइंस तथा एअर इंडिया भी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए समय-समय

पर बाजार चालित योजनाएं आरम्भ करती है। इनमें से कुछ योजनाएं हैं-- लीन सेक्टर प्रमोशनल फेयर्स, एक्सकर्सन फेयर्स, थ्रू फेयर्स, राउण्ड ट्रिप फेयर्स, इजी फेयर्स, प्रीमियम ट्रैवल प्रोग्राम, कम्पेनियन फ्री स्कीम, ऑनलाइन कांटैस्ट, ऑनलाइन ऑक्शन आदि।

(ड) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस बाजार पहलों, उड़ानगत पहलों, केबिन सज्जा में सुधार आदि के जरिए अपनी क्षमता की उपयोगिता को सुधारने के लिए निरंतर कदम उठाती हैं। दोनों एयरलाइनें प्रतिस्पर्धा का सामना करने तथा बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपने बेड़े के विस्तार की प्रक्रिया में भी हैं।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकारी और निजी विमान सेवाओं के बीच प्रतिस्पर्द्धा से सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा है और निजी विमान सेवाओं को कितना फायदा पहुंचा है? अब सरकार कौन सी आकर्षक योजनाएं लागू करेगी जिससे सरकारी विमान सेवाओं के घाटे को लाभ में बदला जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक प्रश्न है जिसपर पूर्णरूप से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

श्री प्रफुल पटेल : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि निजी विमान कम्पनियों के आने के बाद सरकारी क्षेत्र की विमान कम्पनियों को कितनी हानि उठानी पड़ी है। तथापि, हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि विमान सेवाएं आज की आवश्यकता हैं और ये बहुत द्रुत गति से बढ़ रही हैं। वस्तुतः, सभी माननीय सदस्यों ने और कई बार आपने भी यह महसूस किया है कि विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री प्रफुल पटेल : केवल सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां ही स्वयं की क्षमता से बड़ी और बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता और इसकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकतीं। तथापि, सरकारी क्षेत्र की दोनों कम्पनियां एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने -- बढ़ती हुई प्रतियोगिता के बावजूद अपने मानकों को कायम रखा है और इस प्रतियोगिता का डटकर मुकाबला करने में सफल रही हैं। यदि माननीय सदस्य भी इस बात को समझें तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि विमान सेवाओं की बढ़ती संख्या का अर्थ यह है कि सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्र प्रतियोगिता कर रहे हैं और बढ़ते बाजार में उन दोनों के लिए ही स्थान है।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत : महोदय, क्या मैं दूसरा सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि यह ज्वायंट सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : ज्वायंट सवाल क्या है? आप छोटा प्रश्न पूछिए।

श्री कमला प्रसाद रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लीन सैक्टर, प्रमोशनल फेयर्स, थ्रू फेयर्स, राउंड ट्रिप फेयर्स, इजी फेयर्स, प्रीमियम ट्रेवल प्रोग्राम, कम्पेनियन फ्री स्कीम आन-लाइन-कांटैस्ट, आन लाइन आक्शन आदि सरकार ने जो स्कीम्स चलाई हैं, इनसे कितना फायदा पहुंचा है, और कितना नुकसान हुआ है? जो सरकारी सेवाएं नहीं हैं, निजी सेवाएं हैं, उन्हें इनसे कितना फायदा पहुंचा है -- यह भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं?

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य मेरी बात को मसझने की कोशिश करें। मैं इसमें फायदे नुकसान के आंकड़े नहीं दे पाऊंगा। सवाल यह है कि आज के कम्पीटीशन के युग में, चाहे सरकारी हों या निजी कंपनियां हों, सभी यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं और अलग-अलग सुविधाएं देती हैं। इस प्रकार से इस प्रतिस्पर्धा का फायदा आखिर भारत के जो मुसाफिर हैं, उनको मिलता है, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसमें हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि काफी योजनाएं यात्रियों को आकर्षित करने के लिए चलायी गई हैं, जिसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। जैसे देश के विकास के लिए रोड और रेल का महत्वपूर्ण योगदान है, वैसे ही एयरलाइंस का भी महत्वपूर्ण योगदान है। काफी लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए वे एयरलाइंस से प्रवास करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह बड़े शहरों से छोटे शहरों को जोड़ने के लिए सेवाएं शुरू की गई हैं, वैसे ही क्या शोलापुर, हैदराबाद, मुम्बई को जोड़ने के लिए आप कोई सेवा शुरू करेंगे? मैं माननीय मंत्री जी और श्री शरद पवार जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने पूना-दुबई के बीच सेवा शुरू की है। क्या मंत्री जी पूना-शोलापुर-हैदराबाद सेवा को शुरू करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यही समस्या है। केवल अलग-अलग क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। सभी उपयुक्त मार्गों पर विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल : मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं कि छोटे शहरों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए और उन्हें छोटे

विमानों से ही जोड़ा जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों को पहले भी बता चुका हूं कि हमने यह कोशिश की है कि हर राज्य सरकार अगर इंडियन एयरलाइन्स के साथ कोई समझौता करे, तो जिस तरह से नार्थ-ईस्ट काउंसिल की ओर से इंडियन एयरलाइंस को कुछ सब्सिडी मिलती है जिससे वह नार्थ-ईस्ट में कुछ सेवाएं अधिक चलाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार से अगर राज्य सरकारों ने हमारे साथ समझौता किया और अपने-अपने राज्यों का आंतरिक सेवाओं को जोड़ने का काम किया तो निश्चित रूप से आप शोलापुर, नांदेड़ या जो भी देश के अलग-अलग राज्यों के शहरों को जोड़ना चाहते हैं, इसमें उनका फायदा हो सकता है। इसमें आप सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप अपनी-अपनी राज्य सरकारों को इस बारे में प्रभावित करें और हमें सहयोग करें।

[अनुवाद]

श्री दिपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के अंतिम भाग में यह पूछा गया है कि नई कम्पनियों के मैदान में आने के बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने उनकी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए क्या तैयारी की है?

अब, दुनियाभर में विमानन उद्योग में वैश्विक गठजोड़ का रूझान चल रहा है। मैं 'कोड शेयरिंग' या बारंबार उड़ान कार्यक्रम में साझेदारी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहु-आयामी स्तरों पर बहु-आयामी समझौतों की बात कर रहा हूं। अब, दुनियाभर में एक के बाद एक विमान कम्पनियां इन गठजोड़ों का हिस्सा बनने को रणनीतिक और वित्तीय रूप से आवश्यक मान रही हैं। फिर चाहे वह स्टार वर्ल्ड या वन वर्ल्ड या स्काई टीम हो।

उदाहरण के लिए नए उभरते बाजारों के लिए एक आभासी प्रतीक्षा सूची बनाई गई है। उदाहरणार्थ, चाइना एयर के स्टार वर्ल्ड से जुड़ने की संभावना है। चाइना इस्टर्न के वन वर्ल्ड से जुड़ने की संभावना है। साउथ अफ्रीकन एयरलाइन के वर्ष 2006-07 में स्काई टीम से जुड़ जाने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, आपकी आदरणीय उपस्थिति में मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि एक ऐसे उद्योग में जहां बहुत कम लाभ है वहां हमेशा तेल के बढ़ते मूल्यों और संघों के साथ सौदेबाजी के कारण संचालन लागत में वृद्धि होने से तुलन पत्र पर दबाव बना रहता है और दूसरी ओर नई विमान कम्पनियों के मैदान में आने से उन्हें अपने किराए भी कम रखने पड़ते हैं जिससे उनके राजस्व अर्जित करने की क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है आदि। क्या माननीय मंत्री जी एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइन्स को इनमें से किसी गठजोड़ का भाग बनाने के बारे में सोचेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आपके अनुपूरक प्रश्न के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से पूछा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, आपकी तरह ही मुझे भी यही महसूस हो रहा है। यद्यपि, माननीय सदस्य पहली बार सदस्य बने हैं और बहुत कम आयु के हैं तथापि इन्होंने विमानन क्षेत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू और रूझानों पर प्रकाश डाला है। मैं विषय की गहन जानकारी और समझ के लिए भी उनकी प्रशंसा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, हम उनके द्वारा अर्जित की गई इस जानकारी पर प्रसन्न हैं।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, यह सही है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स विमान सेवाएं हैं। एक बदलते वैश्विक परिदृश्य में उन्हें बहुत से परिवर्तनों से गुजरना होगा और बहुत सी पहल करनी होंगी। सबसे पहले उपाय के रूप में मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं कि हां हमें बड़े गठजोड़ों में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। विश्व में तीन बड़े गठजोड़ कार्यशील हैं। जैसा कि उन्होंने सही ही कहा है, वे हैं स्कीई टीम, वन वर्ल्ड और स्टार एलायंस। मुझे विश्वास है कि दोनों एयरलाइनें इस मुद्दे के प्रति सजग हैं। वे इस संबंध में कार्य कर रही हैं। वे इनमें से किसी एक गठजोड़ के साथ बातचीत कर रही हैं।

तथापि, एक मूल मुद्दा है जिसे, मेरे विचार से हम सभी को स्वीकार करना चाहिए और वह है कि इन दोनों ही विमान सेवाओं के लिए बहुत लंबे समय से विमान नहीं खरीदे गए हैं। कई वर्षों के पश्चात् सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स के लिए विमानों की खरीद को स्वीकृति दी है। इसके परिणामस्वरूप इसके बेड़े में अगले वर्ष के मध्य या उसके अंत तक वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अतः मुझे विश्वास है कि एयर इंडिया के लिए यह प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में अपने अंतिम दौर में पहुंच जाएगी। मुझे विश्वास है कि एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स एक संयुक्त उपक्रम के रूप में और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए इनमें से किसी भी अर्थात् स्टार एलायंस या वन वर्ल्ड या स्काई टीम का सदस्य बनने के लिए बातचीत करने की स्थिति में आ जाएंगे। अतः हमें इस बात के लिए उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए कि वे इस प्रक्रिया में हैं। हम, एक सरकार होने के नाते, उन्हें इनके इस प्रयास में प्रोत्साहित भी करेंगें क्योंकि यह उनके लम्बी अवधि तक बने रहने के लिए बहुत आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्राइवेट एयरलाइन्स ने जो सहूलियतें मुसाफिरों को दी है, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। उन एयरलाइन्स ने अपने किराए कम किए हैं वह भी स्वागत योग्य कदम है -- जैसे डैक्कन एयरलाइन या किंगफिशर एयरलाइन 3500 रुपए अथवा 2500 रुपए में दिल्ली से मुम्बई और मुम्बई से दिल्ली पहुंचाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इंडियन एयरलाइन्स के किराए कम करने पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न भी है, जो इसी से जुड़ा हुआ है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। दूसरा नहीं।

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावनाओं से मैं सहमत हूं कि हरेक एयर लाइन को, चाहे वह निजी हो या सरकारी, अपने कस्टमर्स को, अपने फ्लायर्स को, आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ निजी एयरलाइन कंपनियां ही आकर्षक योजनाएं दे रही हैं और हमारी सरकारी कंपनी नहीं दे रही है। माननीय सदस्य शायद इंडियन एयरलाइन्स में सफर कम करते होंगे, इसलिए उन्हें इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी कम है। यह भी हो सकता है कि हमारे पार्लियामेंट के मैम्बर्स को इंडियन एयरलाइन्स का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंडियन एयरलाइंस भी अनेक ऐसी योजनाएं दे रही है। देश में बढ़ते हुए मुसाफिरों के काफिलों को आकर्षित करने के लिए भी हमारे पास अपेक्स फेयर्स हैं। हमारे कई फेयर्स बिल्कुल मुकाबले के हैं। हमारी दो टाइप की एयरलाइंस हैं -- एक, एकदम लो कास्ट की है, जो नो सर्विस देते हैं और दूसरे फुल सर्विस देने वाले केरियर्स हैं। यह डिस्टिंकशन हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सभी चीजों में सारी सुविधाएं भी मांगेंगे और एकदम सस्ते दाम भी मांगेंगे। इसमें लो कास्ट केरियर्स का कंसेप्ट कुछ वर्षों से नया है, लेकिन फुल सर्विसेज़ केरियर्स का कंसेप्ट विश्व में आज भी कायम है। इसलिए हमारे देश में आप देखेंगे, ··*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे आगे कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न का उत्तर न दें। इस व्यवधान का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल : आपका धन्यवाद, महोदय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें मानना चाहिए और मैं समझता हूं कि हम सब इस राय से सहमत हैं कि इंडियन एयरलाइंस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कि कुछ लोग किंग फिशर में जाते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कई ऐसी स्कीम्स का जिक्र किया है, जो इंडियन एयरलाइंस या बाकी प्राइवेट एयरलाइंस ··*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी इंडियन एयरलाइंस नहीं है।

श्री छेवांग थुपस्तन : एयर इंडिया है और इंडियन एयरलाइंस भी है। ··*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब नाम बदल कर इंडियन हो गया है।

श्री छेवांग थुपस्तन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ऐसी कई स्कीम्स का जिक्र किया है, जो बाकी सैक्टर्स में उपलब्ध हैं। मंत्री जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी, लद्दाख का क्षेत्र छः-सात महीने बाकी देश से कटा रहता है। यदि वहां कोई भी जाना चाहे या वहां से बाहर आना चाहे तो सिर्फ हवाईजहाज से ही आ-जा सकते हैं। महोदय, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी स्कीम लेह सैक्टर में इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की इंसेंटिव स्कीम्स देने का क्या क्राइटेरिया है और क्या मंत्री जी, यह स्कीम्स लद्दाख में न सिर्फ इंडियन में इंट्रोड्यूस, करेंगे, बल्कि प्राइवेट एयरलाइंस को भी बाध्य करेंगे कि इन स्कीम्स को वहां इंट्रोड्यूस करे।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि लद्दाख में लेह क्षेत्र और सम्पूर्ण क्षेत्र को हवाई सेवा से और अधिक जोड़े जाने की जरूरत है क्योंकि कम से कम वर्ष में छः माह के लिए यह एकमात्र मार्ग होता है। वस्तुत एक समय केवल सरकारी सेवा यानी इंडियन एयरलाइंस लेह तक चलती थी। अब निजी सेवाओं ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है और इनके बढ़ने से ऐसा होगा कि अधिक सम्पर्क और अधिक एयरलाइंस के कार्य शुरू करने से उन क्षेत्रों में भी अधिक सेवाएं हो जाएंगी जहां आज कम सेवाएं हैं। और अधिक सेवाओं से ग्राहकों के लिए बेहतर किराये कीमतें और किराये होंगे। जहां तक स्पष्टीकरण की बात है तो हालांकि यह इंडियन है फिर भी कंपनी इंडियन एयरलाइंस बनी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ··*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दूंगा कि और सेवाएं शुरू हों ··*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे सैक्टर में, जहां जाह के अलावा कोई सेवा जा ही नहीं सकती ··*(व्यवधान)* गरीब लोग भी उसमें ट्रेवल करते हैं। ··*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते थे?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : हां, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या केरल और खादी देशों के बीच के किराये कम किए जाएंगे। अब किराये अधिक हैं। अधिकांश यातायात केरल का है और अधिक किराये के कारण हज यात्रियों को परेशानी होती है। क्या आप किराये कम करेंगे? और दूसरा प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न नहीं। पहले का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : कोजीकोड विमानपत्तन एक प्रमुख विमानपत्तन है। क्या इसे अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां नहीं उठता।

श्री प्रफुल पटेल : मेरे पास कोजीकोड के बारे में जानकारी नहीं है। इसके साथ ही जहां तक हज किराये का प्रश्न है तो हमें सम्मान करना चाहिए कि सरकार के पास एक योजना है। इस वर्ष उन्होंने हाजियों की संख्या 82,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। गत वर्ष यह 72,000 से बढ़कर 82,000 हुई थी। जहां तक सरकारी योजना के तहत हाजियों के जाने का संबंध है तो किरायों में 1994 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैं नहीं समझता कि हमें उस बारे में आलोचना करनी चाहिए।

कोजीकोड के बारे में तत्काल मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

डा. सुजान चक्रवर्ती : अनेकों लाभकारी और रियायती योजनाओं से निजी कंपनियां लाभ उठा रही हैं। इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया भी ऐसा ही कर रही हैं। मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है।

ऐसा देखा जाता है कि निजी एयरलाइनों के मुम्बई से कोलकाता और दिल्ली से मुम्बई के किराये 1000 रुपए से 3000 रुपए तक उपलब्ध हैं जबकि तेल की लागत सहित इस क्षेत्र में सम्पूर्ण लागत में वृद्धि हो रही है। इसलिए यह उनके लिए सहन करने लायक कैसे है? क्या यह सुरक्षा के साथ समझौता करके किया जाए?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रतिस्पर्धा के बारे में है।

श्री प्रफुल पटेल : मैं पहले दूसरे भाग का उत्तर दूंगा। जहां तक सुरक्षा का संबंध है तो मैं सभा को भरोसा दिलाता हूं कि हम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसरण में निर्धारित सर्वोच्च सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। कोई भी विमान चाहे वह निजी सेवा का हो, कम लागत वाला हो अथवा कोई सार्वजनिक सेवा हो सर्वोच्च सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना उड़ान नहीं भर सकता। हमारे देश में हमारा प्रदर्शन विश्व में अन्य किसी भी स्थान की तुलना में बहुत अच्छा रहा है।

दूसरे मामले पर मेरा कहना है कि कोई विमान सेवा कम किराया अथवा अधिक किराया दे सकती है। आज की मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा में उन्हें किराये तय करने दीजिये और यदि वे कम कीमत पर बने रह सकते हैं और यात्रियों की बेहतर सेवा प्रदान कर पाते हैं तो हमें बीच में आपने की क्या जरूरत है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। हम इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा करायेंगे।

श्री प्रफुल पटेल : मैं यह तय नहीं कर सकता कि कंपनी किस कीमत पर अपना उत्पाद बेचना चाहती है। जब तक इससे ग्राहकों को लाभ होता है तब तक हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ठीक कहते हैं।

विमानपत्तनों पर 'कैट-3 बी' की स्थापना

\+

***326. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :**

श्री एल. गणेशन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अब सभी घरेलू विमान सेवाओं को अपने पायलटों को घने कोहरे में कैट-3 बी (सी.ए.टी.-3 बी.) लैण्डिंग सहायता प्रणाली का प्रयोग करते हुए उड़ानों के प्रचालन का प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू विमान सेवाओं को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में घरेलू विमान सेवाओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) कौन-कौन से विमानपत्तनों पर अब तक कैट-3 बी प्रणाली स्थापित कर दी गई है;

(ङ) अत्यधिक कोहरे से प्रभावित सभी विमानपत्तनों पर यह प्रणाली कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) कैट-3 बी प्रणाली के उन्नयन और इस संबंध में पायलटों को प्रशिक्षण देने पर कितनी धनराशि व्यय हुई है/व्यय करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय को इस संबंध में तकनीकी तथा कानूनी पहलुओं की जांच के लिए कहा गया है। तथापि, विभिन्न अनुसूचित एयरलाइनों को समय-समय पर उनके पायलटों को आई.एल.एस. कैट-II/III प्रणाली का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कहा जाता है। एयरलाइनों पर अपने प्रशिक्षित कैप्टनों को कैट-II/III प्रचालनों के लिए प्राधिकृत/प्रशिक्षित करने के लिए दबाव डाला जाता है ताकि बाद में ये प्रशिक्षित कैप्टन, अधिकतम संख्या में पायलटों को निम्न दृश्यता परिस्थितियों में प्रचालनिक दक्षता सुधारने के लिए कैट-II/III प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित कर सकें। अभी तक एअर इंडिया के 61 तथा इंडियन एयरलाइंस के 87 पायलटों को कैट-III ए तथा बी प्रचालनों के लिए डी.जी.सी.ए. द्वारा प्रशिक्षित व अनुमोदित किया जा चुका है।

(घ) और (ङ) दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी हवाईअड्डे के कैट-IIIबी आई.एल.एस. की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां दिल्ली हवाईअड्डे पर कैट-IIIए प्रणाली पहले से ही प्रचालनरत है, वहीं केट-IIIबी प्रणाली तक स्तरोन्नयन के लिए उपस्कर की स्थापना की गई है। प्रणाली की टेस्टिंग तथा ट्रायल संबंधी प्रचालन चल रहे हैं, जिसके पश्चात् इसे प्रचालनिक कर दिया जाएगा।

(च) दिल्ली हवाईअड्डे पर इस प्रणाली की स्थापना पर सम्भावित व्यय 11.89 करोड़ रुपए है। आई.एल.एस. कैट-II तथा कैट-IIबी प्रशिक्षण की लागत लगभग 2.52 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : पायलटों को कैट-3बी उपकरण, जिससे कोहरे वाले विमानपत्तनों से उड़ान भरने और विमान उतारने में सुविधा होती है, का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण में अधिक लागत लगने को ध्यान में रखकर अधिकांश निजी एयरलाइंस इससे बचती हैं और सस्ते विकल्पों यथा उड़ानों का समय परिवर्तन करने और देर करने को चुनती हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जब तक पर्याप्त संख्या में निजी एयरलाइनों के पायलटों का इस संबंध में प्रशिक्षण नहीं हो जाता तब तक सरकार कम से कम प्रारम्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में कोई प्रोत्साहन अथवा राजसहायता देने पर विचार करेगी।

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पहले मैं सभा को भरोसा दिलाता हूं कि कैट-3बी विश्व में कहीं भी कोहरे वाली स्थिति में विमान उतारने के लिए सबसे उच्च स्तर की उपकरण प्रणाली है और वह वास्तव में अब दिल्ली विमानपत्तन पर कार्य कर रही है। इसलिए, मैं समझता हूं कि इस संबंध में विमानपत्तन प्राधिकरण इसे तकनीकी रूप से अपेक्षित स्तर तक ले गया है।

जहां तक पायलटों के प्रशिक्षण का संबंध है तो पायलटों को एयरलाइनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना होता है। हमने इसे अनिवार्य नहीं बना दिया है। हालांकि इंडियन एयरलाइंस ने स्वतः ही अपने पायलटों को बड़े पैमाने पर कैट-3बी स्थितियों का प्रशिक्षण देने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कुछ निजी एयरलाइंस इसी तरह विचार कर रही हैं। कुछ तकनीकी और विधिक मामले भी हैं। हमने डी.जी.सी.ए. से कहा है कि इस बात की जांच करें कि हम किस तरह से सभी एयरलाइनों और सभी पायलटों को कैट-3बी स्थितियों के अंतर्गत प्रशिक्षित होने के लिए कह सकते हैं।

मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि मेरे लिखित उत्तर में भी मैंने कहा है कि महानिदेशक, नागरिक उड्डयन को इस संबंध में तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया है। यह एक बड़ा मुद्दा है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए ही साफ दिन में भी यदि पायलट को उतरने का विश्वास नहीं होता है और यदि उसे सुविधा नहीं हो तो ऐसा कोई नियम नहीं है जो उसे उतरने के लिए बाध्य कर सके क्योंकि यह उसके कौशल और फैसले पर निर्भर करता है। इसलिए, हम कानूनी और अन्य पहलुओं की जांच भी कर रहे हैं कि प्रशिक्षण को अनिवार्य कैसे बनाया जाए। किन्तु पायलटों के प्रशिक्षण के लिए राजसहायता देने की कोई जरूरत या कारण नहीं हैं क्योंकि यह एक व्यावसायिक गतिविधि है। यदि एयरलाइंस उड़ान भर रही हैं तो सभी संभावित स्थितियों के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देना उनका कर्त्तव्य है।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : किन्तु यदि निजी एयरलाइंस उड़ानों का समय परिवर्तित करने और विलम्ब करने जैसे सस्ते विकल्पों को चुनती हैं तो इससे निश्चय ही यात्रियों को बहुत अधिक असुविधा होगी। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार कोई प्रोत्साहन अथवा राजसहायता देने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है।

श्री प्रफुल पटेल : हम अपने सरकारी विमानों को भी राजसहायता नहीं देते हैं। वे अपने संसाधनों से ही व्यवस्था करते हैं। यही बात सभी विमान कंपनियों पर लागू होती हैं। हम देखते हैं कि कोहरे के कारण विलम्ब, विशेषकर दिल्ली और उत्तर भारत के विमानपत्तनों तथा कोलकाता में भी विलंब की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए, हम प्रणाली का उन्नयन करने पर विचार कर रहे हैं और इसे अनिवार्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु इस समय डी.जी.सी.ए. सभी पहलुओं की जांच कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों जैसा कि आपको पता है मैंने इसे पर नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी है जो 22 ता. को होगी। इसलिए, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रश्न के बारे में कुछ कहें क्योंकि यह केवल कोहरे की हालत के बारे में नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई कदम उठाया गया है कि पायलटों का प्रशिक्षण 250 घंटे से कम करके 180 घंटे कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल : मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कह सकते हैं-- 'हां' या 'नहीं'।

श्री प्रफुल पटेल : सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों यानी आई.सी.ए.ओ. के दिशानिर्देशों के अंतर्गत दांयी ओर से बांयी ओर कमान तक प्रशिक्षण के घंटे 200 हैं। यही हमने निर्धारित किया है। हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकार्य मानकों से आगे नहीं जा सकते। उनके पहले 250 घंटे थे। बहुत वर्षों से हमने अपने बहुत से नियमों और विनियमों को नहीं बदला है। हम पूरी तरह से आई.ए.टी.ए. और आई.सी.ए.ओ. के दिशानिर्देशों के ढांचे के अंदर ही हैं। हम उनसे अलग नहीं होते *(व्यवधान)* 180 घंटे नहीं हैं बल्कि 200 घंटे हैं।

श्री अलकेश दास : माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार सी.ए.टी.-3बी प्रणाली को स्थापित किए जाने पर 11.89 करोड़ रुपये और पायलटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर 2.5 लाख रुपये का व्यय होगा। यह कोई बड़ी राशि नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे केवल दिल्ली के विमानपत्तन पर ही क्यों लगाया जाए, अन्य सभी विमानपत्तनों पर क्यों नहीं। इस परियोजना में विलंब क्यों हो रहा है? सर्दियों में यात्रियों को उड़ान के कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ता है। हम इस परिस्थिति का सामना कर चुके हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें विलंब क्यों हो रहा है?

श्री प्रफुल पटेल : पहले कुछ विलंब के बाद सी.ए.टी.-3बी प्रणाली स्थापित की गई थी परंतु इस वर्ष हमने इसे समय पर प्रोन्नत कर सी.ए.टी.-3ए से सी.ए.टी.-3बी कर दिया है। वस्तुत, इस उपकरण के परीक्षण चल रहे हैं जिससे कि यदि कोहरा होता है तो हम कुछ ही दिन में इसकी व्यवस्था कर लेंगे। वस्तुतः यही प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कोहरे के मुद्दे की गंभीरता को समझा जा रहा है। हमें भविष्य में और कई स्थानों पर ध्यान देना है, केवल दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के विमानपत्तनों और कोलकाता में भी यही मुद्दा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं कि भविष्य में इससे कैसे निपटा जाए?

श्री नवीन जिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को उनकी सक्रियता और नागर विमानन के क्षेत्र में क्रान्ति लाने के लिए प्रशंसा करता हूं। इससे बहुत सी नई विमान कंपनियां यहां आ रही हैं। देश में पायलटों की भारी कमी है और इसके परिणामस्वरूप विदेशों से सैंकड़ों पायलट यहां आकर विमान उड़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सी.ए.सी.-3बी के बारे में है।

श्री नवीन जिन्दल : ए.टी.सी. नियंत्रकों को भी भारी कमी है। दिल्ली आने वाली उड़ानों में भी असाधारण विलंब हो रहा है। कई बार विमान घंटों तक आकाश में ही घूमते रहते हैं। गत रात्रि मुझे 11.30 बजे दिल्ली में उतरना था परन्तु मैं रात को एक बजे उतर पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सब मुद्दों को सुलझाने हेतु युद्ध स्तर पर कुछ करने की योजना बना रही है।

श्री प्रफुल पटेल : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है परन्तु मैं संक्षेप में इसका उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता लेकिन हम थोड़ा समझौता तो कर ही सकते हैं।

श्री प्रफुल पटेल : हमने ए.टी.सी. के लिए लगभग वर्ष 1999 से कोई भर्ती नहीं की है। अब हमने सारे नए कर्मचारियों की भर्ती की है। ए.टी.सी. नियंत्रकों पर दबाव कम करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पायलटों के मुद्दे पर कमी इसलिए है क्योंकि विमानन उद्योग में बहुत छोटी अवधि में एकाएक उछाल आया है। इस कमी को अस्थायी रूप से पूरा करने हेतु एक निर्धारित समयावधि के लिए हमने विदेशी पायलटों को अनुमति दी है। इसी के साथ-साथ हमने अपने कमांडरों के लिए भी दो चरणों में सेवा आयु में वृद्धि की है -- पहले 60 से 61 और अब 61 से 65।

अध्यक्ष महोदय : अभी इस प्रकार का विस्तृत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल : यह इन कमांडरों का ईष्टतम उपयोग किए जाने हेतु किया गया है। यदि बाईं ओर 65 वर्ष की आयु का कमांडर बैठा है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूसरे कमांडर की आयु 60 वर्ष से कम हो जिससे कि हमारे सामने इस संबंध में सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दा न खड़ा हो।

अध्यक्ष महोदय : 22 को ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी विमान सेवाओं के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियां

+

***324. श्री संजय धोत्रे :**
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ घरेलू विमान सेवाएं विदेशी विमान सेवाओं के साथ सम्बद्ध होने के लिए

समझौता कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आरंभ करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम कम्पनियां स्थापित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमान सेवाओं ने अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, डेक्कन एविएशन लिमिटेड ने श्रीलंका में डेक्कन लंका के नाम से एक कम्पनी स्थापित की है, जिसमें अधिकांश शेयर होल्डिंग श्रीलंका के राष्ट्रिकों की है। तथापि, यह एक स्वतंत्र कम्पनी है, एयर डेक्कन का उद्यम नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आज का दिन आपका है।

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका पूरा जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई घरेलू कम्पनी इस दिशा में प्रयास करेगी तो क्या सरकार उसे प्रमोट करेगी?

अध्यक्ष महोदय : सरकार प्रमोट करेगी -- क्या?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं पूरा प्रश्न नहीं समझ पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे यह पूछ रहे हैं कि क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, जैसा कि मैंने कहा पूरे उद्योग में हमने निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों को स्पर्धा करने की अनुमति दी है। यदि कोई भी आगे आकर एक विमान सेवा आरम्भ करने का इच्छुक है तो सभी मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसी नए खिलाड़ी को दौरान में आने की अनुमति देने में कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पर्याप्त है। मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

श्री संजय धोत्रे : जी नहीं, महोदय। आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती निवेदिता माने -- उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 328 - प्रो. महादेवराव शिवनकर -- उपस्थित नहीं।
प्रश्न संख्या 329 - श्री उदय सिंह -- उपस्थित नहीं।

उन्हें ऐसा लगा होगा कि इतने प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे।

प्रश्न संख्या 330 -- श्री बसुदेव आचार्य -- उपस्थित नहीं।
प्रश्न संख्या 331 -- श्री सीताराम यादव -- उपस्थित नहीं।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता -- आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

\+

***331. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**
श्री सीता राम यादव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों/निगमों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए, विशेषतः सुरक्षा गार्डों के रूप में, सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास, विशेष तौर पर सुरक्षा कार्मिकों के पद पर, विभिन्न सरकारी विभागों/निगमों में गंभीरता से नहीं किया जा रहा है और जहां भूतपूर्व सैनिकों का सुरक्षा कार्मिक के तौर पर पुनर्वास किया गया है, वहां उनका शोषण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भूतपूर्व-सैनिकों के बेहतर पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) सरकार के पास भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए रोजगार तथा स्व-रोजगार हेतु केई योजनाएं हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना उन्हें सुरक्षा गार्डों के रूप में विनियोजित करने के लिए है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय, सुरक्षा एजेंसियों के कार्य-संचालन का पर्यवेक्षण करता है। सरकार, सुरक्षा कार्मिकों से संबंधित योजनाओं सहित अपनी सभी योजनाओं में भूतपूर्व

सैनिकों के पुनर्वास पर तत्परता से कार्रवाई करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को, सुरक्षा सेवाओं हेतु, भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों से अनुबंध करना होता है। राज्य भूतपूर्व सैनिक निगम, अपने-अपने राज्यों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा उसकी यूनिटों में सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निजी क्षेत्र की भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों को पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित किया जाना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा कार्मिकों का शोषण न हो, विभिन्न सुरक्षोपाय मौजूद हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बिल्कुल वेग उत्तर दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। प्रश्न के ए, बी, सी, डी, चारों भागों का उत्तर एक पैराग्राफ में दे दिया गया है। उन्होंने केवल यह लिखा है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है। मंत्री महोदय बहुत दक्ष और कुशल मंत्री हैं। हम समझते हैं कि प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिया गया है। जो प्रश्न के ए, बी, सी, डी, चारों भाग पूछे गए हैं कि रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रवास, रोजगार तथा स्व-रोजगार के लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं, क्या मंत्री जी इसका उत्तर बताना चाहेंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, यह पूरी सूचना मंत्रालय के वार्षिक विवरण में दी जाती है क्योंकि यह बहुत ही सामान्य प्रश्न हैं जिनमें सबसे पहले सुरक्षा सेवा में नियुक्ति, भूमि का आबंटन, उनके उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सहकारिताओं की रचना आदि से आरम्भ होकर सेवा निवृत्ति के पश्चात् कुछ अन्य सुरक्षा संगठनों में पार्श्व नियुक्ति सम्मिलित है। वायु सेना और नौ-सेना के संबंध में सेवा निवृत्ति के पश्चात् निजी विमान कंपनियों और वाणिज्यिक पत्तन कंपनियों (मरचेन्ट नेवी) आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी हमारे प्रतिवेदन में है।

अध्यक्ष महोदय : ये सामान्य प्रकार की सुविधाएं हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या मंत्री महोदय डिटेल में जानकारी देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोल रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए। क्या आपने और कुछ पूछना है?

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक सैक्टर कम्पनियों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने उपक्रम में भूतपूर्व सैनिकों को रखें। क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि बहुत सी पब्लिक सैक्टर कम्पनियों में भूतपूर्व सैनिकों को रखने के साथ-साथ प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी के लोगों को भी रखा जाता है?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, जब भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं हम कार्यवाही करते हैं। जहां तक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है हम पुनर्वास महानिदेशक की संस्था के माध्यम से उनकी सतत रूप से निगरानी करते हैं। केन्द्र के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम इन बाध्यताओं का पालन करते हैं और वे पुनर्वास महानिदेशक की निगरानी में उनके द्वारा संस्तुत की गई सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करते हैं। राज्य के निगम भी सीधे अपनी पेशकश भेज सकते हैं। जहां तक निजी एजेंसियों का संबंध है वे भी अपनी पेशकश कर सकते हैं। परन्तु, कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो पुनर्वास महानिदेशक की संस्था उनकी जांच करता है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जिन सैनिकों की मृत्यु सेवा काल में हो जाती है, उनके आश्रित जब नौकरी के लिए एप्लाई करते हैं, तो आपके सेवा भर्ती बोर्ड के माध्यम से उनके सामने काफी कठिनाइयां खड़ी की जाती हैं, जिसकी वजह से उनको समय से नौकरी नहीं मिल पाती। इनमें से बहुत से आश्रित ऐसे हैं, जो ओवर ऐज हो रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सेवा भर्ती बोर्ड आयु में कुछ शिथिलता बरतते हुए ऐसे लोगों को देने का कोई प्रावधान करेगा?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई समस्या कुछ सीमा तक प्रामाणिक है। लेकिन हमारी भी कुछ सीमा है क्योंकि अनुकंपा के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियां केवल पांच प्रतिशत होती हैं। माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि इस सेवा के स्वरूप के कारण असैनिक कार्यों में लगे लोगों की तुलना में मृतकों की संख्या अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, इनकी संख्या भी अत्यधिक है। आज, अभी तक, 19 लाख से अधिक पूर्व-सैनिक हैं। प्रतिवर्ष लगभग 55,000 सेवानिवृत्त लोग इसमें और जुड़ जाते हैं।

मैं इस समस्या से अवगत हूं। यह सेवा बोर्ड की लापरवाही के कारण नहीं है अपितु मांग और उपलब्धता के बीच भारी अंतर के कारण ऐसा है। जैसा कि मैंने कहा कुल उपलब्ध रिक्तियों में से केवल 5 प्रतिशत को ही अनुकंपा के आधार पर भरा जाता है। अतः बहुत से वास्तविक मामलों की भी उपेक्षा हो जाती है। यदि हम इसमें वृद्धि करते हैं तो उस स्थिति में नियमित रोजगार प्रभावित होगा। ये ऐसी विरोधी समस्याएं है जिनका समाधान हमें करना होगा।

श्री के.एस. राव : महोदय, रक्षा कर्मी सामान्यतः अपने अनुशासन, प्रतिबद्धता और समर्पण आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। संग्रहालयों में बहुत चोरियां हो रही हैं तथा उसकी बहुमूल्य सम्पत्तियों पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है।

क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इन संग्रहालयों में इस कार्य के लिए इन रक्षा कर्मियों की भर्ती को वैकल्पिक रखने के बाजए अनिवार्य करने पर विचार करेगी?

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, जहां तक रक्षा संग्रहालयों का सम्बन्ध है तो हम निश्चित तौर पर उनमें भूत-पूर्व सैनिकों को ही रखते हैं।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : महोदय, निगमों में इन भूत-पूर्व सैनिकों की नियुक्ति में उनके शोषण से उन्हें बचाने का यह एक तरीका हो सकता है। प्रत्येक जिलाधिकारी जिला सैनिक, सैनिक, वायुसैनिक बोर्ड-डी.एस.एस.ए. से सम्बंधित होता है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे भूत-पूर्व-सैनिकों के पुनर्नियोजन के सम्बंध में निविदाएं निकाली जा सकती हैं और उन्हें व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सकता है और इन भूत-पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए जिलाधिकारी तथा इस जिला पोत-चालक, सैनिकों, वायुसैनिक बोर्ड के माध्यम से इस तंत्र का उपयोग किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इसे आजमाने का विचार कर सकती है?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक पुनर्वास का संबंध है तो इसमें राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की भूमिका होती है। प्रश्न यह है कि इनमें से बहुत से जिला सैनिक बोर्ड या कुछ राज्य सैनिक बोर्ड बहुत प्रभावी नहीं हैं। यदि उन्हें प्रभावी बनाया जा सके तो निश्चित रूप से वे इस पुनर्वास कार्यक्रम में अपना मूल्यवान योगदान दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में एक्स सर्विसमैन को सर्विस देने की बात है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 'कारगिल' युद्ध में जो सैनिक शहीद हो गये हैं, उनकी पत्नी यदि नौकरी के लिए इच्छा करती है, तो क्या उसे प्रॉयरिटी बेसिस पर नौकरी मिलेगी?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, जैसा कि मैंने उल्लेख किया हमने कारगिल युद्ध की विधवाओं के लिए कुछ प्रावधान किये हैं। पिछले दिन एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के दौरान हमने उन समस्याओं के बारे में बताया था जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है।

आखिकार मृत्यु एक समान है चाहे कोई सामान्य ड्यूटी के दौरान मरता है या अन्यतरह की ड्यूटी के दौरान मरता है। कारगिल अभियान के दौरान यदि कुछ सैनिक ऊँची भावनाओं के तहत मर गए तो कारगिल में हुई मौतों के संदर्भ आर्थिक मुआवजा भी बहुत ज्यादा दिया गया था। अब सामान्य ड्यूटी, जिनमें आतंकवाद विरोधी अभियान भी सम्मिलित हैं, के दौरान हुई मौतों के लिए भी मांगें उठ रही हैं कि उन्हें भी उतनी राशि मुआवजे में दी जाए। प्रारंभिक वर्षों में कुछ सुविधाएं दी गई थी लेकिन यदि हमें उन्हें लम्बी अवधि तक जारी रखना है तो निश्चित रूप से अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित कोटे में कमी करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 332। श्रीमती मनोरमा माधवराज -- उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न सं. 333। श्री धनुषकोड आर. अतिथन -- उपस्थित नहीं हैं। श्री शिशुपाल पाटले -- उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

रेलवे अस्पताल

***334. डॉ. राजेश मिश्रा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चल रहे रेलवे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के अस्पतालों में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में रेलवे अस्पतालों में उपलब्ध सेवाएं कम हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेलवे अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में नए रेलवे अस्पताल स्थापित करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रेल के कुल 121 रेलवे अस्पताल हैं जिनका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

मध्य रेलवे - 11; पूर्व रेलवे - 9; पूर्व मध्य रेलवे - 8; पूर्व तटीय रेलवे - 4; उत्तर रेलवे - 12; उत्तर मध्य रेलवे - 4; पूर्वोत्तर रेलवे - 7; पूर्वोत्तर सीमा रेलवे - 11; उत्तर पश्चिम रेलवे - 8; दक्षिण रेलवे - 11; दक्षिण पश्चिम रेलवे - 4; दक्षिण मध्य रेलवे - 5; दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे - 4; दक्षिण पूर्व रेलवे - 6; पश्चिम रेलवे - 10; पश्चिम मध्य रेलवे - 7; **(कुल - 121)**

(ख) जी, नहीं। रेलवे अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं केन्द्र सरकार के अन्य अस्पतालों के समकक्ष हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। नए रेलवे अस्पताल स्थापित करने का विचार है।

(च) ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :-

(i) पूर्व मध्य रेलवे, राजेंद्र नगर (पटना) में सेंट्रल (जोनल) अस्पताल।

(ii) दक्षिण माध्य रेलवे, नांदेड़ में मंडल अस्पताल।

(iii) उत्तर मध्य रेलवे, आगरा में मंडल अस्पताल।

(iv) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर में मंडल अस्पताल।

[हिन्दी]

डॉ. राजेश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय बहुत बड़ा है। इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने 121 अस्पताल की सूची दी है जो रेलवे की तरफ से बने हैं। प्रश्न के 'ख' भाग में कहा गया है कि रेलवे अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं केन्द्र सरकार के अन्य अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के समकक्ष है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, रेलवे की एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें अनेक लोग घायल हुए या मर गये थे। घायलों में से कुछ यात्रियों को वहां से वाराणसी भेजा गया था और वाराणसी भेजने के बाद, वाराणसी में यद्यपि रेलवे का अस्पातल है, लेकिन उसके बावजूद उन सारे लोगों को, जो दुर्घटना में घायल हुए थे, उन्हें रेलवे के अस्पताल में न भेजकर, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भेजा गया, क्योंकि रेलवे का अस्पताल इस तरह का नहीं था कि केन्द्र सरकार के दूसरे अस्पतालों से उसकी तुलना हो सके। न वहां डॉक्टर्स थे और न वहां इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के अस्पतालों को, जो केन्द्र सरकार के दूसरे अस्पतालों के समकक्ष नहीं हैं, क्या उन्हें उपग्रेड करने के बारे में सरकार विचार करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बनारस अस्पताल को उन्नत बनाएंगे?

श्री आर. वेलु : महोदय, वाराणसी अस्पताल पहले से ही उच्च विशेषज्ञता अस्पताल है जहां पर डाक्टर कैंसर पर विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे हैं। इस अस्पताल में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अत्यंत उच्च-विशेषज्ञता वाले अस्पतालों में हैं।

अब माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह केन्द्रीय सरकारी अस्पातालों के बराबर हो सकता है। ऐसा हो सकता है लेकिन कई बातों में इसको उन्नत बनाना होगा। यह पहले से ही कैंसर तथा अस्थिरोग और हृदय रोग की शल्यक्रिया में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल है, पेरम्बदूर अस्पताल, चेन्नई भी ऐसा ही अस्पताल है। यह उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पतालों में से एक है।

उन्होंने पूछा है कि दुर्घटना के पीड़ितों का यहां इलाज नहीं हुआ और उन्हें अन्यत्र भेजा गया। मैं इस बात की जांच करूंगा। अन्यथा, यह बहुत ही उन्नत और उच्च-विशेषज्ञता वाला अस्पताल है।

[हिन्दी]

डॉ. राजेश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने उदाहरण दुर्घटना का दिया था और माननीय मंत्री जी कैंसर की बात करने लगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सही बात कहिए। उन्होंने बताया है कि यह कैंसर के लिए उच्च विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल है। उन्होंने यही कहा है।

[हिन्दी]

डॉ. राजेश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो रेलवे के 121 अस्पताल बताए गए हैं, सरकार ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि चार और नये अस्पताल बनने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह रेलवे पर पब्लिक का लोड है, जिस तरह से तमाम नयी ट्रेन्स चल रही हैं, तमाम दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, मैं नहीं कह सकता हूं कि किन कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन यात्रियों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार 121 अस्पतालों के बाद, जो चार और नये अस्पताल खोलने जा रही है, वे उन स्थानों पर खोले जाएंगे, जहां ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्स चलती हैं, क्या कुछ इस तरह से स्थान सरकार ने चिह्नित किये हैं जहां ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्या वहां निकट भविष्य में सरकार और अस्पताल खोलने के बारे में विचार करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चार के अतिरिक्त क्या आप और अस्पताल खोलने जा रहे हैं?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री आर. वेलु : महोदय, चार अस्पताल हैं जिनके नाम है :- केन्द्रीय (जोनल) अस्पताल, पूर्व केन्द्रीय रेलवे, राजेन्द्रनगर पटना; दक्षिण-केन्द्रीय रेलवे का डिविज़नल अस्पताल, नांदेड़; डिविजनल अस्पताल, उत्तर-केन्द्रीय रेलवे, आगरा, और डिविजनल अस्पताल, दक्षिण पूर्व, केन्द्रीय रेलवे, रायपुर।

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है।

श्री आर. वेलु : माननीय सदस्य ने आगे पूछा कि क्या हमने उन अस्पतालों की पहचान कर ली है जहां अक्सर दुर्घटनाएं हुआ करती हैं। दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं और मैं इस बात का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि किस स्थान पर दुर्घटना होगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम ऐसी उम्मीद करें भविष्य में अब दुर्घटनाएं नहीं होंगी।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम रेलवे में बीना स्टेशन बहुत बड़ा जंक्शन भी है। वहां का रेलवे अस्पताल पहले काफी अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस समय वहां डाक्टरों की कमी हो गयी है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करके और रात्रिकालीन सेवाएं शुरू करके सुधार लाने की सरकार की कोई योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रोगियों के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री आर. वेलु : महोदय, वहां डाक्टरों की कमी है। लेकिन हम खुले बाजार ठेकेदारी के आधार पर भी अतिरिक्त क्षमता को ले रहे हैं। जहां तक इस विशेष मामले की बात है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

रेलवे फाटकों पर उपरिपुलों का निर्माण

***322. योगी आदित्यनाथ :**
श्री जे.एम. आरुन रशीद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश से रेलवे फाटकों पर उपरिपुलों के निर्माण हेतु कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (घ) रेलें लागत में भागीदारी के आधार पर उन मौजूदा व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुलें/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य आरंभ करती हैं, जहां यातायात घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाइयों (टी.यू.वी.) से अधिक हो (टी.वी.यू.-24 घंटों में समपार से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या को गाड़ियों की संख्या से गुणा करने से प्राप्त होने वाली इकाई)। रेलों द्वारा इन कार्यों पर राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को विधिवत पूरा करते हुए प्रायोजित प्रस्तावों के आधार पर विचार किया जाता है। जिन समपारों पर यातायात घनत्व 1 लाख टी.वी.यू. से कम हो, वहां प्रस्तावों पर निक्षेप शर्तों के आधार पर विचार किया जाता है जिसके लिए निर्माण की आरंभिक लागत और आवर्ती अनुरक्षण प्रभार प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाते हैं। इस समय देश में लागत में भागीदारी के आधार पर 443 ऊपरी सड़क पुल-निचले सड़क पुल संबंधी बनर्माण कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें 29 कार्य उत्तर प्रदेश के लिए हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित निर्माण कार्यों की सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर रेलों की कार्रवाई का प्रश्न है, ऐसे सभी मामलों में मानक कार्यपद्धति का अनुसरण किया जाता है। राज्य सरकार को वचनबद्धता देनी पड़ती है कि उनके द्वारा ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के चालू हो जाने पर समपार बंद कर दिए जाएंगे, पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, सामान्य व्यवस्था आरेखणों को तैयार एवं अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, पहुंच मार्गों के लिए प्राक्कलन आदि तैयार किए जाएंगे। रेलों द्वारा स्थल पर निर्माण की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए इन प्रस्तावों की जांच की जाती है। चालू स्वीकृत कार्यों की प्रगति और उनके थ्रो-फारवर्ड आदि को भी हिसाब में लिया जाता है और उपर्युक्त के आधार पर रेल बजट/अनुदान की पूरक मांगों में शामिल किए जाने हेतु नए प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए व्यापक रूप से जांच की जाती है। प्रत्येक वर्ष रेलों को विभिन्न राज्य सरकारों से रेल बजट में शामिल किए जाने हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 2006-07 के रेलवे निर्माण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की यह प्रक्रिया पहले से ही की जा रही है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य से स्वीकृत ऊपरी सड़क पुलों/ निचले सड़क पुलों की सूची

क्रम सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3
1.	कानपुर - किलोमीटर 1017/31-35 पर टाट मिल क्रॉसिंग के नजदीक ऊपरी सड़क पुल को चौड़ा करना	2003-04
2.	लखनऊ - लखनऊ-रायबरेली खंड के बीच किलोमीटर 1071/371.35 का समपार सं. 215/3टी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-03
3.	अकबरपुर - लखनऊ-फैजाबाद खंड के बीच किमी 907/2-3 पर समपार सं. 83/ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-03

1	2	3
4.	इरादतगंज - कटनी-इलाहाबाद खंड पर 1341/4 पर समपार सं. 430/ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1998-99
5.	लखनऊ-मल्हार खंड में बादशाहनगर-डालीगंज स्टेशनों के बीच किमी 773/11-12 पर समपार सं. 8एम.एल. के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2003-04
6.	लखनऊ जंक्शन और ऐशबाग स्टेशन के बीच समपार सं. 3ए(टी) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-03
7.	रामपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग 24) पर समपार सं. 1 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1995-96
8.	गाजियाबाद-टूंडला खंड-अलीगढ़ के निकट किमी 1329/19-21 पर समपार सं. 112-सी/3 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-03
9.	बिजनौर-नाजीबाबाद खंड-बिजनौर-नजीबाबाद रोड पर किमी 1498-13-14 पर समपार सं. 484-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-03
10.	लखनऊ में लखनऊ-आलमनगर और लखनऊ-कानपुर मेन रेलवे लाइन पर क्रमशः किमी 2/31-3 पर समपार सं. 1/बी सीएनबी क्रॉसिंग और किमी 1076/3-4 पर 218-ए (हरदोई क्रासिंग) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2004-05
11.	मंडुआडीह स्टेशन यार्ड - पश्चिमी छोरपर समपार सं. 4/ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2004-05
12.	इटावा - समपार सं. 27 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2005-06
13.	गाजियाबाद-मुरादाबाद खंड-अमरोहा के निकट किमी 30/20 पर समपार सं. 26-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2002-03
14.	देवरिया सदर-नुनखार के बीच समपार सं. 129 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1998-99
15.	इज्जतनगर-बरेली खंड पर किमी 314/4-5 पर समपार सं. 244 के स्थान पर इज्जतनगर-बरेली सिटी स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल	2003-04
16.	दिल्ली-सहारनपुर (सकोटी) - गाजियाबाद-सरनपुर खंड पर किमी 91/7-8 पर समपार सं. 40-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1996-97
17.	हाथरस-कानपुर-गाजियाबाद खंड पर किमी 1296/29-31 पर समपार सं. 95-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1996-97
18.	कानपुर - इलाहाबाद-कानपुर खंड पर किमी 1016/5-12 पर समपार सं. 79-डी जीटी रोड के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1998-99
19.	मेजा रोड - मेजा रोड के निकट मुगलसराय-इलाहाबाद खंड पर किमी 788/11-13 पर समपार सं. 25-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1998-99
20.	चौपाला-मुरादाबाद-लखनऊ खंड पर समपार सं. 356-स्पेशल, और 250/ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1999-00
21.	बादशाहनगर-डालीगंज-समपार सं. 6-एमएल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2003-04
22.	फतेहपुर-इलाहाबाद-कानपुर खंड पर किमी 943/3-5 पर समपार सं. 50 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1999-00
23.	डालीगंज और महीबल्लाहपुर के बीच समपार सं. 6 के स्थान पर लखनऊ सिटी में ऊपरी सड़क पुल	1998-99
24.	रामपुर - मुरादाबाद-लखनऊ खंड पर समपार सं. 403-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1999-00
25.	मुरादाबाद-गाजियाबाद खंड पर किमी 131/12-13 पर समपार सं. 95 के स्थान पर महरौली और डासना स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल	2003-04
26.	शारदा नगर में सरनपुर-यूएमबी पर किमी 181/10-11 पर समपार सं. 86-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2005-06
27.	नैनी-इलाहाबाद खंड के बीच निचले सड़क पुल (पुल सं. 38) की पुनः गर्डरिंग	2005-06
28.	हमीरपुर सब वे-बेयरिंग और बेड ब्लॉकों के बदलाव सहित पुल सं. 1176/1 की पुनः गर्डरिंग	2005-06
29.	नए तटबंध के पुनर्निर्माण सहित ईदगाह-आगरा फोर्ट के बीच ऊपरी सड़क पुल की पुनः गर्डरिंग	2005-06

कलाइकुंडा में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बेस

***328. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी बंगाल में कलाइकुंडा को अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बेस बनाने का है, जैसा कि 19 नवंबर, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त बेस को भुगतान के आधार पर सैन्य अभ्यास करने के लिए सिंगापुर सरकार को उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय वायुसेना और सिंगापुर एयरफोर्स के बीच संयुक्त अभ्यास करने हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) वायुसेना स्टेशन कलाइकुंडा को कुल 12.16 करोड़ रुपए की लागत से संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित करने के लिए, वायु बेस के रूप में तैयार किया गया है।

भारतीय वायुसेना तथा सिंगापुर गणराज्य की वायुसेना के बीच जनवरी 2006 में संयुक्त अभ्यास किए जाने की योजना है। भारतीय वायुसेना तथा सिंगापुर गणराज्य की वायुसेना के बीच विगत हवाई अभ्यासों के दौरान हुए करार के अनुसार, सिंगापुर गणराज्य की वायुसेना, खाने-पीने, ठहरने तथा पेट्रोलियम उत्पादों जैसी उपयोज्य सामग्रियों के लिए एवं अन्य विविध व्यय का भुगतान करेगी।

संयुक्त अभ्यास करने के लिए भारत और सिंगापुर के बीच 13 अक्तूबर, 2003 को एक रक्षा सहयोग करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तथापि, आगामी संयुक्त अभ्यास के लिए एक बेस सहायता करार पर अभ्यास आरंभ होने के पूर्व हस्ताक्षर किए जाएंगे।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 'टाईम स्लॉट' का आबंटन

***329. श्री उदय सिंह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 'टाईम स्लॉट' आबंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 'टाईम स्लॉट' के आबंटन में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिए गए 'टाईम स्लॉट' की समीक्षा करने का कोई आदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) अंतर्राट्रीय उड़ानों को स्लॉट आबंटित करने में हवाईअड्डे की क्षमता का मापदण्ड अपनाया जाता है। हवाईअड्डे की क्षमता में, रनवे, पार्किंग स्टैण्ड तथा टर्मिनल भवन की क्षमता शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कंप्यूटरीकृत रेल आरक्षण कार्यालय

***330. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काम कर रहे कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण कार्यालयों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बहुत से कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण कार्यालय मुख्य आरक्षण सुपरवाइजरों (चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर) के बिना कार्य कर रहे हैं और उनका कार्य अतिरिक्त कार्य के रूप में कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कार्यालयों के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) इस समय 1278 कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण कार्यालय हैं जो कि रेलवे स्टेशन तथा अन्य स्थानों पर स्थित हैं। जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) रेलवे द्वारा परिचालित सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों में वास्तविक आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में आरक्षण कर्मचारी तैनात हैं। केवल बड़े आरक्षण कार्यालयों में ही मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाती है जहां आरक्षण संबंधी कार्य अधिक मात्रा में होता है। मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षकों के रिक्त पद भरे जाने

की प्रक्रिया में हैं क्योंकि विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में चयन संबंधी कार्य चल रहा है।

(घ) आरक्षण कार्यालयों की कार्यपद्धति को प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में नवीनतम उपकरणों का प्रावधान जैसे टचस्क्रीन किओस्क, स्थान की उपलब्धता दशाने वाला प्रदर्श बोर्ड, अतिरिक्त यात्री आरक्षण प्रणालियों (पी.आर.एस.) को खोला जाना इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

जोन-वार उपलब्ध कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों की सूची

(08.12.2005 तक)

क्रम सं.	क्षेत्रीय रेलवे का नाम	कार्यरत रेल आरक्षण कार्यालयों की संख्या
1.	मध्य रेलवे	90
2.	पूर्व मध्य रेलवे	116
3.	पूर्व तट रेलवे	45
4.	पूर्व रेलवे	91
5.	कोंकण रेलवे	9
6.	उत्तर मध्य रेलवे	47
7.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	69
8.	पूर्वोत्तर रेलवे	74
9.	उत्तर रेलवे	184
10.	उत्तर पश्चिम रेलवे	59
11.	दक्षिण मध्य रेलवे	94
12.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	35
13.	दक्षिण पूर्व रेलवे	50
14.	दक्षिण रेलवे	140
15.	दक्षिण पश्चिम रेलवे	48
16.	पश्चिम मध्य रेलवे	40
17.	पश्चिम रेलवे	87
	जोड़	1278

वैगनों में क्षमता से अधिक माल भरना

***332. श्रीमती मनोरमा माधवराज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को वैगनों में क्षमता से अधिक माल भरने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस प्रकार क्षमता से अधिक माल भरने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे ने इस संबंध में रेल सुरक्षा आयोग की स्वीकृति ली है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस प्रकार क्षमता से अधिक माल भरने के कार्य को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, नियमित निवारक तथा सतर्कता जांचों के दौरान माल डिब्बों में क्षमता से अधिक माल भरने के कुछ मामलों का पता चला है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) माल डिब्बों में क्षमता से अधिक लदान पर रोक लगाने के लिए रेक का नियमित रूप से वजन किया जाता है और मौजूदा नियमों के तहत दंड प्रभार लगाया जाता है। अतिरिक्त तुला चौकियां लगाई गई हैं/लगाई जा रही हैं।

भारत और तुर्की के बीच समझौता

***333. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन :**
श्री शिशुपाल पटले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और गैस क्षेत्र में भारत और तुर्की के बीच हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) यह समझौता भारत के लिए कितना सहायक सिद्ध होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी हां, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में दोनों

देशों के बीच संस्थागत सहयोग संबंध के लिए आधार स्थापित करने हेतु 24 नवंबर, 2005 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने टर्की गणराज्य के ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है:-

1. टर्की और भारत में ई. एंड पी. पहल शुरू करने हेतु भारतीय एवं टर्की कंपनियों के बीच संबंध को बढ़ाना।

2. तीसरे देशों में आयल और गैस परिसंपत्तियों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त अध्ययन और भागीदारी प्रारंभ करना।

3. टर्की, भारत और तीसरे देशों में आयल और गैस पाइपलाइन परियोजनाओं सहित इंजीनियरिंग ठेकों के संयुक्त निष्पादन को प्रोत्साहन देना।

4. टर्की, भारत और तीसरे देशों में एल.एन.जी. और रिफाइनरी परियोजनाओं को लेने में बढ़ावा देना।

5. आयल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में मौलिक एवं प्रायोगिक अनुसंधान तथा विकास का कार्य करना।

6. छिद्रण रिगों और पेट्रोरासायनिक प्रोसेसिंग इकाइयों के निर्माण, उन्नयन और आपूर्ति में सहयोग करना।

7. पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में सहयोग करना, जिसमें ऊर्जा कार्यकुशलता, ऊर्जा अनुसंधान और विकास और क्षेत्रीय ऊर्जा ढांचा नेटवर्क के विस्तार के लिए ऊर्जा नीतियों का विकास सम्मिलित है।

8. विशेषज्ञों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

9. आयल और गैस के बाजार को विकसित करना; और

10. आयल बिखराव से उत्पन्न संकट से निपटने की कार्यवाही प्रणाली सहित पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग करना।

समझौता ज्ञापन से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारतीय संगठनों की क्षमताएं बढ़ेंगी, साथ ही टर्की कंपनियों के साथ सहयोग से तीसरे देशों में, विशेषकर मध्य एशिया और कैस्पियन क्षेत्र में परियोजनायें प्राप्त करने में उनके प्रयासों को बल मिलेगा।

रेल परियोजनाएं

*335. **श्री गणेश सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को गत तीन वर्षों के दौरान नई रेल परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां। नई रेल परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रत्येक मांग का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान नई लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन तथा दोहरीकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :-

राज्य	परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4 नई लाइनें	सभी चारों नई लाइनों के सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और एक प्रस्ताव पर आवश्यक अनुमोदन के लिए कार्रवाई की गई है।
असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	1 नई लाइन और 1 आमान परिवर्तन	नई लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। आमान परिवर्तन के प्रस्ताव की स्वीकृति पर कार्रवाई की जा रही है।
गुजरात	6 नई लाइनें, 7 आमान परिवर्तन और 4 दोहरीकरण	6 प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण पूरे हो गये हैं और अन्य 9 प्रस्तावों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
हरियाणा	3 नई लाइनें	एक प्रस्ताव के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
हिमाचल प्रदेश	5 नई लाइनें	दो प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और अन्य एक प्रस्ताव के लिए कार्रवाई की जा रही है।
कर्नाटक	1 आमान परिवर्तन और 1 दोहरीकरण	आमान परिवर्तन के प्रस्ताव पर आवश्यक अनुमोदन के लिए कार्रवाई की गई है, दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

1	2	3
केरल	5 नई लाइनें और 2 दोहरीकरण	1 प्रस्ताव के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अन्य 4 प्रस्तावों के लिए कार्यवाई की जा रही है।
महाराष्ट्र	18 नई लाइनें, 3 आमान परिवर्तन और 4 दोहरीकरण	10 प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और अन्य 1 प्रस्तावों के लिए कार्यवाई की जा रही है।
उड़ीसा	10 नई लाइनें और 4 दोहरीकरण	3 प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और अन्य 5 प्रस्तावों के लिए कार्यवाई की जा रही है।
राजस्थान	11 नई लाइनें, 3 आमान परिवर्तन और 1 दोहरीकरण	2 प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और 9 प्रस्तावों के लिए कार्यवाई की जा रही है।
तमिलनाडु	3 नई लाइनें	सभी 3 प्रस्तावों के लिए सर्वेक्षण शुरू किये गये हैं।
उत्तर प्रदेश	3 नई लाइनें	1 प्रस्ताव के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
उत्तरांचल	1 नई लाइन, 1 आमान परिवर्तन और 1 दोहरीकरण	1 प्रस्ताव के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
पश्चिम बंगाल	4 नई लाइनें	1 प्रस्ताव के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और अन्य 3 प्रस्तावों के लिए कार्यवाई की जा रही है।

जहां तक रेल विद्युतीकरण का प्रश्न है, की गई कार्रवाई सहित पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है

आंध्र प्रदेश	तीन प्रस्ताव	एक कार्य शुरू किया गया है।
कर्नाटक	एक प्रस्ताव	सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
राजस्थान	तीन प्रस्ताव	एक पर आवश्यक अनुमोदन हेतु कार्रवाई की गई है।
हरियाणा	एक प्रस्ताव	सहमति नहीं मिली।
उत्तर प्रदेश	दो प्रस्ताव	एक कार्य शुरू किया गया है।
उत्तरांचल	एक प्रस्ताव	सहमति नहीं मिली।
तमिलनाडु/ पांडिचेरी	एक प्रस्ताव	कार्य शुरू किया गया है।
केरल	दो प्रस्ताव	एक कार्य शुरू किया गया है।

गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निधियों का अन्यत्र उपयोग

*336. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं और ये संगठन नैतिक मानकों तथा नियमों का उल्लंघन करके इन निधियों का उपयोग गैर-विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी निधियां प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों की वार्षिक आधार पर विस्तृत लेखा-परीक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अनियमितताओं और सरकारी निधियों का दुरुपयोग रोकने के लिए सभी गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के लेखाओं की वार्षिक लेखा-परीक्षा करवाने हेतु एक नीति बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (च) पिछले कार्य निष्पादन और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित संपरीक्षित लेखाओं की प्राप्ति के आधार पर, गैर-सरकारी संगठन को प्रत्येक वर्ष अनुमोदित परियोजना लागत के 90% तक सहायता अनुदान जारी किया जाता है। इसलिए, वार्षिक लेखाओं का प्रावधान इन योजनाओं में किया जाता है।

सहायता अनुदान जारी करने से पहले, गैर-सरकारी संगठनों को कुछ शर्तों का अनुपालन करने के लिए सरकार के साथ बाण्ड करार करना पड़ता है। इन शर्तों में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सहायता अनुदान का उपयोग, जारी अनुदान के लिए लेखाओं को अलग से रखना तथा अप्रयुक्त राशि की वापसी शामिल होती है। निरीक्षण अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर जब कभी सरकार को इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी गैर-सरकारी संगठन ने अनुदान का दुरुपयोग किया है तो अनुदान की आगामी निर्मुक्ति रोक दी जाती है। इसके बाद, उस गैर-सरकारी संगठन को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है और यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो संगठन को काली सूची में डालने के लिए कार्रवाई की जाती है।

जनशक्ति की कमी

***337. श्री एन.एन. कृष्णदास :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में जनशक्ति की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने रेल विभाग की जनशक्ति के साथ प्रगति और विकास के अनुपात के मानकीकरण हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलवे में जनशक्ति का नियोजन परिचालनिक नीतियों तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना

***338. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पाइपलाइन के मुद्दे पर भारत और ईरान के बीच कुछ मतभेद उभरे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ईरान के समक्ष उक्त गैस पाइपलाइन के संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईरान ने किन मुद्दों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है; और

(ङ) सरकार ने ईरान द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) जी, नहीं। ईरान-पाकिस्तान-भारत (आई.पी.आई.) गैस पाइपलाइन परियोजना के विषय में भारत और ईरान के बीच कोई मतभेद नहीं हैं।

सरकार ईरान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ आई.पी.आई. परियोजना के ब्यौरे पर चर्चा कर रही है। चर्चाएं संतोषजनक रूप से प्रगति पर है। दो पृथक सचिव-स्तरीय संयुक्त कार्य दल (जे.डब्ल्यू.जी.) नामतः भारत-पाकिस्तान जे.डब्ल्यू.जी. और भारत-ईरान विशेष जे.डब्ल्यू.जी. (एस.जे.डब्ल्यू.जी.) का गठन इस प्रयोजन के लिए किया गया है। अब तक भारत-पाकिस्तान जे.डब्ल्यू.जी. और भारत-ईरान एस.जे.डब्ल्यू.जी., प्रत्येक की, दो बैठकें आयोजित की गई हैं। तीसरे दौरे की बैठकें दिसंबर, 2005 के लिए निर्धारित हैं। इन बैठकों में विभिन्न तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, विधिक और संबंधित मामलों पर चर्चा की गई है जिनकी समीक्षा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच सचिवालय के मुख्यालय भवन का उद्घाटन करने के लिए समारोह की उपवृत्ति पर 19 नवंबर, 2005 को भारतीय और ईरानी मंत्रियों द्वारा रियाध में अपनी बैठक में की गई।

यह परिकल्पित है कि उक्त परियोजना के लिए परियोजना संरचना और रूपरेखा करार को अगले वर्ष के आरंभ में अंतिम रूप दिया जाएगा।

नए टी.वी. चैनलों के लिए लाइसेंस

***339. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में जिन नए टी.वी. चैनलों को प्रसारण लाइसेंस प्रदान किए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रसारण उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के महौल में कुछ टी.वी. चैनल दर्शकों को बार-बार तथ्य विहीन समाचारों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) मंत्रालय ने जनवरी, 2003 से भारत से अपलिंक किए जाने वाले 94 निजी टी.वी. चैनलों को अनुमति दी है। ऐसे चैनलों की एक सूची विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) केबल/डी.टी.एच. नेटवर्क के जरिए टी.वी. चैनलों पर प्रसारित/पुनः प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित होता है। सरकार को तीन समाचार चैनलों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। एक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के लिए गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति का यह मत था कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ। समिति द्वारा अन्य दो शिकायतों की जांच की जा रही है।

विवरण

क्रमांक	चैनल का नाम
1	2
1.	इंडिया विजन न्यूज
2.	नेपाल-I
3.	तमिलन टेलीविजन
4.	साधना
5.	एन.डी. टीवी इंडिया
6.	हैडलाइंस टुडे
7.	संस्कार
8.	आज तक तेज
9.	दिल्ली आज तक
10.	सी.एन.बी.सी.-टीवी-18
11.	एम.एच.-1
12.	एस.एस. म्यूजिक
13	इंडिया टीवी
14.	मानसी
15.	कॉमेडी टीवी
16.	आस्था टीवी
17.	आस्था इंटरनेशनल
18.	जी.सी.वी.
19.	ई. टीवी-2
20.	सुरसंगीत
21.	अहिंसा
22.	संगीत
23.	एन.ई. टीवी
24.	लश्कारा
25.	गुर्जरी
26.	टीवी-9
27.	केयर टीवी
28.	चैनल गाइड
29.	स्टार न्यूज
30.	प्रीमियर सिनेमा
31.	गोल्डन सिनेमा
32.	क्लासिक सिनेमा
33.	एक्शन सिनेमा
34.	खोज टीवी
35.	जागरण
36.	भजन

1	2
37.	दिल्ली टीवी
38.	आपका
39.	सिनेवर्ल्ड
40.	जया टीवी
41.	जया प्लस
42.	टी.वी.सी. ऑनलाइन
43.	येस-इंडिया विजन
44.	लम्हाज क्लासिक
45.	आवाज़
46.	तमिल तिरै (टी. टीवी)
47.	बल्ले-बल्ले
48.	विन-टीवी-कन्नड़
49.	अमृता
50.	टोटल टीवी
51.	एंटर-10
52.	शक्ति
53.	एस-1
54.	साउथ एशिया वर्ल्ड
55.	जूम टीवी
56.	सेवन स्टार केयर
57.	जी स्पोर्ट्स
58.	शलोम टीवी
59.	हंगामा टीवी
60.	जी बिज़नेस
61.	पीपल
62.	आनंद
63.	एम-3
64.	जी टीवी यू.एस.ए.
65.	जी टीवी साउथ एशिया

1	2
66.	जी इंटरनेशनल
67.	जी सिनेमा यू.के.
68.	जी म्यूजिक यू.के.
69.	एल्फा पंजाबी यू.के.
70.	जी टीवी एस.ई. एशिया
71.	जी टीवी यू.के.
72.	एन.डी. टीवी प्रॉफिट
73.	जे टीवी चैनल-7
74.	सुदर्शन
75.	एशियानेट प्लस
76.	झंकार टीवी
77.	स्टार आनंदो
78.	जागरण यू.एस.ए.
79.	जागरण यू.के.
80.	क्लासिक सिनेमा यू.एस.ए.
81.	क्लासिक सिनेमा यू.के.
82.	एक्शन सिनेमा यू.एस.ए.
83.	एक्शन सिनेमा यू.के.
84.	जी सिनेमा यू.एस.ए.
85.	एल्फा गुजराती यू.एस.ए.
86.	एल्फा गुजराती यू.के.
87.	जनमत
88.	ब्रॉडकास्ट न्यूज
89.	सत्या टीवी
90.	सोनार बंग्ला
91.	यो म्यूजिक
92.	कस्तूरी
93.	एन.ई. आई फाई
94.	पावर विजन

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का विस्तार/आधुनिकीकरण

***340. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भारी धनराशि के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने राज्यों से अपने-अपने राज्य की इन परियोजनाओं पर होने वाले व्यय में सहभागिता करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उन अन्य संसाधनों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से सरकार का विचार इन विस्तार/आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि जुटाने का है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की, अस्थायी रूप से चुने हुए 35 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के विकास/आधुनिकीकरण के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए, अगले 4 से 5 वर्षों के दौरान एक अथवा अधिक किश्तों में 4000 से 5000 करोड़ रुपए की राशि उधार लेने के लिए मार्केट से सम्पर्क करने की योजनाएं हैं।

रेल नीर

***341. श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा पैक्ड पेयजल 'रेल नीर' तैयार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेलवे द्वारा अपनी खान-पान इकाइयों और विक्रेताओं/ग्राहकों को 'रेल नीर' की कुल कितनी मात्रा की बिक्री/आपूर्ति की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेलवे की खान-पान इकाइयों/रसोईयान सेवाओं द्वारा अन्य ब्रांडों के पैक्ड पेयजल की कितनी मात्रा की बिक्री की गई;

(घ) क्या रेलवे की खान-पान इकाइयों/रसोईयान सेवाओं में केवल 'रेल नीर' पेयजल की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) रेलवे में 'रेल नीर' और अन्य ब्रांडों के बिक्री/आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता की जांच करने के विद्यमान मानक क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) 'रेल नीर' पैकेटबंद पेयजल का विनिर्माण भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में रेल मंत्रालय के अधीन एक उपक्रम भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा किया जाता है।

(ख) वर्ष 2003 से विभागीय खानपान इकाइयों और रेलों/भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. के लाइसेंसधारियों को सप्लाई गए रेल नीर का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2003 से विभागीय खानपान इकाइयों और पैंट्री कारों को सप्लाई किए गए अन्य ब्रांडों के पैकेटबंद पेयजल का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) यह विनिश्चय किया गया है कि गाड़ियों सहित भारतीय रेल के परिसरों में विभागीय और प्राइवेट लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित खानपान इकाइयों द्वारा खरीदा तथा बेचा जाने वाला पैकेटबंद पेयजल एकमात्र रेल नीर ब्रांड का होगा बशर्ते कि यह ब्रांड उपलब्ध हो और इसकी सप्लाई भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा की जाए। रेल नीर संयंत्रों की स्थापना और उनसे सप्लाई चरणबद्ध आधार पर की जा रही है। इस समय भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. के 2 संयंत्र हैं, एक नांगलोई, दिल्ली में और दूसरा दानापुर, बिहार में स्थित है। इनमें से प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता एक माह में 27 दिन के लिए तीन शिफ्ट के आधार पर 6000 कार्टन (जिसमें 1 लीटर की 12 बोतलें होती हैं) प्रतिदिन अर्थात् 1,62,000 कार्टन प्रतिमाह है।

(ङ) जिन स्टेशनों और गड़ियों में रेल नीर की बिक्री की जाती है, उनका ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(च) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) रेल नीर का उत्पादन भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन वाले 'अत्याधुनिक' संयंत्रों में किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता मानदंडों पर लगातार निगरानी रखी जाती है और बारी-बारी से भारतीय मानक ब्यूरो अनुमोदित नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी की प्रयोगशालाओं में आवधिक रूप से जांच की जाती है। भारतीय रेलों पर खरीदे और बेचे जाने वाले पैकेटबंद पेयजल के अन्य ब्रांड भी भारतीय मानक ब्यूरो विशिष्टियों के अनुरूप होने चाहिए। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत रेलवे अन्य ब्रांडों को भी प्रायः नमूना जांच करती है और रेलों पर उस ब्रांड की खरीद पर रोक लगाने सहित सख्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

2003 से विभागीय खानपान इकाइयों और रेलों/भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के लाइसेंसधारियों को सप्लाई किए गए रेल नीर का ब्यौरा

(आंकड़े कार्टनों में)

विवरण	नांगलोई संयंत्र			दानापुर संयंत्र		
	2003-04	2004-05	2005-06 (सितंबर, 05 तक)	2003-04	2004-05	2005-06 (सितंबर, 05 तक)
विभागीय	665567	785321	452929	2185	551522	359664
लाइसेंसधारी	233687	687789	387995	4058	293425	201867
कुल मात्रा	899254	1473110	840924	6243	844947	561531

*(प्रत्येक कार्टन में 1 लीटर की 12 बोतलें होती हैं)

विवरण-II

2003 से विभागीय खानपान इकाइयों और पैंट्री कारों को सप्लाई किए गए पैकेटबंद पेयजल के अन्य ब्रॉडों का ब्यौरा

वर्ष	रेल विभागीय खानपान इकाइयों द्वारा विक्रय किए पैकेटबंद पेयजल के अन्य ब्रांडों की मात्रा (लीटर में)	
	स्थैतिक	सचल
2002-03	8151008	4832041
2003-04	7248713	3893893
2004-05	7253639	2708042
अप्रैल 2005-नवंबर 2005	3538894	1190219

लाइसेंसधारी चालित इकाइयों द्वारा पैकेटबंद पेयजल के अन्य ब्रांडों के विक्रय का ब्यौरा रेलों द्वारा नहीं रखा जाता है।

विवरण-III

उन स्टेशनों और गाड़ियों का ब्यौरा जहां रेल नीर बेचा जाता है

नांगलोई संयंत्र द्वारा सप्लाई किया गया रेल नीर

स्थैतिक इकाइयां	सचल इकाइयां
1	2
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	मुंबई राजधानी एक्सप्रेस
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन	हवड़ा राजधानी एकसप्रेस
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन	ए.पी. एक्सप्रेस
रेल भवन	जी.टी. एक्सप्रेस
संसद भवन	टी.एन. एक्सप्रेस
संसदीय सौंध	केरल एक्सप्रेस
नार्थ एवेन्यू	कालका शताब्दी
झांसी	पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति
मुरादाबाद	अजमेर शताब्दी
टूंडला	लखनऊ शताब्दी
कानपुर	सियालदह राजधानी
इलाहाबाद	चेन्नै राजधानी
गाजियाबाद	त्रिवेंद्रम राजधानी
आगरा	अमृतसर शताब्दी
मथुरा	डिब्रूगढ़ राजधानी
सहारनपुर	गुवाहाटी राजधानी
इटावा	भुवनेश्वर राजधानी
बरेली	सप्तक्रांति एक्सप्रेस
पीलीभीत	अगस्त क्रांति एक्सप्रेस
जयपुर	संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
मारवाड़	कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस
फुलेरा	गोवा मडगांव एक्सप्रेस

1	2
अलवर	
जोधपुर	
बीकानेर	
आबू रोड	
कुचमनसिटी	
अजमेर	
मेड़ता रोड	
मकराना	
नेरता सिटी	
रींगस	
पठानकोट	
लुधियाना	
जालंधर कैंट/सिटी	
भटिंडा	
अमृतसर	
फगवाड़ा	
धुरी	
नाभा	
कपूरथला	
फिरोजपुर	
अंबाला सिटी/कैंट	
कुरुक्षेत्र	
कालका	
यमुनानगर	
पानीपत	
रेवाड़ी	
ग्वालियर	
भोपाल	
काठगोदम	
रुड़की	
देहरादून	
हरिद्वार	
रायवाला	
जम्मू	
दानापुर संयत्र से सप्लाई किया गया रेल नीर	
गुवाहाटी	मगध एक्सप्रेस
तिनसुकिया	संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस
बरौनी	पटना कोचीन एक्सप्रेस
गया	ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस
भागलपुर	दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस
जमालपुर	फरक्का एक्सप्रेस
क्यूिल	लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
पटना	महानंदा एक्सप्रेस
समस्तीपुर	नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस
आरा	पटना कुर्ला एक्सप्रेस
बेतिया	पटना एर्णाकुलम एक्सप्रेस
बक्सर	पटना पुणे एक्सप्रेस
छपरा	पंजाब मेल
देहरी-ऑन-सोन	राजधानी एक्सप्रेस
दानापुर	धनबाद एलेप्पी एक्सप्रेस
दरभंगा	झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
हाजीपुर	धुली एक्सप्रेस
कटिहार	नीलाचल एक्सप्रेस
खगड़िया	कोणार्क एक्सप्रेस
मोतीहारी	हीराकुड एक्सप्रेस
मोकामा	पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
मुजफ्फरपुर	उत्कल एक्सप्रेस
नरकटियागंज	संपर्क क्रांति एक्सप्रेस
पटना	फलकनामा एक्सप्रेस
राजेंद्र नगर	हिमगिरि एक्सप्रेस
रक्सौल	हवड़ा राजधानी एक्सप्रेस

1	2
सिवान	पूर्वा एक्सप्रेस
टाटानगर	कोरोमंडल एक्सप्रेस
रांची	धुबली एक्सप्रेस
धनबाद	मुंबई मेल
गोमोह	स्टील एक्सप्रेस
हटिया	गीतांजलि एक्सप्रेस
बहरामपुर	पटना जनशताब्दी
कटक	तीस्ता तोरसा
खोरदा रोड	मालदा जनशताब्दी
राउरकेला	सियालदह राजधानी एक्सप्रेस
भुवनेश्वर	
जयपुर	
आंगुल	
देनकैनाल	
बालूगान	
आसनसोल	
हवड़ा	
सियालदह	
बर्दवान	
बोलपुर	
मालदा	
न्यू जलपाईगुड़ी	
आद्रा	
बांडेल	
विष्णुपुर	
दुर्गापुर	
गरबेटा	
पुरुलिया	
संतरागाछी	
सैंथाली	
गोरखपुर	
लखनऊ	
वाराणसी	
मुगलसराय	

प्रादेशिक सेना

3286. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रादेशिक सेना की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) मणिपुर, नागालैंड तथा असम-त्रिपुरा में 01 नवंबर, 2005 से प्रादेशिक सेना (टी.ए.) की तीन अतिरिक्त इन्फैंट्री बटालियनों को "घर-द्वार (होम एंड हर्थ)" संकल्पना के आधार पर खड़ी करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(ग) इन तीन बटालियनों को खड़ी करने में 107.51 करोड़ रुपए का प्राक्कलित व्यय होने की संभावना है।

चेन्नई एअरपोर्ट पर दूसरा कन्टेनर टर्मिनल

3287. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेन्नई एअरपोर्ट पर दूसरे कन्टेनर टर्मिनल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कन्टेनर टर्मिनल बनाने का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मुम्बई-चन्द्रपुर के बीच नई रेलगाड़ी

3288. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-चन्द्रपुर के बीच नई रेलगाड़ी शुरू करने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) चन्द्रपुर-मुंबई के बीच गाड़ी चलाने के लिए महाराष्ट्र के माननीय विधायक के अभ्यावेदन सहित कुछ अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जांच की गयी परन्तु व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

गुटनिरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन

3289. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुटनिरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों का दो दिवसीय छठा सम्मेलन कुआलालम्पुर में हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां। गुट-निरपेक्ष देशों (सी.ओ.एम.आई.एन.ए.सी.-VI) के सूचना मंत्रियों का छठा सम्मेलन 21 तथा 22 नवम्बर, 2005 को कुआलालम्पुर में हुआ था। इस सम्मेलन से दो दिन पहले 19 तथा 20 नवम्बर, 2005 को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी।

(ख) "अधिक सक्रिय गुट-निरपेक्ष आंदोलन की ओर प्रगामी सूचना तथा संचार सहयोग" विषय पर गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों ने 21-22 नवम्बर, 2005 को कुआलालम्पुर, मलेशिया में अपना छठा सम्मेलन आयोजित किया था। मुख्य विषय जिन पर चर्चा की गई वे थे (i) सूचना एवं संचार में वैश्विक प्रवृत्ति एवं घटनाक्रम का सिंहावलोकन, (ii) नई वैश्विक सूचना तथा संचार व्यवस्था (एन.डब्ल्यु.आई.सी.ओ.), (iii) गुट-निरपेक्ष देशों का प्रसारण संगठन (वी.ओ.एन.ए.सी.), (iv) गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसियां पूल (एन.ए.एन.ए.पी.) तथा (v) गुट-निरपेक्ष देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों की स्थिति। सम्मेलन के अंत में एक घोषणा की गई थी जिसकी प्रतिलिपि सी.ओ.एम.आई.एन.ए.सी. VI के सचिवालय से प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

इंटरनेशनल रेल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना

3290. श्री वाई.जी. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एक इंटरनेशनल रेल स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल मंत्रालय, यू.आई.सी. (अंतर्राष्ट्रीय रेल यूनियन) के भारत में अंतर्राष्ट्रीय रेल स्ट्रेटजिक प्रबंधन इंस्टीच्यूट खोलने के कदम का समर्थन कर रहा है।

(ख) इंस्टीच्यूट को रेलवे उद्योग की प्रतिमा को बनाए रखने और वैश्विक रेल परिचालन को ध्यान में रखते हुए, रेल प्रबंधकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। यह इंस्टीच्यूट वैश्विक प्रबंध स्कूलों की भागीदारी से जो अन्य विषयों के अतिरिक्त वित्तीय मसलों, बाजार, निवेश और वित्तीय प्रबंधन पर इनपुट उपलब्ध कराने के लिए विश्वव्यापी रेल प्रणाली के रेल प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला/सेमिनार आयोजित करने के लिए यू आई सी द्वारा भारत में खोला जा रहा है। इंस्टीच्यूट के परिचालनिक व्ययों को न्यास पूंजी के निवेश, यू.आई.सी. (अंतर्राष्ट्रीय रेल यूनियन) के सदस्यों से एक समय योगदान और रेलवे प्रबंधकों के लिए कराए गए कोर्सों के लिए फीस द्वारा हुई आय से पूरा किया जाएगा। इंस्टीच्यूट में ठहरने के खर्च का भार मेजबान देश वहन करेगा। पूरी तरह चालू होने के बाद, इंस्टीच्यूट आत्म निर्भरता के आधार पर कार्य करेगा।

(ग) 2.5 मिलियन यूरो, मूल पूंजी के रूप में इंस्टीच्यूट को स्थापित करने के लिए अंशदान दिया गया है। प्रस्तावित इंस्टीच्यूट की अवसंरचना के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डालर (लगभग) के समतुल्य भारतीय रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(घ) इंस्टीच्यूट, 2010 तक पूरी तरह काम करने लगेगा। बहरहाल, यह 2005 के बाद चालू हो गया है और 2005 में एक कार्यक्रम दो भागों में पेरिस और वडोदरा में आयोजित किए गए।

[अनुवाद]

ई.एम.यू. उपनगरीय सेवा

3291. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री ई.एम.यू. उपनगरीय सेवाओं के बारे में 23/12/2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 3872 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामले की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक मामले की जांच करा लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2001 की रिपोर्ट सं. 9 के

लेखा परीक्षा पैरा संख्या 2.2 पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट बनाया गया था और विधीक्षा के लिए 19.05.2005 को लेखा परीक्षा को भेजा गया था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल लेखा परीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट को विधिवत विधीक्षा करे लोक लेखा समिति को वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तद्नुसार, की गई कार्रवाई संबंधी नोट लेखा परीक्षा द्वारा विधीक्षा किए जाने के बाद प्रस्तुत की जाएगी।

मंगलोर-शोरूवण्णूर रेल लाइन का दोहरीकरण

3292. श्री पी. करुणाकरन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर-शोरूवण्णूर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मंगलोर-शोरूवण्णूर दोहरीकरण कार्य की खंड-वार स्थिति नीचे दी गई है :-

(i) मंगलोर-कालीकट-नेत्रवती-कनकनदी खंड को छोड़कर 221 कि.मी. में से 218 कि.मी. का दोहरीकरण कार्य पूरा हो चुका है। शेष खंड पर कार्य को 2007-08 में पूरा करने की उम्मीद है।

(ii) कालीकट-शोरूवण्णूर-कालीकट और कुट्टीपुरम के बीच कार्य समाप्त हो चुका है और शेष कार्य को 2005-06 में पूरा करने का लक्ष्य है।

केरल की रेल परियोजनाएं

3293. श्री टी.के. हमज़ा :
श्रीमती सी.एस. सुजाता :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-2006 के दौरान केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वीकृत किया गया है;

(ग) शेष परियोजनाओं को स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल की रेल परियोजनाओं को अपर्याप्त धन आबंटन से इन परियोजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए पर्याप्त धन के आवंटन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) नई रेल परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रत्येक मांग का रिकार्ड नहीं रखा जाता है। बहरहाल, 2005-06 के दौरान केरल सरकार से नई परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
1.	वल्लारपदम तक रेल संपर्क	परियोजना को अर्थक्षम नहीं पाया गया है। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट जिसने पोर्ट प्राधिकरण को सूचित किया है कि परियोजना को निजी रेलवे के रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है।.
2.	निलाम्बर-ननजनगुडा टाउन नई लाइन	निलाम्बर रोड से ननजनगुडा तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया गया है। लाइन के अलाभप्रद स्वरूप होने और रेलवे के पास संसाधनों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
3.	चेंगानूर-मूलानतूरुति दोहरीकरण	इस संरेखण पर कुरूधानतारा-मूलानतूरुति खंड पर कहीं-कहीं दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है।
4.	शेरानूर-मंगलोर का विद्युतीकरण	विभिन्न खंडों का विद्युतीकरण मार्ग में यातायात के घनत्व की प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। शोरानूर-मंगलोर खंड पर विद्युतीकरण का कार्य बारी आने पर किया जाएगा।

(घ) और (ङ) राज्यवार फार्मूला के आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान की जा रही हैं। फार्मूला के अनुसार केरल में परियोजनाओं को भी निधि उपलब्ध कराई जा रही है और धन की तंगी के कारण परियोजनाओं में देरी नहीं हो रही है।

बाल गृहों की स्थिति

3294. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यों और संघ शासित राज्यों के सामाजिक कल्याण विभागों के बीच केन्द्रीकृत प्रणाली के अभाव में दिल्ली और अन्य राज्यों के बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के परिवारों का पता नहीं लगा पाते हैं और ये बाल गृह चरमरा रहे हैं तथा इनमें बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है जिससे ऐसे दुर्भाग्यशाली बच्चों के विकास हेतु सौहार्दपूर्ण माहौल प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्यों के अनुपालन हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है जिससे आने वाले समय में बाल गृहों की स्थिति धीरे-धीरे सुधार सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, बाल गृहों में आवश्यकता की अपेक्षा जगह कम है।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आदर्श नियम जारी किये हैं जिनमें प्रत्येक गृह के लिए मूलभूत जरूरतें जैसे वास्तविक अवसंरचना, कपड़े और बिस्तर, पोषाहार, चिकित्सा, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोरंजन सुविधाएं निर्धारित की गई हैं। मंत्रालय भी नए बाल गृहों के निर्माण और वर्तमान गृहों की सुविधाओं में सुधार के लिए "किशोर न्याय के कार्यक्रम" की अपनी योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से प्रस्ताव आमंत्रित करता रहा है।

असमिया भाषी दूरदर्शन चैनल

3295. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई असमिया भाषी दूरदर्शन चैनल है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार असम को एक असमिया भाषी दूरदर्शन चैनल शुरू करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी के क्षेत्रीय प्रसारण के माध्यम से असम में 27 ट्रांसमीटरों द्वारा असमिया भाषी कार्यक्रमों के विभिन्न अवधि के समय स्लाटों में रिले किए जाते हैं।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय असमिया में क्षेत्रीय भाषा सैटलाइट सेवा को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धारावाहिकों का प्रसारण

3296. **श्री संतोष गंगवार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर धारावाहिकों के प्रसारण के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या इन मानदंडों में बदलाव का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती ने बताया है कि 'प्रायोजकता स्कीम' के अन्तर्गत कार्यक्रमों/धारावाहिकों, 'कमीशंड कार्यक्रम' और 'स्ववित्त पोषित कमीशंड कार्यक्रमों' के प्रसारण संबंधी दिशा-निर्देश दूरदर्शन की वेबसाइट www.ddindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्क्रैप निपटान की प्रक्रिया

3297. **श्री हितेन बर्मन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्क्रैप की स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और उसके निपटान हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पैदा हुए तथा निपटान किए गए स्क्रैप का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005-2006 के रेल बजट में की गई घोषणा के अनुसार पूर्ववर्ती प्रक्रिया में बदलाव/परिवर्तन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) प्रोद्भूत होने वाले स्क्रैप की जांच की जाती है और उसे मेल्डिंग स्क्रैप, री-रोलिंग स्क्रैप आदि जैसी विभिन्न कोटियों में वर्गीकृत किया जाता है। तदुपरांत सर्वेक्षण समिति द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है और इसे निपटान योग्य स्क्रैप घोषित किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी सिफारिशों को अनुमोदित किया जाता है। स्क्रैप की बिक्री सार्वजनिक नीलामी/विज्ञापित निविदा के माध्यम से की जाती है। स्क्रैप की नीलामी की निर्धारित तारीखों का समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जाता है। कोई भी भावी बोलीदाता इसमें हिस्सा ले सकता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादित स्क्रैप की मात्रा एवं उसके निपटान की मात्रा/मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	धातु स्क्रैप (मीट्रिक टन)		रॉलिंग स्टॉक				कुल मूल्य (करोड़ रुपए में)
			वैगन (चार पहिया इकाई में)		डिब्बे तथा लोको (संख्याओं में)		
	उत्पादित	निपटान	उत्पादित	निपटान	उत्पादित	निपटान	
2002-03	1000230	1051014	14489	14788	1107	1237	1111
2003-04	912081	886846	12625	12151	1365	1403	1314
2004-05	564798	454175	16138	16091	1348	1325	1032

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2005-06 की बजट प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई है। बहरहाल, वर्ष 2004-05 के बजट में यह विनिश्चय किया गया था कि संभारतंत्र, लागत लाभ विश्लेषण आदि की विस्तृत जांच के अध्यधीन स्क्रैप को बाहरी पार्टियों के बेचने की अपेक्षा इसे री-साइकिल करके इसका घरेलू इस्तेमाल किया जाए। इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

राजस्थान में आमान परिवर्तन का कार्य

3298. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में रेल आमान परिवर्तन की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख में प्रत्येक परियोजना पर हुए कार्यों की क्या प्रगति है;

(ग) अब तक प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च आया है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) राजस्थान में चालू आमान परिवर्तन की परियोजनाएं, अभी तक की गई प्रगति, प्रत्येक परियोजना पर किया गया व्यय और जहां कहीं भी लक्ष्य निर्धारित हों, का विवरण नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	मार्च, 2005 तक किया गया व्यय	समग्र भौतिक प्रगति/लक्ष्य जहां कहीं भी निर्धारित हों
1	2	3	4
1.	सादूलपुर-हिसार सहित रेवाड़ी-सादूलपुर	0.48	1%
2.	भिलड़ी-समदड़ी	2.77	18%
3.	उदयपुर से उमरा तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर	175.69	चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड पहले से ही पूरा हो चुका है और 27.06.2005 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। अजमेर से चित्तौड़गढ़ के शेष खंड पर प्रगति 45% है।

1	2	3	4
4.	श्रीगंगानगर-सरूपसर	0.27	तत्व कार्य, प्राथमिक व्यय और पुल संबंधी कार्य के लिए विस्तृत अनुमान स्वीकृत हैं। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू हो गए हैं।
5.	पिपाद रोड-बिलड़ा	3.85	15%
6.	अजमेर-फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी	--	कार्य को पूरक बजट 2005-06 में शामिल कर लिया गया है और रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है।

[अनुवाद]

जेलों में बच्चे

3299. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों से बालक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए जेलों में पड़े बच्चों से संबंधित जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने राज्यों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीड़ित बच्चों की समस्या की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पूरे कानून और प्रशासन पर पुनः विचार करने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, अन्य बातों के साथ, कानून से जूझ रहे किशोरों को विचाराधीन जांच के लिए प्रेक्षण गृहों में रखे जाने का प्रावधान करता है उन्हें जेल में रखने का नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर बराबर दबाव डालता रहा है। तथापि, बच्चों के जेल में होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) और (ङ) अधिनियम के उपबंधों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

आंध्र प्रदेश में ओवरब्रिज

3300. श्री ए. साई प्रताप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रेल समपारों पर ओवरब्रिज बनाने से संबंधित परियोजनाएं सरकार के पास लंबित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलवे इन व्यस्त समपारों पर जहां यातायात घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) से अधिक हो, वहां लागत भागिता के आधार पर अन्यथा निक्षेप शर्तों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करती है। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव मौजूदा नियमों के अनुसार कतिपय प्राथमिक शर्तों को पूरा करते हुए राज्य सरकार से प्रायोजित होना चाहिए। रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के पहले, इन कार्यों का निर्माण स्थल पर व्यवहार्यता राज्य सरकार द्वारा दी गई अपेक्षित वचनबद्धता, कार्य की प्रगति और स्वीकृत कार्यों के थ्रो फारवर्ड का अध्ययन किया जाता है।

लागत भागिता के आधार पर स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त, वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 14 ऊपरी सड़क पुल कार्य हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनी लागत पर निष्पादित किए जा रहे हैं। लंबित मुद्दों को हल करने और अभिकल्प एवं आरेखण को तेजी से स्वीकृति करने के लिए संबंधित एन.एच.ए.आई./सड़क प्राधिकरण पदाधिकारियों और रेल प्राधिकारियों की मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

पुणे-मिरज रेल लाइन का दोहरीकरण

3301. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुणे-मिरज रेल सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पुणे से बंगलौर के बीच नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पुणे-मिरज-कोल्हापुर दोहरीकरण (326 कि.मी.) का अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विकास

3302. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडगरा कोमिलांडी और थेलासरी रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) स्वीकृत कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है :-

(i) बडगरा रेलवे स्टेशन पर बिजली और संचार संस्थापनाओं सहित प्लेटफार्म संख्या 1 का विस्तार।

(ii) तेल्लीचेरी पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का पुनःस्थापन।

(iii) तेल्लीचेरी पर टच स्क्रीन मशीनों को व्यवस्था।

(iv) तेल्लीचेरी पर यात्री परिचालनिक जांच टर्मिनल की व्यवस्था।

(v) तेल्लीचेरी पर 2 एम.बी. कनेक्टिविटी वाली इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स प्रणाली और यात्री नाम रिकॉर्ड पूछताछ व्यवस्था।

(vi) तेल्लीचेरी पर इलैक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड की व्यवस्था।

(vii) क्विलंडी रेलवे स्टेशन पर बिजली और संप्रेषण कार्यों सहित 90 मीटर प्लेटफार्म छत।

(ग) निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

[हिन्दी]

दरभंगा-कुशेश्वरस्थान-बहेड़ी-सिंधिया रेल लाइन का सर्वेक्षण

3303. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1997 में दरभंगा-कुशेश्वर-स्थान-बहेड़ी-सिंधिया रेल लाइन का सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य फिर से शुरू कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पहले कराए गए सर्वेक्षण कार्य पर भारी राशि खर्च होने के बाद फिर से सर्वेक्षण कराने के पीछे प्रसंगिकता क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) कुशेश्वरस्थान के रास्ते दरभंगा और सहरसा के लिए नई लाइन सर्वेक्षण 1996-97 में किया गया था। सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार तत्कालीन मूल्य स्तर पर 94 कि.मी. लंबी लाइन की लागत 166 करोड़ रुपए आकलित की गई थी।

(ग) और (घ) कुशेश्वरस्थान के दरभंगा तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है इस क्षेत्र की जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर यातायात संभाव्यता के पुनः आकलन के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

शिरडी-पुनतांबा रेल लाइन

3304. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिरडी-पुनतांबा नई रेल लाइन पर कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) इस परियोजना पर कार्य भूमि अधिग्रहण की प्रतीक्षा में रुका हुआ है।

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

कम्युनिटी किचन

3305. श्री कैलाश मेघवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां पूरे देश में 1.40 लाख गांवों में कम्युनिटी किचन स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्यवार कितने कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों का कुछ समयावधि में देशभर में 1.40 लाख गांवों में एल.पी.जी. आधारित सामुदायिक रसोई घर स्थापित करने का प्रस्ताव है। दिनांक 1.12.2005 की स्थिति के अनुसार, ओ.एम.सीज ने देश के विभिन्न राज्यों में 1,493 सामुदायिक रसोई घर स्थापित किए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिनांक 1.12.2005 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थापित सामुदायिक रसोई घरों का ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	सामुदायिक रसोई घरों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	42
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	2
बिहार	38
छत्तीसगढ़	14
दिल्ली	11
गोआ	0
गुजरात	52
हरियाणा	13
हिमाचल प्रदेश	19
जम्मू और कश्मीर	38
झारखंड	49
कर्नाटक	42
केरल	8
मध्य प्रदेश	99
महाराष्ट्र	267
मणिपुर	0
मेघालय	0
मिज़ोरम	0
नागालैंड	0
उड़ीसा	20
पंजाब	38
राजस्थान	75
सिक्किम	0
तमिलनाडु	50
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	. 596
उत्तरांचल	5
पश्चिम बंगाल	15
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
चंडीगढ़	0
दादरा और नागर हवेली	0
दमन/दीव	0
लक्षद्वीप	0
पांडिचेरी	0
योग	1493

[अनुवाद]

सरकारी तेल उपक्रमों द्वारा उधार लेना

3306. श्री महबूब जाहेदी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तेल कंपनियों ने वित्तीय संस्थाओं से बड़े पैमाने पर उधार लेना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष की प्रथम छमाही तक अल्पावधि ऋण के रूप में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से कुल कितनी धनराशि उधार ली गई;

(ग) क्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अप्रैल-सितंबर, 2005 से तेल कंपनियों के संचयी बैंकिंग उधार में से कुल बैंकिंग ऋण के विरुद्ध सरकारी तेल कंपनियों द्वारा ऋण मांग का स्तर अभूतपूर्व है;

(घ) यदि हां, तो उधार ली गई धनराशि तथा इसके प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और सरकारी तेल कंपनियों में इतनी उच्च कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के कंपनी-वार क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तेल कंपनियां बैंकों से कम ब्याज दर अर्थात् 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष पर ऋण ले सकती हैं; और

(च) यदि हां, तो इन सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उच्च ब्याज दर पर उधार लेने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों यथा ओ.एन.जी.सी., आई.ओ.सी.एल., आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड, बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. ने निम्नवत् रूप से अल्पावधि ऋण सुविधा प्राप्त की है :-

(रुपए करोड़ में)

तेल कंपनियों का नाम	2004-05	2005-06 (अप्रैल-सितंबर)
ओ.एन.जी.सी.	3166.83	2590
आई.ओ.सी.एल.	5345	566
आई.बी.पी. कं. लि.	शून्य	14.17
बी.पी.सी.एल.	1308	2307
एच.पी.सी.एल.	1952	3850

उच्च अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के कारण अस्थायी नकद बेमेल कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री का अल्प वसूलियों के कारण कम आंतरिक उपार्जनों के चलते कुछ तेल कंपनियों की अल्पावधि ऋण मांग में वृद्धि हुई है।

(ङ) से (च) तेल कंपनियों ने अल्पावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है जहां ब्याज दर 5.18% से 6.44% के बीच होती है। अप्रैल से सितंबर, 2005 के दौरान ब्याज की दर मुंबई अन्तः बैंक प्रस्तावित दर (एम.आई.बी.ओ.आर.) से संबंद्ध है। एक माह की वाणिज्यिक पेपर दर 6.20% से 6.25% प्रति वर्ष की सीमा में होती है। वर्तमान में बैंक एक वर्ष तक की अवधि के लिए 6.75% प्रति वर्ष की दर के ब्याज पर अल्पावधि ऋण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

पैसेंजर रेलगाड़ी

3307. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा जंक्शन पर रुकने वाली पैसेंजर रेलगाड़ी को 24/26 कोच के रूप में चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्ण मन्दिर मेल तथा अवध एक्सप्रेस को 24/25 कोच के रूप में चलाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त पैसेंजर रेलगाड़ियों में कोचों की संख्या बढ़ाने में क्या बाधाएं हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलगाड़ियों में 23/24 सवारी डिब्बा का आवर्धन करना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के पैटर्न, परिचालनिक और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इस समय 2903/2904 अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टैम्पल मेल और 9037/9038/9039/9040 गोरखपुर/मुजफ्फरपुर-बांद्रा (टी) अवध एक्सप्रेस में 24 डिब्बों का आवर्धन करने में परिचालनिक बाध्यताएं हैं।

सचखण्ड एक्सप्रेस की आवाजाही को बढ़ाना

3308. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सचखण्ड एक्सप्रेस के प्रतिदिन चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों का चिली को निर्यात

3309. **श्री मधु गौड यास्खी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उन्नत करके हेलीकॉप्टरों (ध्रुव) का चिली को निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सौदे में कोई प्रतिद्वन्द्वी था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत में चिली को कितने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों का निर्यात किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (ध्रुव) का चिली के प्राधिकारियों द्वारा परीक्षण मूल्यांकन किया गया है।

(ख) और (ग) प्रमुख हेलीकॉप्टर विनिर्माताओं ने इस परीक्षण मूल्यांकन में भाग लिया है।

(घ) चिली को कोई उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर निर्यात नहीं किया गया है।

राउरकेला के लिए सीधी रेल सेवा

3310. **श्री जुएल ओराम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस्पात शहर राउरकेला को अतिरिक्त रेल सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो हैदराबाद, बंगलौर, मुम्बई और दिल्ली से राउरकेला को सीधे रेल से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का राउरकेला तथा अमृतसर के बीच एक सीधी रेलगाड़ी उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बरहज से फैजाबाद के बीच नई रेलवे लाइन

3311. **श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरहज से फैजाबाद बारास्ता दोहरीघाट तक नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना पर अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है; और

(घ) परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) दोहरीघाट के रास्ते बरहज बाजार से फैजाबाद तक 190 कि.मी. नई लाइन के लिए बजट 2005-06 में एक सर्वेक्षण को शामिल किया गया है।

रेलवे पुलों पर फुटपाथ का निर्माण

3312. **मो. मुकीम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर-गोण्डा रेलवे लाइन पर बाणगंगा नदी पर रेलवे पुल के किनारों पर फुटपाथ का निर्माण करने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। बानगंगा नदी के ऊपर रेलवे पुल के दोनों किनारों पर सामान्य जनता के उपयोग के लिए फुटपाथ बनाने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए

थे। अनुरोधों की जांच की गई थी। आमान परिवर्तन परियोजना के हिस्से के रूप में मौजूदा मीटर आमान गर्डर पुल के स्थान पर बड़े आमान का नया रेल पुल बनाया जा रहा है। मौजूदा पुल रेल अधिकारियों के निरीक्षण के लिए गैंगवे था न कि आम लोगों के लिए। संरक्षा और तकनीकी दृष्टि से नए पुल पर आम आदमी के लिए अलग से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। प्रसंगवश, मौजूदा रेलवे पुल से लगभग 400 मीटर आगे आम लोगों के उपयोग के लिए एक सड़क पुल है।

हाईड्रो सी.एन.जी. बिक्री केन्द्रों की स्थापना

3313. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में हाइड्रो सी.एन.जी. बिक्री केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बिक्री केन्द्रों को राज्य-वार किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हाइड्रोजन सी.एन.जी. मिश्रणों पर चालित वाहनों के परीक्षण/प्रदर्शन की री-फ्यूलिंग आवश्यकताओं के लिए फरीदाबाद में अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र पर एक हाईड्रोजन सी.एन.जी. वितरण केन्द्र की स्थापना की है। चूंकि अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के पास पहले ही हाईड्रोजन उत्पादन सुविधा है, लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत पर हाईड्रोजन सी.एन.जी. वितरण इकाई की स्थापना की गई।

इस अनुसंधान/प्रदर्शन परियोजना के नतीजे से देश के अन्य भागों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। हाईड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की शर्तों के अनुसार संभाव्य व्यय बदल जाएगा। संतुलित आकलन में एक हाईड्रोजन सी.एन.जी. वितरण केन्द्र (एक हाईड्रोजन उत्पादन इकाई की स्थापना भी शामिल करके) पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है और 1000 हाईड्रोजन प्रचालित वाहनों को चलाने के लिए आवश्यक ईंधन आधारभूत संरचना पर 150 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है।

दूरदर्शन केन्द्र

3314. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को देश में और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा ये केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) इस समय देश में चौंसठ दूरदर्शन केन्द्र हैं। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह ब्यौरा दूरदर्शन की वेबसाइट www.ddindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(ख) से (घ) विभिन्न स्रोतों से ऐसे अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं तथा केन्द्रीकृत रूप से इनका कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है। उपर्युक्त अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इन पर विचार किया जाता है। केरल के कालीकट और जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	2
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	गोआ	1
7.	गुजरात	2
8.	हरियाणा	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1

1	2	3
10.	झारखंड	2
11.	जम्मू और कश्मीर	3
12.	केरल	2
13.	कर्नाटक	2
14.	मध्य प्रदेश	3
15.	मेघालय	2
16.	महाराष्ट्र	3
17.	मणिपुर	1
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैंड	1
20.	उड़ीसा	3
21.	पंजाब	2
22.	राजस्थान	1
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	3
25.	त्रिपुरा	1
26.	उत्तरांचल	1
27.	उत्तर प्रदेश	7
28.	पश्चिम बंगाल	3
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
30.	चंडीगढ़	1
31.	दिल्ली	2
32.	पांडिचेरी	1
	कुल	64

रेल सेवाएं

3315. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश जहां रेलवे सेवाएं तथा उनकी बारम्बारता नगण्य है, जैसे राज्य में नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में परिचालनिक और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रेल परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। हिमाचल प्रदेश हाल ही में एक नई लाइन ऊना और चरारू तकराला के बीच बनाई गई है और इस खंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक जोड़ी डीजल मल्टीपल यूनिट (डी.एम.यू.) चलायी गयी है।

[अनुवाद]

नए टी.वी. केन्द्र/रेडियो स्टेशन

3316. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में नए टी.वी. केन्द्र/रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इनको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में मुधौल और सिंधनूर स्थित दूरदर्शन के दो अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों को चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गुलबर्गा स्थित आकाशवाणी के 1 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर (अंतरिम स्थापना) सहित एक अतिरिक्त चैनल को अगस्त, 2005 में चालू कर दिया गया है। राज्य में किसी अन्य नए टीवी और रेडियो स्टेशन को स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है।

भारतीय तटरक्षक की भूमिका

3317. श्री नवीन जिन्दल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका द्वीप की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए उत्तर तथा मध्य अंडमान में तथा इसके आस-पास भारतीय तटरक्षक (आई.सी.जी.) की भूमिका क्या है;

(ख) क्या सरकार ने समुद्री आतंकवाद से निपटने के लिए आई.सी.जी. की आवश्यकताओं की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व व्यवस्था के बदलते परिदृश्य तथा उभरती हुई नई संकल्पनाओं को देखते हुए आई.सी.जी. की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका, तटरक्षक बल अधिनियम, 1978 की धारा XIV में निर्दिष्ट है। इस भूमिका में, हमारे प्रादेशिक समुद्री-क्षेत्रों में मछली मारना, तस्करी, अवैध आप्रवास और ऐसी ही अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करके भारत की अपतटीय संपदा की रक्षा करना शामिल है।

भारतीय तटरक्षक बल, पोर्ट ब्लेयर स्थित अपने क्षेत्रीय मुख्यालय के माध्यम से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अपनी सौंपी गई भूमिका निभा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल, भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री चुनौतियों और खतरों को नाकाम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक शस्त्रों और बहु-उद्देशीय पोतों से समुचित रूप से सज्जित है।

विधिविरुद्ध कार्यदमन अधिनियम, 2002 के तहत तटरक्षक बल समुद्री आतंकवाद के प्रयासों को नाकाम करने के लिए शक्तिसंपन्न है।

रैकों की अनुपलब्धता

3318. प्रो. एम. रामदास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रैकों की अनुपलब्धता और कुप्रबंधन के कारण रेलवे फ्रेट ट्रेफिक पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली में सुधार लाने तथा रैकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। रेकों का कोई कुप्रबंध नहीं हुआ है और रेकों की अनुपलब्धता की वजह से रेलवे फ्रेट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली एवं वैगन के फेरों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। टर्मिनलों पर रेकों की मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (एफ.ओ.आई.एस.) के उपयोग से गहन मॉनीटरिंग एवं रेकों के जांच के पैटर्न की समीक्षा से रेकों की उपलब्धता में सुधार करने में रेल को मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, अगले वित्त वर्ष में यातायात के प्रक्षेपण के आधार पर अतिरिक्त वैगनों और इंजनों (लोकों) के अधिग्रहण के लिए योजना भी बनायी जा रही हैं। क्षमता बढ़ोतरी कार्य की योजना एवं कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। खंडीय क्षमता एवं टर्मिनल क्षमता में सुधार करने से माल लदान के लिए रेकों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

क्लासिक कमीशन्ड कार्यक्रम

3319. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लासिक कमिशनिंग श्रेणी टेलीफिल्म/टेलीसीरियल्स लिटरेस क्लासिक्स पर बनाए जाते हैं तथा इस प्रकार बनाए गए कार्यक्रम संबंधी राज्यों के दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रख्यात राष्ट्रीय/क्षेत्रीय निदेशकों को कमीशन्ड कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा चालू वर्ष में क्लासिक श्रेणी में कितने टेलीसिरियल/टेलीफिल्में कमीशन्ड की गई तथा संबंधित निर्देशकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया में उड़ीसा के किसी प्रसिद्ध/प्रख्यात टेलीफिल्म/टेलीसिरियल निर्माता/निर्देशक पर ध्यान नहीं गया था/उपेक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के उपेक्षित प्रख्यात निर्माताओं/निर्देशकों का भविष्य में क्लासिक कमीशन्ड कार्यक्रम देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि साक्षरता श्रेण्य साहित्य पर क्लासिक कमीशनिंग श्रेणी के अंतर्गत टेलीफिल्म्स/टेलीसीरियल्स का निर्माण कार्य दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा संबंधित राज्य के प्रख्यात राष्ट्रीय/क्षेत्रीय निर्माताओं/निर्देशकों को सौंप दिया गया है। अब तक दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर द्वारा उड़िया भाषा में क्लासिक कमीशनिंग के अंतर्गत 26 कड़ियों की कमीशनिंग निम्नलिखित चार प्रख्यात/पुरस्कार विजेता निर्माताओं/निर्देशकों को सौंप दी गई है :-

(I) श्री ए.के. वीर

(II) डॉ. महमूद हुसैन

(III) सुश्री पार्वती घोष

(IV) श्री साधु मेहर

(घ) और (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि भारतीय श्रेण्य साहित्य श्रृंखला को चरणों में कमीशन्ड किया जा रहा है तथा भविष्य में उड़ीसा के अन्य प्रख्यात पुरस्कार विजेता निर्माताओं/निर्देशकों पर निधियों की उपलब्धता तथा दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं के अधीन विचार किया जाएगा।

रेल उपरि पुल का निर्माण

3320. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केणम शहर स्थित एस.पी. कार्यालय पर रेल उपरि पुल के निर्माण कार्य को मंजूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य आरंभ हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त रेल उपरि पुल को जल्द पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव या स्वीकृत कार्य नहीं है। बहरहाल, कोल्लम में एस.पी. कार्यालय के निकट 156/8-9 कि.मी. पर समपार सं. 541 के स्थान पर ऊपरि सड़क पुल को मंजूरी दी गई है। रेलवे के हिस्से का कार्य रेलवे द्वारा और पहुंच मार्गों का कार्य राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा। सामान्य व्यवस्था आरेखण को अनुमोदित कर दिया गया है। रेलवे के हिस्से के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी परन्तु इन्हें रद्द करना पड़ा। 7.9.2005 को नये सिरे से निविदाएं खोली गईं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।

तमिलनाडु में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण

3321. श्री के.सी. पलनिसामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे द्वारा विद्युतीकृत की गई रेलवे लाइन का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के विद्युतीकरण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना का विद्युतीकरण कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) केवल एक विद्युतीकरण परियोजना विल्लुपुरम-पांडिचेरी (38 मार्ग कि.मी.) जिसका बड़ा भाग तमिलनाडु में पड़ता है, का कार्य प्रगति पर है और इसे 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता

3322. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कमजोर वर्गों की सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी समितियों को सहायता प्रदान की गई; और

(ग) इससे सहकारी समितियों से क्या उपलब्धियां रही?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति के सदस्यों की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सहकारी समिति ने वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मै. डेनेल के साथ कारोबार

3323. श्री रायापति सांबासिवा राव :
डा. के. धनराजू :
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री रशीद मसूद :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शस्त्र निर्माण से जुड़ी मै. डेनेल के मामले के बारे में दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ संपर्क बनाए रखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या मै. डेनेल के साथ सभी प्रकार के कारोबारों को निलम्बित कर दिया जब यह पता चला कि दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ने एक एजेंट को शामिल करके करार संबंधी दायित्वों को तोड़ा है;

(ग) क्या दक्षिण अफ्रीकी मंत्री ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) एंटी-मैटीरियल राइफलों की संविदाएं प्राप्त करने के लिए, मैसर्स डेनेल द्वारा एजेंसी कमीशन के कथित भुगतान के बारे में समाचार-पत्रों में छपी खबरों के संदर्भ में मैसर्स डेनेल को नोटिस भेजने के अलावा विदेश मंत्रालय से दक्षिण अफ्रीका सरकार से संपर्क करके सही स्थिति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। मैसर्स डेनेल के साथ पहले हस्ताक्षरित सभी संविदाओं और वार्ताधीन सिकी भी भावी खरीद को रोके रखने का निर्णय भी लिया गया था।

दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका सरकार से प्राप्त सूचना, जिससे यह उजागर हुआ कि मैसर्स डेनेल ने मार्च, 2002 में हस्ताक्षरित एंटी-मैटीरियल राइफलों संबंधी संविदाओं में अन्तर्निहित एजेंटों/एजेंसी कमीशन संबंधी धाराओं का प्रथम-दृष्टया उल्लंघन किया था, के आधार पर, 400 एंटी-मैटीरियल राइफलों की अधिप्राप्ति के लिए 7.3.2005 को हस्ताक्षरित संविदा को रद्द करने और अन्य सभी संविदाओं को रद्द करने के लिए भी कार्रवाई शुरू किए जाने हेतु विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श करके, निर्णय लिया गया था।

इस मामले पर दक्षिण अफ्रीका सरकार के लोक उद्यम मंत्री द्वारा 9.8.2005 को रक्षा मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए यह मामला जांच के लिए तत्परता से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में, अन्य के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी है।

ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल करना

3324. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपने लड़ाकू विमानों में ब्रह्मोस मिसाइल को स्थापित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जैसाकि दिनांक 19 सितंबर, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में रूस के साथ परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में ब्रह्मोस मिसाइल स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है।

(ख) से (घ) भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने, संयुक्त रूप से, भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने हेतु सुखोई विमान (एस.यू.-30 एम.के.-I) में ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र लगाने की व्यवहार्यता संस्थापित की है। वायुसेना ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है तथा कार्य प्रगति पर है।

अभिभावकों द्वारा बच्चों का उत्पीड़न

3325. श्री रबिन्दर कुमार राणा :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को दोषी अभिभावकों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और हिन्दू दत्तक अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की अनदेखी अथवा उत्पीड़न के मामलों में उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इसका व्यापक प्रचार करना चाहती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात पर रेलवे भाड़े में कटौती

3326. श्री सुकदेव पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस्पात पर से रेलवे भाड़े में कमी करने के लिए इस्पात विनिर्माण कंपनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीरीबाम-तुपुल रेलवे लाइन परियोजना

3327. श्री विजय कृष्ण : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर स्थित जीरीबाम-तुपुल रेलवे लाइन परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) उक्त परियोजना पर आज की तिथि तक अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(ग) इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जिरीबाम से इम्फाल रोड (तुपुल) तक नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया।

(ख) 31 मार्च, 2005 तक 0.07 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 2005-06 के दौरान 10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था कराई गई है।

(ग) इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अनुमोदित कर दिया गया है जिसके लिए रेलवे के सकल बजटीय सहायता के अतिरिक्त भी कोष उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2010 है।

बोइंग व्यापार जेटों की खरीद

3328. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तीन बोइंग व्यापार जेटों की खरीद के लिए मै. बोइंग, यू.एस.ए. के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लागत और ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कंपनी द्वारा इन जेटों की सुपुर्दगी कब तक कर दी जायेगी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) शुरुआती हिस्से-पुर्जों, भू-संचालन उपस्कर, आदि सहित तीनों विमानों की लागत लगभग 734 करोड़ रुपए है।

(ग) आवश्यक फिटमेंटों के एकीकरण सहित तीनों बोइंग व्यापार जेटों की सुपुर्दगी जनवरी, 2008, जून, 2008 तथा अक्तूबर, 2008 में किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रेलवे के लोहे को रखना

3329. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हे कि रेलवे की लौह सम्पत्ति रेलवे लाइनों के आसपास असुरक्षित पड़ी रहती है और इससे चोरी भी होती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान रेलवे की लौह सम्पत्ति की चोरी के कितने मामले दर्ज किये गए;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2005 के दौरान (सितम्बर तक) रेलवे की लोहा मदों की चोरी के 1754 मामलों का पता चला है।

(ग) रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 (क) के तहत वर्ष 2005 के दौरान सितम्बर तक 34 रेल कर्मचारियों सहित 3241 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अदालत में मुकदमा चलाया गया।

(घ) इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं :-

(1) रेल लाइनों के समीप पड़ी लौह सामग्री की चौकीदारी संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है।

(2) रेल सामग्री का भंडारण यथासंभव ऐसी जगह जहां संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा सामग्री की सुरक्षा की जानी व्यावहारिक हों या रेल कार्यालयों/सिगनल केबिनों/चौकीदार वाले समपार गेटों के निकट सामग्री का भंडारण किया जाता है।

(3) नियमित निवारक जांचें की जाती हैं।

(4) अपराधियों की गतिविधियों और चुराई हुई रेल संपत्ति को प्राप्त करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(5) आपराधिक सूचनाओं के आधार पर अपराधी/प्राप्तकर्त्ताओं को पकड़ने के लिए उनके ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और खोज की जाती है।

विमानपत्तनों का पुनः नामकरण

3330. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश के कुछ विमानपत्तनों का पुनः नामकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विमानपत्तनों के पुन: नामकरण की प्रक्रिया को मूर्तरूप कब दे दिया जायेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) विभिन्न हवाईअड्डों के पुनर्नामकरण से संबंधित प्रस्तावों पर सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है। सामान्यत: संबंधित राज्य सरकारों से उनके विचार प्राप्त किये जाते हैं। कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऐसे प्रस्तावों से सहमति जताई जाती है, जबकि कभी-कभी कुछ राज्य सरकारें ऐसी प्रस्तावों का समर्थन नहीं करती।

(ङ) इस बार पुनर्नामकरण संबंधी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने में लगा समय अन्य बातों के अलावा विभिन्न परामर्शदाता एजेंसियों से उत्तर देने में लगे समय के प्रसंगवश है।

[अनुवाद]

रेडिया क्रांति

3331. श्री वी.के. तुम्मर :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 400 एफ.एम. रेडियो स्टेशनों और 4000 सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के कार्यक्षेत्र में सुधार के द्वारा रेडियो क्रांति लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में नियमों को उदार बनाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन नियमों को कब तक उदार बना दिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने 13 जुलाई, 2005 को निजी अभिकरणों (चरण-II) के माध्यम से एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार के लिए नीति अधिसूचित की है। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ बन्द निविदा प्रणाली के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले एक-मुश्त प्रवेश शुल्क (ओ.टी.ई.एफ.), न्यूनतम 10% आरक्षित एक-मुश्त प्रवेश शुल्क के अध्यधीन सकल राजस्व के 4% की दर से वार्षिक शुल्क, प्रदत्त इक्विटी के 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित विदेशी निवेश, समाचारों और समसामयिक विषयक मामलों के प्रसारण पर जारी प्रतिबंध एवं निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए श्रेणीकृत शास्ति की व्यवस्था है। नीति में चरण-I के परिचालकों के चरण-II प्रणाली में अंतरण का भी प्रावधान है। शेष ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in. पर उपलब्ध है।

सामुदायिक रेडियो संबंधी प्रस्तावित नीति एक मंत्रीसमूह के विचाराधीन है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत रेलवे परियोजनाओं को पूरा करना

3332. श्री अनंत कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत बैंगलोर-कैंगरी-रामनगरन और यशवंतपुर तुमकुर खण्डों के रेलवे लाइनों के दोहरीकरण को पूरा करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को तीव्रता से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) यशवंतपुर-तुमकुर के यशवंतपुर-गोलाहल्ली (26 कि.मी.) और बेंगलोर-कैंगेरी-बिडाडी (27 कि.मी.) और कैंगेरी-रामनगरम दोहरीकरण परियोजनाओं का कार्य पूरा करने का लक्ष्य 2005-06 के दौरान है। विलंब के कारण निम्नलिखित हैं :-

(i) बेंगलोर-कैंगेरी-रामनगरम दोहरीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बराबर की धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ रहा है।

(ii) स्लीपरों की सप्लाई में विलंब।

धनराशि रिलीज करने के मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। स्लीपर की उपलब्धता के लिए आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

अन्वेषण अनुज्ञप्ति नीति में परिवर्तन

3333. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री सर्वानन्द सोनावाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से नई अन्वेषण अनुज्ञप्ति नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सकरार को इस संबंध में पेट्रोलियम फेडरेशन आफ इंडिया से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) एन.ई.एल.पी. का संबंध कच्चे तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन से है न कि पेट्रोल और डीजल के अन्वेषण और उत्पादन से। पेट्रोफेड के तत्वाधान में दिनांक 7.7.2005 को मंत्रालय के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के एक सम्मेलन में पणधारकों की एक बैठक का आयोजन किया, जहां अन्य देशों में स्थिति की तुलना करने के पश्चात् एन.ई.एल.पी. को संशोधित करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। मंत्रालय ने पेट्रोफेड से उद्योग के सदस्यों के विचार जानने के पश्चात् एन.ई.एल.पी. में सुझाए गए सुधारों से होने वाले प्रभावों पर एक अध्ययन करने के लिए कहा। इस रिपोर्ट के प्रमुख लक्षण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पेट्रोफेड की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर पणधारकों/अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। सरकार ने वर्ष 2006 की पहली तिमाही के दौरान एन.ई.एल.पी.-6 आरंभ करने का लक्ष्य रखा है। एन.ई.एल.पी.-6 के बोली दस्तावेज में इन सुझावों को उचित रूप से शामिल किया जाएगा।

विवरण

1. ब्लॉकों के जोखिम-पुरस्कार सुस्पष्टता के आधार पर ब्लॉकों का वर्गीकरण।
2. एकल मंच पर आंकड़ों की उपलब्धता।
3. समवर्ती बोली दौर और प्रस्तावित मुक्त रकबा लाइसेंसिग नीति के प्रस्ताव।
4. अन्वेषण रकबों के साथ खपत में विकास रकबों का प्रस्ताव।
5. भारत सरकार को बिना लागत प्रायोजित करने के माध्यम से/करते हुए परिकल्पी भूकंपीय आंकड़ों के अर्जन का कार्य पूरा करवाना।
6. एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने की आवश्यकता।
7. पांच वर्षों के पश्चात् गैर-स्वामित्व आंकड़ों की भागीदारी।
8. विशेषरूप से न्यूनतम् कार्य कार्यक्रम में बोली मूल्यांकन मानदंडों (बी.ई.सी.) भारों को अनुकूल बनाना।
9. एम.डब्ल्यू.पी. के संदर्भ में उत्पादन हिस्सेदारी समझौता संबंधी दण्ड की शर्तों को कड़ाई से लागू करना।
10. सात वर्षों की कर अवकाश अवधि को चुनने की स्वतंत्रता।

[अनुवाद]

अर्बन/सब-अर्बन रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना

3334. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश के विभिन्न शहरों में अर्बन/सब-अर्बन रेलवे नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के वित्तपोषण में रेलवे का कितना प्रतिशत है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। रेलवे ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और सिकन्दराबाद में शहरी/उपनगरीय रेल नेटवर्क को मजबूत कर ने के लिए कुछ कार्य शुरू किए गए हैं।

(ख) और (ग) परियोजनाओं/कार्यों और शहरवार रेलवे के वित्तपोषण का प्रतिशत का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है :-

शहर का नाम	कार्य का नाम		अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	मार्च, 2005 तक किया गया व्यय	2005-06 में किया गया आंबटन (करोड़ रु. में)	परियोजना के वित्त-पोषण का प्रतिशत	टिप्पणियां
1	2		3	4	5	6	7
चेन्नै	तिरुमल्लई-वेल्लाचारी चरण-II (11 कि.मी.)	रेलवे	244.46	225.05	3.39	3.3%	तिरुमल्लई से तारामानी (7.91 कि.मी.) के रेलपथ का कार्य पूरा हो चुका है और तिरुमेल्लई और तिरुवनमिपुर खंड (5.95 कि.मी.) को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष हिस्से में कार्य प्रगति पर है।
		राज्य सरकार	488.93	346.85	6.88	67%	
	चेन्नै बीच तम्बरम-चंगलपट्टू मीटर आमान से बड़ी आमान परिवर्तन	रेलवे	231.13	144.30	3.03	50%	कार्य पूरा हो चुका है।
		राज्य सरकार	231.13	144.31		50%	

1	2		3	4	5	6	7
मुंबई	थाणे-तुरभे-नेरूल-वाशी	रेलवे राज्य सरकार	131.47 271.92	124.84 207.53	5.84 57.44	33% 67%	थाणे-तुरभे-वाशी दोहरी लाइन यात्री गालियारा को 9.11.2004 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। रबले स्टेशन बिल्डिंग निर्माण कार्य को छोड़कर सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। तुरभे-नेरूल खंड (4.80 कि.मी.) पर कार्य प्रगति पर है।
	बेलापुर-सी वुड-उरन	रेलवे रेलवे	163.49 331.95	26.26 40.49	5.00 30.52	33% 67%	जस्सई तक मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। छोटे पुल, बड़े पुल और पनवेल क्रीक पुल पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है।
	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	रेलवे राज्य विश्व बैंक ऋण	756.00 756.00 1613.00	485.68 485.68	147.00	50% 50% 50%	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का रेल संबंधी कार्य रेल और महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच 50:50 में लागत में भागीदारी के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। रेल द्वारा 1613 करोड़ रुपए के ऋण का पुन: भुगतान किया जाएगा और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50:50 में लागत में भागीदारी के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
कोलाकता	टालीगंज से गाड़ियां (8.5 कि.मी.) तक मैट्रो रेल का विस्तार	रेलवे राज्य सरकार	608.15 299.54	207.29 76.05	63.00	67% 33%	प्रस्तावित 6.80 कि.मी. ऐलीवेटिड वायाडक्ट पर सहित 8.50 कि.मी. लंबाई के लिए है। सिविल इंजीनियरी कार्य प्रगति पर है। अभी तक 30% कार्य हो चुका है।
	परिक्रमा रेलवे (क) प्रिंसेपघाट से मजेरहाट तक विस्तार	रेलवे	229.00	144.61	45.00	100%	इन दोनों कार्यों को इकहरी लाइन विद्युतीककृत खंड के रूप में विस्तार किया जा रहा है। बड़ी लाइन की ई.एम.यू. गाड़िया इन पर चलाई जाएगी।
सिकन्दराबाद/हैदराबाद	फलकनुमा-सिकन्दराबाद बहुआयामी परिवहन प्रणाली (14.54 कि.मी.) और हैदराबाद-सिकन्दराबाद-लिंगमपल्ली	रेलवे राज्य सरकार	42.96 42.96	24.94 24.94	0.10	50% 50%	कार्य पूरा हो चुका है।

लोको की आवश्यकता

3335. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम डीजल लोको शेड में विद्यमान शंटिंग लोको की संख्या तिरुवंतपुरम, पालाकाड और कोंकण डिवीजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या एर्नाकुलम डीजल लोको शेड की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। एर्नाकुलम डीजल शेड केवल त्रिवेन्द्रम (तिरुवनन्तपुरम) मंडल के शंटिंग रेल इंजनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अन्य इकाइयों की शंटिंग रेल इंजन संबंधी आवश्यकताओं को अन्य डीजल शेडों से पूरा किया जाता है।

(घ) वर्तमान में एर्नाकुलम डीजल शेड की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल भूमि विकास प्राधिकरण

3336. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) संसद द्वारा यथा अनुमोदित रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन को राष्ट्रपति जी की सहमति के पश्चात् 16.9.2005 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। प्राधिकरण के गठन के लिए नियमों को बनाया जा रहा है। उसके बाद प्राधिकरण यथा समय स्थापित हो जाएगा।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री की रूस यात्रा

3337. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री अर्जुन सेठी :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री पंकज चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्री ने हाल ही में रूस की यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस सरकार के साथ अनेक द्विपक्षीय रक्षा करार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) रक्षा मंत्री ने सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आई.आर.आई.जी.सी.-एम.टी.सी.) की 5वीं बैठक की सह-अध्यक्षता के लिए 15-16 नवंबर, 2005 को रूस का दौरा किया था। आयोग ने चालू परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा दोनों पक्षों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग में और अधिक वृद्धि करने पर विचार किया। सैन्य तकनीकी सहयोग के 5वें आई.आर.आई.जी.सी.-एम.टी.सी. कार्यकारी दल तथा पोत निर्माण उड्डयन तथा भू-प्रणाली के कार्यकारी दल के प्रोटोकोलों पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्षों ने रक्षा आदान-प्रदान के मौजूदा स्तर तथा दोनों देशों के बीच सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरे के दौरान रूस के साथ किसी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

रेल यातायात अवसंरचना का आधुनिकीकरण

3338. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल प्रयोक्ताओं के अनुपात के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा के साथ-साथ रेल यातायात अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेल सुविधाओं की समीक्षा के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे में कुशल परियोजना प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, भारतीय रेल की विभिन्न क्षेत्रीय रेलों और अन्य इकाइयां प्रणाली को सुरक्षित तथा प्रतियोगी बनाने के लिए, रेल यातायात अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए निर्माण कार्य एवं चल स्टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत आवधिक रूप से निवेश प्रस्ताव देती हैं। इनकी छानबीन की जाती है तथा संसदीय अनुमोदन सहित स्थापित पद्धति के अंतर्गत स्वीकृति दी जाती है।

(ख) विभिन्न चालू निर्माण कार्यों की स्थिति 2005-06 के रेलवे के निर्माण, मशीनरी और चल स्टॉक कार्यक्रम में अन्तर्विष्ट है जो रेलवे बजट दस्तावेज का एक हिस्सा है।

(ग) से (ड) रेलों के पास पहले से ही परियोजना की मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन के लिए एक स्थापित प्रणाली है। इन परियोजनाओं की फील्ड, जोनल एवं बोर्ड स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। भारतीय रेल में चालू परियोजनाओं को मॉनीटर करने के लिए लाइन परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली के आधार पर नक्शे का विकास चरणों में करने के लिए विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रायबरेली में प्रसारण केन्द्र

3339. श्री मोहन सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रायबरेली, उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी/समाचार भारती सेवा के प्रसारण केन्द्र (एफ.एम. चैनल) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) उत्तर प्रदेश में इस रेडियो स्टेशन के द्वारा कितने क्षेत्र को कवर किया जाएगा; और

(घ) प्रस्तावित रेडियो स्टेशन की क्षमता कितनी है और इस पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) जी, हां। अनुमोदन और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 11 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर उत्तर प्रदेश में रायबरेली में एक एफ.एम. रिले स्टेशन सहित 20 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर के 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। यह 85 कि.मी. की परिधि के भीतर एफ.एम. कवरेज प्रदान करेगा।

समूचे रायबरेली जिले के अतिरिक्त यह राज्य के इलाहाबाद, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, फैजाबाद, फतेहपुर, कानपुर (शहरी), कोशाम्बी, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुलतानपुर और उन्नाव जिलों को भी कवर करेगा।

प्री-पेड स्मार्ट कार्ड जारी करना

3340. श्री पंकज चौधरी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की टिकट खरीदने की समस्या के निराकरण और टिकटों की बिक्री के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कमीशन एजेन्ट नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी यात्रियों के लिए प्री-पेड स्मार्ट कार्ड जारी करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार तथा आम जनता को इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ड) प्रथम चरण में उक्त योजना को किन-किन स्टेशनों पर शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) इस समय, ग्रामीण क्षेत्रों में कमीशन एजेन्टों को नियुक्त करने की कोई स्वीकृत योजना नहीं है।

(ग) और (घ) मध्य रेल के पांच उपनगरीय स्थानों अर्थात् छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर, घाटकोपर, थाणे और कल्याण में वर्ष 2002-03 के दौरान उपनगरीय यात्रा टिकटें जारी करने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू की गई है।

(ड) इस योजना के लिए कोई अनुकूल प्रत्युतर प्राप्त न होने के कारण फिलहाल इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, शहरी यात्रियों के लिए प्री-पेड स्मार्ट कार्ड की कोई अन्य स्वीकृत योजना नहीं है।

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

3341. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एनर्जी और रिसर्च इन्स्टिट्यूट" ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि देश में डीजल और पेट्रोलियम उपभोक्ता मूल्यों का नियतन आयात मूल्य की बजाय खुले बाजार के आधार पर होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। "भारत में पेट्रोलियम मूल्यनिर्धारण : कार्यक्षमता पर इक्विटी संतुलन" पर ऊर्जा व अनुसंधान संस्थान (टी.ई.आर.आई.) की रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें निम्नवत् हैं :-

(1) सरकार को यथासंभव शीघ्रता से विशेषज्ञ तकनीकी दल द्वारा यथा संस्तुत पेट्रोलियम उत्पादों की बाजार निर्धारित मूल्यनिर्धारण प्रणाली शुरू करनी चाहिए।

(2) आयात समता मूल्यनिर्धारण सूत्र में पुनः सुधार करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय परिशोधन उद्योग को एक तार्किक लाभ मिले जो

उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए भी उचित हो।

(3) सरकार उत्पाद शुल्कों के लिए सर्पी पैमाना परिभाषित कर सकती है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि कच्चे तेल और उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तन के बावजूद उसकी राजस्व संभावनाएं प्रभावित नहीं होतीं। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ता को एक यथा मूल्य शुल्क के प्रपाती प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ता किन्तु यह उसे पारदर्शी भी बनाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों पर सरकार का प्रत्युत्तर निश्चित करता है।

(4) राज्य सरकारें भी इसी प्रकार का सूत्र तैयार कर सकती हैं।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एक दीर्घावधि मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए, सरकार ने प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अन्तर्मंत्रालयीन समिति का गठन किया है।

इस समिति को, तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति, क्षेत्र में अपेक्षित निवेश, पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता तथा तेल कंपनियों द्वारा मूल्यों के स्वायत समायोजन के लिए एक पारदर्शी तंत्र व्यवस्था की स्थापना को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के स्थिरीकरण/उन्हें युक्तिपूर्ण बनाने की दृष्टि से मूल्य निर्धारण तथा कराधान के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए कहा गया है। सभी संबंधित पणधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, समिति संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों के मूल्य निर्धारण व कराधान के लिए एक व्यापक तंत्र प्रणाली का सुझाव देगी।

मक्सी-गोधरा रेल लाइन को पूरा करना

3342. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त धनराशि आबंटित न किए जाने के कारण मक्सी-गोधरा रेल लाइन का कार्य पूरा होने में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) दाहोद, झबुआ, धार होकर गोधरा-इन्दौर और देवास-मक्सी खंड पर देवास-मक्सी नई लाइन परियोजना का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। शेष दूरी पर कार्य शुरू करने के लिए अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाई शुरू हो चुकी है।

[अनुवाद]

सी.यू.टी.ई. का अधिष्ठापन

3343. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठापित साफ्टवेयर सी.यू.टी.ई. (कॉमन यूजर टैक्नीकल इक्यूपमेन्ट) विलम्ब और भीड़-भाड़ का कारण बन चुका है जैसा कि दिनांक 17 नवम्बर, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मुद्दों को सुलझाने के लिए और इस प्रणाली को यात्री हितैषी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किसी भी हवाईअड्डे पर क्यूट प्रणाली स्थापित नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समुद्र तल से मिथेन गैस निकालना

3344. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र तल से मिथेन निकालने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश के गैस हाइड्रेट स्रोतों के अन्वेषण एवं विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (अ. और वि.) कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एन.जी.एच.पी.) तैयार किया है। गैस हाइड्रेट से गैस के निष्कर्षण (मुख्यतः मीथेन) की प्रौद्योगिकी संसार में अभी कहीं भी उपलब्ध नहीं है तथा प्रयास अनुसंधान एवं विकास चरण पर है।

(घ) एन.जी.एच.पी. के कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों पर अभी तक 18 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

[अनुवाद]

सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण

3345. श्री राजेन गोहेन :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास अथवा अनुषंगी विकास के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों, रेलवे कार्यालयों, रेलवे कालोनियों और इसके क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए धनराशि आबंटित करने हेतु कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में अनुषंगी विकास/सामुदायिक विकास के अंतर्गत सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए रेलवे के प्रत्येक जोन को कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक रेलवे जोन द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। "सामुदायिक विकास" अथवा "परिधीय विकास" के अंतर्गत रेलवे क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए अलग से धनराशि आबंटित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे कार्यों को 'राजस्व' मांग सं. 4 अथवा भाग के रूप में अथवा स्वीकृत परियोजना के रूप में किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे प्लेटफार्मों पर आपराधिक गतिविधियां

3346. श्री के.एस. राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच हे कि वर्दीधारी रेलवे सुरक्षा बल की भ्रष्ट तरीके अपनाने वाले बल के रूप में पहचान की गई है जो खराब चरित्र वाले व्यक्तियों को रेलवे प्लेटफार्मों का प्रभारी बनाकर इन्हें प्रोत्साहित कर रहा है तथा छोटी-मोटी चीजें बेचने वाले अवयस्कों का शोषण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है जिससे यात्रियों की सुरक्षा तथा संरक्षा प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रवृत्ति को रोकने तथा वर्दीधारी रेलवे सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में डी.आर.यू.सी. तथा जेड.आर.यू.सी.सी. का गठन

3347. श्री एस. अजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न जोनों तथा मंडलों में मंडल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितियों (डी.आर.यू.सी.सी.) तथा जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समितियों (जेड.आर.यू.सी.सी.) का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। 1/8/2004 से दो साल की अवधि के लिए क्षेत्रीय एवं मंडल स्तर पर रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति का गठन किया गया है।

(ख) इन समितियों में से वाणिज्य और उद्योग के स्थानीय चैम्बर्स, व्यापार संघों, यात्री संघों, कृषिहित, उपभोक्ता फोरम, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का संघ, राज्य सरकार विधान सभा के प्रतिनिधि, संसद सदस्य आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य सदस्यों को भी नामित किया गया था ताकि जिन उपयोगकर्ताओं के हित को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है को भी समिति में प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

[हिन्दी]

नई दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में कुर्सी-यान सुविधा

3348. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-मुंबई अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में पहले कुर्सी-यान सुविधा उपलब्ध थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेलगाड़ी में कुर्सी-यान सुविधा बंद कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यह सुविधा कब से बंद की गई है;

(घ) क्या सरकार को उक्त रेलगाड़ी में कुर्सी-यान सुविधा पुनः शुरू किये जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध/प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। रात्रिकालीन यात्रा और यात्रा के लंबे घंटों को ध्यान में रखते हुए, एसी चेयरकार सवारी डिब्बों के यात्रियों से असुविधाजनक यात्रा के संबंध में निरंतर शिकायतें प्राप्त होती थी। रेलों ने एसी 3 टीयर सवारी डिब्बों का निर्माण शुरू किया जिनमें चेयरकार में सीटों की संख्या के बराबर लगभग समान संख्या में ही शायिकाएं प्रदान की गई, जिससे यात्रा कर रहे यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होती है। 10.1.1999 से 2953/2954 निजामुद्दीन-मुंबई अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस पर उपलब्ध 4 एसी चेयरकार के स्थान पर एक 2 टीयर एसी स्लीपर और तीन 3 टीयर एसी स्लीपर सवारी डिब्बे लगाए गए हैं।

(घ) से (च) माननीय संसद सदस्य से अभ्यावेदन सहित कुछ अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनका निरीक्षण किया गया है। परंतु स्वीकृति के लिए व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

भूमि विस्थापितों के आश्रितों को नौकरियां

3349. श्री डी.बी. पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी व्यक्तियों के आश्रितों को नौकरियां दे दी गई हैं जिनकी भूमि नान्देड मंडल रेलवे कार्यालय के लिए अधिग्रहित की गई थी;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक ऐसे लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या जिन लोगों को नौकरियां नहीं दी गई हैं वे अपनी भूमि वापस लिये जाने की मांग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 1995 के दौरान, भूमि देने वालों के लिए एक रोजगार सूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के प्रत्युत्तर में, 47 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। जांच के पश्चात्, 26 योग्य आवेदकों को नियुक्ति दी गई है और 21 आवेदनों को विभिन्न अयोग्यताओं के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया।

(ख) कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मानदंड

3350. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों के विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कोई मानदंड निधारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मानदंडों को शिथिल किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) सामान्यतः, ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास में, स्वचालित मार्ग पर 74% तक की तथा एफ.आई.पी.बी. के अनुमोदन द्वारा 100% तक की विदेशी समान सहभागिता की अनुमति है। दिल्ली तथा मुम्बई के हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्निर्माण के लिए 49% तक के एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आदमपुर से दिल्ली एक विमान सेवाएं

3351. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के आदमपुर में वायु सेना का कोई एयर बेस है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस एयर बेस का विशिष्ट व्यक्तियों के विमानों को उतारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आदमपुर से दिल्ली तक कोई नागरिक उड़ान शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन दिए जाने पर ही, जब और जहां जरूरत होती है अति विशिष्ट व्यक्तियों को लाने व ले जाने वाले हवाई जहाज के लिए हवाईअड्डे के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) से (ङ) यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वह विशिष्ट स्थानों के लिए यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विमान सेवाएं सुलभ कराए तथा सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के अध्याधीन एयरलाइनें देश के भीतर किसी भी स्थान से प्रचालन करने के लिए स्वतन्त्र हैं। इस समय, किसी भी अनुसूचित एयरलाइंस से पंजाब के आदमपुर से विमान सेवाएं आरंभ किए जाने के लिए कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3352. कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामतः ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) हैं। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा करना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है जो सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा इस मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) दोनों द्वारा की जाती है। समझौता-ज्ञापन की शर्तों को भी सार्वजनिक उद्यम विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। बेसिल के लाभ के संबंध में वर्ष 1995-96 में 8.60 लाख रुपये से वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान 201.25 लाख रुपये की अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसके कार्य-निष्पादन के आधार पर इसे सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा "बहुत अच्छा" की अनंतिम श्रेणी प्रदान की गई है। वर्ष 1980 में फिल्म वित्त निगम और भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के समामेलन से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सक्रिय हो गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को भी वर्ष 2004-05 तक अच्छा/साधारण श्रेणियां प्राप्त होती रही हैं।

तथापि, जहां तक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के वित्तीय कार्य-निष्पादन का संबंध है, जबकि वित्तीय वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान यह लाभ अर्जित करने वाला संगठन था, तदनंतर लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए वर्ष 2004-05 तक यह घाटे में रहा है। इसके कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए और इसके घाटे को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्टाफ की संख्या को कम करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम शुरू करना और सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देना शामिल है।

टेलीविजन धारावाहिकों का निर्माण

3353. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन धारावाहिकों के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए दूरदर्शन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मानदण्ड बना लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संयुक्त उद्यम में दूरदर्शन के कितने टेलीविजन धारावाहिकों का निर्माण किया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने बताया है कि टी.वी. धारावाहिकों के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, दूरदर्शन ने कुछेक मामलों में निजी निर्माताओं के साथ सह-निर्माण व्यवस्था की है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने बताया है कि यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई विनिर्दिष्ट मानदंड नहीं है, तथापि, ऐसे मामलों में निर्माण दल की योग्यता, प्रसारण के लिए कार्यक्रम की उपयुक्तता, तकनीकी गुणवत्ता, बाजार-सम्भाव्यता, निर्माण की लागत, विषय-वस्तु आदि जैसे मापदंडों पर आधारित निर्णय लिए जाते हैं।

(ङ) प्रसार भारती ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा संयुक्त उपक्रम में 'कलाकार्ज़' शीर्षक से एक प्रतिभा खोज कार्यक्रम का निर्माण किया गया है।

खोज कार्य तथा उत्पाद संबंधी आंकड़े

3354. श्री निखिल कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को खोज कार्य करने वाले लाइसेंस धारकों के खोज तथा उत्पादन संबंधी आंकड़ रखने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विदेशों में किये जाने वाले खोज कार्य को चैक करने तथा उत्पादन रणनीतियों के संबंध में निर्णय लेने के बारे में भी नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खोज कार्य करने वाली कंपनियां खोज कार्य आदि से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय खोज कार्य में लगी कंपनियों पर नियंत्रण रखने में किस प्रकार सक्षम होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी ठेका (पी.एस.सी.) व्यवस्था के अंतर्गत, ठेकेदारों द्वारा अर्जित सारी जानकारी/डाटा भारत सरकार की होती है और ठेकेदारों को ऐसे सभी डाटा/जानकारी की प्रतियां डी.जी.एच. को सौंपनी अपेक्षित है। जो खोज क्षेत्र राष्ट्रीय आयल कंपनियों (एन.ओ.सीज) जैसे ओ.एन.जी.सी. और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.), के पास है, उनके बारे में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 (पी. एंड एन.जी.आर.) में प्रावधान है कि वे किसी क्षेत्र का परित्याग करने पर उसके बारे में पूरा डाटा प्रदान करेंगी।

सरकार ने डी.जी.एच. को सब डाटा प्राप्त करने और उन्हें ऐसे डाटा के रखरखाव हेतु नामित किया है।

(ग) और (घ) डी.जी.एच. के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में 8 अप्रैल 1993 के गजट संकल्प के अनुसार, डीजीएच विदेशों से इक्विटी आयल और गैस अर्जित करने की रणनीति के बारे में सरकार को सलाह दे सकता है। इस कारण, इस प्रकार के अंतर्निवेशों की आवश्यकता वाले प्रस्तावों पर चर्चा के समय, सचिवों की शक्तिप्रदत्त समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए डी.जी.एच. आमंत्रित को किया जाता है।

(ङ) पी.एस.सी. व्यवस्था के अंतर्गत सभी कंपनियों को भारत में अपने कार्यालयों में सभी डाटा का रखरखाव करना है और उसकी प्रतियां डी.जी.एच. को भेजनी अपेक्षित है। जहां तक एन.ओ.सीज. के पास नामित ब्लाकों का प्रश्न है, वे पी.एन.जी. नियमावली के अधीन अपने पास डाटा रखती हैं और किसी क्षेत्र के परित्याग पर तत्संबंधी डाटा की प्रतियां डी.जी.एच. के पास भेज देती हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे समय-सारिणी में परिवर्तन

3355. श्री अजीत जोगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान रेलवे आधारिक संरचना तथा संक्रिया तकनीकों में हुए परिवर्तनों के मद्देनजर अखिल भारतीय रेलवे टाइम टेबल में व्यापक फेरबदल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) नई समय-सारिणी कब तक बना लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, यात्रियों की सुविधानुसार समय-सारणी में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और प्रौद्योगिकीय एवं अवसंरचनात्मक सुधार और परिचालनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है।

(ग) सामान्यत: समय-सारिणी प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होती हैं।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम की कार्य योजना

3356. श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) ने 2011-12 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या रणनीति बनाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने वर्ष 2011-12 तक 60 बिलियन अमरीकी डालर की कंपनी बनने के लिए कार्ययोजना तैयार की है।

(ख) वर्ष 2011-12 तक इस कार्ययोजना की प्राप्ति के लिए मुख्य शुरूआती कार्यों में अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि के नए रास्ते तलाशना, गैस कारोबार में विविधीकरण, पेट्रोरसायनों में एकीकरण, डाऊनस्ट्रीम विपणन तथा उत्पादों और सेवाओं का निर्यात शामिल है।

(ग) कार्ययोजना के क्रियान्वयन की कार्यनीति में देश और विदेश दोनों में मूल्य श्रृंखला के पार परियोजना निवेश तथा नैगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों को निर्धारित करना शामिल है।

[हिन्दी]

प्रसार भारती को समाप्त किया जाना

3357. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती को समाप्त कर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को पुनः सरकारी नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रसार भारती की स्वायत्तता बढ़ाये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अधिनियम, 1990 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त है। इसे अतिरिक्त, प्रसार भारती के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यवहार्य पूंजीगत और वित्तीय ढांचे का सुझाव देने की बाबत सरकार द्वारा 30 मार्च, 2005 को एक समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों की एयरलाइनों के लिए प्रस्ताव

3358. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की स्वयं की एयरलाइन स्थापित करने के सम्बंध में कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) केरल सरकार ने गल्फ क्षेत्र के लिए उड़ानें प्रचालित करने के लिए एक एयरलाइन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) सरकार की विनियमों के अनुसार, विदेशी उड़ान अधिकारों की जांच-पड़ताल से पहले एयरलाइनों में 20 विमानों का विमान बेड़ा होना चाहिए तथा उनका घरेलू सेक्टर में कम-से-कम 5 वर्षों तक निरंतर उड़ान भरने का अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने गल्फ मार्ग को तीन वर्षों के लिए एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के लिए आरक्षित किया है। इस प्रकार, राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

गेल तथा एच.पी.सी.एल. द्वारा संयुक्त उद्यम का गठन

3359. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा गैस की खोज करने के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड का विचार एक संयुक्त उद्यम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितना निवेश निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या विदेशों में खोज किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने भारत एवं विदेश में तेल, गैस अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) क्रियाकलापों की संयुक्त रूप से पहचान व अनुसरण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 16 नवंबर, 2005 को हस्ताक्षर किए। इससे दोनों कंपनियों की कार्यनीतिक आवश्यकताएं पूरी होने की आशा है। इस समझौता ज्ञापन के दायरे में निम्नलिखित शामिल है :-

(1) भारत और विदेशों में ई एंड पी व्यापार प्रतिरूपों के लिए एक "ब्लू प्रिंट" तैयार करना।

(2) भारत के साथ-साथ मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और हित रखने वाले अन्य क्षेत्रों में ई एंड पी से जुड़े क्षेत्रों में व्यापार अवसरों की पहचान और मूल्यांकन।

(3) भारत और विदेश में एन.ई.एल.पी. ब्लाकों में, सी.बी.एम. बोली दौरों के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाना।

(4) भारत और विदेश में पहले से प्रदान किए गए अन्वेषण ब्लाकों में फार्म-इन विकल्प के लिए संयुक्त रूप से संभावनाओं का पता लगाना।

(ग) वर्तमान में इस प्रकार के उद्यमों के लिए किसी प्रकार के निवेश निर्धारित नहीं किए गए हैं। निवेश की मात्रा उपलब्ध और अनसुरण किए गए ई एंड पी अवसरों के प्रकार पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) यद्यपि, आज तक किसी भी अन्वेषण और उत्पादन ब्लाक के लिए गेल और एच.पी.सी.एल. के परिसंघ द्वारा कोई बोली नहीं भेजी गई है, गेल ने हाल ही में प्राइज पेट्रोलियम (एच.पी.सी.एल. आई.सी.आई.सी.आई. का एक संयुक्त उद्यम), आयलेक्स एन.एल. और जी.एस.पी.सी. के साथ मिलकर आस्ट्रेलिया में अन्वेषण ब्लाक के लिए बोली लगाई है।

पासी समुदाय को आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में शामिल किया जाना

3360. **डा. बाबू राव मिडियम** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 13 राज्यों में पासी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समुदाय आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त समुदाय को आन्ध्र प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के लिए सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने पासी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है।

(घ) संबंधित राज्य सरकार द्वारा संस्तुत प्रस्तावों पर ही अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

रेलों तथा रेलवे स्टेशनों में आमूलचूल सुधार

3361. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे जोनों के महाप्रबंधकों को रेलों और रेलवे स्टेशनों में आमूलचूल सुधारों की शुरूआत करने और निर्धारित समय में शिकायतों के निवारण का त्रुटिरहित प्रबंध करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अनुदेशों के बावजूद विभिन्न जोनों में शिकायतों के निवारण के लिए प्रबंध नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) निर्देशानुसार, रेल मंडलों और क्षेत्रीय मुख्यालयों में जन शिकायतों के निवारण के लिए वाणिज्यिक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं ये कक्ष पहले ही प्राप्त जन शिकायतों के निवारण पर कार्य कर रहे हैं।

रेलवे पुल का निर्माण

3362. **श्री तूफानी सरोज** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाजीपुर जिले में गंगा नदी के तारीघाट के पास रेलवे पुल के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) उक्त रेलवे पुल के निर्माण में क्या अड़चनें/समस्याएं हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओवरहॉल तथा अनुरक्षण सुविधाएं

3363. **श्री अब्दुल्लाकुट्टी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बोइंग/एयरबस हेतु क्रयादेश देने की पूर्व शर्त के तौर पर भारत में मरम्मत, ओवरहॉल और अनुरक्षण सुविधाएं स्थापित करने की दृष्टि से नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी निवेश आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोइंग एयरप्लेन कंपनी एण्ड एयरबस इंडस्ट्रीज ने भारत में अपने वायुयानों के अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल हेतु सुविधाएं प्रदान करने का वचन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) खरीद करार को अंतिम रूप दिये जाने वाली प्रक्रिया के भाग के रूप में काउंटर ट्रेड/ऑफसेट प्रतिबद्धताओं से संबंधित मामले उठाये जाते हैं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस के आदेश के मामले में, एयर-बस इंडस्ट्री भारत में एम.आर.ओ. सुविधाओं का सृजन करने में

सहायता करेगी। अनुमानित निवेश 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का है। जहां तक एअर इंडिया का संबंध है, विनिर्माताओं के साथ व्यवस्था को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र और रिले केन्द्रों की स्थापना

3364. श्री मुनव्वर हसन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में नए दूरदर्शन केन्द्रों और दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में किसी नए दूरदर्शन केन्द्र/रिले केन्द्र को स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है। गोरखपुर में एक स्थायी स्टुडियो सुविधा कार्यान्वयनाधीन है जिसके 2007 में तैयार हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी. और गल्फ आयल के बीच करार

3365. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से गल्फ कार केयर उत्पादों को बेचने के लिए गल्फ आयल के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस करार से आई.ओ.सी. को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) यद्यपि इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से गल्फ कार केयर उत्पादों की बिक्री के लिए गल्फ आयल के साथ ऐसा कोई भी करार नहीं किया है, किन्तु उन्होंने अपने निश्चित बिक्री केन्द्रों द्वारा ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए गल्फ आयल के साथ एक व्यवस्था की औपचारिकता की है। वर्तमान व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर तीन महीने की अवधि के लिए है जिसमें पांच शहरों नामतः मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद को शामिल किया गया है। इन शहरों में प्रत्येक में मैसर्स गल्फ आयल के कार केयर उत्पादों के प्रायोगिक विपणन के लिए लगभग 10 से 15 खुदरा बिक्री केन्द्रों का चयन किया गया है। प्रायोगिक आधार पर बेचे जाने वाले उत्पादों में ए.सी. निष्प्रभावक, विभिन्न प्रकार की कार पालिशें और टायर मरम्मत उत्पाद सम्मिलित हैं। आई.ओ.सी. की एक प्रायोगिक व्यवस्था की जनवरी, 2006 में समीक्षा करने की योजना है। आई.ओ.सी. और गल्फ आयल दोनों के लिए कोई औपचारिक करार किया जाना प्रायोगिक व्यवस्था की वाणिज्यिक सफलता पर निर्भर करेगा।

(ग) कार केयर उत्पादों की बिक्री उन प्रस्तावित अतिरिक्त सेवाओं के भाग के रूप में हैं जो ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने और ग्राहक निष्ठा बनाए रखने के उद्देश्य से आई.ओ.सी. के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस बिक्री के डीलरों की अतिरिक्त आय का स्रोत बनने की संभावना है। इसीलिए, यदि आई.ओ.सी. प्रायोगिक परियोजना की सफलता के परिणामस्वरूप गल्फ आयल के साथ करार करती है, तो उम्मीद की जाती है कि यह डीलरों की अतिरिक्त आय बनने के साथ-साथ ग्राहकों को बड़ी संख्या में बनाने में भी सहायक होगी और इससे दीर्घकाल में आई.ओ.सी. को लाभ होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

3366. श्री बापू हरी चौरे :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस बलों की भर्ती के घटक पर कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनका सभी राज्यों में कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा उक्त सिफारिशों का कार्यान्वयन कराने के लिए क्या उपाए किए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने

यद्यपि पुलिस बलों में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की सिफारिश की है, लेकिन संघ सरकार और राज्य सरकारों के पुलिस बलों में प्रत्येक जांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत या घटक के संबंध में कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेलवे उपरिपुल

3967. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में महत्वपूर्ण और भारी यातायात क्षेत्रों में लागत भागीदारी आधार पर रेलवे उपरिपुलों के निर्माण के लिए लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को तेजी से स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेलें, उन मौजूदा व्यस्त समपारों के स्थान पर उपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में भागीदारी के आधार पर करती है जहां समपारों पर यातायात का घनत्व एक लाख टी.वी.यू. से अधिक हो (टी.वी.यू.-रेलगाड़ियों की संख्या को 24 घंटे में गुजरने वाले वाहनों की संख्या में गुणा करने पर प्राप्त इकाई) अन्यथा निक्षेप शर्तों पर। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव को मौजूदा नियमों के अनुसार कतिपय प्राथमिक नियमों को पूरा करते हुए राज्य सरकार से प्रायोजित किया जाना होता है। उड़ीसा सरकार से उपरी सड़क पुल बनाने के लिए कोई प्रस्ताव रेलवे के पास अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शोलापुर-गदाक रेल लाइन का गेज परिवर्तन

3368. श्री एम. शिवन्ना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर-गदाक रेल लाइन के आमान परिवर्तन पर अभी तक कितना व्यय किया गया है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 260.83 करोड़ रुपए।

(ख) 2005-06 के दौरान 15 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई।

(ग) और (घ) इस परियोजना पर शोलापुर-बीजापुर (110 कि.मी.) का आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। बीजापुर-गदाक (190 कि.मी.) आमान परिवर्तन का शेष कार्य कर्नाटक सरकार के साथ लागत में भागीदारी (50:50) के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। बीजापुर-बसावना-बागेवाडी (45 कि.मी.) पर ट्रैक जोड़ने का कार्य पूरा हो गया है। शेष खंड पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मुरादाबाद-संभल रेल बस सेवा की बारंबारता

3369. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद-संभल रेल बस सेवा की बारंबारता काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसकी बारंबारता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सेवा की बारंबारता कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। इस समय मुरादाबाद-सम्मल हातिमसराय खंड पर तीन जोड़ी रेल बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नींद न आने के संबंध में अध्ययन

3370. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा शरीरक्रिया तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने पूरी नींद न आने के संबंध में कोई अध्ययन किया है जिसके परिणामस्वरूप अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात थलसेना के जवानों की याददाश्त कम हो जाती है और अन्य बीमारियां भी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की एक प्रयोगशाला 'डिपास' ने उच्च तुंगता पर जलवायु-अनुकूलन की प्रक्रिया के दौरान निद्रा-स्थितियों के संबंध में अध्ययन किए हैं।

(ख) और (ग) उच्च तुंगता पर बार-बार नींद खुलने तक रुक-रुक कर सांस आने जैसे निद्रा व्यवधान होते हैं। ये, जलवायु-अनुकूल की सामान्य प्रक्रियाएं हैं और ये उच्च तुंगता पर हाइपोक्सेमिया के प्रबलन को रोकने में सहायक होते हैं। निद्रा में व्यवधानों को कम करने के लिए, प्राथमिक कदम के रूप में जलवायु-अनुकूलन का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है।

राइट्स लिमिटेड द्वारा ठेके हासिल करना

3371. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइट्स लिमिटेड को विदेशों से कारोबार ठेके प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राइट्स लिमिटेड द्वारा हासिल किए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राइट्स लिमिटेड द्वारा अर्जित टर्नओवर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान राइट्स लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) 2004-05 के दौरान और 2005-06 में अब तक कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए ठेकों का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त किए गए ठेकों की संख्या	कुल कीमत
2004-05	53	439 करोड़ रु.
2005-06 (अक्टूबर, 05 तक)	28	108 करोड़ रु.

(ग) 2004-05 के दौरान और 2005-06 में अब तक कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए टर्नओवर का विवरण नीचे दिया गया है :-

टर्नओवर	2004-05	2005-06 (अक्टूबर, 05 तक)
विदेशी	51 करोड़ रु.	45 करोड़ रु.
घरेलू	171 करोड़ रु.	93 करोड़ रु.
योग	222 करोड़ रु.	138 करोड़ रु.

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित किया गया लाभ इस प्रकार है :-

	2002-03	2003-04	2004-05
टेक्स के बाद लाभ	95 करोड़ रु.	48 करोड़ रु.	41 करोड़ रु.

नौपाड़ा-गुनपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3372. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौपाड़ा-गुनपुर छोटी रेल लाइन की आमान परिवर्तन परियोजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रेल लाइन का थेरुबली तक विस्तार करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) नौपदा-गुनुपुर खंड के आमान परिवर्तन और उसके तिरुवेली तक विस्तार के लिए व्यावहारिकता अध्ययन शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

नरकटियागंज-भिकलुआठोरी रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3373. श्री कैलाश बैठा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नरकटियागंज-भिकलुआठोरी रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या, सरकार के पास गौनाटा और भिखनाठोरी रेलवे स्टेशनों के बीच महाजोगिन हाल्ट प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) नरकटियागंज-भिकलुआठोरी खंड के आमान परिवर्तन के कार्य को जयनगर-दरभंगा-नरकटियागंज रेल लाइन के आमान परिवर्तन के भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है।

(ख) प्राथमिक कार्य जैसे विस्तृत सर्वेक्षण, विस्तृत आकलनों की तैयारी आदि का कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्हील सेटों का निर्यात

3374. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान कितने रेलवे व्हील सेटों का उत्पादन किया गया;

(ख) देश में उक्त अवधि के दौरान कितने व्हील सेटों का उपभोग हुआ और कितने व्हील सेटों का निर्यात हुआ; और

(ग) व्हीलों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माण किए गए रेल पहिया सेटों की संख्या निम्नानुसार है।

वर्ष	निर्माण किए गए व्हील सेटों की संख्या
2002-03	27984
2003-04	32200
2004-05	32732

(ख) 52 पहिया सेट जिन्हें 2003-04 में मलेशिया को निर्यात किया गया था को छोड़कर, सभी पहिया सेटों का देश में ही इस्तेमाल किया गया।

(ग) छपरा, बिहार में पहियों का निर्माण बढ़ाने के लिए पहिया कारखाने की स्थापना का कार्य चल रहा है।

कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

3375. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में जनजातीय क्षेत्रों में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गंजबसोडा स्थित पुराने गोदाम का आधुनिकीकरण

3376. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य रेल के अंतर्गत गंजबसोडा स्थित पुराने गोदाम का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत गंज बसौदा पर लदान/उतराई सुविधाओं के संवर्द्धन का कार्य अगस्त, 2005 में 81.00 लाख रुपए की लागत

पर रेलवे संबंधी केंद्र सरकार की व्यय के लिए अनुदान की पूरक मांगों के तहत स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2005-06 में 1.00 लाख रुपए का आबंटन है। चूंकि यह एक नया कार्य है, नक्शों को निष्पादन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

वैश्विक रणनीतिक विकास संबंधी कृतक बल

3377. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैश्विक रणनीतिक विकास संबंधी कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों, कार्यकरण और निबंधन तथा शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कृतक बल द्वारा सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) वैश्विक सामरिक विकास तथा भारत पर उसके प्रभावों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने 'वैश्विक सामरिक विकास' के संबंध में एक कार्य दल का गठन किया है। इस कार्य दल में नौ सदस्य हैं नामतः के. सुब्रमण्यम (अध्यक्ष), प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, श्री अरविंद विरमानी, श्री आर.के. पचौरी, श्री तरूण दास, एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) विनोद पटनी, प्रोफेसर एम.एस. अनंत, प्रोफेसर पी. रामा राव तथा कमोडोर उदय भास्कर जो सदस्य-सचिव के रूप में भी नामित हैं। कार्यदल का प्रारंभिक कार्यकाल छह माह का है। कार्य दल के सदस्यों को नियुक्ति संबंधी शर्तें और निबंधन आमतौर पर वही है जो किसी राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों पर लागू होते हैं। सरकारी सेवा में कार्यरत सदस्यों और विशेषज्ञों के संबंध में संबंधित सेवा नियम लागू होंगे। कार्यदल द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने हेतु इस चरण पर कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र पर बकाया राशि

3378. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति मिशन में भारतीय सैनिकों की भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र पर कोई राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र से बकाया राशि वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 1950 से संचालित की जा रही शांति-स्थापना संबंधी कार्रवाइयों में भारत सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के शांति-स्थापना अभियानों में सैनिकों की सेवाओं के लिए, संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालय द्वारा सैन्य दल की लागत, दल के अपने उपस्करों और कार्यालय एवं भोजन प्रबंध उपकरण, फर्नीचर, आदि जैसी स्व-जीवनरक्षी वस्तुओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया यह है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ, अभियान क्षेत्रों मे तैनात जनशक्ति तथा उपस्करों का सत्यापन करता है। इस सत्यापन के आधार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रतिपूर्ति की गणना करके भुगतान प्रमाणित किया जाता है।

30.11.05 की स्थिति के अनुसार, इस समय चल रहे अभियानों के लिए, संयुक्त राष्ट्रसंघ से 389.14 करोड़ रुपए (लगभग) की धनराशि बकाया है।

बंद किए गए अभियानों के लिए शेष बकाया राशि 70.04 करोड़ रुपए (लगभग) है।

बकाया राशि के भुगतान से संबंधित मुद्दे पर न्यूयार्क स्थित भारत के स्थायी मिशन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ लगातार कार्रवाई की जाती है।

कटनी-इलाहाबाद और झांसी-मानिकपुर रेल मार्गों का विद्युतीकरण

3379. श्री गणेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी-इलाहाबाद और झांसी-मानिकपुर रेल मार्गों के विद्युतीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन मार्गों पर कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निवेश

3380. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा देश में और बाहर अन्य उद्योगों में निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन तेल कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किए गए ऐसे निवेशों के माध्यम से कितना लाभ अर्जित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नार्थ फ्रन्टीयर रेलवे के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

3381. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ फ्रन्टीयर रेलवे के अंतर्गत कतिपय रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशन के रूप में उन्नयन करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु पहचान किए गए स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक किए गए कार्य की प्रगति कितनी है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) उन्नत यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के 32 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में नामित किया गया है। ये स्टेशन अलीपुरद्वार जं., अलुआबारी रोड, अरेरिया कोर्ट, कूच बिहार, दालकोल्दा, धर्मनगर, डिब्रूगढ़ टाऊन, दीमापुर, घुम, गोसाइगांवाइट, गुवाहाटी, हरिशचन्द्र पुर, जलपाईगुड़ी, जोरहाट टाऊन, कामाख्या, कटिहार, किशनगंज, कोकराझार, लमर्डिंग, माल बाजार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू माल जं., न्यू तिनसुकिया, पूर्णियां जं., रयगंज, रंगिया जं., सिलचर, सिलीगुड़ी टाऊन और श्रीरामपुर हैं।

(ग) कार्य पहले ही चाजू हो चुका है। 10 स्टेशनों अर्थात् कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, न्यू कूच बिहार, गुवाहाटी, न्यू तिनसुकिया, अलीपुरद्वार जं., न्यू अलीपुरद्वार और लमर्डिंग को 2005-06 के दौरान विकसित करने का लक्ष्य है।

(घ) मार्च, 2008 तक।

यात्री आवागमन

3382. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की जोन-वार औसत संख्या कितनी है;

(ख) क्या हाल के वर्षों में यात्री आवागमन में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यात्री आवागमन में वृद्धि का ध्यान रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;

(घ) क्या सरकार ने अपने यात्रियों के लिए 'फ्रीक्वेंट रेल ट्रैवलर्स' योजना शुरू की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(च) उक्त योजना किस तिथि से प्रभावी हुई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 2004-05 के दौरान रेलों (16 जोन और मैट्रो रेल को मिलाकर) से यात्रा करने वाले यात्रियों को कुल संख्या 5513 मिलियन (नवीनतम) थी और प्रत्येक जोन/मैट्रो के लिए औसत 324 मिलियन है। जोनवार यात्रियों की वास्तविक संख्या (2004-05) निम्नानुसार है :-

रेलवे	यात्रियों की संख्या (मिलियन में)
मध्य	1261
पूर्व	761
पूर्व मध्य	163
पूर्व तटीय	41
उत्तर	437
उत्तर मध्य	118
उत्तर पूर्व	140
पूर्वोत्तर सीमा	34
उत्तर पश्चिम	84
दक्षिण	459
दक्षिण मध्य	205
दक्षिण पूर्व	157
दक्षिण पूर्व मध्य	67
दक्षिण पश्चिम	82
पश्चिम	1330
पश्चिम मध्य	77
मैट्रो	97
योग	5513

(ख) और (ग) जी, हां। 3002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान रेल यात्रियों की संख्या क्रमशः 5048, 5203 और 5513 मिलियन है।

रेलों ने यात्री यातायात में वृद्धि को सम्हालने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(i) अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर और यात्रा प्रोफाइल प्रबंधन परियोजना के माध्यम से गाड़ियों के प्रोफाइल में परिवर्तन के द्वारा गाड़ियों में बैठने की अतिरिक्त क्षमता को बढ़ाना।

(ii) लोकप्रिय गाड़ियों की वहन क्षमता को अधिकतम तक बढ़ाना।

(iii) प्रतीक्षा सूची क्लीयर करने के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे बढ़ाना।

(iv) कोचिंग स्टाफ के उपयोग में सुधार करना ताकि सवारी डिब्बों की कमी को दूर किया जा सके।

(v) निकट वितरण को आसान बनाने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, कम्प्यूट्रीकृत टिकटिंग को शुरू करके, जहां कहीं आवश्यक है, अतिरिक्त टिकट वितरण खिड़की खोलन आदि।

(घ) और (ङ) प्रायः यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक योजना (एस.ओ.एफ.टी.) शुरू की गई है जो प्रथम ए.सी., 2 ए.सी. और ए.सी. चेयर कार श्रेणियों में लागू होगी। प्रायः यात्रा करने वाले यात्री कुछ निश्चित फेरों के बाद इनामी अंक अर्जित करने पर पूरक गाड़ी ट्रिप प्राप्त करेंगे।

(च) चालू वित्त वर्ष 2005-06 में एस.ओ.एफ.टी. स्कीम के शुरू होने की संभावना है।

नई रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना

3383. श्री हितेन बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नई रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कहां स्थित होगी; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपेक्षित बच्चों हेतु संस्था

3384. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह विहीन, उपेक्षित और उपचारी बालकों हेतु कार्यरत संस्थाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में ऐसी और संस्थाएं स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना का ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गृहों की स्थापना आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

(घ) इन संस्थाओं के निर्माण हेतु लिए जाने वाले समय का निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	गृहों की संख्या
1	2	3
1.	तमिलनाडु	19
2.	उड़ीसा	5
3.	राजस्थान	4
4.	सिक्किम	1
5.	हरियाणा	7
6.	मेघालय	3
7.	छत्तीसगढ	12
8.	गोवा	2
9.	कर्नाटक	62

1	2	3
10.	नागालैंड	2
11.	गुजरात	55
12.	केरल	22
13.	मध्य प्रदेश	24
14.	असम	7
15.	महाराष्ट्र	291
16.	आन्ध्र प्रदेश	16
17.	पंजाब	13
18.	मिजोरम	4
19.	चंडीगढ़	1
20.	पश्चिम बंगाल	32
21.	त्रिपुरा	1
22.	दिल्ली	14
23.	उत्तर प्रदेश	93
24.	बिहार	14
25.	हिमाचल प्रदेश	3
26.	झारखंड	7

मुसहर समुदाय का उत्थान

3385. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में अनुसूचित जाति श्रेणी में आने वाले मुसहर समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मझोले युद्धक टैंक का विकास

3386. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मझोले युद्धक टैंक (एम.बी.टी.) के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके कब तक काम करना शुरू करने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना की मूल अनुमानित लागत और बढ़ी हुई लागत कितनी है;

(घ) क्या कुछ अन्य देशों ने इस एम.बी.टी. की खरीद हेतु कोई मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का इस समय आयुध निर्माण बोर्ड के तत्वावधान में भारी वाहन निर्माणी, आवडी में उत्पादन किया जा रहा है। प्रयोक्ताओं ने आयुध निर्माणी बोर्ड को 124 टैंकों के लिए मांग-पत्र प्रस्तुत किए हैं। इन सभी टैंकों का उत्पादन मार्च, 2008 तक कर दिया जाएगा।

(ख) पांच अर्जुन टैंक मूल्यांकन के लिए सेना को सौंप दिए गए हैं। उनतीस टैंक जून, 2006 तक प्रयोक्ताओं के पास प्रचालित हो जाएंगे।

(ग) मई, 1974 में मूल अनुमानित लागत 15.50 करोड़ रुपए थी जिसे परियोजना की विनिर्दिष्टियों तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की वजह से, मार्च, 1995 में परियोजना के पूरा होने के समय संशोधित करके 305.60 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

कोटा-बीना रेल मार्ग का विकास कार्य

3387. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पश्चिम-मध्य रेलवे के कोटा-बीना रेल मार्ग खंड पर उन्नयन और विकास कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। इस खंड पर निम्नलिखित कार्य पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं :-

1. कोटा-बरन खंड पर 6 स्टेशनों का पैनल अंतर्पाशन कार्य।

2. महादेवखेड़ी-करोड खंड पर टोकन रहित ब्लाक यंत्र की व्यवस्था।

3. महादेवखेडी पर अतिरिक्त लूप लाइन की व्यवस्था।

4. बरन-रूठियाई खंड 8 स्टेशनों पर पैनल अंतर्पाशन सहित टोकन रहित ब्लॉक खंड यंत्र सहित लूप लाइन।

5. मुंगोली पर पैदल पार पुल की व्यवस्था।

6. गुना स्टेशन पर आदर्श स्टेशन बनाने के लिए प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था।

7. सोगरिया पर अतिरिक्त लूप लाइन की व्यवस्था।

8. बरन पर स्टेशन परिचलन क्षेत्र का सुधार।

(ग) कोटा-बीना खंड को उच्च यातायात घनत्व वाले मार्ग के रूप में चिह्नित किया गया है और कार्य प्राथमिकता पर शुरू किया जाएगा।

विवरण-I

प्रस्तावों की योजनावार स्थिति

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष	योजनावार स्थिति
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	2003-04	2003-04 वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार से तथा कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम से 144.00 लाख रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, धन की कमी के कारण 2003-04 के कारण मात्र 14.00 लाख रुपए की स्वीकृत प्रदान की गई थी।
2.	अनुसूचित जनजाति के लिए टी.एस.पी. क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना	2004-05	2002-03 के दौरान 5 आश्रम स्कूलों को पूरा करने के लिए बकाया अनुदान के रूप में 77.51 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई।
3.	आवासीय स्कूलों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	2003-04	नौ गैर-सरकारी संगठनों को 10127087 रुपए का अनुदान जारी किया गया।
4.	निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	2003-04	एक शिक्षण परिसर के लिए 2366000 रुपए का अनुदान जारी किया गया है।
5.	एकलव्य आदर्श स्कूल	2003-04	97.00 लाख रुपए।

विवरण-II

प्रस्तावों की योजनावार लम्बितता का कारण

क्रम सं.	योजना का नाम	प्रस्ताव की लम्बितता का कारण
1	2	3
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	144.00 लाख रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था लेकिन धन की कमी के कारण 2003-04 के दौरान केवल 14.00 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। अन्य राज्य वित्त विकास निगमों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ 2005-06 के दौरान निगम के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
2.	अनुसूचित जनजाति के लिए टी.एस.पी. क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना	2002-03 के दौरान स्वीकृत 10 नए आश्रम स्कूलों का निर्माण और 5 आश्रम स्कूलों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से 227.51 लाख रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 2002-03 के दौरान स्वीकृत स्कूलों को पूरा करने के लिए 2004-05 के दौरान धन की कमी के

1	2	3
		कारण मात्र 77.51 लाख रुपए जारी किया गया था। शेष राशि चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी की गई है (2005-06)।
3.	आवासीय स्कूलों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	इन योजनाओं के अंतर्गत कोई लम्बितता नहीं है।
4.	निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	-तदैव-
5.	एकलव्य आदर्श स्कूल	-तदैव-

विवरण-III

सरकार द्वारा मांगा गया आबंटन

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष	आबंटन (रुपए लाख में)
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	2003-04	144.00
2.	अनुसूचित जनजाति के लिए टी.एस.पी. क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना	2004-05	227.51
3.	आवासीय स्कूलों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	2003-04	101.27
4.	निम्न साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	2003-04	23.66
5.	एकलव्य आदर्श स्कूल	2003-04	97.02

क्षेत्रीय केन्द्रों पर समाचार और समसामयिक कार्यक्रम

3389. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रायोजित श्रेणी के अन्तर्गत समाचार और समसामयिक कार्यक्रम बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती, स्वायत्तशासी वैधानिक निगम ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने सभी समाचार बुलेटिनों को घरेलू कार्यकलाप के रूप में शुरू करने के लिए प्रसार भारती बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रायोजित श्रेणी के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाले समाचार और समसामयिक विषयक कार्यक्रमों को बंद कर दिया है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण

3390. श्री नवीन जिन्दल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धकला में तकनीकी उन्नति के विस्तार के मद्देनज़र सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रशिक्षण हेतु देश-वार कितने अधिकारी भेजे गए?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। चूंकि सैन्य इंजीनियरी सेवा, युद्ध संबंधी क्रियाकलाप नहीं करती है, अतः सैन्य इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों को युद्ध संबंधी प्रशिक्षण के लिए विदेशों में नहीं भेजा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल पंपों के आबंटन हेतु नीति

3391. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोल पंपों के आबंटन हेतु मौजूदा नीति में बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि प्राइवेट कंपनियां हेराफेरी कर रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोल पंप मालिकों को एक जगह से दूसरी जगह पर अपने पेट्रोल पंप ले जाने हेतु उन्हें मजबूर कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ङ) प्राइवेट कंपनियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को बताए गए कुछ व्यापक मानदंडों के आधार पर कंपनियों ने देश में व्यवहार्य स्थलों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिपों के चयन के लिए अपने दिशानिर्देश तैयार किए हैं और वे इन दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन व आबंटन कर रही हैं। ओ.एम.सीज. द्वारा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन/आबंटन करने में अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों में उपलब्ध है क्योंकि ये उद्देश्यपरक तथा पारदर्शी प्रकृति के हैं। वर्तमान में, खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के मामले में नीति में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ओ.एम.सीज. की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि निजी कंपनियां हेराफेरी कर रही हैं ओर उनके खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों को अपना स्थल बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं।

(ङ) निजी कंपनियों को विपणन अधिकारों के लिए प्राधिकार प्रदान करत्ते समय, सरकार ने विनिर्धारित कर दिया है कि उन्हें किसी विपणन कंपनी के मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्र पर घुसपैठ की इजाजत नहीं होगी।

पी.डब्ल्यू.डी. के लिए व्यावसायिकों को प्रशिक्षण

3392. प्रो. एम. रामदास : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निःशक्त व्यक्तियों की जनसंख्या के अनुपात में निःशक्तता से ग्रस्त (पी.डब्ल्यू.डी.) व्यक्तियों को शिक्षण/प्रशिक्षण देने में कितने व्यावसायिक लगे हुए हैं;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ग) क्या निःशक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण/पुनर्वास के लिए उपलब्ध व्यावसायिक उनकी जनसंख्या की अनुपात में पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस अनुपात में तर्कसंगत बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) चूंकि विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा/प्रशिक्षण को समावेशी वातावरण में प्रोत्साहित किया जाता है इसलिए, इसमें लगे हुए व्यावसायिकों की संख्या अलग से नहीं रखी जाती है।

(ख) श्रवण और वाणी उपचार, वाणी विकृति विज्ञान, शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा, व्यावसायिक परामर्श, बहुद्देश्यीय पुनर्वास उपचार, पुनर्वास मनोविज्ञान, पुनश्चर्या और चलन, पुनर्वास परामर्श आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ग) और (घ) अप्लायड मैनपावर रिसर्च इंस्टीट्यूट से अनुरोध किया गया है कि वह विभिन्न व्यावसायिकों की अपेक्षित अनुमानित संख्या का और इसकी पूर्ति के लिए योजना बनाने का अध्ययन करे।

वृद्ध लोगों के लिए योजना

3393. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वृद्ध लोगों के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने वृद्धाश्रमों के अनुरक्षण के लिए सहायता अनुदान की मंजूरी के लिए गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) प्रस्तावों की जांच के बाद, प्रस्तावों की आगे कि प्रक्रिया के लिए अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज संबंधित संगठनों से मंगाए गए हैं।

विमानों में तकनीकी खराबी

3394. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस अथवा इसकी सहायक एलाइंस एयरलाइंस के विमानों को गत कुछेक महीनों के दौरान विभिन्न तकनीकी खराबी की वजह से उतारना पड़ा था अथवा उन्हें आपातकालीन स्थिति में उतारना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्राधिकारियों के ध्यान में विमानों के रखरखाव में नकली सामग्री के उपयोग का कोई मामला आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या आपातकालीन रूप से उतराई के कारणों के संबंध में कोई सघन जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(छ) इंडियन एयरलाइंस और इसकी सहायक सेवाओं द्वारा इनकी उड़ानों की अपातकालीन उतराई की वजह से कितना घाटा उठाया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पिछले तीन महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइंस तथा एलाइंस एयर के विमानों की कोई आपातकालीन लैंडिंग नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गोरखपुर-लखनऊ रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

3395. योगी आदित्यनाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर-पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में किए गए कार्यों में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) गोरखपुर-लखनऊ रेलवे लाइन खंड के विद्युतीकरण को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्तमान में, लखनऊ मंडल के अंतर्गत रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लखनऊ-बाराबंकी खंड जो लखनऊ-गोरखपुर लाइन का एक भाग है, पहले से ही विद्युतीकृत है और अन्य उच्च घनत्व मार्गों के विद्युतीकरण के लिए सापेक्ष प्राथमिकता के कारण, बाराबंकी-गोरखपुर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दामोह स्टेशन पर आग की घटना

3396. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में दामोह स्टेशन पर एक खड़ी रेलगाड़ी के डिब्बे में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितनी जानें गई हैं और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है;

(घ) क्या इस घटना के संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या नतीजा निकला है और दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) 17.10.2005 को 14.00 बजे दामोह स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 3 पर बिजली को खराबी के कारण 189 बी.एन. (कोटा-दामोह के पैसेंजर) कोच सं. पूर्व मध्य रेलवे/90214/ए.बी. में आग लग गई थी। कोच को रेक से तुरंत हटा दिया गया और 14.45 बजे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया।

(ग) लगभग 7,00,000/- रु. की रेल संपत्ति का नुकसान हुआ और कोई हताहत नहीं हुआ।

(घ) और (ङ) विद्युत, संरक्षा और यांत्रिक विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त जांच के आयोजन के आदेश दिए गए थे और मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(च) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर ने कारखानों और अनुरक्षण डिपुओं को इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कोलायत-फलौदी और पीपाड़-बिलादा रेल मार्ग

3397. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलायत-फलौदी और पीपाड़-बिलादा रेल मार्गों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कार्य की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) विवरण निम्नानुार है :-

(i) **कोलायत-फलौदी नई लाइन :**

मिट्टी, पुल संबंधी कार्य आदि की प्रगति विभिन्न चरणों में है। कोलायत यार्ड के निकट 2.68 हैक्टेयर भूमि को अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है क्योंकि मामला जोधपुर उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इस परियोजना को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है जो उपरोक्त भूमि के राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरण पर निर्भर है।

(ii) **पिपाड़ रोड-बिलाड़ा आमान परिवर्तन :**

कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय संसाधनों के अलावा भी संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विमान सेवाओं का विस्तार

3398. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**
श्री मो. ताहिर :
मोहम्मद शाहिद :
श्री मुन्शी राम :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में छोटे शहरों/नगरों तक विमान सेवाओं के विस्तार के संबंध में राज्य सरकारों को शामिल करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कुछेक राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मामले में क्या अतिरिक्त कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी एलाइंस एयर द्वारा इस संबंध में महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ प्रारंभिक वार्ताएं की गई हैं। सब्सिडी योजना के तहत रांची तथा जमशेदपुर को/से विमान सेवाएं प्रचालित किए जाने के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के संबंध में इंडियन एयरलाइंस द्वारा अभी हाल ही में एक आशय पत्र (एल.ओ.आई.) प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

दक्षिण पश्चिम रेलवे में मंगलौर मंडल का शामिल किया जाना

3399. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पश्चिम रेलवे, मैसूर में मंगलौर मंडल को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) भारतीय रेल प्रणाली में मंगलौर मंडल के नाम से कोई मंडल नहीं है।

छोटे विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

3400. **श्री उदय सिंह :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में छोटे विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण को अनदेखा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में बड़े, मध्यम और छोटे विमानपत्तनों के किए गए आधुनिकीकरण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए आबंटित, जारी और खर्च की गई धनराशि का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) छोटे हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जो कि यातायात मांग, संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। विभिन्न हवाईअड्डों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण के तहत किए जा रहे कार्यों पर व्यय होने वाले आबंटित फंड (करोड़ रु. में) क्रमशः निम्न प्रकार से हैं :- मुम्बई में टर्मिनल 1बी का विस्तार एवं सुधार, चार अंतर्राष्ट्रीय रिमोट पार्किंग स्थलों का निर्माण, लिंक टैक्सी-ट्रैक, समानांतर टैक्सी मार्ग, नवीन अतिरिक्त पार्किंग स्थल, तीव्र-निकासी ट्रैक्सी ट्रैक, रात्रिकालीन पार्किंग स्थल तथा द्वितीय रनवे का पुनः सतहकरण (146.56, 100.35); कोलकाता में एकीकृत कार्गो परिसर का निर्माण तथा एप्रन से जोड़ने की प्रक्रिया (84.53, 63.03), दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एप्रन का पुनर्निर्माण, पांच अतिरिक्त स्थलों का निर्माण, समानांतर टैक्सी-मार्ग आदि (128.09, 78.24); चेन्नई में प्रशासनिक भवन का विस्तार, टर्निंग पैड स्थलों और शोल्डरों का

निर्माण, टर्मिनल भवन का विस्तार और सुधार (138.41, 107.55), उन्नयन कार्य अमृतसर में (21.50, 51.69) सूरत (2.00, 1.55) तथा त्रिवेन्द्रम में (38.92, 34.71) रनवे आदि का विस्तार तथा मजबूत करना, त्रिची में (6.21, 2.43), मदुरै (1.10, 0.05), कोयम्बतूर (5.87, 6.64), हैदराबाद (22.91, 30.63), खजुराहो (1.50, 4.52), देहरादून (3.60, 0.00), डिब्रूगढ़ (1.40, 3.05), सिल्चर (2.00, 0.00), विशाखापत्तनम में नए रनवे, एप्रन, पृथक्करण स्थल, नवीन एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन आदि (13.10, 54.03), अहमदाबाद में नए आगमन और प्रस्थान ब्लॉकों का निर्माण, तीन यात्री बोर्डिंग ब्रिज सहित अंतर्राष्ट्रीय काम्पलेक्स का निर्माण (10.11, 2.41), कालीकट में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार व रूपांतरण, यात्री बोर्डिंग ब्रिजों, एप्रनों आदि का निर्माण (8.35, 0.18), मंगलौर में नए रनवे का निर्माण, ग्राउंड लाइटनिंग सुविधाएं आदि (3.85, 9.72), हुबली में रनवे आदि को मजबूत करना (0.20, 0.00), भवन का विस्तार/रूपांतर आदि बंगलौर में (1.95, 2.42), श्रीनगर (3.10, 4.24), गया में नए एकीकृत भवन, यात्री बोर्डिंग ब्रिज आदि का निर्माण (6.00, 23.78), लखनऊ में तकनीकी ब्लॉक के साथ नियंत्रण टॉवर आदि का निर्माण (0.55, 1.65) तथा अगाती में नए टर्मिनल भवन, नियंत्रण टॉवर आदि का निर्माण (0.50, 0.91)।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

3401. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के निदेशक मंडल में सभी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में नियुक्ति के लिए नए निदेशकों की पहचान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इन निदेशकों के कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। नये संस्तुत उम्मीदवारों, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों (पी.एस.यूज.) में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है, के लिए प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्राप्ति के लिए भेज दिया गया है।

नाइजीरिया में विद्युत संयंत्रों का निर्माण

3402. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ.एन.जी.सी.-मित्तल एनर्जी लिमिटेड नाइजीरिया में विद्युत संयंत्र और रिफाइनरी निर्माण के लिए 6 बिलियन डालर का निवेश करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना हेतु भागीदारी का अनुपात क्या है;

(ग) क्या इस संयुक्त उद्यम से नाईजीरिया से पारस्परिक आय होगी, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) और मैसर्स मित्तल स्टील ग्रुप के बीच विदेश में ई. एवं पी. गतिविधियों के लिए दिनांक 23.7.2005 को एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात पहचाने गए देशों में अनन्य आधार पर हाइड्रोकार्बन अवसरों के अनुसरण हेतु ओ.एन.जी.सी.-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (ओ.एम.ई.एल.) नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई जिसमें ओ.वी.एल., मित्तल इन्वेस्टमेंट्स सर्ल और एस.बी.आई. कैम्स की क्रमशः 49.98%, 48.02% और 2% भागीदारी हित है।

ओ.एम.ई.एल. ने नाइजीरिया के पेट्रोलियम और संसाधन मंत्रालय के साथ नवंबर, 2005 में एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें नाइजीरिया की ओर से किए गए प्रस्तावों में नामांकन आधार पर तेल अन्वेषण ब्लाकों, मियादी संविदा आधार पर तेल की निश्चित मात्रा और जब नाइजीरिया में क्षेत्रों/आधारभूत ढांचे का विकास हो जाएं, एल.एन.जी. का प्रस्ताव शामिल है। बदले में ओ.एम.ई.एल. नाइजीरिया के रिफाइनरी, रेलवे और विद्युत क्षेत्रों में ढांचागत विकास परियोजनाओं में सहभागी बनेगी। इस "आर्थिक पैकेज" का विवरण अभी तैयार किया जाना है।

तेल ब्लाकों का मूल्यांकन

3403. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.ई.एल.पी.-5 के अंतर्गत कृष्णा गोदावरी (के.जी.) में दो ब्लाकों अर्थात् ब्लाक-डी-3 तथा ब्लाक-6 की पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी, नहीं। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के पांचवें दौर (एन.ई.एल.पी.-5) के तहत के.जी. के गहरे समुद्र में पड़ने वाला ब्लाक डी-3 (के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1) और गंगा घाटी में पड़ने वाला ब्लाक 6 (जी.वी.-ओ.एन.एन.-2003/1) पृथकत: दो परिसंघों को पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं। ब्लाक डी-3 (के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-2003/1) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडियन इंक. के परिसंघ को और ब्लाक 6 (जी.वी.-ओ.एन.एन.-2003/1) मैसर्स कैर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैर्न एक्सप्लोरेशन (सं. 1) लिमिटेड और ओ.एन.जी.सी. के परिसंघ को प्रदान किया गया है तथा इन परिसंघों के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर पहले ही 23 सितंबर, 2005 को हस्ताक्षर हो गए हैं।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर फ्रिस्किंग और सुरक्षा जांच में छूट

3404. श्री मोहन सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अतिविशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों/गणमान्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विमानपत्तनों पर सुरक्षा जांच में फ्रिस्किंग में छूट दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने गणमान्य व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों की फ्रिस्किंग और सुरक्षा जांच में छूट देने के लिए कोई मानदंड बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गणमान्य व्यक्तियों की कुछेक श्रेणियों को शामिल करने अथवा बाहर रखने के संबंध में कोई विवाद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस विवाद को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ के केबिनेट स्तर के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा उन्हीं के स्तर के गणमान्य विदेशी जन, पूर्व राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता, राज्य सभा के उपसभापति और लोक सभा के डिप्टी स्पीकर, राज्यों तथा संघ शासित राज्यों के मुख्य मंत्री एवं उप मुख्य मंत्री, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, संघ शासित राज्यों के उप राज्यपाल, विदेशी राजदूत, चार्ज डी अर्फयर्स, उच्चायुक्त तथा उनके दंपत्ति, मंत्रिमंडल सचिव, परम पावन दलाईलामा, जिन्हें कि एसपीजी सुरक्षा प्रदान है तथा श्री राबर्ट वाडेरा (जब भी वे एस.पी.जी. सुरक्षा के साथ यात्रा कर रहे हों) को, देश के सभी नागरिक हवाईअड्डों पर विमान आरोहण से पहले की सुरक्षा जांच से मुक्त रखा गया है।

(ख) और (ग) फिर्स्किग (जांच) से मुक्ति सुरक्षा/प्रोटोकॉल के आधार पर दी गई है तथा समय-समय पर इसकी जांच की जाती है।

(घ) से (च) हवाईअड्डों पर जांच से मुक्त व्यक्तियों की सूची में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सम्मिलित करने का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

[अनुवाद]

तेल कंपनियों के बकाया करों को माफ करना

3405. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :
श्री निखिल कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलशोधक कंपनियों ने सरकार से वसूल न होने के कारण इन कंपनियों पर लगे लगभग 1400 करोड़ रुपये के बकाया कर को माफ किये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) ऐसे अवसूली योग्य करों का ब्यौरा क्या है जिन्हें तेल कंपनियां वसूल करने में विफल रही है;

(घ) क्या ऐसे बड़े घाटों पर अंकुश लगाने के लिए कोई रणनीति तैयार की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) तेल उद्योग के सदस्यों की ओर से भारतीय पेट्रोलियम परिसंघ (पेट्रोफेड) ने सरकार से तेल कंपनियों के अवसूलनीय करों के मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया है। पेट्रोफेड ने कई उपाय सुझाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ "अवसूलनीय कर प्रतिपूर्ति योजना, 2002" को जारी रखना, विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) आरंभ करना, पेट्रोलियम उत्पादों को वैट के अंतर्गत लाना और राज्य सरकारों को उपकर अथवा बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क में से प्रत्यक्ष प्रतिपूर्ति करना शामिल है।

(ग) तेल कंपनियों उत्पादों पर कच्चे तेल पर प्रवेश कर/चुंगी, उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.), क्रय कर/कारोबार कर, आदि जैसे अवसूलनीय करों को मूल्यों के माध्यम से वसूल करने में सक्षम हैं।

(घ) और (ङ) प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली से बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण दौर की ओर निर्विघ्न संचरण को सुकर बनाने के लिए सरकार ने "अवसूलनीय कर प्रतिपूर्ति योजना, 2002" अधिसूचित की

थी। उपर्युक्त योजना केवल वर्ष 2002-03 के लिए ही वैध थी। इस योजना की वैधता को वर्ष 2003-04 के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों को पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. एजेन्सियों का आबंटन

3406. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों से पेट्रोल पम्प/एल.पी.जी. (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) एजेन्सियों के आबंटन के राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों को राज्य-वार और कंपनी-वार कितने पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेन्सियां आबंटित की गयीं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पम्प/एल.पी.जी. एजेंसियां आबंटित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जबकि पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज. के दिशानिर्देश, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई आरक्षण प्रदान नहीं करते, ये दिशानिर्देश अनुसूचित जाति (एस.सी.)/अनुसूचित जाति (एस.टी.) वर्गों के लिए डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में 25% आरक्षण प्रदान करते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान तथा अभी तक अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के उम्मीदवारों से खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओ.) डीलरशिपों (पेट्रोल पम्प) तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए ओ.एम.सीज. द्वारा प्राप्त आवेदनों से संबंधित राज्यवार ब्यौरे संबंधित ओ.एम.सीज. के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 2002-03 से 2004-05 तक ओ.एम.सीज. नामतः इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच.पी.सी.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बी.पी.सी.) और आई.बी.पी. कंपनी लि. (आई.बी.पी.) ने अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के उम्मीदवारों को 1,870 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तथा 331 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित किये हैं। इन आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा संबंधित ओ.एम.सीज. के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है, आबंटनों की ओ.एम.सी. वार स्थिति निम्नानुसार है :-

ओ.एम.सी.	वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान किये गये आबंटन	
	आर.ओ.	एल.पी.जी.
आई.ओ.सी.	760	175
एच.पी.सी.	472	87
बी.पी.सी.	369	65
आई.बी.पी.	269	4
योग	1,870	331

(ग) ओ.एम.सीज. की विपणन योजनाओं में देश के विभिन्न स्थलों पर अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी सहित उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन से संबंधी ब्यौरे निहित हैं। ये ब्यौरे संबंधित ओ.एम.सीज. के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं। तथापि चालू वर्ष के दौरान अन्य श्रेणियों के साथ-साथ अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी को आबंटित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में विभिन्न चरण जैसे विज्ञापन देना, आवेदन पत्रों तथा दस्तावेज की जांच, डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना, योग्यता सूची जारी करना, चुने गए उम्मीदवारों के संबंध में क्षेत्र जांच आदि शामिल होते हैं।

निजी भागीदारी से रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

3407. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी भागीदारी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए ऐसी योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। जैसा कि रेल बजट 2005-06 में घोषणा की गई थी, रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को प्रस्तावित रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर.एल.डी.ए.) के माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) जी, हां। जैसा कि रेल बजट 2005-06 में घोषणा की गई थी, रेलों ने महानगरों के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को

प्रस्तावित रेल भूमि विकास प्राधिकरण के माध्यम से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजना बनाई है।

रेल लाइनों का निर्माण

3408. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी रेल लाइनों का कार्य अब तक पूरा हो चुका है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(घ) शेष रेल लाइनों की निर्माण संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) निर्माण कार्य के पूरा न होने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान निम्नलिखित 10 नई लाइनों को बजट में शामिल किया गया था :

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	परियोजना	बजट में शामिल किए जाने का वर्ष	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2005 तक किए गए व्यय
1.	कोलायत-फलोदी	2002-03	163.9	96.97
2.	तालचेर-बिमलगढ़	2003-04	726.96	0
3.	हाजीपुर-सगौली	2003-04	324.66	4.56
4.	कोसी ब्रिज	2003-04	323.41	1.56
5.	महाराजगंज-मसरख	2003-04	113.75	0.11
6.	कीछा-खातीमा	2003-04	165.67	0.11
7.	जीरीबाम-इम्फाल रोड	2003-04	727.56	0.07
8.	जिंद-सोनीपत	2003-04	190.81	0.24
9.	रेवाड़ी-रोहतक	2003-04	221.25	0.41
10.	हथुआ-भटनी	2005-06	200.73	0

इनमें से कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई है। ये परियोजनाएं निष्पादन के प्रारम्भिक चरण में हैं और आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन्हें पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

तेल डिपो का स्थान बदलना

3409. श्री सुकदेव पासवान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल डिपो को फोरबिसगंज से अन्य स्थान पर ले जाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त डिपो का स्थान बदलने के विरोध में अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.) के फोरबिसगंज पेट्रोलियम भण्डारण डिपो को वर्ष 1972 में शुरू किया गया था। फोरबिसगंज डिपो मीटर गेज के माध्यम से रेल से सिलीगुड़ी से उत्पाद प्राप्त कर रहा था। रेलवे द्वारा गेज परिवर्तन के कारण फोरबिसगंज आने वाली आपूर्तियां प्रभावित हो रही थीं। इन बातों के साथ-साथ डिपो को असुरक्षित स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यह आवासीय बस्ती के बीच में स्थित था और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.) के मानकों के अनुरूप नहीं था। इस डिपो का संचालन जनवरी, 2003 में बंद कर दिया गया था। तत्पश्चात फोरबिसगंज से फीड होने वाले मार्किट को आपूर्तियां बरौनी से की जा रही हैं। उक्त डिपो के बंद होने के बाद और बरौनी से उत्पाद की प्रत्यक्ष आपूर्ति होने के बावजूद ऐसे किसी भी बाजार से सप्लाई न होने की कोई सूचना नहीं है, जिन्हें पहले फोरबिसगंज डिपो से आपूर्तियां की जा रही थीं।

(ग) इस मंत्रालय को हाल में ऐसा कोई अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लेखन सामग्री की खरीद

3410. श्री राजेन गोहेन :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में पेपर पार्सल, सामान्य लेखन समाग्री जैसे विभिन्न प्रकार के कागजों की खरीद के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक जोनल रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक लेखन सामग्री की खरीद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड तथा अन्यों से लेखन सामग्री की खरीद के नियमों के उल्लंघन संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लेखन-सामग्री की खरीद में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मौजूदा मानदंडों के अनुसार, लेखन साम्रगी एवं अन्य मदों की किसी भी खरीदारी के लिए सामान्य वित्तीय नियम, 2005 को पालन करना पड़ता है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण चैनल

3411. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण चैनल आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन चैनलों के कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रसार भारती, स्वायत्तशासी निगम ने सूचित किया है कि वे इस समय देश में अलग ग्रामीण चैनल शुरू करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। दूरदर्शन नैरोकास्टिंग प्रणाली में चुनिन्दा ट्रांसमीटरों से कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम पहले ही प्रसारित कर रहा है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम

3412. श्री जसुभाई धानाभाई बारड : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जनता को सूचित, शिक्षित, और उनका मनोरंजन करने के लिए एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में अपने शासनादेश को पूरा करने के उद्देश्य से प्रसार भारती विषयवस्तु और गुणवत्ता-दोनों दृष्टि से उत्कृष्टता लाने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने विभिन्न चैनलों पर प्रसारित/टेलीकास्ट किए जा रहे धारावाहिकों/कार्यक्रमों की गुणवत्ता की निरनतर समीक्षा करते हैं और विषयवस्तु तथा तकनीकी गुणवत्ता/प्रसारण में और अधिक सुधार लाने के प्रयास करते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन ने क्रमशः सूचित किया है कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं हुई है कार्यक्रमों की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है तथा वे दर्शकों की रूचि को बनाए रखने वाले कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

3413. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तटीय तथा अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का अलग-अलग उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के तटीय क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा; और

(ग) यदि हां, तो तटीय क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नवत् रहा :-

(बिलियन घन मीटर में)

वर्ष	तटीय	अपतटीय	कुल
2002-03	11.904	19.483	31.387
2003-04	12.845	19.116	32.005
2004-05	12.897	18.872	31.769

(ख) और (ग) गत दो वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी. के तटीय क्षेत्रों से गैस का वास्तविक उत्पादन निम्नानुसार लक्ष्यों से कम रहा-

वर्ष	तटीय गैस उत्पादन (बी.सी.एम.)	
	लक्ष्य	वास्तविक
2002-03	5.684	5.871
2003-04	6.112	5.778
2004-05	5.699	5.528

निकासी क्षेत्र की कार्यकाल सीमा में तटीय क्षेत्रों में से परिपक्व व पुराने क्षेत्रों से उत्पादन की कमी/स्थिरता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ओ.एन.जी.सी. ने गैस उत्पादन को बढ़ाने/बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) पालाटाना में प्रस्तावित 750 मे.वा. क्षमता विद्युत संयंत्र को गैस आपूर्ति की मांग पूरा करने के लिए गैस हैंडलिंग क्षमता को 1.6 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से बढ़ाकर 5.1 एम.एम.एस.सी.एम.डी. करते हुए त्रिपुरा में आबद्ध गैस भण्डारों को प्रयोग में लाने के उपाय।

(2) जी 1 और जी एस-15 क्षेत्रों का विकास जहां से गैस को राजामुन्द्री परिसम्पत्ति को भेजा जाएगा।

(3) तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात में कालोल तथा गांधार क्षेत्रों तथा असम में लाकवा-लखमनी, जेलेकी तथा रूद्रसागर क्षेत्रों में गैस-टू-वायर (जी.टी.डब्ल्यू.) योजना के तहत विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का संकल्पन/क्रियानवयन, जिससे गैस उत्पादन में भी वृद्धि की संभावना है।

नौसेना अकादमी की स्थापना

3414. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या रक्षा मंत्री एझिमाला नौसेना अकादमी के बारे में दिनांक 24 मार्च, 2005 के अतारांकि प्रश्न संख्या 3413 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित एझिमाला नौसेना अकादमी की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : एझिमाला नौसेना अकादमी के डिपो पोत, भारतीय नौसेना पोत जमोरिन का 6 अप्रैल, 2005 को जलावतरण कर दिया गया है और परिसर में 5 अगस्त, 2005 से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गए हैं।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण

3415. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के रेल बजट में सर्वेक्षण कराने के प्रयोजनार्थ नई रेल लाइनों के कितने प्रस्तावों को शामिल किया गया है;

(ख) इन नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ग) सर्वेक्षण कार्य के पूरा होने के बाद नई रेल लाइनों की स्वीकृति के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(घ) क्या सीकर से जोरवा बरास्ता सालासार, सुजानगढ़, बीदासर तथा सरदारशहर से हुनमानगढ़ तथा चुरू से नोहर बरास्ता तारानगर नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) बजट 2004-05 में नई लाइनों के लिए 41 सर्वेक्षणों को शामिल किया गया है। सभी सर्वेक्षणों को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 1980 में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा, नई लाइन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नीति प्रतिपादित की गयी है। इस नीति के अनुसार नई लाइनों को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार शुरू किया जाएगा :-

(i) नये उद्योगों को सेवित करने के लिए खनिज और अन्य संसाधनों का दोहन करने में लगे प्रक्षेपित लाइन परियोजनाएं;

(ii) वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने के लिए छूटे हुए संपर्क बनाना;

(iii) सामरिक कारकों के लिए अपेक्षित लाइनें; और

(iv) नये समृद्धि केंद्रों की स्थापना या दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए लाइनें।

इसके अलावा, परियोजना की वित्तीय अर्थक्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है। मौजूदा मानदंडों के अनुसार किसी परियोजना को वित्तीय दृष्टि से तभी औचित्यपूर्ण समझा जाता है यदि डिस्काउंट कैश फ्लो विधि के तहत प्रतिफल की दर 14% से कम न हो।

(घ) से (च) जी, नहीं। बहरहाल, नौखा से सीकर, चुरू से तारानगर और हनुमानगढ़-सरदारशहर-रतनगढ़ पर नई लाइनों के लिए विगत में सर्वेक्षण किया गया था। प्रस्तावित नई लाइनों के अलाभप्रदस्वरूप संसाधनों की कमी और चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड के कारण चालू नहीं किया जा सका।

जाली रेल टिकट

3416. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :
श्री अजीत कुमार सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में जाली रेल टिकट परिचालन में हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान जोन-वार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) इन मामलों में कितने लोगों/अधिकारियों को अब तक गिरफ्तार किया गया; और

(घ) इसमें लिप्त पाए गए लोगों/अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जाली रेल टिकट पर मजदूरों के समूह में यात्रा करने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। ऐसे समूह पूर्वी क्षेत्र जैसे मालदा कटिहार, दानापुर, हावड़ा इत्यादि के मध्य, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों तक यात्रा करते पाए गए।

(ख) और (ग) जनवरी 2005 से नवम्बर 2005 तक निम्नलिखित मामले ध्यान में आए हैं।

जोन	ध्यान में आए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति/कर्मचारी
पूर्व	11	69
उत्तर	07	104
पूर्वोत्तर सीमा	07	168
दक्षिण मध्य	03	08
पश्चिम	03	04
पूर्व मध्य	06	05
उत्तर मध्य	03	35
पश्चिम मध्य	07	07

(घ) जाली टिकट से यात्रा करते पाए गए व्यक्तियों को अभियोजन के लिए राजकीय रेल पुलिस (जी.आर.पी.) को सौंप दिया गया था। पूर्व तट एवं उत्तर में संलिप्त पाए गए तीन रेलवे पदाधिकारियों पर अनुशासनिक एवं अपील नियमों के अंतर्गत रेलवे कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

एल.एन.जी. की कमी

3417. श्री जुएल ओराम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एल.एन.जी. की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार एल.एन.जी. के निर्यात को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) देश में गैस की विद्यमान एवं देश में उत्पादित घरेलू गैस और आयातित तरल प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) दोनों के मेल से पूरी होती है। जहां अनुमानित मांग लगभग 150 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है, वहीं कुल उपलब्धता लगभग 93 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है, जिसमें 18 एम.एम.एस.सी.एम.डी. पुनः गैसीकृत एल.एन.जी. भी शामिल है। एल.एन.जी. का आयात खुले सामान्य लाइसेंस ओ.जी.एल. के अधीन है और कंपनियों ने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर एल.एन.जी. आयात सुविधायें बनाई हैं/बना रही हैं।

इस समय देश में दो एल.एन.जी. टर्मिनल हैं। मैसर्स पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड (पी.एल.एल.) के दाहेज, गुजरात में अप्रैल, 2004 में 5 एम.एम.टी.पी.ए. (मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक) एल.एन.जी. टर्मिनल चालू कर दिया है। मैसर्स शेल ने हजीरा, गुजरात में अप्रैल, 2005 में एक 2.5 एम.एम.टी.पी.ए.एल.एन.जी. टर्मिनल चालू कर दिया है।

महाराष्ट्र में रत्नागिरि एल.एन.जी. टर्मिनल 2006 में चालू होने की आशा है। पी.एल.एल. ने भी कोच्चि, केरल में एक एल.एन.जी. टर्मिनल स्थापित करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी है, जिस के वर्ष 2009 की अंतिम तिमाही में चालू होने की आशा है। पी.एल.एल. दाहेज एल.एन.जी. टर्मिनल की क्षमता 5 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 10 एम.एम.टी.पी.ए. कर रही है। आई.ओ.सी. और ओ.एन.जी.सी. क्रमशः एन्नोर, तमिलनाडु और मंगलौर कर्नाटक में एल.एन.जी. टर्मिनल की योजना बना रहे हैं।

पी.एल.एल. ने कतर की रासगैस से 7.5 एम.एम.टी.पी.ए.एल.एन.जी. आयात का करार किया है। इसमें से 5 एम.एम.टी.पी.एल.एन.जी. दाहेज टर्मिनल में आयात की जा रही है और शेष 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. 2009 तक मिलने की संभावना है। गेल (इंडिया) लिमिटेड/इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.)/भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) ने 2009 की अंतिम तिमाही से ईरान से 5 एम.एम.टी.पी.ए.एल.एन.जी. आयात करने के लिए नेशनल ईरानियन गैस एक्सपोर्ट कं. लि. (एन.आई.जी.ई.सी.) के साथ एक बिक्री क्रय करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिशों का अनुपालन न करना

3418. श्री ब्रजेश पाठक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) की सिफारिशों/अनुरोधों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जैसा कि दिनांक 28 सितम्बर, 2005 को "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.सी.एस.सी. द्वारा राज्य सरकारों से की गई सिफारिशों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों/अनुरोधों का पालन करने वाले तथा पालन न करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ङ) एन.सी.एस.सी. द्वारा की गई सिफारिशों/अनुरोधों का राज्य सरकारों से कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने विगत तीन वर्षों के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। आयोग द्वारा प्रस्तुत पिछली अर्थात् सातवीं रिपोर्ट 2001-02 अवधि से संबंधित है।

(ग) और (घ) इस आयोग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को 12.2.2003 को लिखा था जिसमें उनसे अनुसूचित जाति के झूठे प्रमाणपत्र संबंधी जानकारी देने के लिए कहा गया था। इसके बाद उन्हें अनुस्मरण भी कराया गया है। आयोग को अभी तक 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ही सूचना प्राप्त हुई है। आयोग ने राज्य सरकारों के सभी पुलिस स्टेशनों/सार्वजनिक स्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करने वाले होर्डिंगों को लगाने के लिए भी लिखा है। 27 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र से अभी तक उत्तर प्राप्त हुए हैं।

(ङ) आयोग मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाए बिना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सीधे ही पत्राचार करता है।

[अनुवाद]

रूस से एल.एन.जी. का आयात

3419. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) ने पेट्रोलियम मंत्रालय को रूस में सखालिन-1 तेल क्षेत्रों से एल.एन.जी. की भारी मात्रा का आयात करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में रूस सरकार के साथ कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समझौते के अंतर्गत रूस से एल.एन.जी. की कुल कितनी मात्रा का आयात किया जाना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तपोषण

3420. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री सूरज सिंह :
श्री अजीत कुमार सिंह :
श्री जुएल ओराम :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूरे देश में लगभग 30 विमानपत्तनों के वित्तपोषण हेतु संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए चिन्हित किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके आधुनिकीकरण के लिए अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(ङ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस संबंध में कुछ प्राइवेट पार्टियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का भी निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने चरणों में अस्थायी रूप से चुने निम्नलिखित 35 नॉन-मेट्रो विमानपत्तनों के विकास के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इसके पास अगले चार से पांच वर्षों में एक या अधिक शाखाओं में बाजार से 4000-5000 करोड़ रुपए उधार लेने की योजनाएं हैं।

चरण-I -- अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, गोवा, मदुरै तथा मंगलौर।

चरण-II -- अगाती, औरंगाबाद, खजुराहो, राजकोट, वडोदरा, भोपाल, इंदौर, नागपुर, विशाखापत्तनम, त्रिची, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, पटना, पोर्टब्लेयर तथा वाराणसी।

इसके अतिरिक्त, अगरतला, देहरादून, इम्फाल, रांची, रायपुर, चंडीगढ़, जम्मू, पुणे, आगरा तथा दीमापुर का परवर्ती चरणों में विकास हेतु चयन किया गया है।

(घ) इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुमानित राशि 5000-5500 करोड़ रुपए हैं।

(ङ) और (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अल्पसंख्यकों संबंधी सर्वेक्षण

3421. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के उन योग्य लाभार्थियों की वास्तविक संख्या की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जिनके परिवार की आय निर्धारित गरीबी रेखा से भी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे सर्वेक्षण के अभाव में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) अधिसूचित अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के अपने कार्य-लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अल्पसंख्यकों के आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यकलापों पर सर्वेक्षण की कमी का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 2.95 लाख लाभार्थियों को सहायता दी है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए धनराशि का आबंटन

3422. श्री कैलाश मेघवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विकलांगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि के आबंटन में भेदभाव किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) अलग-अलग राज्यों के लिए इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि के आबंटन में ऐसे भारी अन्तर के क्या कारण है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) यह मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही अपनी योजनाओं के अंतर्गत निधि का कोई राज्यवार आबंटन नहीं करता है। विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान इन योजनाओं के अंतर्गत पात्रता मानदंड और निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भौगोलिक दृष्टि से परियोजनाओं के बेहतर आबंटन के लिए उन जिलों से नए प्रस्तावों को तरजीह दी जाती है जहां प्रत्येक विकलांगता के लिए दो परियोजनाओं से कम को सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम में संशोधन

3423. श्री एम. शिवन्ना : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अधिनियम की वर्तमान स्थिति क्या है और इस अधिनियम में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में संशोधन के सुझावों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। किसी समय सीमा का उल्लेख संभव नहीं है।

[हिन्दी]

सम्भल-गजरौल रेल लाइन का सर्वेक्षण

3424. डा. शफीकुर्रहमान बर्क : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुरादाबाद मण्डल के अंतर्गत सम्भल-गजरौला रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन पर कार्य कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, हां। सम्मल और गजरौला के बीच नई बड़ी आमान लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण अक्तूबर, 2001 में पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 43.32 कि.मी. लंबी इस लाइन के निर्माण की लागत 105.06 करोड़ रु. और प्रतिफल की दर (-) 18.41% आंकी गई है। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवर्ड, संसाधनों की अत्यधिक कमी और लाइन की अलाभप्रद प्रकृति के कारण इस कार्य को व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

[अनुवाद]

सेना के पास उपलब्ध हथियार

3425. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के पास जिस तरह के हथियार उपलब्ध हैं वे वर्तमान बल संरचना और बल स्तरों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो सेना के आधुनिकीकरण के लिए और हथियार प्रणाली के उन्नयन के लिए और उन्हें हथियारों की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) पैदल सैनिकों को उत्कृष्ट हल्के भार वाले हथियार और उपकरणों से लैस करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इन्फैंट्री सहित सेना के उपस्करों के आधुनिकीकरण की योजना, (i) चुनिंदा अत्याधुनिक उपस्करों की अधिप्राप्ति, (ii) अपेक्षित उपस्करों का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, आयुध निर्माण बोर्ड अथवा भारतीय उद्योगों द्वारा देश में ही विकास, तथा (iii) मौजूदा उपस्कारों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन, के माध्यम से बनाई जाती है।

(ग) इन्फैंट्री के लिए आधुनिकीकृत शस्त्रों और उपस्कारों की आवश्यकता, संशोधित युद्ध संस्थापना के अनुरूप बनाई गई 15 वर्षीय दीर्घकालीन संदर्शी योजना, पंचवर्षीय सेवा पूंजीगत अर्जन योजना तथा वार्षिक अर्जन योजना के माध्यम से पूरी की गई है।

सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान

3426. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से गांधीनगर में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान की एक इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अति व्यस्त घंटों के दौरान उड़ानें

3427. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नयी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमति अति व्यस्त घंटों में नहीं दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यात्रियों को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से नयी उड़ानों के समय की समीक्षा करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोहरे जैसी स्थितियों के दौरान यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए उड़ान समयों की समीक्षा के लिए जब कभी एयरलाइनें अनुरोध करती हैं, तो उन अनुरोधों पर समुचित कार्रवाई हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल लाइनों का बिछाया जाना

3428. श्री गणेश सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीना से कटनी और रीवा से सतना तक दूसरी और तीसरी रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोगीबील पुल

3429. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और माजुली-द्वीप के अन्य जन प्रतिनिधियों से असम में बोगीबील पुल के डिजाइन में परिवर्तन करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) प्रत्येक प्राप्त मांग का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। बहरहाल, बोगीबील पुल का अभिकल्प का पहले ही अध्ययन कर लिया गया है और अंतिम रूप दिया जा चुका है। किए गए अध्ययन के अनुसार, पुल निर्माण का मजुली द्वीप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

मोकामा में रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थान में अनियमितताएं

3430. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोकामा स्थिति रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थान में कुछ अनियमितताएं बरती जा रही थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस मामलें की जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह पता चलने पर कि रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थान, मोकामा में कुछ वित्तीय अनियमिताएं हैं, बल के तीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक प्राथमिक जांच आयोजित की गई। समिति को संस्थान के प्रधानाचार्य की मिलीभगत से अनियमितताओं के प्रथम दृष्ट्या सबूत मिले।

(ङ) उसके बाद से प्रधानाचार्य को संस्थान से बाहर स्थानांतरित किया गया है और रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(च) सभी मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को सलाह दी गई है कि वे उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखें ताकि भविष्य में किसी भी केंद्र में ऐसी कोई अनापेक्षित स्थिति उत्पन्न न हो।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं

3431. श्री हितेन बर्मन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या लक्षद्वीप में यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हेलीकॉप्टर 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पुराने हेलीकॉप्टरों को बदलने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड द्वारा मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा की सरकार को दीर्घावधिक पट्टे पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों की सीमाओं के अंतर्गत उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नियमित यात्री सेवाएं चलाई जा रही हैं।

(ख) और (ग) लक्षद्वीप प्रशासन को डॉफिन एन हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया है जहां तक प्रचालक द्वारा सिफारिश किए गए अनुरक्षण शेड्यूलों एवं क्रियाविधियों का अनुसरण किया जाता है। विनिर्माता के विनिर्देशनों के अनुसार, डॉफिन किस्म के हेलीकॉप्टरों के कैलेंडर कार्य अवधि की कोई समय-सीमा नहीं है। सामान्य आर्थिक कार्य अवधि के रूप में, डॉफिन को 35 वर्षों अथवा 1,00,000 उड़ान

घंटों तक प्रचालित किया जा सकता है और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड वर्ष तथा उड़ान समय दोनों शर्तों को पूरा करता है।

[हिन्दी]

तत्काल आरक्षण योजना के अंतर्गत टिकटों की अनुपलब्धता

3433. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तत्काल आरक्षण योजना के अंतर्गत आरक्षण टिकटें पाने की इच्छा रखने वाले यात्री कुछ मेल एक्सप्रेस/सुपरफास्ट ट्रेन विशेषकर कोटा जंक्शन जाने वाली रेलगाड़ियों में बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को तत्काल आरक्षण योजना के अंतर्गत टिकटों की अनुउपलब्धता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तत्काल आरक्षण योजना के अंतर्गत टिकटें उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या नीति है;

(च) तत्काल आरक्षण योजना की कब से समीक्षा नहीं की गई है; और

(छ) तत्काल आरक्षण योजना के अंतर्गत यात्रियों को टिकटें उपलब्ध कराने और तत्काल आरक्षण योजना की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (छ) पूर्व की तत्काल प्रणाली की समीक्षा की गई थी और एक संशोधित तत्काल प्रणाली अगस्त 2004 में जारी की गई जिसमें पूर्व की प्रणाली की कई कमियों को दूर किया गया था जैसे :-

(i) कुछ गाड़ियों की बजाय, संशोधित तत्काल प्रणाली में लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को शामिल किया गया है।

(ii) संशोधित प्रणाली में पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(iii) वर्तमान में तत्काल बुकिंग को एक दिन की बजाय तीन दिन पूर्व कराया जा सकता है।

(iv) तत्काल प्रणाली के संबंध में पहचान पत्र आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। बहरहाल, केन्द्रीयकृत रूप से इस प्रकार की शिकायतों के अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

मानक विनिर्देशनों में सुधार

3434. श्री नवीन जिन्दल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य अभियंता सेवा (एम.इ.एस.) ने भवन निर्माण उत्पादों से संबंधित मानक विनिर्देशनों में कोई सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.इ.एस. अपने अनुसंधान/सुधारों का अन्य सरकारी विभागों के साथ आदान-प्रदान करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सैन्य अभियंता सेवा (एम.इ.एस.) निर्माण उद्योग में समाविष्ट किए जाने वाले नए-नए इंजीनियरी उत्पादों का मूल्यांकन करके भवन-निर्माण उत्पादों की मानक विनिर्दिष्टियों में सुधार करने का प्रयास करती है। रक्षा निर्माण कार्यों में समाविष्ट किए जाने के लिए अनुमोदित नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा प्रक्रियाओं से युक्त कुछ सामग्री/उत्पाद इस प्रकार हैं :-

(i) पानी गर्म करने की प्रणाली में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, स्वतंत्र सौर ऊर्जा चालित सड़क प्रकाश प्रणाली, स्वतंत्र और ऊर्जा चालित सुरक्षा-कियोस्क।

(ii) तड़ित-सुरक्षा, सर्ज-सुरक्षा तथा अर्थिंग प्रणाली।

(iii) ऊर्जा की कम खपत करने वाले प्रकाश-उत्पाद।

(iv) जल रहित मूत्रालय प्रणाली।

(v) नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके घरेलू उपयोग के लिए वातावरण से जल प्राप्त करना।

(vi) ऊर्जा की बचत के लिए पावर फैक्टर में सुधार हेतु संघारित्र तथा उपसाधन।

सुधार की गई विनिर्दिष्टियों तथा नई शामिल की गई सामग्रियों से संबंधित जानकारी का, सैन्य अभियंता सेवा तथा अन्य इंजीनियरी संगठनों जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के माध्यम से अन्य इंजीनियरी विभागों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है।

कर्नाटक में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

3435. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां इस समय कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक में दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर और अधिक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र स्थापित करने का हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्तमान में, दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में 4 रेलवे स्टेशनों अर्थात् यादगिर, बीदर, रायचुर और सेरम में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ए.टी.सी. हेतु राडार की स्थापना

3436. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने राडार स्थापित करना शुरू किया है जो कि कोहरे के दौरान विमान यातायात नियंत्रण (ए.टी.सी.) के तहत तकनीकी क्षेत्र में सभी गतिशील वाहनों की स्थिति बताएगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस प्रणाली की लागत कितनी है;

(घ) उक्त प्रणाली के शुरू होने के बाद विमानों के उतरने और उड़ान भरने में कितनी दूरी तक साफ दिखाई दे सकेगा;

(ङ) क्या देश में सभी एयरलाईंसों के पायलटों को उक्त उतरने/उड़ान भरने की प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा चुका है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में ए.ए.आई. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली हवाईअड्डे पर वाहनों की भूतल गतिविधियों की मॉनिटरिंग हेतु उन्नत भूतल गतिविधि दिशानिर्देश तथा नियंत्रण प्रणाली (ए.एस.एम.जी.सी.एस.) के राडार बनाने वाले पार्ट का संस्थापन कार्य प्रगति पर है।

(ग) 11.89 करोड़ रुपए।

(घ) कैट-IIIबी आई.एल.एस. का उपयोग करने वाली उड़ानों की उतरने/उड़ान भरने की दृश्य क्षमता 200 मीटर से 50 मीटर के बीच है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा कैट-II/III प्रचालनों के प्रशिक्षण हेतु घरेलू एयरलाईंसों को प्रचालित करने वाले पायलटों के लिए शैक्षणिक योग्यता/अनुभव और प्रशिक्षण निर्धारित किए गए हैं। केवल डी.जी.सी.ए. द्वारा अनुमोदित पायलट ही आई.एल.एस. प्रणाली का कोहरे के दौरान उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं। विभिन्न एयरलाइंसों को समय-समय पर उनके पायलटों को कैट-II/III आई.एल.एस. के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण के लिए समन्वित किया जाता है। वर्तमान में, एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस ने अपने पायलटों को कैट-II, कैट-IIIए तथा कैट-IIIबी स्थितियों में आई.एल.एस. प्रचालन हेतु प्रशिक्षित किया है।

विमानपत्तनों का इष्टतम उपयोग

3437. श्री अधलराव पाटील शिवाजी राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों हेतु किसी इष्टतम उपयोग कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उच्च प्राथमिकता दी जानी; और

(ग) विमानपत्तनों विशेषकर मुम्बई विमानपत्तन को इस प्रकार पट्टे पर देने के पट्टे संबंधी शर्तें, परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट और इससे प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर अवसंरचना सुविधाओं का इष्टतम उपयोग एक सतत प्रक्रिया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता तथा अन्य गैर महानगरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से रनवे, एप्रन तथा टर्मिनल क्षमता में बढ़ोतरी हेतु अवसंरचना सुविधाओं में सुधार किया गया है। 35 गैर महानगरीय हवाईअड्डों को भी अस्थायी रूप से अवसंरचना सुविधाओं में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी हेतु चिन्हित किया गया है।

(ग) पूर्व-योग्य बोलीदाताओं को जारी सौदा-कागजातों में पट्टे संबंधी शर्तों का ब्यौरा स्पष्ट किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ करार करने वाली पार्टियों के अधिकार तथा बाध्यताएं सम्मिलित हैं।

इन कागजातों के अनुसार, छूट अवधि की समाप्ति के उपरांत हवाईअड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लौटा दिया जाएगा। दिल्ली और मुम्बई के अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से पुनर्गठित और आधुनिकीकरण किए जा रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुम्बई और दिल्ली तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के संयुक्त उद्यम में 26% की समान भागिता होगी। शेष 74% निजी साझेदार द्वारा रखा जाएगा। इस सौदे में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) 49% पर बाधित है। पाट्टेदारी द्वारा इन हवाईअड्डों के विकास में बहुत से छोटे/मध्यम/बड़े मूर्त और अमूर्त फायदे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षमता में बढ़ोतरी, निष्पादन सुधार, राजस्व तथा पूंजी लाभ आदि हैं। प्राथमिक आधार पर यह भी अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के लिए क्रमशः 7961 करोड़ रु. तथा 6131 करोड़ रु. के पूंजी निवेश का विस्तार 20 वर्षों की अवधि में 05 वर्षों के 04 स्तरों पर आवश्यक होगा।

[हिन्दी]

गोरखपुर-लखनऊ रेल खंड का दोहरीकरण

3438. योगी आदित्यनाथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर-लखनऊ रेलवे खंड पर दोहरीकरण कार्य आरंभ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति की क्या स्थिति है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) गोरखपुर-लखनऊ खंड के शेष खंडों पर दोहरीकरण का कार्य चरणों में शुरू हो गया है। गोरखपुर से डोमिनगढ़, गोण्डा से बुढ़वल और बाराबंकी से लखनऊ में पहले से ही दोहरी लाइन मौजूद है। डोमिनगढ़-मुन्डेरवा और गोण्डा-बमनान दोहरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। शेष खंडों में दोहरीकरण के कार्य पर यातायात की आवश्यकतानुसार विचार किया जाएगा।

(ग) इस संपूर्ण मार्ग पर दोहरीकरण को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं गई है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का लाभ/घाटा

3439. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के लाभ/घाटे की क्या स्थिति है और यह पिछले वर्ष के संबंधित आंकड़ों की तुलना में कितना है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष और अगले दो वर्षों के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा कितनी वृद्धि की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के लिए एअर इंडिया द्वारा अभी तक अनंतिम परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अप्रैल से सितम्बर, 2004 के दौरान 66.40 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा 15.45 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ को दर्शाया गया है।

(ख) 2005-06 के बजट अनुमानों के अनुसार, एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को क्रमशः 61.60 करोड़ रुपए तथा 11.50 करोड़ रुपए का अनुमानित शुद्ध लाभ है। वास्तविक पैरामीटरों तथा दोनों एयरलाइनों द्वारा नए विमान अर्जित किए जाने की प्रक्रिया में आने वाली लागतों के आधार पर दर्शाए गए आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है।

दोनों एयरलाइनों द्वारा अगले दो वर्षों के लिए विकास योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

एल.एन.जी. पोत परिवहन नीति में बदलाव

3440. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल.एन.जी. क्रेता को वाहन का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) पोत परिवहन नीति में बदलाव करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) महानिदेशक (नौवहन) ने दिनांक 5 जुलाई, 2004 को दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ यह निर्धारित किया गया था कि किसी चार्टरित एल.एन.जी. पोत के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा जब तक कि--

(i) उक्त एल.एन.जी. पोत एक भारतीय ध्वज पोत हो; और

(ii) "भारतीय साझेदार" एल.एन.जी. पोत का पूर्ण स्वामी हो अथवा उस एल.एन.जी. पोत की स्वामित्व कंपनी में 26% से अनधिक स्वामित्व की स्वामी हो।

एल.एन.जी. के परिवहन में लचीलापन लाने के लिए सरकार ने इस मामले पर विचार किया और यह निर्णय लिया गया है कि उक्त दिशानिर्देश को अभी लागू न किया जाये। यह निर्णय लिया गया है

कि ऐसी कोई रोक न लगाई जाये कि एल.एन.जी. का आयात केवल एफ.ओ.बी. पोत पर ही किया जाये एक अन्तर्मंत्रालयीन समिति जरूरत के आधार पर स्थिति की समीक्षा करेगी। यह समिति बाजार की बदलती हुई स्थिति पर नजर रखेगी और जब भी आवश्यक होगा, नीति में समुचित परिवर्तन का सुझाव देगी।

पेट्रोकजाख में हिस्सेदारी का अधिग्रहण

3441. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कजाखस्तान में पेट्रोकजाख में हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु, ओ.एन.जी.सी. - मित्तल कंपनी की संयुक्त बोली की अनदेखी की गई थी; और चीनी के बोलीकर्ताओं सी.एन.पी.सी. के पक्ष में प्रक्रिया का छल प्रयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोकजाख में हिस्सा पाने के लिए कजाखस्तान में अपने समकक्ष के सामने इस मामले को उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) पेट्रोकजाखस्तान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी बोलीदाता को पण के लिए उनके द्वारा प्राप्त उच्चतम बोली से अधिक मूल्य का प्रस्ताव करने का अधिकार था। इस प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए चायना नेशनल पेट्रोलियम कारपोरेशन (सी.एन.पी.सी.) ने विक्रेता को एक अव्वल प्रस्ताव किया। ओ.एन.जी.सी.-मित्तल (ओ.एम.ई.एल.) द्वारा प्रति प्रस्ताव किए जा सकने से पहले यह घोषणा की गई कि सी.एन.पी.सी. ने बोली जीत ली है।

इस मामले पर अल्माटी, कजाखस्तान के सरकारी दौरे के दौरान भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की 4 अक्तूबर, 2005 को कजाखस्तान के प्रतिपक्षी के साथ बैठक में चर्चा हुई। यह निष्कर्ष निकला कि उसी प्रावधान के तहत ओ.एन.जी.सी. - मित्तल संयुक्त उद्यम को और अव्वल बोली देने का अधिकार था। परन्तु ओ.वी.एल. को इस मामले में अपना स्वयं का वाणिज्यिक अथवा कानूनी निर्णय लेना था। बाद में ओ.वी.एल. ने सौदे के विभिन्न प्रौद्योगिकीय-आर्थिक और वाणिज्यिक पहलुओं पर विचार करने के बाद मामले को आगे न चलाने का निर्णय लिया।

अमरीका द्वारा पी-3सी ओरियन रिकनेसां एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव

3442. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारतीय नौसेना के लिए दो पी-3 सी ओरियन रिकनेसां एयरक्राफ्ट का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) इनकी खरीद पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय नौसेना ऐसे विमानों को अन्य देशों से खरीदने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) संयुक्त राज्य अमरीका ने बताया है कि दो पी-3सी ओरियन विमान पट्टे पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तथापि, इस संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पट्टे की संभावित लागत और अन्य शर्तें प्राप्त नहीं हुई हैं। मौजूदा टी.यू. 142 एम. विमान को प्रतिस्थापित करने के लिए लंबी दूरी के समुद्री टोही पनडुब्बीरोधी युद्धपद्धति विमान अधिप्राप्त किए जाने हेतु एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च

3443. श्री धुनषकोडी आ. अतिथन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों पर कंपनीवार कितना खर्च किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : प्रमुख तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यूज.) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अपने-अपने उत्पादों के विज्ञापनों पर किया गया व्यय निम्नानुसार है, जैसा कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सूचित किया गया है-

(रुपये करोड़ में)

तेल पी.एस.यूज. का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
गेल (इंडिया) लिमिटेड	शून्य	4.51	4.82

1	2	3	4
इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	20.83	42.88	73.19
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	22.95	40.74	35.26
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	50.72	54.03	36.26
आई.बी.पी. कं. लि.	4.38	4.49	1.64

राधिकापुर से रायगंज तक रेलवे लाइन

3444. श्री सुकदेव पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनराशि की कमी के कारण राधिकापुर से रायगंज तक बड़ी लाइन पर कार्य को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। राधिकापुर से रायगंज खण्ड पर आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नंदी रेल उपरिपुल का निर्माण

3445. श्रीमती पी. सतीदेवी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोझिकोडु जिला, केरल में कोईलांडी और बडगरा के बीच नंदी रेल उपरिपुल का निर्माण कार्य काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) एट्टाकोट और कैन्नानौर स्टेशन के बीच 695/700-800 कि.मी. पर समपार सं. 206 के, स्थान पर नदी ऊपरी सड़क पुल के कार्य को वर्ष 1999-2000 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान लागत में भागीदारी के आधार पर मंजूर किया गया था। सामान्य व्यवस्था आरेखण पर सहमति हो गई है और अनुमान को मंजूरी दे दी गई है। कार्य प्रगति पर है। पहुंच मार्गों सहित समूचा कार्य केरल सरकार द्वारा केरल के सड़क और पुल विकास निगम जो केरल सरकार का उपक्रम है, के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। प्रगति लगभग 50% है। संविदागत समस्या के कारण विलंब हुआ है। सड़क और पुल विकास निगम केरल ने नई एजेंसी को कार्य सौंपा है और कार्य प्रगति पर है और 2006-07 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

निम्न जातियों पर अत्याचार

3446. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री रूपचंद मुर्मू :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा निम्न जातियों पर अत्याचार के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) ऐसे अत्याचारों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को जाति का संकेत करने वाले हिन्दु उपनामों को समाप्त करने हेतु आयोग से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) वर्ष 2004 के दौरान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कुल 1131 शिकायत के मामले प्राप्त हुए।

(ख) ऐसे अत्याचार के मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार का कार्य है, क्योंकि कानून और व्यवस्था, राज्य का विषय है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्रिटिश रक्षा सचिव की यात्रा

3447. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश रक्षा सचिव ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो यात्रा के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या ब्रिटिश सेना के साथ संयुक्त अभ्यास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इंग्लैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार डिफेंस 4-6 अक्तूबर, 2005 को भारत की यात्रा पर आए थे।

(ख) उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सेना से सेना को सहयोग सहित कई मामलों और आपसी हित के मामलों, जिनमें आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई और आपदा प्रबंधन, उच्च-प्रौद्योगिकी युद्ध के क्षेत्र में आदान-प्रदान तथा सहयोग शामिल थे।

(ग) जी, हां।

(घ) मई, 2006 में रायल नौसेना के साथ वेस्टर्न सीबोर्ड में कोंकण अभ्यास-2006 किए जाने का कार्यक्रम है।

स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों का नामांकन

3448. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) के बीच मुख्य संपर्क का कार्य करती हैं;

(ख) यदि हां, तो स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य के लिए अपने संबंधित राज्य में एस.सी.ए. का नामांकन करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अभी भी एस.सी.ए. का नामांकन नहीं किया है;

(ङ) क्या सरकार ने संबंधित राज्यों में एस.सी.ए. के नामांकन अथवा अपने राज्य में अल्पसंख्यक विकास निगम की स्थापना करने का मामला उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इन एस.सी.ए. को उपलब्ध कराई धनराशि को एक निश्चित समय-सीमा में खर्च करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) व्यवहार्य परियोजनाओं/कार्यकलापों की पहचान, लाभार्थियों का चयन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से निधि प्राप्त करना और लाभार्थियों को संवितरण तथा वसूली राज्य माध्यम एजेंसियों के मुख्य कार्य हैं।

(ग) जी, नहीं। सभी राज्य सरकारों से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी नामित करने के लिए अनुरोध किया गया है, ताकि राज्य में अल्पसंख्यकों को कार्यक्रम का लाभ मिल सके।

(घ) अरुणाचल प्रदेश और गोवा ने अब तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी नामित नहीं किया है।

(ङ) और (च) गोवा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजना कार्यान्वित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अल्पसंख्यक साक्षर हैं तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित हैं। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी नामित करने का मामला अरुणाचल प्रदेश सरकार के समक्ष पहले ही उठाया गया है।

(छ) ऋण देने की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत कर दी गई है तथा निधि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को व्यक्ति विशेष लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।

[हिन्दी]

विदेशों में तेल ब्लाकों की खरीद

3449. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अन्य देशों में तेल ब्लाकों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा खरीदे गए तेल ब्लाकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को देखते हुए इन कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा भेजे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इससे देश के पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर असर पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो देश को पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन मे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक

क्षेत्र की तेल कंपनियों नामतः ओ.एन.जी.सी. विदेश (ओ.वी.एल.), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) और गेल (इंडिया) लिमिटेड ने सूडान, आस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट, कतर, मिस्र, लीबिया, सीरिया, क्यूबा, नाइजीरिया, वियतनाम और म्यांमार में विभिन्न अन्वेषण और उत्पादन (ई. एण्ड पी.) संपत्तियों में भागीदारी हित अर्जित किया। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विदेशी ई. एण्ड पी. परियोजनाओं का इक्विटी स्वामित्व प्राप्त करने से ये कंपनियां वाणिज्यिक व्यवहारिता के आधार पर कच्चा तेल भारत में लाने की स्थिति में होंगी। जबकि सामान्य परिस्थितियों में कच्चे तेल की बिक्री वाणिज्यिक आधारों पर की जा सकती है वहां राष्ट्रीय जरूरतों के समय में इसे भारत में लाया जा सकता है। इसलिए विदेशी इक्विटी तेल की उपलब्धता देश के लिए आवश्यक आपूर्ति आश्वासन कारगरता से उपलब्ध कराती है।

सूडान में ग्रेटर नील तेल परियोजना (जी.एन.ओ.पी.), रूस में स्खालिन-1 परियोजना और वियतनाम परियोजना जिसमें ओ.वी.एल. का भागीदारी हित है, को छोड़कर, अन्य विदेशी आस्तियां अन्वेषण के विभिन्न चरणों पर हैं। इसलिए इन परियोजनाओं से उपलब्ध तेल और गैस की मात्रा अन्वेषणात्मक प्रयासों के परिणाम पर निर्भर करेगी।

हाल में ओ.वी.एल. सूडान में जी.एन.ओ.पी. से कच्चे तेल का उत्पादन कर रही है। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) ओ.वी.एल. क्रमशः 0.81, 0.33 और 0.08 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) कच्चा तेल अपने उत्पादन हिस्से में से भारत में लाई है।

ओ.वी.एल. की वियतनाम परियोजना से उत्पादित गैस की बिक्री उस देश में घरेलू विद्युत संयंत्रों को की जा रही है। स्खालिन-1 परियोजना से सीमित पैमाने पर उत्पादित की जा रही गैस की बिक्री भी घरेलू तौर पर की जा रही है। अन्वेषण के विभिन्न चरणें पर रही अन्य परियोजनाओं से उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) रिफाइनरी थ्रूपुट के रूप में कच्चे तेल की लगभग तीन चौथाई राष्ट्रीय मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन का संबंध है, देश हाल के समय में विशुद्ध निर्यातक बन गया है। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होने से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है। घरेलू तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्वेषण क्रियाकलापों में ठोस रूप से तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी. के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना। एन.ई.एल.पी. के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिये राष्ट्रीय तेल कंपनियां, विदेशी कंपनियों और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों को 108 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं इनमें एन.ई.एल.पी. के पांचवें दौर में हाल ही में प्रदान किए गए 18 अन्वेषण ब्लाक शामिल हैं;

(2) मौजूदा प्रमुख क्षेत्रों से वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर)/ उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा निकासी घटक में सुधार लाना। विशेषकर आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने 10972 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से इस परियोजना के लिए 15 क्षेत्र हाथ में लिए हैं जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन के त्वरण में भी सहायता मिलेगी;

(3) विशेषकर गहरे पानी वाले क्षेत्रों और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों तथा पहले से उत्पादनशील क्षेत्रों की गहनत्तर सतहों में भी नए क्षेत्रों का अन्वेषण करना;

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और उत्पादनशीलता क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग, वर्क ओवर और उद्दीपन प्रचालनों, कूपों के वेधन में गति लाना; और

(5) विदेश में इक्विटी तेल व गैस का अर्जन करना।

देश की परिशोधन क्षमता जो 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार 127 एम.एम.टी. थी, मौजूदा रिफाइनरियों की क्षमता में विस्तार और कुछ नई रिफाइनरियों की स्थापना के परिणामस्वरूप अगले वर्ष तक बढ़कर 138 एम.एम.टी. होने का अनुमान है।

विवरण

राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी ई. एंड पी. संपत्तियों में अर्जित भागीदारी हित/लाभ

परियोजना और देश का नाम	भागीदारों के विवरण के साथ भागीदारी हित		
1	2		
ग्रेटर नील तेल परियोजना सूडान	ओवीएल	-	25%
	सीएनपीसी	-	40%
	पेट्रोनास	-	30%
	सडापोट	-	5%
	(संयुक्त प्रचालन)		
ब्लॉक एनसी-188 और एनसी-199, लीबिया	ओवीएल	-	49%
	टीपीओसी (प्रचालक)	-	51%

1	2		
ब्लॉक # 24, सीरिया	ओवीएल	-	49%
	आईपीआर इंटरनेशनल (प्रचालक)	-	40%
ब्लॉक 5ए, सूडान	ओवीएल	-	24.125%
	पेट्रोनास (प्रचालक)	-	68.875%
	सडापेट	-	7%
ब्लॉक 5बी, सूडान	ओवीएल	-	23.5%
	पेट्रोनास (प्रचालक)	-	41%
	सडापेट	-	11%
	लंडिन	-	24.5%
ब्लॉक सी1-112, आईवरी कोस्ट	ओवीएल	-	23.5%
	ऑयल इंडिया लिमिटेड	-	11.5%
	वान्को	-	30% संयुक्त प्रचालन सहित
	साइनोपेक	-	30%
	पेट्रोसी	-	5%
नाजवात नेज़म तेल संरचना, अपतट, कतर	ओवीएल (प्रचालक)	-	100%
ब्लॉक 6-उतरी रामादान मिस्र	ओवीएल	-	70%
	आईपीआर	-	30%
	(ओवीएल और आईपीआर ब्लॉक को संयुक्त रूप से विकसित करेंगे अन्वेषण चरण के दौरान अग्रणी के रूप में आईपीआर नेतृत्व करेगा)		
ब्लॉक 25, 26, 27, 28, 29 और 36 (ब्लॉक 35 के भाग सहित), क्यूबा	ओवीएल	-	30%
	रेपसोल - वाईपीएफ (प्रचालक)	-	40%
	नोर्स्क - हाइड्रो	-	30%
ब्लॉक 34 और 35, क्यूबा	ओवीएल	-	100%
ब्लॉक 81-1, लीबिया	ओवीएल	-	100%
ब्लॉक 2, नाइजीरिया साओ टोम प्रिंसाईप जेडीए	ओवीएल	-	9%
	ईईएल	-	6%
	पॉयनियर एनर्जी	-	33% (प्रचालक)
	ईएचआरसी एनर्जी इंक	-	32%
	ए एंड हैटमैन	-	10%
	फोबी इंजीनियरिंग	-	5%
	मोमो पेट्रोलियम लि.	-	5%
ब्लॉक 127, विएतनाम	ओवीएल	-	100%
ब्लॉक 128, विएतनाम	ओवीएल	-	100%
ब्लॉक ए3, म्यांमार	ओवीएल	-	20%
	दैवू	-	60% (प्रचालक)
	कोगास	-	10%
	गेल	-	10%
ब्लॉक 86, लीबिया	ओआईएल	-	50% (प्रचालक)
	आईओसी	-	50%
ब्लॉक 102(4), लीबिया	ओओईएल	-	50% (प्रचालक)
	आईओसी	-	50%

[अनुवाद]

रेलवे की उत्पादन इकाइयों का कार्य निष्पादन

3450. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की उत्पादन इकाइयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उत्पादन इकाइयों के कार्य-निष्पादन में और सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उत्पादन इकाइयों का कार्यनिष्पादन की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य इकाइयों को संसूचित किए जाते हैं और रेलवे बोर्ड द्वारा माहवार निगरानी की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए उत्पादन इकाइयों का उत्पादन-निष्पादन निम्नानुसार है :-

	2002-03		2003-04		2004-05	
	लक्षित	वास्तविक	लक्षित	वास्तविक	लक्षित	वास्तविक
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	69	69	86	86	90	90
डीजल रेल इंजन कारखाना	100	116(100+16) एनआरसी)	109	116(109+4) एनआरसी) +3 निर्यात)	120	121(117+4 एनआरसी)
सवारी डिब्बा कारखाना	900	944	1135	1070	1100	1119
रेल कोच फैक्ट्री	941	944	1201	1201	1250	1201
रेल पहिया फैक्ट्री	100716	101554	109600	110407	95081	95125
(1) पहिया	40754	43322	49925	50513	46010	49502
(2) एक्सेल						
डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना	70	73	70	73	72	74
इंजन पुनःनिर्माण						

एन.सी.आर. = गैर रेलवे ग्राहक

(ग) चूंकि सवारी डिब्बों की मांग की तुलना में उनके उत्पादन में कुछ कमी है इसलिए रेल कोच फैक्ट्री की क्षमता को 1000 से 1400 सवारी डिब्बा प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए और सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई के लिए 1000 से 1250 डिब्बा प्रति वर्ष तक बढ़ाने के लिए कार्य को मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय जन संचार संस्थान

3451. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांधीनगर, गुजरात में भारतीय जन संचार संस्थान के केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपरिपुल का निर्माण

3452. श्री गणेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद-जबलपुर रेल मार्ग के माइहार रेलवे स्टेशन के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 पर उपरिपुल के निर्माण हेतु मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने निर्माण कार्य हेतु अपना हिस्सा दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उपरिपुल का निर्माण शीघ्र कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) माइहार में ऊपरी सड़क पुल बनाने का कार्य निक्षेप शर्तों पर अनुमोदित किया गया था और राज्य सरकार को कार्य शुरू करने के लिए लागत जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं कराई गई, इसलिए कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर वाहन चोरी

3453. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल के पेड-पार्किंग स्थल से लगातार वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (आई.जी.आई.ए.) के कार्गो टर्मिनल के पार्किंग स्थल से दुपहिया चोरी के चार मामले हुए हैं। घटित हुई चोरी की घटनाओं की संख्या, वर्ष 2003 में शून्य, 2004 में एक तथा 2005 में तीन थी।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल के पार्किंग स्थल से वाहनों की चोरी के मामलों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) प्रवेश तथा निकास बिन्दुओं पर जांच कार्य और अधिक गहराई से आरंभ कर दिया है।

(ii) अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को समाप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए पास जारी करके प्रवेश प्रतिबंधित/सीमित कर दिए गए हैं।

(iii) विभिन्न प्रकार के वाहनों की पहचान के लिए विभिन्न रंगों के टोकन शुरू किए गए हैं।

(iv) ठेकेदार को, पुलिस द्वारा सत्यापित स्टाफ नियुक्त करने तथा अपने स्टाफ को सतर्क रखने के लिए, कहा गया है।

(v) अवरोधक तथा चैक प्वाइंट्स बढ़ा दिए गए हैं।

(vi) पार्किंग क्षेत्रों की पेट्रोलिंग के लिए सुरक्षा कार्मिक तथा सतर्कता स्टाफ को तैनात किया गया है।

(vii) ठेकेदार को, ठेके की शर्तों के अनुसार, घाटों की भरपाई करने का परामर्श दिया गया है।

स्क्रैप का उपयोग

3454. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने स्क्रैप को अन्य पार्टियों को बेचने के बजाय इसके पुनचक्रण के जरिए रेलवे के द्वारा ही उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। रेलों ने पता लगाया है कि सृजित स्क्रैप के आंशिक भाग को रिसाइकिल किया जा सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवासीय परिसर का निर्माण

3455. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली में खनन पर प्रतिबंध हेतु कई निर्देश जारी करने के बावजूद भी डी.आर.डी.ओ. ने नौसेना बाग, दिल्ली में अपने आवासीय परिसर हेतु अरावली क्षेत्र को समतल किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त आवासीय परिसर की अनुमानित निर्माण लागत कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। भूमि का स्वामित्व रक्षा सम्पदा महानिदेशक के पास है। यह परियोजना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा रक्षा सम्पदा महानिदेशक के रिहायशी आवास के लिए प्रारम्भ की गई है न कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए। तदनुसार, बुनियाद निर्माण संबंधी कार्य अर्थात् भूमि का टेरिसिस में सामान्य समतलीकरण का कार्य शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा खनन संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया है तथा, इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(घ) प्रस्तावित आवासीय परिसर की प्राक्कलित लागत 601.22 लाख रुपए है।

उड़ान वर्जित क्षेत्र में उड़ान संबंधी घटनाएं

3456. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ान वर्जित क्षेत्र में उड़ान संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान ध्यान में आई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

3457. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सिज़ को अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित पात्र लाभार्थियों को मात्र 50,000 रुपए तक के ऋण को स्वीकार करने की शक्ति है और 50,000 रुपये से अधिक राशि के ऋण को स्वीकार करने से संबंधित आवेदनों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के पास भेज दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऋण आवेदनों को स्वीकृत करने की इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों को ऋणों की शीघ्र स्वीकृति हेतु देश के सभी चारों क्षेत्रों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्षेत्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को 50,000 रुपए तक की लागत वाली यूनिटों के लिए ऋण अनुमोदित एवं स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।

50,000 रुपए से अधिक तथा 5 लाख रुपए तक की लागत वाली यूनिटों के मामले में, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां एक बारगी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को भेजती हैं। ऐसा एक अनुमोदन एक विशेष यूनिट के लिए दिया जाता है और वह उस तरह की यूनिट के लिए भविष्य में लागू होता है। व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों की स्वीकृति, संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग लाभार्थियों द्वारा की जाती है और उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को नहीं भेजा जाता है।

(ख) सामान्यता इसमें अधिक समय नहीं लगता है क्योंकि प्रस्तावों पर शीघ्र विचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) पूर्वोक्त के मद्देनजर, ऋण स्वीकृत के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बरीपाडा-रुपसा के बीच रेल सेवा

3458. श्री जुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में बरीपाडा में रुपसा के बीच बड़ी रेल लाइन पर नियमित रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियमित रेल सेवा को कब तक शुरू किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) 2005-2006 के रेल बजट में रुपसा-बांगरीपोसी खण्ड पर रेल सेवाओं को शुरू करने की उद्घोषणा की गई है। रुपसा और बारीपाडा के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान गाड़ी शुरू की जाएगी।

यमुनापार-क्षेत्र में सर्कुलर ट्रेन सर्विस

3459. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के सर्कुलर ट्रेन सर्विस चलाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसे शुरू करने की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों के आस-पास अनधिकृत निर्माण

3460. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को देश के सभी प्रमुख विमानपत्तनों के आसपास झुग्गी बस्तियों सहित अनधिकृत निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) एयरपोर्ट के आस-पास के इलाकों के अवैध निर्माण से विमानन सुरक्षा को खतरा होता है। अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) नियमित रूप से अतिक्रमणों को हटाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय करती है। अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में अलग-अलग राज्यों के स्थानीय कानून भिन्न-भिन्न हैं। सामान्यतः राज्य सरकारें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अतिक्रमण को हटाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए उत्तरदायी है।

हुबली और बेलगाम विमानपत्तनों का उन्नयन

3461. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में हुबली और बेलगाम विमानपत्तनों का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इन विमानपत्तनों पर बढ़ते यातायात के मद्देनजर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री) : (क) जी, हां।

(ख) हुबली तथा बेलगांव हवाईअड्डों पर ए.टी.आर.-72 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे के सुदृढ़ीकरण तथा सम्बद्ध पेवमैंट्स का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हुबली हवाईअड्डे पर भू प्रकाशन सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए भी कार्रवाई आरम्भ की है।

(ग) हुबली तथा बेलगांव हवाईअड्डों के लिए चिन्हित निधियां क्रमशः 11.14 करोड़ रुपए तथा 14.79 करोड़ रुपए है।

(घ) हवाई यातायात की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इन हवाईअड्डों पर मौजूदा टर्मिनल भवनों के सुधार हेतु योजनाएं हैं।

यूरोप के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

3462. श्री गणेश सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स (आई.ए.) ने यूरोप के लिए अपनी उड़ानें चलाने हेतु अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स का विचार कौन-कौन से गंतव्यों तक अपनी उड़ानें चलाने का है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स ने ब्रिटेन में लन्दन तथा बर्मिंघम को अपनी उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति मांगी है।

(ग) सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स को ऊपर उल्लिखित गंतव्यों पर अपने प्रचालन शुरू करने के लिए पहले ही अनुमति दे दी है।

अवैध रसोई गैस एजेन्सियां

3463. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु सहित देश के कई भागों में बड़ी संख्या में अवैध रसोई गैस इकाइयां चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी कितनी एजेन्सियों का पता लगाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) ने तमिलनाडु सहित देश के किसी भाग में किसी अवैध रसोई गैस इकाई के प्रचालनरत होने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

लड़ाकू विमानों के इंजनों का विनिर्माण

3464. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने लड़ाकू विमान के इंजन (के-10) के विनिर्माण और विकास में रूस से सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर रूस की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) कावेरी परियोजना में अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, लड़ाकू विमान के इंजन कावेरी के-10 के संयुक्त रूप से विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अभिकल्पनकर्त्ता संस्थानों

से सहयोग मांगा है। मै. प्राट एंड ह्विटनी, अमेरिका, मै. स्नीक्मा, फ्रांस और मै. एन.पी.ओ. सैटर्न, रूस ने प्रत्युत्तर भेजे हैं।

विकास में लगने वाले समय को कम करने तथा जोखिम घटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा जा रहा है।

(घ) 2839 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत के मुकाबले 5 अक्तूबर, 2005 तक 1200.94 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ङ) के-10 इंजन का प्रोडक्शन रिलीज़ दिसंबर, 2009 तक होने की संभावना है।

कम वजन वाले रसोई गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति

3465. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जा रहे गैस सिलेन्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित वजन से कम होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं को पूरे वजन के गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति के मद्देनजर गैस की चोरी को रोकने के लिए नई सिलेन्डर सील लगाने की कोई योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का भविष्य में ऐसी चोरी को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) ने अप्रैल-अक्तूबर, 2005 की अवधि के दौरान उनके एल.पी.जी. वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को कम भार के सिलेण्डरों की आपूर्ति के 31 मामले दर्ज किए हैं। चूक करने वाले वितरक विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.) के प्रावधानों के अनुसार ओ.एम.सीज. द्वारा दंडित किए गए हैं।

जब कभी ओ.एम.सीज. को कम भार वाले सिलेंडरों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इनकी जांच की जाती है और यदि वे प्रमाणित होती हैं, तो एल.पी.जी. विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एम.डी.जी.) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित वितरक (वितरकों) के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। ओ.एम.सीज. द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माप व तौल विभाग दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं।

वर्तमान में, ओ.एम.सीज. द्वारा उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. के सही भार वाले सिलेण्डरों की आपूर्ति करने की दृष्टि से स्पष्टतः एक टैम्पर रोधी सील प्रणाली के रूप में एल.पी.जी. उपकरण अनुसंधान केन्द्र (एल.ई.आर.सी.) द्वारा तैयार की गई व संस्तुत ताप से संकुचित होने वाली पालिविनाइल क्लोराइड (पी.वी.सी.) सीलों को प्रयोग किया जा रहा है। पी.वी.सी. सीलों की नकल करना कठिन है, यह उच्च तापमान पर संकुचित होती हैं और इसके विनिर्माण के लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रयोग की जा रही पी.वी.सी. सीलों के प्रतिस्थापन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे परियोजनाओं हेतु धनराशि की आवश्यकता

3466. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि के अभाव के कारण चालू रेलवे परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो चालू परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितनी अनुमानित धनराशि अपेक्षित है; और

(ग) सरकार द्वारा धनराशि जुटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं जिससे कि चालू रेलवे परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) धन की अत्यधिक तंगी के कारण चालू रेल परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है।

(ख) 1 अप्रैल, 2005 को रेल के पास चालू रेल परियोजनाओं के लिए 47,354 करोड़ रु. का भारी थ्रोफारवर्ड है।

(ग) पिछले कुछ वर्षों के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसे राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परियोजना विशिष्ट वित्त पोषण रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण, सरकारी/प्राइवेट भागीदारी और राष्ट्रीय रेल विकास योजना के लिए गैर-बजटीय उपाय।

ऑप्टीकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया जाना

3467. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया (आर.सी.आई.) की योजना 42000 कि.मी. के रेलमार्ग के साथ-साथ अधिक गति वाले ऑप्टीकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने की है;

(ख) यदि हां, तो रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आज की तिथि तक बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई कितनी है;

(ग) आर.सी.आई. द्वारा इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) आर.सी.आई. ने इस परियोजना के लिए किस प्रकार धनराशि जुटायी है; और

(ङ) इस परियोजना के कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया (रेलटेल) और रेलवे ने मिलकर अक्टूबर, 2005 तक लगभग 28000 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) बिछा दी है। शेष आप्टिकल फाइबर केबल को अगले दो तीन वित्तीय वर्ष में बिछाने की योजना है।

(ग) रेलटेल ने ओ.एफ.सी. तंत्र को बनाने के लिए 265 करोड़ रु. खर्च किए हैं और शेष राशि रेलवे द्वारा खर्च की गई है। रेलवे की ओ.एफ.सी. परिसंपत्तियां जो रेलटेल को हस्तांतरित कर दी गई है, के संबंध में रेलटेल इक्विटी शेयर जारी कर रहा है।

(घ) रेलटेल ने 150 करोड़ रु. भारतीय रेल वित्त निगम (आई.आर.एफ.सी.) से और 72 करोड़ रु. बैंकों से उगाहे हैं।

(ङ) ओ.एफ.सी. तंत्र को अगले तीन वर्षों में 42,000 कि.मी. करने का लक्ष्य है।

डी.डी. कमीशन की प्रतिपूर्ति

3468. श्री अधीर चौधरी :
श्री सी. कुप्पुसामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.पी.एम. को समाप्त करने के बाद भी ए.पी.एम. तंत्र के दौरान पेट्रोल पम्प डीलरों को डी.डी. कमीशन देने की प्रतिपूर्ति प्रणाली को सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अपनाये रखा;

(ख) क्या डी.डी. कमीशन की लागत डीलरों के कमीशन में विलय कर दी गई;

(ग) यदि नहीं, तो तेल उद्योग द्वारा इस प्रणाली को मनमाने ढंग से बदलने के क्या कारण हैं और इसका प्रभाव डीलरों, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित डीलरों के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ा;

(घ) दीर्घकाल में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के बाजार हिस्से में बदलाव के क्या संभाव्य प्रभाव होंगे;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने इस बारे में सरकार से अनुमति/अनुमोदन मांगा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इलैक्ट्रानिक धन स्थानान्तरण सुविधाओं के चालू होने के कारण अधिकांश बैंक मांग ड्राफ्ट प्रभार हटा रहे हैं, तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) द्वारा 11-12/09/2005 से मांग ड्राफ्ट बनाने के प्रभार की प्रतिपूर्ति बंद करने का निर्णय लिया गया। परन्तु अखिल भारतीय पेट्रोलियम व्यापारी संघ (एफ.ए.आई.पी.टी.) द्वारा की गई गंभीर आपत्तियों के कारण ओ.एम.सीज. ने हाल में वास्तविक आधार पर मांग ड्राफ्ट बनाने के प्रभारों की प्रतिपूर्ति जारी रखने और इस बीच इलैक्ट्रानिक स्थानान्तरण सुविधाएं लागू करने और मांग ड्राफ्ट प्रभार हटाने के प्रश्न को बैंकों के साथ उठाने का निर्णय लिया है।

(ङ) और (च) प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (ए.पी.एम.) की समाप्ति की घोषणा के समय से डीलरों के कमीशन के मुद्दे पर ओ.एम.सीज. द्वारा बाजार दृष्टिकोणों के आधार पर निर्णय लिया जाना है। किसी सरकारी अनुमति/अनुमोदन की जरूरत नहीं है परन्तु मंत्रालय से समय-सयम पर सुविधाजनक भूमिका की अपेक्षा की जाती है।

हुबली विमानपत्तन पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधा

3469. श्री प्रहलाद जोशी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित हुबली विमानपत्तन का विकास रात्रि में विमान उतरने की सुविधा को मंजूरी देने के बावजूद भी लम्बित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) रनवे तथा ए.टी.आर.-72 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए सम्बद्ध पटरी

के सशक्तिकरण सहित हुबली हवाईअड्डे के विकास का कार्य सितंबर, 2005 में शुरू किया गया। ग्राउंड लाइटनिंग सुविधाओं के अपग्रेडेशन का कार्य भी साथ-साथ चल रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर स्थित रेलवे स्टेशनों को उपनगरीय टर्मिनसों का दर्जा

3470. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर शहर में खापरी, अजनी, बूटीबोरी और इटावरी स्टेशनों को उपनगरीय टर्मिनसों के रूप में विकसित और परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

एन.सी.आर. में यूरो-III और भारत-II पेट्रोल/डीजल की बिक्री

3471. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यूरो-II/III पेट्रोल/डीजल के मूल्यों के बारे में 25.8.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4474 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जारी यूरो-III के समान डीजल/पेट्रोल, भारत स्टेज-II डीजल/पेट्रोल की तुलना में अधिक लागत वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सी.) को भारत स्टेज-II की तुलना में यूरो-III के समकक्ष डीजल/पेट्रोल का मूल्य वसूलने के निर्देश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कदम से निजी तेल कंपनियों को अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता मिल रही है क्योंकि वे अपने उत्पादों को एन.सी.आर. से बाहर बेचकर एच.एस.डी./पेट्रोल के लिए अधिक वसूली कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। परन्तु यूरो-3 समतुल्य डीजल का मूल्य पूरे देश में भारत चरण-2 डीजल के मूल्य के बराबर ही है। अतिरिक्त लागत आंशिक रूप से कवर करने के लिए यूरो-3 समतुल्य पेट्रोल और भारत चरण-2 पेट्रोल के मूल्य में उपांतिक अंतर होता है।

(ग) और (घ) जहां पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों का निर्धारण ओ.एम.सीज. द्वारा सरकार के साथ परामर्श से उद्योग आधार पर किया जाता है वहीं निजी विपणन कंपनियां अपने स्वयं के मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में ओ.एम.सीज. और निजी कंपनियों द्वारा वसूल की गई दरों में मामूली अंतर संभव है।

उड़ानों का रद्द होना

3472. डा. टोकचोम मैन्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुवाहाटी और दीमापुर तथा गुवाहाटी और इम्फाल के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के बार-बार रद्द होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में उड़ानों को अवांछित रूप से रद्द किए जाने से बचने के लिए किन-किन सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स दीमापुर को/से सेवाएं प्रचालित नहीं करती है। सितम्बर, 2005 को नवम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान खराब मौसम के कारण गुवाहाटी तथा इम्फाल के बीच केवल एक ही ए-320 उड़ान को रद्द किया गया था। क्रू की कमी के कारण गुवाहाटी तथा दीमापुर और गुवाहाटी एवं इम्फाल के बीच एलाइन्स एयर द्वारा प्रचालन को वापिस ले लिया गया था/प्रचालन में कटौती की गई थी।

(ख) विदेशी पायलटों की सेवाएं लेने के प्रयोजन से वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं। सह-पायलटों आदि की नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं।

बोगीबील पुल की पहुंच सड़क की मरम्मत

3473. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोगीबील पुल निर्माण स्थल की पहुंच सड़कों की जीर्ण-शीर्ण हालत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सड़कों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मौजूदा लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) जो बोगीबील पुल तक पहुंच मार्गों का निर्माण कर रहा है, का अधिग्रहण कर लिया है और चौड़ा/मजबूत कर दिया गया है। दक्षिणी सिरे वाले पहुंच मार्ग को मरम्मत की आवश्यकता है जिसे पहले ही शुरू कर दिया गया है।

कोल्हापुर विमानपत्तन

3474. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और कुछ निजी विमान कंपनियों से कोल्हापुर विमानपत्तन के विकास हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कोल्हापुर विमानपत्तन के विकास हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदनों में कोल्हापुर हवाईअड्डे के स्तरोन्नयन के लिए अनुरोध किए गए हैं।

(ग) चूंकि कोल्हापुर हवाईअड्डा दिनांक 01.02.1997 को महाराष्ट्र राज्य सरकार को 15 वर्षों के लिए पट्टे पर सौंपा जा चुका है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, फिलहाल, इस हवाईअड्डे को विकसित करने की कोई योजना नहीं है।

नवी मुंबई विमानपत्तन

3475. श्री मिलिन्द देवरा :
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवी मुंबई में एक नए विमानपत्तन की स्थापना हेतु सिम्युलेशन अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इकाओ के परामर्शदाताओं से मार्च, 2006 तक अध्ययन कार्य को पूरा करने का अनुरोध किया है।

जयपुर और जोधपुर के बीच विमान संपर्क

3476. श्री दुष्यंत सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के बीच विमान संपर्क बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स का वर्तमान में राजस्थान में जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर के लिए संपर्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रिफाइनरियों का आधुनिकीकरण

3477. श्री वाई. जी. महाजन :
श्रीमती किरण महेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वर्तमान में चल रही रिफाइनरियों का आधुनिकीकरण किये जाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(घ) इस योजना के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सरकार रिफाइनरियों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए कार्यक्रम का निर्णय करना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यूज.) के निदेशक बोर्ड का कार्य है। तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा चलाई जा रही प्रमुख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजनाओं (100 करोड़ रुपये से अधिक) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आधुनिकीकरण परियोजनाओं का विवरण

तेल कंपनी का नाम	रिफानरी/परियोजना का स्थान	परियोजना पूरा होने की अपेक्षित तारीख	परियोजना की संभावित/अनुमोदित लागत (करोड़ रुपयों में)
इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई.ओ. सी.एल.)	पानीपत रिफाइनरी डीजल हाइड्रोट्रिटिंग सुविधाएं	दिसम्बर, 2005	1070.00
आई.ओ.सी.एल.	गुजरात रिफाइनरी एम.एस. गुणवत्ता उन्नयन परियोजना	जून, 2006	453.00
आई.ओ.सी.एल.	हल्दिया रिफाइनरी आसव प्राप्ति सुधार और डीजल गुणवत्ता उन्नयन परियोजना	अप्रैल, 2009	1876.00
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का.लि. (एच.पी.सी. एल.)	मुंबई रिफाइनरी #	दिसम्बर-2006/ जनवरी, 2007	1850.00
एच.पी.सी.एल.	विशाख रिफाइनरी #	दिसम्बर-2006/ जनवरी, 2007	1635.00
भारत पेट्रोलियम का.लि. (बी.पी.सी.एल.)	मुंबई रिफाइनरी ल्यूब आयल बेस स्टाक परियोजना	फरवरी, 2006	371.00
कोच्चि रिफाइनरीज लि.	कोच्चि रिफाइनरीज # एम.एस. तथा एच.एस.डी. उन्नयन परियोजना	सितम्बर, 2009	1995.00
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी एम.एस. गुणवत्ता उन्नयन परियोजना	मार्च, 2006	297.00
मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल्स लि.	मंगलोर रिफाइनरी सम-अवयवीकरण परियोजना	जुलाई, 2006	267.00

#विस्तार सह आधुनिकीकरण परियोजना।

[अनुवाद]

बंगाल बेसिन में गैस की खोज

3478. **श्री बसदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) बंगाल बेसिन में गैस की खोज कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. ने हेलियम के उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा साहा इंस्टीट्यूट और न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इस समय आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) पश्चिम बंगाल तट से दूर बंगाल की खाड़ी में नई खोज लाइसेंस नीति-2 के अधीन ओ.एन.जी.सी. (85% और इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई.ओ.सी.) (15%) के परिसंघ को प्रदान किए ब्लाक डब्ल्यू.बी.-ओ.एस.एन.-2000/1 में एक खोजी कुएं का वेधन कर रहा है। वेधन और उसके बाद होने वाले परीक्षण के पूर्ण होने के बाद ही खोजी कुएं के परिणाम ज्ञात होंगे।

(ग) और (घ) जी, हां। हेलियम के उत्पादन हेतु एक प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ करने के लिए ओ.एन.जी.सी., विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और साहा इन्स्टीट्यूट आफ न्युक्लियर फिजिक्स के बीच एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

यह एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना है, जिसकी लागत 5.2 करोड़ रुपए है; इसमें ओ.एन.जी.सी. 4.0 करोड़ रुपऐ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 0.6 करोड़ रुपए और आणविक ऊर्जा विभाग 0.6

करोड़ रुपए का योगदान कर रहे हैं। प्रायोगिक संयंत्र तमिलनाडु में कुथालम फील्ड में अप्रैल, 2006 तक स्थापित किये जाने की आशा है।

विमान सेवाओं के लिए प्राइवेट कंपनियों को अनुमति

3479. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमान सेवाओं का संचालन करने के लिए कतिपय प्राइवेट विमान कंपनियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ प्राइवेट विमान कंपनियों ने अपनी सेवा के प्रचालन में उनके सामने पेश आ रही कतिपय बाधाओं के बारे में सरकार से शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मैसर्स द्वारका एयरटैक्सी सर्विस लि., जिन्हें आई.जी.आई. एयरपोर्ट, नई दिल्ली में पार्किंग स्थल की अनुपलब्धता की वजह से एक डोर्नियर 328-300 विमान आयात करने की अनुमति देने से मना कर दिया गया था, ने अपने अनुरोध की निरस्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।

दक्षिणी क्षेत्री में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

3480. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र में विमानपत्तनों के उन्नयन/आधुनिकीकरण की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में प्रत्येक विमानपत्तन के उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में शुरू की गई उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न हवाईअड्डों पर स्तरोन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी किए जाने वाले प्रमुख कार्यों तथा इन कार्यों को करने के लिए स्वीकृत निधि (करोड़ रुपए में) का ब्यौरा इस प्रकार है :-

त्रिची एयरपोर्ट पर रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार आदि (25.93); मदुरई एयरपोर्ट पर रनवे आदि का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार (35.25); हैदराबाद एयरपोर्ट पर रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, समानान्तर टैक्सीवे का निर्माण, अतिरिक्त एयरोब्रिज सहित टर्मिनल भवन क्षेत्र का सुधार/संशोधन (88.7); विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 10,000 फुट लम्बाई वाले, नए रनवे एप्रन, आइसोलेशन बे, भू प्रकाश सुविधाएं, उपकरण अवतरण प्रणाली आदि का निर्माण (159.0); कालीकट एयरपोर्ट पर दो यात्री आरोहण ब्रिजों के साथ 1,000 यात्रियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का विस्तार एवं संशोधन तथा एप्रन आदि का विस्तार (97.42); मैंगलौर एयरपोर्ट पर 8000 फुट लम्बे नए रनवे, भू प्रकाश सुविधाएं उपकरण अवतरण प्रणाली आदि का निर्माण (55.26); हुबली एयरपोर्ट पर रनवे का सुदृढ़ीकरण एवं पेवमेन्ट तथा भू प्रकाश सुविधाओं का सुधार (11.14); बेलगाम एयरपोर्ट पर रनवे का पुनसतहीकरण, भू-प्रकाश सुविधाओं आदि का सुधार (14.29); बैंगलौर एयरपोर्ट पर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय भवन का विस्तार एवं संशोधन (10.5); आगती एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टॉवर, अग्निशमन स्टेशन आदि का निर्माण (5.5)/ये परियोजनाएं उन्नत चरणों पर हैं। कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर रनवे आदि का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार कार्य 19 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर लिया गया है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर 89 करोड़ रुपए की लागत से 800 यात्रियों के लिए नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण कार्यों को किया गया है। तथापि, त्रिची तथा मदुरई एयरपोर्ट पर नए एकीकृत टर्मिनल परिसरों के निर्माण कार्य आरंभिक चरणों में हैं।

(ङ) यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वह यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर भारत के दक्षिणी क्षेत्र सहित विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं सुलभ करायें। सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, दी गई वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर, एयरलाइनें देश के भीतर किसी भी स्थान से नई सेवाएं चालू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

जाली (बोगस) रेलवे परीक्षाएं

3481. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जबलपुर के अंतर्गत रेलवे परीक्षाएं करने वाला कोई जाली (बोगस)/कार्यालय प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त जाली (बोगस) कार्यालय द्वारा कोई भर्ती; विज्ञापन रोजगार निर्माण में भी प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या नतीजा निकला है; और

(ङ) गलती करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। दिनांक 29.01.2005-04.02.2005 के रोजगार समाचार में रेलवे भर्ती बोर्ड, मण्डल रेल प्रबंधक के कार्यालय परिसर, जबलपुर के नाम से फर्जी अभ्यार्थियों के परिणाम से संबंधित सिर्फ एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो/जबलपुर को यह मामला अग्रेषित किया गया था जिन्होंने छानबीन के बाद आरोप सिद्ध न किए जाने के कारण मामले को समाप्त कर दिया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिक्री एजेंटों को लाभ/सुविधाएं

3482. **श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन कंपनियां अपने बिक्री एजेंटों को कमीशन के अलावा अन्य लाभ/सुविधाएं भी दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में विमान टिकटों की बुकिंग के कार्य में कौन-कौन सी एजेंसियां संलग्न हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) कमीशन के अतिरिक्त, आयटा द्वारा अनुमति दिए जाने के आधार पर एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स सेल्स अभिकर्ताओं को लाभ/ सुविधाएं प्रदान करती है।

(ग) देश में 2300 आयटा अभिकर्ताओं द्वारा एअर इंडिया टिकटिंग किया जाता है जहां तक इंडियन एयरलाइन्स का संबंध है, दिनांक 31.3.2005 तक घरेलू सेल्स में 1890 की संख्या में यात्री सेल्स अभिकर्ताओं को लगाया गया था।

[अनुवाद]

हैंडलिंग ऑफ पार्सल सर्विसेज

3483. **श्री पी. करुणाकरन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रेलवे द्वारा पार्सल सर्विसेज और अन्य गुड्स सर्विसेज की हैंडलिंग के लिए अंगीकार की गई नई प्रणाली के परिणामस्वरूप वर्तमान रेलवे कुली बेरोजगार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में निर्णय पर पुनः विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे के वर्तमान कुलियों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या अन्य वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) यात्री गाड़ियों के ब्रेक वैन में पार्सल स्थान के अधिकतम उपयोग और रेल उपयोकर्ताओं को मूल्य संवर्द्धित सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय रेल द्वारा यात्री गाड़ियों के ब्रेक वैन में पार्सल स्थान को लीज़ पर देने के लिए एक प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत खुली निविदाओं के माध्यम से बोली आमंत्रित करके यात्री गाड़ियों के ब्रेक वैन में पार्सल स्थान को निजी भागीदारों को पट्टे पर दिया गया है। पार्सल का लदान/उतराई पट्टा धारकों द्वारा की जा रही है। इसी आधार पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में फैरों के आधार पर पार्सल वैनों को पट्टे पर देना शुरू किया गया है। पट्टे पर पार्सलों की सम्हलाई अत्यधिक लाभप्रद है। क्योंकि रेलवे स्थान के वास्तविक उपयोग के बावजूद पार्सल स्थान की पूर्ण उपार्जन क्षमता के लिए आश्वस्त है। पार्सल पैकेजों के ढेर को कम करके प्लेटफार्म पर यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने में यह प्रणाली लाभप्रद है क्योंकि पट्टा धारकों को उनके परेषणों को गाड़ी के समय के दौरान ही लाने की अनुमति दी गई है और उनका लदान सीधे ब्रेक वैन में किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, रेलवे को पार्सलों की सम्हलाई प्रलेखन, पार्सलों पर चिन्हांकन और भण्डारण की लागत में भी बचत होती है।

बहरहाल, पार्सल पोर्टरों की मौजूदा जन शक्ति को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं।

इंडियन एयरलाइन्स में आमूलचूल परिवर्तन

3484. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स (आई.ए.) में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक किये जाने की संभावना है और परिवर्तनों के संभावित प्रभाव क्या होंगे?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स के बोर्ड को 04 पूर्ण-कालिक क्रियाशील निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पहले ही मजबूत किया गया है। ताकि बढ़ी हुई कार्य-कुशलता और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता को उपलब्ध किया जा सके।

बंकर ईंधन की बिक्री

3485. **श्री किन्जरपु येरननायडु :**
श्री के.सी. पलनिसामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर तेल शोधक कारखाना और पेट्रोरसायन लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.) के पास निकट भविष्य में बंकर ईंधन की बिक्री का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंगलौर पत्तन पर बंकरिंग और भंडारण सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है; और

(ड) पोत परिवहन महानिदेशालय के पास बंकर ईंधन आपूर्तिकर्ता के रूप में कितनी कंपनियां पंजीकृत हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.) ने नए मंगलौर पोर्ट के अंतर्गत सभी जेट्टियों पर वृहत पोर्ट बंकरिंग ईंधन सुविधाओं के लिए परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित सुविधाओं में बंकर ईंधन के लिए बंकरिंग सुविधाओं के साथ भण्डारण सुविधाएं दोनों शामिल हैं। इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए 20.32 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

(ड) वर्तमान में बंकर ईंधन आपूर्तिकर्ता के रूप में सम्बद्ध विनियमों को पूरा करने वाली 17 कंपनियां जहाजरानी महानिदेशालय में औपचारिक रूप से पंजीकृत हैं।

अधिगृहित भूमि देना

3486. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोधपुर में कोई अधिगृहीत भूमि देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सैन्य क्षेत्रों के बीच ग्रामीण लोगों के लिए मार्ग खोलने का प्रस्ताव है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, नहीं। जोधपुर में कोई अधिगृहीत भूमि रिलीज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि रक्षा प्रयोजनों के लिए उसकी जरूरत है।

(घ) जी, नहीं।

(ड) प्रश्न नहीं उठता।

गोलमेज सम्मेलन

3487. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई विश्व तेल व्यवस्था के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) उत्तर और मध्य एशियाई उत्पादकों और प्रमुख एशियाई उपभोक्ताओं का मंत्रालयीन गोलमेज सम्मेलन 25.11.2005 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन के निष्कर्षों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एशियाई तेल मंत्रियों का गोलमेज सम्मेलन
निष्कर्षों का सार
नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2005

भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री महामहिम श्री मणिशंकर अय्यर के निमंत्रण पर प्रमुख एशियाई तेल और गैस उत्पादक देशों -- रूसी फेडरेशन, कजखस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबाईजान के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों में प्रमुख एशियाई तेल और गैस उपभोक्ता देशों -- जापान, कोरिया गणराज्य, चीन, तुर्की और भारत के साथ नई दिल्ली में 25 नवम्बर, 2005 को बैठक की।

जनवरी गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्षों को नोट करते हुए, जिसमें प्रमुख पश्चिम एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई तेल व गैस उत्पादक देश और प्रमुख एशियाई उपभोक्ता देश एकत्रित हुए थे, नवम्बर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले देश निम्नलिखित व्यापक निष्कर्षों पर पहुंचे --

(i) यह नोट किया गया कि 21वीं शताब्दी में एशिया तेल और गैस के एकमात्र सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ता के रूप में और साथ ही विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ते हुए उपभोग केन्द्र के रूप में उभर रहा है।

(ii) वैश्विक सहयोग के ढांचे के अधीन रहते हुए एशियाई तेल और गैस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को अवश्य बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के सह-समापति रूस द्वारा आगामी जी-8 का समापति का पद ग्रहण किए जाने का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इस गोलमेज सम्मेलन में व्यक्त चिन्ताओं एवं विचारों को जी-8 की ऊर्जा, पारिस्थितिकी और कार्यकुशलता पहल में, जो रूस प्रारम्भ करना चाहता है, ध्यान में रखा जायेगा।

उन्होंने रूस की इस इच्छा का भी स्वागत किया कि वह महत्वपूर्ण उत्पादक एवं आयात गहन देशों को, जिसमें इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले देश भी सम्मिलित हैं, जी-8 द्वारा गठित किए जाने वाले विशेषज्ञ समूहों के विचार-विमर्श में शामिल करेगा।

(iii) भाग लेने वालों ने हाल में तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव पर चिन्ता व्यक्त की और वे इस बात पर सहमत थे कि स्थिर और समुचित कीमतें उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में होंगी, जो एक ओर यह सुनिश्चित करेंगी कि उपभोक्ता देशों के विकास और भावी संभावनाओं को क्षति न पहुंचे और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करेंगी कि उत्पादक देशों में निवेश को बढ़ावा मिले।

(iv) ऊर्जा बाजारों को परस्पर जोड़ने और परिवहन के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु एशियाई क्षेत्र के अंदर एल.एन.जी. के माध्यम से और राष्ट्र-पारीय तेल व गैस पाइपलाइनों के माध्यम से गैस और तेल अन्तः संबंधों को बढ़ाने और विकसित करने की संभावना एवं संभाव्यता का अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। तेल संभार-तंत्र के संबंध में कोरिया गणराज्य ने क्रूड और उत्पाद भण्डार उपलब्ध कराने की पेशकश की। इसका भी अध्ययन किया जायेगा। इस अध्ययन में एशिया भर में भूमि पर और सागर में होकर कैस्पियन बेसिन को दक्षिणी एशिया के देश से जोड़ने के विकल्पों सहित सभी वैकल्पिक कड़ियों की खोज शामिल होगी। इस उद्देश्य के लिए भारत द्वारा सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों, विशेषतया कोरिया गणराज्य के सहयोग से, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम के समग्र तत्वावधान में एक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एक कार्यकारी दल का प्रस्ताव किया है, अध्ययन प्रारम्भ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस अध्ययन में प्रस्तावित एशियाई गैस ग्रिड संस्थान स्थापित करने हेतु गोलमेज सम्मेलन की गई एक प्रस्तुति में दिये गये सुझाव को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(v) एक संपोषणीय एवं लोचशील ऊर्जा प्रणाली (एस.ए.एफ.ई.) के संवर्धनार्थ जापानी पहल के अंतर्गत मध्य, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देशों और अन्य स्थानों के बीच संजाल-तंत्र बनाने की संभावना का अध्ययन करने संबंधी जापानी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(vi) एशियाई तेल और गैस अर्थव्यवस्था में स्थायित्व, सुरक्षा और संपोषणीयता को बढ़ाने के सबसे बड़े साधन के रूप में तेल व गैस तथा संबद्ध डाउनस्ट्रीम उद्योग में परस्पर व्यापार को सुदृढ़ करने हेतु पारस्परिक पारगामी-निवेश के महत्व पर जोर दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में पर्यावरण अनुकूल निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, कि एशियाई तेल और गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए निवेश परिवेश को सुधारा जाना चाहिए और कैस्पियन क्षेत्र की परिसंपत्तियों सहित एशियाई परिसंपत्तियों में एशियाई निवेश का समर्थन किया जाये। इस दिशा में पहलों का स्वागत किया गया।

(vii) भण्डारों, मांग, आपूर्ति और निवेश से जुड़े सभी प्रासंगिक डाटा तक पहुंच में पारदर्शिता के महत्व को स्वीकार किया गया और भविष्यकथन के महत्व को एशियाई तेल व गैस अर्थव्यवस्था और वस्तुतः सारी दुनिया में स्थिरता, सुरक्षा और संपोषणीयता का बुनियादी तत्व मानने पर जोर दिया गया।

(viii) इस बात पर सहमति थी कि एशियाई तेल और गैस क्षेत्र तथा सामान्य रूप से ऊर्जा अर्थव्यवस्था के विकास में सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के ज्ञान-कोष को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आधार पर भी जोड़ने के लिए व्यावहारिक कदम उठाये जायें। इस प्रसंग में प्रत्येक देश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ऊर्जा मिश्रण की ओर बढ़ने और ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों की ओर आगे बढ़ाने को एशियाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

(ix) आगे भाग लेने वालों के बीच यह सहमति बनी कि मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग एशियाई तेल और गैस अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में योगदान देगा।

(x) एशियाई देशों को एशिया और अन्य स्थानों की तेल व गैस अर्थव्यवस्था के अपस्ट्रीम व डाऊनस्ट्रीम क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ आधुनिकतम तेल व गैस सुविधाएं विकसित करने वाले संयुक्त उद्यम चलाने के लिए हाथ मिलाने पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के सहयोग समानता और पारस्परिक लाभों पर धैर्यपूर्ण विचार करने, निष्ठावान पारस्परिक व्यवहार और सबके हित की भावना से सभी भागीदारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य से बढ़ाए गए संचार पर आधारित हो सकते हैं।

(xi) भागीदारों ने सहमति जताई कि यह गोलमेज़ सम्मेलन इस क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादक व ऊर्जा-उपभोग करने वाले देशों के ऊर्जा मंत्रियों को वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। तद्नुसार, व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के साथ-साथ वैश्विक सहयोग और बातचीत को सुदृढ़ बनाने, एक-दूसरे के साथ सहयोग व आदान-प्रदान के मद्देनज़र, भाग लेने वालों ने प्रत्येक दो वर्षों में बैठक करने के लिए और अपने विचारों की सूचना के साथ-साथ उस गोलमेज़

सम्मेलन में की गई कार्रवाईयों के बारे में सूचित करने के लिए पश्चिमी और दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों की पूरक भाईचारे वाली गोलमेज़ वार्ता करने के लिए सहमति बनाई। बातचीत में अन्य क्षेत्रों और वैश्विक मंच के अहित नहीं किए जाने पर भी इस गोलमेज सम्मेलन में सहमति बनी।

(xii) इस गोलमेज़ सम्मेलन में धन्यवाद सहित इसकी अगली बैठक के अज़रबेजान के सह-समापतित्व के साथ तुर्की द्वारा आयोजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

(xiii) इस पर भी सहमति बनी कि इस सार को अगले गोलमेज़ सम्मेलन में अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

विदेशी पर्यटक चार्टर उड़ानें

3488. श्री जसुभाई धानाभाई बारड : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख विमानपत्तनों पर विदेशी पर्यटक चार्टर उड़ानों की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विमानों के आकार अथवा उड़ानों की आवृत्तियों की सीमा के निर्धारण के बिना, कस्टम और इमिग्रेशन सुविधाओं के साथ, भारत में सभी हवाईअड्डों पर विदेशी राष्ट्रों द्वारा सम्मिलित टूर-पैकेज आधार पर प्रचालित की जाने वाली पर्यटन चार्टर उड़ानों के प्रचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सम्मिलित टूर पैकेज चार्टर उड़ानें अन्य हवाईअड्डों को भी प्रचालित की जा सकती हैं, तथा टूर प्रचालकों के अनुरोध पर कस्टम और इमिग्रेशन प्राधिकारियों द्वारा तदर्थ या मौसमी आधार पर कस्टम और इमिग्रेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ग) नागर विमानन क्षेत्र में उदारीकरण की नीति के मद्देनजर तथा पर्यटकों सहित अधिकाधिक यात्रियों को आकर्षित करने की दृष्टि से, सरकार द्वारा विभिन्न विदेशी राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत यातायात अधिकारों को प्रदान करने के मामले पर पूरी तरह से एक उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा भी हाल ही में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वस्तरीय समपार्श्व का सृजन, केन्द्रीकृत इलैक्ट्रानिक माध्यमों से प्रचार, टूर प्रचालकों के साथ सीधी सहकारी मार्केटिंग करना, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, जनसंपर्क और प्रचार संबंधी अनुकूलतम संपादकीय, पर्यटक प्रकाशनों को जारी करना तथा मुख्य मार्केट स्थलों पर रोड-शो आदि जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

गैस एजेन्सियों/पेट्रोल पम्पों पर छापे

3489. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कदाचार रोकने के लिए राजधानी में कुछ गैस एजेन्सियों/पेट्रोल पंपों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या निकले;

(ग) दोषी पायी गयी गैस एजेन्सियों/पेट्रोल पंपों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में गैस एजेन्सियों की जांच हेतु एक अभियान शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त जांच प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(छ) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (छ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज,) एल.पी.जी. गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के निरीक्षण करतीं हैं और दोषी एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों/पेट्रोल पंप डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम.डी.जी.) के तहत उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं। दिल्ली सरकार का तौल और माप विभाग ने अप्रैल-सितंबर, 2005 की अवधि के दौरान दिल्ली में ओ.एम.सीज. के 143 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों और 128 पेट्रोल पंपों पर छापे मारे और 62 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों और 9 पेट्रोल पंप डीलरों के संबंध में विसंगति पाई गई है। सभी दोषी डीलरों पर राज्य के विभाग द्वारा अपनी प्रक्रियानुसार दंड दिया गया है। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के मामले में 50 डिस्ट्रीब्यूरों पर दंड लगाया गया है और 12 मामले लंबित हैं।

एल.पी.जी. वितरण में कदाचारों/अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार/ओ.एम.सीज. द्वारा कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एल.पी.जी. (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 प्रख्यापित किया गया है। इस आदेश के तहत सिलेंडरों

से एल.पी.जी. की चोरी और कमवजनी सिलेंडरों की आपूर्ति आदि जैसे विभिन्न कदाचार निषिध हैं।

(ii) राज्य सरकारें उपर्युक्त आदेश के उपबंधों के तहत दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम.डी.जी.) निर्धारित किए गए हैं जिनमें एल.पी.जी. के विभिन्न कदाचारों में लिप्त दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए दंड विनिर्धारित है।

(iv) ओ.एम.सीज. के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदामों में सुपुर्दगी स्थलों में तथा मार्गस्थ चोरी को रोकने के लिए यादृच्छिक जांच करते हैं। यदि किसी शिकायत पर चोरी प्रमाणित होती है, तो एम.डी.जी. के अनुसार चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

इसी प्रकार, पेट्रोल पंपों पर मिलावट रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत ईंधन में मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के महत, मिलावट में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तिप्रदत्त किया गया है। सरकार ने निरीक्षण/औचक जांचों के लिए इस मामले को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिलावट संबंधी कार्य कम हों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली विभिन्न निजी फर्मों, फैक्ट्रियों, प्रक्रम ईकाइयों आदि पर चौकस/निगरानी रखना जिससे मिलावट करने वाले अपराधियों का पता लगाया जा सके और उपलब्ध कानूनी दायरे में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके।

(ii) सरकार द्वारा दी गई सलाह के अनुसार तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) ने निदेशक (विपणन) के अलावा किसी अन्य निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए एक अलग स्कंध बनाया है, जो मिलावट को रोकने के लिए सभी कार्यों को देखता तथा उन सभी की निगरानी करेगा और इस संबंध में मानदंडों तथा दिशानिदेशों को निर्दिष्ट करेगा।

(iii) मिट्टी तेल के मिलावट के लिए दुरुपयोग/विपथन को ध्यान में रखते हुए, निजी पक्षों द्वारा मिट्टी तेल के आयात को ओ.एम.सीज. के माध्यम से सरणीबद्ध किया जा रहा है।

(iv) ओ.एम.सीज़. ने परिवहनकर्ताओं द्वारा रास्ते में मिलावट के लिए ले जाने से रोकने के लिए नई छेड़छाड़-रोधी टैंक ट्रक ताला प्रणाली आरंभ की है।

(v) वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जी.पी.एस.) के माध्यम से टैंक ट्रकों की गतिविधियों की निगरानी और खुदरा ऑटोमेशन के माध्यम से खुदरा बिक्री केन्द्रों में ईंधन टैंकों के स्तर की निगरानी जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) समाधानों को आरंभ किया जा रहा है।

(vi) ओ.एम.सीज़. द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों को ब्रांडयुक्त करने तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों के तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है।

(vii) सरकार ने केरोसिन वितरण के लिए संरचना को सुदृढ़ व सुचारू बनाने और पी.डी.एस. केरोसिन वितरण के पर्यवेक्षण के लिए ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों तथा राज्य पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के मद्देनज़र 23 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश को कवर करते हुए 2 अक्तूबर 2005 को जन केरोसीन परियोजना को छह माह के लिए 417 ब्लॉकों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरम्भ किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हकदार लाभार्थी वास्तव में अपनी हकदारी प्राप्त कर रहे हैं और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के लिए विपथन को रोकते हुए, कम करते हुए अंततः समाप्त किया जा सके।

[अनुवाद]

कन्नूर में विमानपत्तन का निर्माण

3490. श्रीमती पी. सतीदेवी :
श्री अबदुल्लाकुट्टी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कन्नूर में विमानपत्तन के निर्माण की व्यवहार्यता रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है; और

(घ) कन्नूर में विमानपत्तन के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

विशिष्ट माल ढुलाई कारिडोर परियोजना हेतु ऋण

3491. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने रेलवे को विशिष्ट माल ढुलाई कारिडोर परियोजना हेतु ऋण देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। 29.4.2005 को भारत और जापान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त बयान में भारत और जापान सरकार के बीच इस बात पर सहमति हुई कि भारतीय रेल के दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा खंडों के लिए जापानी स्टेप (स्पेशल टर्म ऑफ इकॉनामिक पार्टनरशिप) येन ऋण का इस्तेमाल करके एक समर्पित उच्च धुरा भार वाले भाड़ा गलियारा परियोजना की जांच की जाए। इस समर्पित भाड़ा गलियारा परियोजना के लिए विकास अध्ययन करने हेतु एक प्रस्ताव 7.7.2005 को जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के समक्ष पेश किया गया है।

(ख) ऋण के संबंध में अभी तक कोई पेशकश नहीं की गई है। बहरहाल, सामान्यतः स्टेप येन ऋण योजना के अंतर्गत ऋण का 30% जापान में खरीद में लगाना होगा। इस ऋण से इस परियोजना की कुल लागत का 85% पूरा हो जाएगा और ब्याज की दर 0.4% तथा ऋण वापसी की अवधि 40 वर्ष होगी जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पी.एन.जी. पर वैट

3492. श्री ब्रजेश पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) रसोई गैस की आपूर्ति पर मूल्य वर्धित कर (वैट) संग्रहीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो रसोई गैस की आपूर्ति पर उक्त कंपनी द्वारा कितने प्रतिशत वैट संग्रहीत किया जा रहा है;

(ग) क्या यह नियमानुसार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। 1.4.2005 के इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने ग्राहकों को रसोई और अन्य प्रयोजनों के लिए पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) की आपूर्ति पर 20% की दर से मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) की उगाही कर रही है।

(ग) और (घ) दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 की चौथी अनुसूची के तहत नियमों के अनुसार रसोई और अन्य प्रयोजनों के लिए पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) पर 20% की दर से वैट (वी.ए.टी.) प्रभारित किया जा रहा है।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 की अनुसूची-4 के तहत सी.एन.जी., एल.पी.जी. और मिट्टी तेल को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर 20% की दर से कर लगता है। उपायुक्त, मूल्य वर्धित कर, नई दिल्ली के कार्यालय में आई.जी.एल. को स्पष्ट किया है कि पी.एन.जी. 20% की दर पर कर योग्य है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रसार भारती (भारती प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3223/2005]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3224/05]

(ख) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक .प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3225/05]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3226/05]

(ख) (एक) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3227/05]

(ग) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3228/05]

(घ) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3229/05]

(2) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3230/05]

(3) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3231/05]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षिक लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3232/05]

(2) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3233/05]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) रेल संरक्षण बल (संशोधित) नियम, 2005 जो 15 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री आर. वेलु]

(दो) रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2005 जो 15 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 366 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3234/05]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3235/05]

(ख) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3236/05]

(ग) (एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3237/05]

(3) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3238/05]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 3239/05]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :-

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्यसभा द्वारा 13 दिसम्बर 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 13 दिसम्बर, 2005 को राज्यसभा द्वारा यथापारित दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

लोक लेखा समिति

विवरण

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :-

1. "सोलर फोटोवाल्टैक पैनल्स की अधिप्राप्ति" के बारे में 15वां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)

2. "आपदा राहत कोष" के बारे में 42वां प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा)

3. "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (1999-2000) से अधिक व्यय" के बारे में चौथा प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)

4. "किराए पर निष्फल व्यय" के बारे में आठवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) और

5. "पैन का आवंटन" के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.04 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

आठवां तथा नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

1. विदेशी मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों के बारे में सातवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन; और

2. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे से पांचवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : महोदय, आपकी अनुमति से मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

मैं यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन - भाग-2, दिनांक 01 सितंबर 2004 के तहत लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73 क के अनुसरण में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 3240/05।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन लोक सभा में 25 अप्रैल, 2005 को प्रस्तुत किया गया था। तीसरा और चौथा प्रतिवेदन 26 अप्रैल, 2005 और पांचवां प्रतिवेदन 10 मई, 2005 को प्रस्तुत किया गया था।

दूसरा प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है। तीसरा प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की टिप्पणी से संबंधित है। चौथा प्रतिवेदन "सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण" विषयक समिति (तेरहवीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है। पांचवां प्रतिवेदन "छावनी विधेयक, 2003" के संबंध में है।

समिति के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समिति को 22 अगस्त, 2005 को भेजा गया था। पांचवें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का विवरण अभी भेजा नहीं गया है।

दूसरे प्रतिवेदन में 33 सिफारिशें, तीसरी में 12 सिफारिशें और चौथे प्रतिवेदन में 12 सिफारिशें हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ये सिफारिशें मेरे वक्तव्य के क्रमशः अनुबंध-I, II, और III के कालम 2 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न विषयों से संबंधित है। पांचवें प्रतिवेदन में "छावनी विधेयक, 2003" पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए विभिन्न संशोधनों के बारे में है।

समिति द्वारा अपने दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिवेदन में दी गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के क्रमशः अनुबंध I, II और III में निर्दिष्ट है जिन्हें सदन के पटल पर रखा जाना है। मैं इन अनुबंधों के सभी तथ्यों को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए। जहां तक "छावनी विधेयक, 2003" से संबंधित पांचवें प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की स्थिति का संबंध है, आवश्यक मंत्रिमडल प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और उसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेज दिया जाएगा।

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स फार इंडिया (आर.एन.आई.) का कार्यकरण" के बारे में सूचना तथा प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

***संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : मैं यह वक्तव्य दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II के तहत जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3241/05।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

73क के अनुसरण के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) 2004-05 की 19वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर दे रहा हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की उन्नीसवीं रिपोर्ट दिनांक 13.5.2005 को लोक सभा को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट "भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आर.एन.आई.) के कार्यकरण" से संबंधित है।

उन्नीसवीं रिपोर्ट, में समिति ने कुल 14 सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों/टिप्पणियां पर की गयी कार्रवाई टिप्पणियां दिनांक 02.09.2005 को (अंग्रेजी पाठ में) तथा दिनांक 19.09.2005 को (हिन्दी पाठ में) समिति को प्रस्तुत कर दी गयी हैं। ये सिफारिशें मुख्यतः प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 (पी.आर.बी.) में संशोधन, और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने, योजनागत परिव्यय, शीर्षकों के सत्यापन, ऑन-लाइन पंजीयन, शीर्षकों की डी-ब्लॉकिंग, विदेशी शीर्षक के हू-ब-हू शीर्षक की अनुमति से इंकार करने के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना, प्रसार आंकड़ों की न्यूनतम संख्या में वृद्धि करना, बन्द प्रकाशनों को विलोपित करना, प्रसार सम्बन्धी दावों का सत्यापन करना, सत्यापन संबंधी प्रकाशकों की मांगों, शीर्षक सम्बन्धी अनापत्ति अथवा पंजीयन हेतु शुल्क तथा प्रतिकृति संस्करणों से सबंन्धित हैं।

समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गयी है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.07 बजे

(तीन) आई.ओ.सी. के अम्बाला डिपो से लेह स्थित आर्मी डिपो को डीजल की आपूर्ति करते समय होने वाली चोरी

***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर)** : जुलाई, 2005 में संचार माध्यमों में यह रिपोर्ट आई थी कि अम्बाला डिपो से लेह को डीजल ले जाने वाली टैंक ट्रक (टीटीज) पानी ले जाते हुए पाए गए थे। कमांडिंग आफिसर, फिल्ड पेट्रोलियम डिपो, भारतीय सेना, लेह ने अपने दिनांक 16.7.2005 के पत्र द्वारा आई.ओ.सी. के अम्बाला टर्मिनल को सूचित किया था कि अम्बाला से एच.एस.डी. से लदे 7 टीटीज पानी ले जाते हुए पाये गये थे। इस मंत्रालय ने इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई.ओ.सी.) से लद्दाख क्षेत्र में सेना को आपूर्ति किए गए तेल की कथित चोरी की अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के माध्यम से जांच करने को कहा था।

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3242/05।

सी.वी.ओ. ने जांच की और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की :-

(1) वरिष्ठ टर्मिनल प्रबंधक, तत्कालीन डिपो मैनेजर, लेह, उप प्रबंधक, अम्बाला टर्मिनल और सहायक प्रबंधक, अम्बाला टर्मिनल के विरुद्ध भारी दण्डात्मक कार्यवाही और वर्तमान स्थानों से गैर संवेदनशील कार्यों पर उनका स्थानांतरण।

(2) फोरमैन अम्बाला टर्मिनल और वरिष्ठ प्रचालक, अम्बाला टर्मिनल के विरुद्ध मामूली दण्डात्मक कार्यवाही और गैर संवेदनशील कार्यों पर उनका स्थानान्तरण।

(3) लेह में 7 टीटीज के पकड़े जाने की घटना में संलिप्त टैंक ट्रक (टीटीज) कर्मीदल पर प्रतिबंध सहित संविदा करार के अनुसार परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध सहित्त कार्रवाई।

(4) मास्टर चाबियों को संभालने/लेने के लिए तालों और प्रणालियों की सूची की जांच करने में संदिग्धता को नया परिपत्र जारी करके समाप्त किया जाए और इससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों की जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

(5) टर्मिनलों/डीपुओं का निरीक्षण नियमित समयान्तरालों पर राज्यों/मुख्य कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाये और निरीक्षणों के दौरान पाई गई विसंगतियों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए कार्रवाई की जाये।

(6) पी.ओ.एल. उत्पादों के सुरक्षित परिवहन की वर्तमान प्रणाली को किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के प्रतिरोधी बनाने के लिए एक उत्तम और उन्नत पद्धति से प्रतिस्थापित किया जाये।

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) की रिपोर्ट की जांच के पश्चात् आई.ओ.सी. के प्रबंधन ने वरिष्ठ टर्मिनल प्रबंधक, अंबाला टर्मिनल को निलंबित कर दिया। इसके अलावा, आई.ओ.सी. द्वारा कथित चोरी में लिप्त पाए गए वरिष्ठ टर्मिनल प्रबंधक, तत्कालीन डिपो प्रबंधक, लेह, उप-प्रबंधक, अंबाला टर्मिनल, सहायक प्रबंधक, अंबाला टर्मिनल, फोरमेन, अंबाला टर्मिनल और वरिष्ठ प्रचालक, अंबाला टर्मिनल के विरुद्ध नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाईयां प्रारंभ की गई हैं। संबद्ध अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए गए हैं। 7 टैंक ट्रकों को, जिन्हें पुलिस ने लेह में पकड़ा था, निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन परिवहनकर्ताओं के टैंक ट्रक इस घटना में शामिल थे, उनके 45 टैंक ट्रकों को भी निलंबित कर दिया गया है।

आई.ओ.सी. ने अनुसूचित के अनुसार सुरक्षा लॉकिंग प्रणाली को संभालने वाले और डिपो/टर्मिनलों के निरीक्षण करने वाले अधिकारियों

की भूमिका और उत्तरदायित्वों के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। वे अपने सम्मेलन में मास्टर चाबी के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। आई.ओ.सी. ने आगे बताया कि जहां सुपुर्दगी लेने से पहले उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करना प्राप्तकर्ता के लिए पूर्णतः अनिवार्य है, वहीं आई.ओ.सी. ट्रक लॉरियों में लगाने हेतु ऐसे किफायती उपकरणों की खोज का प्रयास करेगा ताकि वाहकों के लिए उत्पाद की चोरी/मिलावट कठिन बन जाए।

अपराह्न 12.11 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के दो महत्वपूर्ण विमानपत्तनों अर्थात् मुम्बई और दिल्ली के आधुनिकीकरण और उनके प्रचालन के लिए निजी कंपनियों की सेवाएं लिए जाने संबंधी सरकार के निर्णय से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 14 को चर्चा के लिए लेगी।

माननीय सदस्यों, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14 देश के दो महत्वपूर्ण हवाईअड्डों, नामतः मुम्बई और दिल्ली को आधुनिक बनाने तथा प्रचालित करने के लिए निजी कम्पनियों को सौंपने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न होने वाली स्थिति के बारे में सर्वश्री बसुदेव आचार्य, सुनील खां, अजय चक्रवर्ती, मोहम्मद सलीम तथा श्रीमती सुमित्रा महाजन के नाम से सूचीबद्ध एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

इसी बीच सर्वश्री बसुदेव आचार्य, सुनील खां और अजय चक्रवर्ती ने अपने पत्रों के माध्यम से यह आग्रह किया है कि श्री बसुदेव आचार्य की बजाय मोहम्मद सलीम को नागर विमानन मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति दी जाए।

मैंने उनका यह आग्रह स्वीकार कर लिया है और मोहम्मद सलीम को नागर विमानन मंत्री का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति दी है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं नागर विमानन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि इस पर एक वक्तव्य दिया जाए :

"देश के दो महत्वपूर्ण हवाईअड्डों नामतः मुम्बई और दिल्ली हवाईअड्डों को आधुनिक बनाने तथा प्रचालित करने के लिए निजी कम्पनियों को सौंपने का सरकार का निर्णय।"

अध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बा वक्तव्य है। मंत्री महोदय क्या आप इसे पढ़ना चाहते हैं? मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को वक्तव्य की एक प्रतिलिपि मिल गयी होगी।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मेरे पास वक्तव्य तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय क्या आप वक्तव्य को पढ़ना चाहते हैं?

मोहम्मद सलीम : वे इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इतना उत्साह दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्यों को वक्तव्य की प्रतिलिपि मिल गयी है। ठीक है, मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

मोहम्मद सलीम : महोदय, आपका धन्यवाद। मैं समय का सदुपयोग कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए धन्यवाद।

***श्री प्रफुल पटेल :** महोदय, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

दिल्ली के आई.जी.आई. हवाईअड्डा तथा मुम्बई के सी.एस.आई. हवाईअड्डा के आधुनिकीकरण की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1998 में घोषणा की थी कि देश में विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों का निर्माण किया जाएगा। तब यह सोचा गया कि इस उद्देश्य को दिल्ली तथा मुम्बई के मौजूदा हवाईअड्डों को निगमित करके प्राप्त किया जा सकता है। तदोपरान्त 3 जून, 1999 को अवसंरचना संबंधी कार्यबल ने निर्णय किया कि विश्वस्तरीय हवाईअड्डों के उद्देश्य को निगमीकरण के बजाय दीर्घावधिक लीज के माध्यम से पुनर्संरचना करके प्राप्त करना बेहतर होगा। दीर्घावधिक लीज मार्ग को वरीयता दी गई चूंकि सम्पत्तियों का स्वामित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास रहेगा, लीज किरायों के लेखों पर रसीदे होंगी, तथा यह महसूस किया गया कि यह मार्ग तीव्रतर होगा। तत्कालीन महान्यायवादी तथा विधि मंत्रालय ने मत दिया कि हवाईअड्डों की पुनर्संरचना के उद्देश्य को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के मौजूदा प्रावधानों के भीतर संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह भी सोचा गया कि संयुक्त उद्यम प्रारूप को, रियायत करार के भाग के रूप में चुने हुए बोलीदाताओं के निष्पादन की निगरानी हेतु प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा इस करार के तहत व्यावसायिक प्रबंधन के लिए चुने हुए बोलीदाताओं को उच्च स्तर की

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-3243/05।

[श्री प्रफुल पटेल]

स्वायत्तता देना तथा वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यों को कार्यान्वित करना सम्भव होगा।

तत्पश्चात् 11 सितम्बर, 2003 को तत्कालीन सरकार ने, संयुक्त उद्यम मार्ग अपना कर दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों की पुनर्संरचना के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया। सरकार ने मुम्बई तथा दिल्ली हवाईअड्डों की पुनर्संरचना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर निर्णय करने के लिए मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह (ई.जी.ओ.एम.) का भी गठन किया। सरकार ने ई.जी.ओ.एम. की सहायता के लिए एक अन्तर मंत्रालयी समूह (आई.एम.जी.) का गठन भी किया।

मुम्बई तथा दिल्ली भारत के दो मुख्य मैट्रो अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान मुम्बई हवाईअड्डे पर लगभग 153 हजार विमान आवागमनों, 15.66 मिलियन यात्रियों तथा लगभग 403 हजार टन माल की सम्भलाई की गयी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.6%, 17.9% तथा 23.4% अधिक थी। वर्ष 2004-05 के दौरान दिल्ली हवाईअड्डे पर लगभग 122 हजार विमान आवागमनों, 12.78 मिलियन यात्रियों तथा लगभग 344 हजार टन माल की सम्भलाई की गयी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 15.7%, 23% तथा 15.5% अधिक थी। तथा यह वृद्धि चालू वर्ष में जारी है। इस समय मुम्बई के टर्मिनल-1ए तथा टर्मिनल-2बी की वार्षिक यात्री सम्भलाई क्षमता क्रमशः लगभग 6.00 मिलियन तथा 4.00 मिलियन है। टर्मिनल-2ए तथा टर्मिनल-2सी की यात्री सम्भलाई क्षमता लगभग 2.5 मिलियन तथा 3.0 मिलियन है। टर्मिनल-1बी तथा टर्मिनल-2ए पहले से ही अपनी पूर्ण क्षमता तक उपयोग किए जा रहे हैं। निकट भविष्य में टर्मिनल-1ए की क्षमता को भी पूर्णतया इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। दिल्ली के टर्मिनल-1ए तथा टर्मिनल-1बी की वार्षिक यात्री सम्भलाई क्षमता क्रमशः लगभग 2.68 मिलियन तथा 1.34 मिलियन है। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की यात्री सम्भलाई क्षमता लगभग 4.6 मिलियन प्रति वर्ष है। दिल्ली के टर्मिनल-1बी को अपनी पूर्ण क्षमता तक उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2010 तक में टर्मिनल-1ए की क्षमता को भी पूर्णतया इस्तेमाल किए जाने की संभावना है।

पिछले वर्ष किए गए विशेषज्ञ अध्ययन के अनुसार भविष्यवाणी की गई है कि मुम्बई में टर्मिनल यात्रियों की संख्या वर्ष 2010 में 21 मिलियन, वर्ष 2015 में 30 मिलियन, वर्ष 2025 में 54 मिलियन तथा वर्ष 2040 में 102 मिलियन के पार हो जाने की आशा है। इसी प्रकार दिल्ली के मामले में टर्मिनल यात्रियों की संख्या वर्ष 2010 में 17.5 मिलियन, वर्ष 2015 में 25 मिलियन, वर्ष 2030 में 56 मिलियन तथा वर्ष 2040 में 85 मिलियन से अधिक हो जाने की आशा है।

दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के चालू आधुनिकीकरण तथा पुनर्संरचना सौदे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर 150 करोड़ रु. प्रति हवाईअड्डा तथा सकल राजस्व के 5% न्यूनतम अपफ्रंट भुगतान की परिकल्पना की गई। सौदे के उपरांत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओवरहैड लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी होने की उम्मीद है। परामर्शदाताओं द्वारा किए गए विशेषज्ञ विश्लेषण के अनुसार तथा अधिकतम रूढ़िवादी अनुमानों के साथ (आर.एफ.पी. में दर्शाए गए 5% के न्यूनतम राजस्व शेयर के साथ, यद्यपि ओ.एम.डी.ए. के रूप में वास्तविक राजस्व शेयर शुल्क उच्चतर होने की उम्मीद है), पूर्वानुमान अवधि (30 साल) के लिए जे.वी.सी. मार्ग के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों को अपने संसाधनों से विकसित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, छूट अवधि के लिए हवाईअड्डों से प्राप्त होने वाले नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक होने की उम्मीद है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 35 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के विकास की एक योजना है जिसके लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों पर अपनी निधि लगाने की स्थिति में, संगठन के लिए यह संभव नहीं होगा कि इन गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के विकास को अगे बढ़ा सके। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों को जे.वी.सी. को सुपुर्द करने के उपरांत, प्राधिकरण के एक लाभकारी संगठन बने रहने की आशा है।

संयुक्त उद्यम कंपनी को आवंटित कार्यों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जे.वी.सी. को कोई भी अन्य प्रमुख कार्य जैसे सुरक्षा, विमान यातायात नियंत्रण, संचार दिक्चालन तथा निगरानी प्रणाली, कस्टम, आप्रवास आदि न सौंपा जाए। आगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाईअड्डों पर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट (ए.टी.एम.) तथा कम्यूनिकेशन नेविगेशन एण्ड सर्वेसयेंस (सी.एन.एस.) सेवाओं को उन्नत करने की योजना भी बना रही है।

मैं इस सदन को अवगत करना चाहूंगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों तथा स्टाफ के साथ निरंतर संवाद बना हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्तमान कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु जे.वी.सी. के लिए यह बाध्यता रहेगी कि मुम्बई तथा दिल्ली हवाईअड्डों पर तैनात न्यूनतम 40% कर्मचारियों का विलय किया जाए। तथापि, यह सुस्पष्ट है कि लगभग सभी बोलीदाताओं द्वारा कर्मचारियों के उच्चतर प्रतिशत को विलय करने की उनकी मंशा प्रकट की गई है तथा इस तथ्य को बोलियों के मूल्यांकन के दौरान महत्व दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान कर्मचारियों की जे.वी.सी. में प्रतिनियुक्ति की अवधि को भी 3 वर्षों तक बढ़ाया गया है। इस तथ्य के मद्देनजर कि अगले 3 वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपनी गतिविधियों को अन्य हवाईअड्डों पर बढ़ाया जाएगा तथा इसके लिए उसे अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी। जे.वी.सी.

द्वारा विलय न किए गए कर्मचारियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य हवाईअड्डों पर तैनात किया जाएगा।

दिल्ली तथा मुम्बई एयरपोर्ट के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सलाहकारों द्वारा भी इस योजना की जांच की गई। इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों पर भी ई.जी.ओ.एम. द्वारा विचार किया जाएगा।

यह आवश्यक है कि देश के आर्थिक विकास में सहायता एवं गति प्रदान करने के लिए उपयुक्त एयरपोर्ट अवसंरचना का सृजन किया जाए। एयरपोर्ट अवसंरचना के विकास में व्यापक निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विदेशी निवेश आमंत्रण को टाला नहीं जा सकता, परन्तु भारतीय हाथों में प्रबंधन नियंत्रण को रखने के लिए विदेशी निवेश को, विशेषकर इस सौदे में, 49% तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली तथा मुम्बई एयरपोर्ट की पुनर्संरचना तथा आधुनिकीकरण पारदर्शी क्रियाविधियों पर आधारित है। यह विचारणीय परामर्शों की प्रक्रिया से गुजरा है। इस उद्देश्य के लिए बोलियों को आमंत्रित करने के पश्चात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उच्च कोटि के व्यावसायिक सलाहकारों को नियुक्त किया गया था। जे.वी.सी. में 74% इक्विटी स्टेक रखने वाली इच्छुक पार्टियों से रुचि अभिव्यक्ति मांगी गई थी और इससे संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों को ई.जी.ओ.एम. का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 17.02.2004 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड किया गया था। रुचि अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख 04.06.2004 थी, जिसे बाद में 20 जुलाई, 2004 तक बढ़ा दिया गया था।

यह विस्तार इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार द्वारा एफ.डी.आई. पर 49% कैप करने का अनुमोदन किया था, अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी भागीदारी को 10% तक प्रतिबंधित कर दिया गया, संयुक्त उद्यम कंपनियों में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि को 2 से 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि जिन बोलीकर्ताओं द्वारा अनिवार्य 40% से अधिक कर्मचारियों को अपने पास रखा जाएगा उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

10 कंपनियों द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2004 तक (अर्थात् ई.ओ.आई. प्राप्ति की अन्तिम तारीख) अपनी रुचि अभिव्यक्ति तथा प्रस्तुत की गई थी। इनमें से नौ कंपनियों को शार्ट-लिस्ट किया गया था। दिनांक 30 अगस्त, 2005 को शार्ट-लिस्ट किए गए नौ बोलीदाताओं को सौदा दस्तावेजों के प्रारूप जारी किए गए थे। दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को मुम्बई एयरपोर्ट के लिए छः पी.क्यू.बी. द्वारा अपने बोली प्रस्तावों (तकनीकी एवं वित्तीय दोनों बोलियां) तथा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए पांच पी.क्यू.बी. द्वारा अपने बोली प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया था। तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन का कार्य उन सलाहकारों की संयुक्त टीम को सौंपा गया था जिन्हें कि उनके कार्यक्षेत्र के मूल्यांकन के लिए अधिकृत किया गया था। सलाहकारों द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन कार्य की स्वतंत्र समीक्षा किए जाने के लिए एक सरकारी समीक्षा समिति (जी.आर.सी.) का गठन किया गया था। सलाहकारों की रिपोर्ट तथा जी.आर.सी. के रिपोर्ट की इस समय आई.एम.जी. द्वारा समीक्षा की जा रही है। मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह आई.एम.जी. की रिपोर्ट के आधार पर बोलीदाताओं की तकनीकी पूर्व अर्हता के बारे में निर्णय लेगा जिसके बाद सफल बोलीदाताओं के चयन हेतु संबंधित वित्तीय बोलियों को खोला जाएगा।

मोहम्मद सलीम : आपने ठीक ही कहा है कि यह विस्तृत और ज्ञानवर्द्धक वक्तव्य है। मैं इसकी सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप यही चाहते हैं। आप ज्ञानवर्द्धक वक्तव्य चाहते होंगे।

मोहम्मद सलीम : मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अधिकांश भाग से सहमत हूं। जहां तक मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों का संबंध है, हमने बार-बार अपनी चिंता व्यक्त की है। हमें विमानपत्तन पर उतरने से पहले घूमना पड़ता है क्योंकि यहां बहुत भीड़भाड़ होती है। माननीय मंत्री भी यह बात समझते हैं। नागर विमानन मंत्रालय तथा पर्यटन उद्योग तेजी से विकास कर रहे हैं। बहुत लम्बे समय बाद हमारी उपस्थिति दर्ज हुई है। हम समग्र अर्थव्यवस्था को आठ प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत विकास दर तक बढ़ा रहे हैं। यह सब परस्पर संबद्ध है तथा एकतरफा विकास होने के कारण मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि नागर विमानन उद्योग तथा अर्थव्यवस्था में विकास होगा। अनेक वर्षों से यह इन दो विमानपत्तनों पर निर्भर है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कानाफूसी मत कीजिए।

मोहम्मद सलीम : इसलिए इसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अचानक मंत्री महोदय आधुनिकीकरण और विस्तार पर बल देने लगे हैं। मैं आरंभ में राज्यसभा का सदस्य और पर्यटन और परिवहन संबंधी संसदीय स्थायी समिति का समापति था। वर्ष 1990 से नागर विमानन परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं। विमान कम्पनियों की तरह विमानपत्तनों के मामले में सरकार उचित समय पर निर्णय नहीं ले पाई तथा इससे सरकारी क्षेत्र की विमान कम्पनियां तथा विमानपत्तन प्राधिकरण ठप हो गया जिससे विस्तार का कोई काम नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

कृपया खर्च मत कीजिए। इसमें समय लगता है। इस समय आप तीव्रगामी और शीघ्र विस्तार की बात कर रहे हैं। मैं भी उससे सहमत हूं। अब तक सरकार की क्या स्थिति थी? 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री

[मोहम्मद सलीम]

ने कहा था -- यह आपके वक्तव्य में है -- कि आधुनिकीकरण की जरूरत है। संसद ने अधिनियम बनाकर यह प्राधिकार भारतीय विमान प्राधिकरण को सौंपा है। जनवरी, 2003 में उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार कर इसे पूर्ववर्ती सरकार को भेजा था। उसका क्या हुआ? यह एक तीव्रगामी मार्ग परियोजना थी। उन्होंने डी.एम.आर.सी., भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उदाहरण यह बताने के लिए दिया था कि यदि सरकारी एजेंसियों को स्वायत्तता दी जाए और उन्हें धन उपलब्ध कराया जाए तो वे किस प्रकार बड़े-बड़े कार्य करने में सक्षम हैं।

भारतीय विमान प्राधिकरण एक ऋण मुक्त कम्पनी है और इसका अपना एक संरक्षित कोष है। विमानन उद्योग की अपनी आय और लाभ का अधिकांश भाग इन्हीं दो हवाईअड्डों से आता है। अब मंत्री जी लाभों का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। वे लाभ कमाने वाले कारोबार को निजी कम्पनियों को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। राजग की सरकार -- श्री अनंतकुमार यहां उपस्थित हैं -- ने संयुक्त उद्यम का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया था। जहां तक दूसरे पैरा का सम्बंध है, मंत्रीजी ने स्वयं राजग सरकार के 11 सितम्बर, 2003 के निर्णय को स्वीकार किया है। उन्होंने भारतीय विमान प्राधिकरण की विस्तार योजना को त्याग दिया है। इस संबंध में कोई उत्तर नहीं आया है। राजग सरकार ने अपने वास्तविक रूप के अनुरूप ही संयुक्त उद्यम के माध्यम से इन दोनों हवाईअड्डों को निजी कम्पनी को सौंपने का निर्णय लिया था। अब इसमें एक बदलाव किया गया है। मंत्री महोदय से मेरा पहला प्रश्न यही है। बदली हुई परिस्थितियों में संप्रग सरकार और मंत्री महोदय, जो संप्रग सरकार के मंत्री हैं, न्यूनतम साझा कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दे रहे हैं। स्थायी समिति भारतीय विमान प्राधिकरण के लिए 'मिनी रत्न' के दर्जे की मांग कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि वे तत्कालीन सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ही चल रहे हैं या उन्होंने नए सिरे से अपनी सोच का इस्तेमाल किया है।

[हिन्दी]

एक जैनरेशन के बाद दूसरी जैनरेशन में बेटा अपने पिताजी से सवाल पूछता है कि आपने जो फैसला किया है, क्या वह फैसला ठीक लिया या नहीं? एक सरकार गई, दूसरी सरकार आई, क्या आपने यह कैबिनेट डिसिजन रिव्यू किया? नहीं किया। आप उसी तरह चल रहे हैं। संसद में स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि एक्शन टेकन के बारे में मंत्री महोदय खड़े होकर बताते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने अगस्त 2005 में मॉडर्नाइजेशन ऑफ एअरपोर्ट्स के बारे में कहा था। मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि यह उपलब्ध है। इसमें यह बात कही गई है कि बैंगलोर और हैदराबाद में क्या हुआ और उसका उदाहरण भी दिया गया। आप जिस मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं उसका असर क्या होगा? मंत्री महोदय ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी। मैं मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं। 1998-99 में प्रधान मंत्री जी ने जिस समय इसकी घोषणा की थी, मैं उस समय टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था। हम उस समय से मॉडर्नाइज, एक्सपैंड की बात कह रहे हैं। आप जानते हैं कि 9/11 के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि दिल्ली एयरपोर्ट में एअर स्पेस, बिल्डिंग बनाने से काम नहीं होगा। आपको 70 परसेंट एअर स्पेस नहीं मिलता हे जो फ्लाइट इनफर्मेशन लेता है। यहां पर रीअल ईस्टेट डेवलप करने से नहीं होगा। इसी वजह से स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि एक ग्रीन फील्ड एअरपोर्ट दिल्ली और मुम्बई के लिए चाहिए। अगर मैं आपकी स्टेटमेंट के थ्रू जाऊं तो जो आपने स्वयं कहा है और वह पैरा थ्री में दिया है। मैं उसे रीपिट नहीं करूंगा। मैं एग्री करता हूं। जो प्रोजैक्शन है जिस तरह से हमारे फ्रेट बढ़ेंगे, पैसेंजर्स बढ़ेंगे, फ्लाइट्स बढ़ेंगी, उनके लिए मॉडर्नाइजेशन का जो प्लान अभी कर रहे हैं क्या वह काफी है? इन एअरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज करके आप मुम्बई में अलग से रन-वे नहीं बना पाएंगे। आप रीअल इस्टेट डैवलप कर रहे हैं। अगर एअरपोर्टस डैवलप करना है तो जो अपने आंकड़ा दिया है, जिस तरह से 23 प्रतिशत की ग्रोथ है, तथा 2010 तक सैच्यूरेट हो जाएगी। आप 60 साल की प्लानिंग कर रहे हो। जब हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं तो 60 साल की बात कर रहे हैं। प्रोजैक्शन दिखा रहे हो और जिस तरह से बिजनेस बढ़ने वाला है वह काफी नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय दिल्ली और मुम्बई दोनों के लिए प्राइवेट टैक्सी चलाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें आने दीजिए और निवेश करने दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। ग्रीन फील्ड एअरपोर्ट बनाने की प्रपोजल एअरपोर्ट अथॉरटी की है।

यह सिविल मिनिस्ट्री का प्रपोजल था कि यह दिल्ली से थोड़ा दूर हों। यहां सिक्योरिटी भी है, वी.वी.आई.पी. मूवमेंट भी है और एयरफोर्स के सैंटर्स भी हैं इसलिए आप इसे अलग से जाकर बना सकते हैं और वर्ष 2050 तक के लिए एक प्रोजेक्शन लेकर काम कर सकते हैं। अगर लोग इतना पैसा डालने के लिए तैयार है, इंटरेस्टिड हैं तो आप उन्हें मौका क्यों नहीं देते हैं?

[अनुवाद]

आप अपनी परिसम्पत्तियों को दूसरे के हाथों में क्यों सौंपना चाह रहे हैं? ये दोनों हवाईअड्डे भारत सरकार तथा भारत की जनता की सबसे अच्छी परिसम्पत्तियां हैं। आप इन्हें क्यों दूसरे हाथों में सौंपना चाहते हैं।

[हिन्दी]

मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा कि इसे किस तरह से करें और अच्छे ढंग से कैसे करें।

अब मैं तीसरे प्वाइंट के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर आप देते हैं तो थोड़ा ट्रासंपेरेंटली अप्लाई होना चाहिए। आप अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए। इसमें थोड़ी फेयरनेस होनी चाहिए ताकि हम दुनिया में सर ऊंचा कर सकें और दिखा सकें कि हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या समझते हैं और कैसे कर सकते हैं। यह इम्प्रापर है। मैं एक के बाद एक सवाल मंत्री महोदय से पूछूंगा कि आप किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से यह इम्प्रापर है। मंत्री महोदय ··*(व्यवधान)* एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट इंडिया ऑथोरिटी के अधीन हैं। जहां एक एयरपोर्ट के संबंध में पार्लियामेंट का ताल्लुक है अधिनियम के अनुसार यह भारतीय विमान प्राधिकरण है। लेकिन नाम सिर्फ एयरपोर्ट ऑथोरिटी का है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन काम कर रही है। इसका अपहरण हो गया। यह सुपरवाइजरी मिनिस्ट्री है लेकिन टोटल प्रॉसेस को पास्ट फेस में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए कन्सलेटेन्ट रखे गए हैं। इसमें तीन कन्सलटेन्ट्स हैं-- लीगल, फाइनेंशियल और टेक्नीकल। कन्सलटेन्ट इवैल्यूएशन कमेटी ई.सी. बनाई गई है। इसे जी.आर.सी. (गवर्नमेंट रिव्यू कमेटी) रिव्यू करेगी। इसके बिहॉफ पर इंटरमिनिस्ट्रीरियल ग्रुप होगा, इसके बाद एमपावर मिनिस्टर ऑफ ग्रुप आएंगे। इसमें इतने मल्टी टायर्स हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत गंभीर है, बहुत जटिल है। यह आसान नहीं है। अपने कन्सलटेन्ट्स के बारे में जो इसमें दिया है, इस संबंध में हमारा प्रश्न है कि आपने किस तरह से कन्सलटेन्ट्स का चयन किया? यह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपने एग्रीमेंट में दिखाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को यह दिया गया है और इसमें कन्फलिक्ट ऑफ इंटरस्ट नहीं है। मेरे पास टूडे बिजनेस, का 4 दिसंबर का ए.बी.एन. एम्रो का विज्ञापन है। मैंने इसका नाम क्यों लिया? इस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। मैंने यह नाम इसलिए लिया क्योंकि जो बिग डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा गया है कि "ए.बी.एन. एमरो इस लेन-देन में भारतीय विमान प्राधिकरण का वित्तीय सलाहकार है और इस संव्यवहार प्रक्रिया का प्रबंधन कर रहा है।" वे कन्सलटेन्ट भी हैं और ट्रांजैक्शन प्रॉसेस में भी कन्सल्ट कर रहे हैं। 4 दिसंबर के विज्ञापन में कहा गया है और यह बहुत रुचिकर है। इसमें कहा गया है कि हम आपने ग्राहकों-ए.बी.एन. एमरो पर ध्यान दे रहे हैं। यह पब्लिकली बोल रहे हैं। अभी प्रॉसेस चल रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे न दिखायें। इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : मैं मैगजीन नहीं दिखा रहा हूं। मैं अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हूं। इसमें नंबर एक क्लाइंट है रिलाएंस इंडस्ट्रीज लिमिटिड और नवंबर पांच जी.एम.आर. है, यह दोनों बीडिंग प्रॉसेस में हैं। मैं इस प्वाइंट पर बाद में आऊंगा। क्या इसमें कोई कन्फलिक्ट इंटरस्ट हुआ। ··*(व्यवधान)*

बाकी लोगों पर भी आऊंगा, मैं एक-एक करके आ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे बोलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

मोहम्मद सलीम : सभी सलाहकारों ने नागर विमानन मंत्रालय को एक शपथ-पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें किसी भी बोली-दाता के साथ उनके हितों के सम्बन्ध में कोई संघर्ष नहीं है। आपको एनरॉन और एंडरसन के चर्चित मुकदमों के बारे में जानकारी होगी।

[हिन्दी]

एंडर्सन चार्टेड एकाउंटेट भी थे और कन्सलेटेन्ट भी थे। इन दोनों का क्या हुआ? एनरॉन का क्या हुआ और एंडर्सन का क्या हुआ यह पूरे विश्व के सामने है। हमारे वित्त मंत्री श्री चिदंबरम जी एनरॉन के वकील थे। जब सुप्रीम कोर्ट में एनरॉन का केस फंस गया, बहुत झमेला हुआ। जब वे दोनों बार मिनिस्टर बने तो उन्होंने खुलेआम कहा कि हम यह मामला नहीं देखेंगे, यह फाइल नहीं देखेंगे क्योंकि मैं एनरॉन का वकील था। यह ठीक बात है, यही स्टैंडर्ड है क्योंकि कन्फलिक्ट का विटनेस नहीं होना चाहिए। आपके यहां कन्फलिक्ट इंटरस्ट है। बैंक के बारे में नहीं है लेकिन लीगल कन्सलटेन्ट के बारे में है।

[अनुवाद]

कम्पनी के प्रबंध निदेशक अमर चंद मंगलदास इस प्रक्रिया में आपके विधिक सलाहकार हैं। वे बोलीदाता कम्पनियों में से एक के निदेशकमंडल में सदस्य भी हैं।

[हिन्दी]

इकोनोमिक्स टाइम्स में बड़े विस्तार से दिया हुआ है कि जब इनकी एक बड़ी कंपनी डीमर्जर हो रही थी, तो यह जिम्मेदारी मंगलदास को दी जा रही थी? वे कम्पनी के बहुत नजदीकी हैं। वे सब कुछ जानते हैं। यह फेयर होना चाहिये था, यह टांसपीरेंस होना चाहिये था। अब कम्पीटीशन हो रहा है, मगर आप कम्पीटीशन की बात करते हैं? आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टैक्नीकल इवैल्युएशन नहीं करेंगे, कम्पनी करेगी, एडवाइजर्स करेंगे लेकिन उनके अंदर कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरैस्ट है। इसलिये आप देखेंगे कि जब इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बैठी, वह फैसला नहीं कर पायी। यह मालूम होते हुये कि 13 दिसम्बर बांड्स की लास्ट डेट थी लेकिन कोई फैसला नहीं कर पायी। इसलिये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम यही कोट कर रहे हैं कि क्या जी.ओ.एम. या इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, वैलिड करेगी? कंसल्टेंस कर दिये हैं। कमेटी खुद कह रही कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर बाद

[मोहम्मद सलीम]

में मामला फंस गया, डूब गया तो तुम समझो। अभी बिना कोई जिम्मेदारी लिये हुये आप प्राइम असैट्स देने के लिये तैयार हैं। अगर आप चाहें तो मेरे पास पूरे डाकूमेंट्स हैं, मैं एक-एक कोट कर सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता यह क्या है?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी जो पढ़ रहे हैं उसे प्रमाणित कर रहे हैं क्योंकि मैंने इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं देखा है? उन्हें कम से कम उस चीज को प्रमाणित करना चाहिए जिसें वे पढ़ रहे हैं। यह केवल एक अनुरोध है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वस्तुतः पारदर्शिता के बारे में प्रश्न पूछने का आपका हक है। आप एक दस्तावेज से पढ़ रहे है लेकिन आपने मुझे कोई सूचना नहीं दी है। आखिरकार यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आँख में धूल मत झोंकिए। इसलिए, दस्तावेज में जो कुछ है उसके बारे में आप कह सकते हैं लेकिन जो दस्तावेज हमारे सामने मौजूद नहीं है उससे उद्धरण मत दीजिए। आप जो चाहे उसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री प्रफुल पटेल : मैंने आप सभी को वे दस्तावेज देने चाहे थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्पथी ने आपको अपनी बात जारी रखने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : रिलायंस म्युचुअल फंड के लिये विज्ञापन देते हैं जिसमें 5-6 ट्रस्टीज हैं जिनमें पांच रिलायंस कम्पनी के और एक ए.बी.एन.-एमरो का है, इसे कौन ऑथैंटीकेट करना चाहेगा? वे कस्टोडियन घोषित कर देते हैं।

[अनुवाद]

चूंकि मंत्री महोदय दस्तावेज पढ़ने के लिए मुझे उकसा रहे हैं इसलिए अब मैं दस्तावेज पढ़ता हूं।

श्री प्रफुल पटेल : मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : दस्तावेज में जो कुछ है आप उसे पढ़ सकते हैं। पढ़कर सुनाने में दिक्कत होगी। आप उसका सारांश रख सकते हैं।

मोहम्मद सलीम : मैं इस मुद्दे को संवेदनशील नहीं बना रहा हूं। मैं भावुक नहीं हो रहा हूं।

[हिन्दी]

लेकिन जो गवर्नमेंट रिव्यु कमेटी है मेरा यह कहना है कि हम इवैल्युएशन नहीं कर रहे हैं। एक हिसाब बनता है कि कम्पनी ने बता दिया है। ऐसा एअरप्लैन के बारे में दिया है। वह कम्प्लेंट टेक ओवर हो गई है ग्लोबल टैक्नीकल असिस्टैंस है और आपके जो बिडिंग एसोसिएट करके मैक्सिकन से लेकर आये हैं, उसके बारे में एक आर्टिकल है जो स्पैनिश में है जिसे मैं कोट नहीं कर रहा हूं। फिर भी मैक्सिकन एअरपोर्ट गवर्नमेंट रन है जो अच्छी नहीं होने के कारण उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। उसकी 15 परसेंट से ज्यादा इक्विटी नहीं है। आप दिल्ली और मुम्बई एअरपोर्ट किसलिये उसे दे रहे हैं। उसे पार्टनर करके ला रहे हैं? यह किसके हाथ से किसे दे रहे हैं? पिछले साल मुम्बई का 120वां रैंक था और जिसे दे रहे हैं, उनका 119वां रैंक है। इन प्रकार दोनों 19-20 हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता निहित होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य चार और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

मोहम्मद सलीम : यह रिपोर्ट विमान प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रलाय के कहने पर तैयार की गयी है। यह निश्चित करने के लिए कि पी.क्यू.बी. द्वारा प्रस्तुत कोई दस्तावेज या जानकारी प्रमाणिक, सत्य और विश्वसनीय है कोई भी स्वतंत्र खोज नहीं हुई है या नहीं करायी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप कहां से पढ़ रहे हैं?

मोहम्मद सलीम : मैं नागर विमानन मंत्रालय द्वारा गठित त्रिसदस्यी मूल्यांकन समिति द्वारा तेयार मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रत्याख्यान से पढ़ रहा हूं। मैं समिति के सदस्यों के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। उनका नाम है ए.बी.एन. एमरो, एयर प्लान और मंगलदास।

[हिन्दी]

जिनके ऊपर यह डिपैन्ड कर रहे हैं कि हमने कोई इवैलुएशन नहीं किया है।

[अनुवाद]

मैं वाक्य पूरा कर रहा हूं। यह कहा गया है :

"ए.बी.एन. एमरो और एयर प्लान ने माना है कि बोली सम्बंधी दस्तावेज हर तरह से प्रमाणिक, सत्य और विश्वसनीय हैं।

तद्नुसार, हमने रिलायंस -- रिलायंस कंपनी -- कैपिटल आर नहीं है -- को रिपोर्ट तैयार करते समय समान दर्जे में रखा है। ए.बी.एन. एमरो, और एयर प्लान के प्रतिनिधि ने पी.क्यू.बी. द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज या जानकारी की सत्यता की जांच नहीं की है। यह रिपोर्ट, इसमें की गई टिप्पणियां, और इसके निष्कर्ष मूल्यांकन दल द्वारा बोली दस्तावेजों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित हैं।"

अध्यक्ष महोदय : आपको उनको प्रमाणित करना होगा। अन्यथा, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

मोहम्मद सलीम : मैं उन्हें प्रमाणित करूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह सामान्य प्रथा नहीं है। आपको इसे पीठासीन अधिकारी को देना होगा। आपको पीठासीन अधिकारी को सूचित करना होगा। आप किसी चीज को ऐसे ही फेंक नहीं सकते हैं और कह देंगे कि मैं इसे प्रमाणित करता हूं। मैं आपसे इसका उल्लेख करने के लिए कहता आ रहा हूं।

मोहम्मद सलीम : यह बाजार में उपलब्ध है। योजना आयोग के प्रतिनिधि ने एक नोट के माध्यम से यह कहा है कि यह न्यायिक प्रक्रिया की जांच के लिए नहीं होगी और यह संसद की जांच के लिए होगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको इसका उल्लेख करने से नहीं रोक रहा हूं। मैंने केवल आपको इसे पढ़ने पर आपत्ति की थी।

मोहम्मद सलीम : यह बहुत गम्भीर है। यह कहा गया है :

" न तो ए.बी.एन. एमरो/एयर प्लान न ही उनके कर्मचारी अथवा सलाहकार कोई प्रतिवेदन अथवा वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत करेंगे अथवा इस रिपोर्ट के किसी कथन अथवा उसमें भूल अथवा इसकी सत्यता, पूर्णता अथवा विश्वसनीयता के संबंध में कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व स्वीकार करते हैं और इस रिपोर्ट की सत्यता, विश्वसनीयता अथवा पूर्णता के बारे में किसी कानून, सांविधि, नियम अथवा विनियम के अंतर्गत कोई दायित्व नहीं उठायेंगे।"

[हिन्दी]

यह एंडरसन की यूनियन कार्बाइड, भोपाल में हुई गैस ट्रेजेडी की तरह होता जा रहा है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। आप कहां से पकड़ कर ले आये, पता नहीं है। मैं इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मेरा सवाल स्पष्ट है कि हम प्राइम असैट को हैन्ड ओवर कर रहे हैं, जिसका प्रोसैस ट्रान्सपेरेन्ट और फेयर नहीं हैं। आप जो कम्पिटीशन की बात करते हैं, कम्पिटीशन कहां है। आपने शॉर्टलिस्ट करके दो या तीन को चुन लिया। उसके बाद कहते हैं कि हम डिटेल्स में नहीं जायेंगे। कन्सल्टैन्ट्स की बात ही सुन लेंगे। विश्व के सात बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स में से छः एयरपोर्ट्स हमारे एशिया में हैं। इसलिए मैं एशियन होने के नाते गर्वित हूं। हमें एक भी ऐसा इंटरनेशनल स्टैन्डर्ड का एयरपोर्ट नहीं मिला, जिससे हम मशविरा ले सकें, कन्सलटेन्सी कर सके और यहां काम कर सकें। आप वर्ष 2050 तक एयरपोर्ट्स के बारे में आप सोच रहे हो, आप ढूंढकर निकालो, कम्पिटीशन ऐसा करो कि विश्व में जितने अच्छे-अच्छे एयरपोर्ट्स हुए हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी या गवर्नमैन्ट डिजाइन का कम्पिटीशन करे ग्लोबल टैन्डर मंगवाती है और उसके बाद सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बनता है। चूंकि यह एयरपोर्ट कोई कल के लिए नहीं बन रहा है। मंत्री जी शायद एक-दो साल रहेंगे, यह सरकार चार-पांच साल रहेगी, लेकिन एयरपोर्ट हमारे मुल्क में 60-70 या 100 सालों तक रहेगा। इसलिए आपको उस तरह की बात सोचकर काम करना पड़ेगा, यह आज के टैम्पोरेरी गेन्स के लिए नहीं है।

[अनुवाद]

यह घोटाला सामने आ रहा है। मैं संप्रग सरकार को इस पर ध्यान देने के लिए कह रहा हूं। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे पूरी प्रक्रिया को बदलने वाले हैं और नए सिरे से विचार करेंगे तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से दुनिया में जाकर इसे पुनः शुरू करके तथा विमानपत्तन का निर्माण करने के लिए कहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) महोदय, बोली प्रक्रिया से लेकर मूल्यांकन और छंटाई तक जिस प्रकार सभी चीजों को किया गया है, उस संदेहास्पद तरीके को देखकर मैं उलझन में हूं। एकमात्र उद्देश्य था इन दो विमानपत्तनों को किसी को सौंपा जाना जहां से सरकार अपने राजस्व का साठ प्रतिशत अर्जित कर रही है। ये दो विमानपत्तन अब निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। जब मुझे माननीय मंत्री के वक्तव्य से पता चला कि इन दोनों विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण और उन्नयन का निर्णय 1998 में लिया गया था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या पहले की राजग सरकार ऐसा निर्णय लेने के लिए सक्षम थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह निर्णय 2003 से पहले लिया गया था जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया था। अधिनियम में संशोधन करने से पहले सरकार ने इन दो विमानपत्तनों को सौंपने, आधुनिकीकरण और उन्नयन का निर्णय कैसे लिया और उसके लिए संयुक्त उद्यम का मार्ग कैसे अपनाया?

महोदय, उससे पूर्व उस समय अधिनियम आपको संयुक्त उद्यम की अनुमति नहीं देता था *(व्यवधान)* भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम ने आपको संयुक्त उद्यम का मार्ग अपनाने की अनुमति नहीं दी थी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह केवल प्रश्न पूछ रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य कृपया अपना प्रश्न पूछिये। हमने इस पर पहले ही बहुत समय ले लिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब 2003 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ... *(व्यवधान)*। 2003 से पहले केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास ही विमानपत्तनों की आधुनिकीकरण और उन्नयन करने का अधिकार था ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : उस संगठन ने इन विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव कब पेश किया? उस समय कोई सकारात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई? एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने स्वीकार किया है और इन्होंने बताया है कि प्रस्ताव ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : वैकल्पिक प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की यूनियनों के संयुक्त फोरम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि अन्य प्रस्तावों के साथ उनके प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। वैकल्पिक प्रस्ताव सरकार को कब प्रस्तुत किया गया था? उस पर एक्सप्रेशन ऑफ ईंटेरेस्ट (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करने से पूर्व विचार क्यों नहीं किया गया? इन्होंने बताया है कि इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या 5 दिसम्बर को प्रस्ताव मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह को भेजा गया था। क्या यह सच है कि मंत्रियों के अधिकारप्राप्त समूह ने प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी नहीं चाहते; आप जानकारी दे रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : बोली, मूल्यांकन इत्यादि हर चीज की जा चुकी है। इस सभा द्वारा और हर व्यक्ति द्वारा संदेह व्यक्त किये गये हैं। यह कार्य पारदर्शी तरीके से नहीं किया गया। बल्कि यह संदेहास्पद तरीके से किया गया हैं ... *(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : इतनी संदेहजनक बात और आप अभी भी इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी समीक्षा करेगी और इन दो विमानपत्तनों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपने से परहेज करेगी ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि विपक्ष की आपत्ति तरीको को लेकर थी।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : पहले सदस्य ने कहा था कि यह एक घोटाला है ... *(व्यवधान)* अब, वे कह रहे हैं कि यह संदेहजनक तरीके से किया गया है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे और मत उलझाइये।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, क्या माननीय मंत्री किसी विदेशी परामर्शदाता (जी.टी.ए.) की कुछ सिफारिशों के कारण ही इतने महत्वपूर्ण मुद्दे की अनदेखी कर देंगे? महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन नहीं। कृपया केवल प्रश्न पूछिये।

श्री सुनील खां : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और एक प्रश्न भी है। यह बोली प्रक्रिया कैसे चल रही है जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश को 62,784 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यह वही बात है।

श्री सुनील खां : यह केवल काल्पनिक घाटा है। यदि प्रतिस्पर्धा समाप्त की जाती है तो यह और ज्यादा हो सकता है। महोदय, मैं केवल इसी बात पर आ रहा हूं कि यह कैसे होने वाला है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 'कैसे' नहीं है। 'यह कैसे है' इसे पहले ही बताया जा चुका है। केवल प्रश्न कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुनील खां : यदि सकल राजस्व वर्तमान 600 करोड़ रुपए के वर्तमान आंकड़े की तुलना में 1200 करोड़ रुपए माना जाता है तो इसका अर्थ होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लगभग 60 करोड़ रुपए ओ.एम.डी.ए. शुल्क के रूप प्राप्त करने योग्य हैं। कृपया इसकी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आज के निवल लाभ से तुलना कीजिये। 84 चालू और 42 बंद विमानपत्तनों में से 11 विमानपत्तनों को परिचालन के अपने वर्तमान स्तर पर 796 करोड़ रुपए का लाभ होगा। दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों का निवल लाभ 272 करोड़ रुपए और 345 करोड़ रुपए है। उन्होंने क्रमश: 34 प्रतिशत और 43 प्रतिशत योगदान दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा है कि इस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आप क्या बोलते हैं?

(व्यवधान)

श्री सुनील खां : यह 272 करोड़ रुपए में से 60 करोड़ रुपए घटाकर 212 करोड़ रुपए का घाटा है ··*(व्यवधान)* हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और आम जनता का धन निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, विशेषकर ए.एस.ए., जिसके पास विश्व स्तर की कोई निजी विशेषज्ञता नहीं है, में कैसे जाएगा। इसलिए, हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि सरकार को पैसे की हानि कैसे हो रही है और यह पैसा कैसे और कहां से आता है?

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती आपको केवल प्रश्न पूछना है क्योंकि विस्तृत चर्चा पहले ही हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं केवल प्रश्न कर रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। पहला प्रश्न यह है।

क्या यह सच है कि मै. ए.बी.एन. एमरो जो कि दिल्ली और मुम्बई आधुनिकीकरण प्रक्रिया के लिए मुख्य परामर्शदाता और वित्त सलाहकार चुने गए थे मै. रिलायंस और मै. जी.एम.आर. ग्रुप के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं में मुख्य वित्त सलाहकार रहे हैं और इसने इनके लिए काफी धन की भी व्यवस्था की है। ··*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इसे श्री सलीम के प्रश्न के साथ जोड़ सकते हैं। श्री सलीम ने ऐसा ही प्रश्न पूछा है। यह वही प्रश्न है। इन्होंने वही प्रश्न किया है जो आपने किया है। इसलिए, आप कहिए कि आप वह प्रश्न कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती : नहीं महोदय। यह मुख्य बात है। दूसरे, क्या यह सच है कि मै. अमरचंद एण्ड मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर श्री सिरिल श्राफ रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के एक निदेशक थे और रिलायंस समूह की अलग किये जाने की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़े हुए थे जो कि एक विश्वासपत्र व्यक्ति द्वारा की जानी थी।

अध्यक्ष महोदय : कोई आक्षेप कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किए जाएं। आप एक वक्तव्य दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिना सूचना दिए आप कोई आक्षेप नहीं लगा सकते।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त निदेशक के रिलायंस एनर्जी लि. बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है और उसके पश्चात् मै. अमरचंद एंड मंगलदास को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना हेतु विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको साथ बैठकर निर्णय करना चाहिए था कि किसे क्या प्रश्न करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : यद्यपि छः कंपनियों ने तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन की शर्तों को पूरा किया तथा साथ ही निविदा दस्तावेजों की निबंधन और शर्तों को भी स्वीकार किया फिर किस प्रकार बोली लगाने वाली दो कंपनियों मैसर्स रिलाइन्स तथा मैसर्स जी.एम.आर. को वित्तीय बोली के लिए किस प्रकार योग्य ठहराया गया? ··*(व्यवधान)*

क्या यह सत्य है कि दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण प्रक्रिया में परामर्शदाता ने परियोजना के परिणाम के प्रति किसी प्रकार की जबावदेही अथवा जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है? ··*(व्यवधान)*

महोदय, कृपया मुझे एक मिनट की अनुमति दें मैं इसे पूरा कर लूं।

क्या यह सत्य है कि ए.एस.ए. मैक्सिको के साथ भागीदार कंसोर्सियम जिसकी विश्व हवाईअड्डों में 119वीं वरीयता को वित्तीय बोली के लिए चुना गया है जबकि अन्य विमानपत्तन समूहों की अनदेखी की गयी? यदि ऐसा है तो इसके कारणों का उल्लेख किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : चक्रवर्ती जी, आप सुन चुके हैं इस प्रकार का प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। आप भी इन्हीं प्रश्नों को दोहरा रहे हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं। हम हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण के विरुद्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री अजय चक्रवर्ती : हमारा कहना है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 2500 करोड़ पूंजीगत राशि के साथ लाभ अर्जित कर रहा है। विभाग से संबंधित स्थायी समिति ने भी 26 अगस्त, 2005 को अपनी रिपोर्ट में दिल्ली तथा मुंबई हवाईअड्डों के निजीकरण का विरोध किया है। यहां तक कि तकनीकी विशेषज्ञों, इजीनियरों ने 18 जून, 2004 को मंत्रालय द्वारा निजीकरण के विरुद्ध एक वैकल्पिक प्रस्ताव विभाग के समक्ष रखा था। जिसे संबंधित विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उम्मीद है कि आप चाहते हैं कि कोलकात्ता हवाईअड्डे का भी आधुनिकीकरण किया जाए।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं माननीय मंत्री महोदय को केवल यह याद दिलाना चाहूंगा कि वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के मंत्री हैं। वे एन.डी.ए. सरकार के मंत्री नहीं हैं। यह सरकार न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के आधार पर कार्य कर रही है। न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में यह शामिल किया गया था कि लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। परन्तु वे न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के विरुद्ध जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, अपना प्रश्न रखने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने जो कॉलिंग अटेंशन दिया था, उसमें छोटे शहरों के एयरपोर्टस के डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन की महत्वपूर्ण बात मैंने कही थी। मेरी आपसे विनती है कि उस पर भी चर्चा का अवसर मुझे दीजिएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसे आप मल्हौत्रा जी पर छोड़ दीजिए। उस पर मल्हौत्रा जी कहना चाहते हैं।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अयक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन छोटे-छोटे प्रश्न पूछना चाहती हूं ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आपने मांग की है इस पर हम एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी के अनुसार यदि कहीं 120-125 हवाईअड्डे हैं और उनमें से 50-60 अच्छी तरह से फंक्शनल होंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह केवल दिल्ली तथा मुंबई के लिए है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : दिल्ली और मुम्बई ऐसे एयरपोर्टस ऐसे हैं, जहां से 60 प्रतिशत प्रॉफिट आता है। मैं पूछना चाहती हूं कि यदि आप ये दोनों एयरपोर्टस जे.वी.सी. में दे देंगे तो नॉन-प्रॉफिटिंग एयरपोर्टस की देखभाल आप कैसे करेंगे? आपकी उसके लिए क्या योजना है? नॉन-मैट्रोज़ सिटीज़ के एयरपोर्टस जैसे कि अहमदाबाद, आगरा और विशाखापट्टनम इत्यादि के प्राइवेटाइजेशन के लिए भी क्या आपने कुछ ऑफर देने की सोची है।

आपने अपनी स्टेटमेंट में एक बात कही है कि यदि हम ये दोनों हवाईअड्डे दे देते हैं तो करीब पांच हजार करोड़ रुपये 35 नॉन-मैट्रोज़ सिटीज़ के लिए आवश्यक हैं, वह आप रख सकोगे या दे सकोगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यह आपने एक वाक्य लिखा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पिछले दस साल में इन दो एयरपोर्टस पर कितना खर्च या इन्वेस्ट किया है और कितना प्रोफिट हुआ है? इसका रेशो भी बताएं, ताकि हमें यह तसल्ली जो जाए, कि वास्तविकता में कुछ बेच करके आप नॉन-मैट्रोज के लिए पैसा दे सकेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें नॉन-मैट्रोज़ की बात नहीं है।

[अनुवाद]

यह आधुनिकीकरण में निजी कंपनियों को शामिल करने से है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : तीसरी बात मैं पूछना चाहती हूं कि आपने कहा है कि आप प्रोफिट मैकिंग कमर्शियल एक्टिविटीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सौवेनियर एक्टिविटीज़ का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सौवेनियर एक्टिविटीज़ के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि उनके ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। आज कंजैशन की बात भी हो रही है। उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है तो आप कहां से पैसा लाएंगे? क्या आपने इस बारे में कोई योजना बनायी है?

चौथी बात मैं पूछना चाहती हूं कि इक्विटी वाइडली डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए आपने क्या योजना बनायी है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुमित्रा जी, ठीक है, अब हो गया।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, मैं तो केवल प्रश्न पूछ रही हूं, कोई बात नहीं कह रही हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नॉन-मैट्रोज़ एयरपोर्टस से ऊपर नहीं,

[अनुवाद]

विशेषतौर पर हवाईअड्डों के मामलों में

[हिन्दी]

जिनका प्राइवेटाइजेशन हो गया है। आपको फिर से मौका दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, मेरी पांचवीं बात तो पूरी होनी चाहिए थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार मल्होत्रा।

[अनुवाद]

केवल एक प्रश्न क्योंकि दुर्भाग्यवश आपका नाम नहीं आया है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, ऐसी स्थिति में मैं नहीं बोल सकता। ऐसा घोटाला, इस प्रकार की सन्देहजनक बातें सुनी जा रही हैं··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं? नियमानुसार किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर केवल पांच सदस्य ही बोल सकते हैं। फिर भी मैं आपके निवेदन पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ठीक है महोदय, मैं फिर केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा।

[हिन्दी]

क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि इनके अपने मंत्री श्री कमलनाथ ने एक बयान दिया था। क्या वह ठीक है, वह सही है? उन्होंने कहा है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। यह मामला गड़बड़ तरीके से किया जा रहा है, खराब तरीके से किया जा रहा है। क्या यह बात सही है। मुम्बई और दिल्ली एयरपोर्टस, ये दोनों बनने चाहिए और जल्दी से जल्दी बनाइए, लेकिन क्या उसका तरीका यह है कि दो-चार बड़े ग्रुप्स, कैपटलिस्ट मिलकर के उसको इस तरह से मैनेज कर लें। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि ए.बी.एन. एमरो, जिसको कि आपने सिलैक्ट किया है, इनके भी वही लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सारे स्कैण्डल को बना रहे हैं, सारे स्कैम बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डूबियस तरीके से किया जा रहा है। उसके बारे में सारी बातें स्पष्ट करें। आगे चलकर के इस बारे में आपके क्या प्रिकॉशन्स हैं और इस बारे में सारी बातें स्पष्ट करें। आगे चलकर के इस बारे में आपके क्या प्रिकॉशन्स हैं और इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सिम्मलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय के भाषण के दौरान व्यवधान ना डाले।

[हिन्दी]

आप लोग बैठ जाइए। आप शान्त रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अजय चक्रवर्ती जी क्या कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वो आपके प्रश्न का उत्तर ना दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री खारवेल स्वाईं, कृपया बैठ जाइये, श्री अजय चक्रवर्ती कृपया बैठ जाइये अन्यथा मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि वो प्रश्न का उत्तर ना दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही में इस प्रकार व्यवधान नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब कार्य अच्छी तरह चल रहा है, फिर भी गड़बड़ करते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा कही जा रही बातों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठेंगें? आप उनके साथ बहस कर सभा की कार्यवाही में व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सभी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नंदी जी कृपया उनके साथ बहस न करें। कृपया बैठ जाइये। यह बहुत ही अनुचित है। यह शोभा नहीं देता।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। निसन्देह यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर कोई आधुनिकीकरण की बात कर रहा है परन्तु आपको धैर्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रफुल पटेल : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार आपकी सहायता सहयोग और प्रोत्साहन से चला रहे हैं। हमारा एक राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम है जिसके प्रति हम सभी वचनबद्ध हैं और कायम हैं।

प्रश्न यह है कि भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण का भविष्य क्या होगा? इस प्रश्न का पहला उत्तर यह है कि भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण को ना ही तो बेचा जा रहा है और ना ही इसका निजीकरण किया जा रहा है। भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण एक संस्था है जो देश के हवाईअड्डे चलाने में अग्रणी भूमिका अदा कर रही है। इस विषय को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण जैसी अग्रणी संस्था के बिना देश के हवाईअड्डों को चलाने तथा उनके विकास का कार्य पूरा नहीं हो सकता। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का सम्मान करते हैं जिसके अनुसार विमानापत्तन प्राधिकरण अग्रणी संस्था बनी रहे।

यहां पर मुबंई तथा दिल्ली हवाईअड्डों के विषय को उठाया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत में विमानन सेवा पिछले 58 वर्षों से है इतनी ही पुरानी हमारी स्वतंत्रता है विमानन सेवा मुंबई तथा दिल्ली हवाईअड्डों पर ही केंद्रित रही है यदि आप देश के सम्पूर्ण विकास को देखें तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। जैसा कि प्रश्न काल तथा अन्य समय जब मैं सभा में उपस्थित हूं तथा महोदय आपके माध्यम से भी मैंने अनुभव किया है कि हवाई सुगमता बढ़ती हुई चिंता का विषय बनता जा रहा है तथा सभा के सभी सदस्यों की इच्छा है कि हमें अपने कार्यकलापों में वृद्धि करनी चाहिए।

ऐसा करने के पीछे इस बात को ध्यान में रखा गया, कि क्या भारतीय विमानापत्तन प्राधिकरण के मुंबई तथा दिल्ली हवाईअड्डों में हमे पूंजी निवेश करते रहना चाहिए? जिसमें अधिक निवेश की आवश्यकता है या हमें अपने संसाधनों का प्रयोग देश भर में फैले हवाईअड्डों को विकसित करने में करना चाहिए? मेरे विचार से इस तर्क पर यह नीति बनाई गयी और इसे लागू किया गया।

महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुंबई और दिल्ली विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रमुख विमानपत्तनों में से हैं। शायद इसीलिए हमारे माननीय सदस्यों द्वारा ऐसी चिन्ताएं व्यक्त की गयी हैं कि यदि मुंबई और दिल्ली विमानपत्तन हाथ से निकल जाते हैं तो विमानपत्तन प्राधिकरण का क्या होगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऐसी उन तमाम बातों को ध्यान में रखा है जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस प्रक्रिया में अभिकल्पित किया गया था। अब, हमने इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय एन.सी.एम.पी. तथा कर्मचारी संघ के हितों का भी ध्यान रखा है क्योंकि वे भी इस संपूर्ण प्रक्रिया के भागीदार रहे हैं। हम उनके प्रति समान रूप से चिंतित हैं और चाहते हैं कि उनका भविष्य अच्छा और सुरक्षित रहे। इसीलिए हमने विमानपत्तन प्राधिकरण तथा इसके कर्मचारियों के दीर्घकालीन और भावी हितों को ध्यान में रखते कुछ निर्णय लिये हैं।

मैं आपको इसकी पृष्ठ भूमि बताना चाहूंगा। मूलरूप से इस विचार को पूर्ववर्ती सरकार ने आगे बढ़ाया था कि मुंबई और दिल्ली स्थित विमानपत्तनों को संयुक्त उद्यम की ओर ले जाया जाये। पर सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन पत्तनों को बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम जो बात सोच रहे हैं वह यह है कि कुछ वर्षों के लिए इन्हें हम संयुक्त उद्यम में रखें। इसे वास्तव में 'ए' 'बी' या 'सी' पार्टी, जो संयुक्त उद्यम का हिस्सा होगी, को आस्तियां बेचना या हस्तांतरित करना नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जब हम सत्ता में आये तब कई ऐसे संसद सदस्यों और राजनीतिक दलों द्वारा चिंताएं व्यक्त की गयीं जो हमें समर्थन दे रहे हैं। विमानपत्तन कर्मचारियों ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हमें इस प्रक्रिया को मूलरूप से अभिकल्पित प्रक्रिया के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने भी अपनी समझ के अनुसार इस मामले में एक अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया ताकि इस मामले में अधिक से अधिक विचार-विमर्श किया जा सके तथा अधिक विशेषज्ञता हासिल की जा सके। इसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा कि इस प्रक्रिया के कारण पैदा होने वाली चिंताओं का भी सार्थक हल हो सके।

सत्ता में आने के बाद सबसे पहले हमनें कर्मचारियों से इस बारे में बात की। इसके पूर्व की प्रक्रिया में यह तय किया गया था कि प्रत्येक कर्मचारी संभाक्ति संयुक्त उद्यम कंपनी में दो साल के लिए प्रति नियुक्ति पर माना जायेगा। इसके बाद, कर्मचारियों के भविष्य का कुछ पता नहीं था। ऐसा भी हो सकता था कि वह संगठन में नौकरी करता रहता या फिर नौकरी से हाथ धो बैठता। लेकिन हमने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि हमारे शत-प्रतिशत कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहे। इसलिए काफी सावधानी बरतते हुए हमने यह सुनिश्चित किया कि भागीदार कंपनी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी कर्मचारियों को तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखे। इसके बाद संयुक्त उद्यम यह सुनिश्चित करेगा इन विमानपत्तनों के 40 प्रतिशत कर्मचारियों को संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा नौकरी में बनाये रखा जाये।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इन विमानपत्तनों के 10 से 15 प्रतिशत कर्मचारी विमानपत्तन प्राधिकरण के इन्हीं विमानपत्तनों पर नौकरी करते रहेंगे और यदि कोई शेष कर्मचारी बचते हैं और उन्हें

संयुक्त उद्यम द्वारा आमेलित नहीं किया जाता है तो उन्हें विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आमेलित कर लिया जायेगा। जैसा कि मैं कहता आया हूं यह इसलिए होगा क्योंकि विमानपत्तन प्राधिकरण एक ऐसा संगठन है जो निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। पूरे देश में नये विमान पत्तनों की मांग के साथ-साथ पहले से विद्यमान पत्तनों पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग हो रही है। इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि विमानपत्तन के प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान के साथ नौकरी पर बनाये रखा जायेगा। संयुक्त उद्यम के लिए बोली लगाने वालों को भी यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि न्यूनतम 40 प्रतिशत की अनिवार्यता से अधिक कर्मचारियों को आमेलित करने वाले संयुक्त उद्यम को वरीयता दी जायेगी।

अतः, जहां तक कर्मचारियों का संबंध है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन पत्तनों पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के भविष्य की पूरी सुरक्षा की है। पूर्व में ऐसा प्रावधान नहीं था। उन्हें कोई रोजगार सुरक्षा प्राप्त नहीं था। मैं आपको यह वचन देता हूं कि कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा और भारत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को इसी तरह का आश्वासन दिया है।

इस मुद्दे पर विचार करते समय कि भविष्य में विमानपत्तन प्राधिकरण का क्या होगा, यहां पर इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि विमानपत्तन प्राधिकरण केवल मुंबई और दिल्ली के विमानपत्तनों से ही लाभ अर्जित करते हैं क्योंकि इन्ही दो पत्तनों पर हवाई यातायात सबसे अधिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं गत डेढ़ वर्षों से स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। कई ऐसे विमानपत्तन हैं जहां से बहुत अधिक विमान उड़ान भरते हैं। घाटे में जा रहे कई विमानपत्तनों का घाटा कम हुआ है और कई घाटे में जा रहे विमानपत्तन लाभ कमाने वाले विमानपत्तन बन गये हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके भाषण में व्यवधान पैदा न करें।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री प्रफुल पटेल : मैं इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस संशोधित दस्तावेज और संशोधित प्रक्रिया, जिसे हमने अपनाया है, में यह सुनिश्चित किया गया है कि एअर ट्रैफिक कंट्रोल तथा सी.ए.एन., सी.टी.एम. या जो कुछ भी हो, मुंबई और दिल्ली विमानपत्तनों से होने वाली आय भारतीय विमानपत्तन के पास ही बनी रहेगी। यह आय ही सकल आय का अच्छा खासा हिस्सा है। इसी के परिणामस्वरूप, आय के एक हिस्से को संरक्षित रखा जा सकता है। मैं आपको एकदम सही प्रतिशत नहीं बताना चाहता क्योंकि तब कोई न कोई बात बनायी जाने लगेगी, लेकिन यह 45 प्रतिशत से अधिक होगी। यदि यह आय हमारे पास रहती है और वह संयुक्त उद्यम के पास नहीं जाती तो मुंबई और दिल्ली विमानपत्तनों के लाभ से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इसमें एक कदम और आगे बढ़ा हूं। यह आय सुनिश्चित करने के अलावा, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि राजस्व में भी कुछ हिस्सेदारी मिले। इसके लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत राजस्व को अनिवार्य बनाया गया है। जब निविदाएं खोली जायेंगी, तो हमें पता नहीं वे किस तरह की होंगी, लेकिन उनमें कम से कम पांच प्रतिशत की हिस्सेदारी की बात होगी या इससे अधिक भी हो सकती है। इस सभी आय को मिलाकर जो निरंतर बढ़ती रहेगी, इस बात का कोई कारण नज़र नहीं आता कि लोग इस बात को लेकर संशय करें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक लाभार्जक संगठन रहेगा कि नहीं। हम इतने पर ही नहीं रुके अपितु इससे भी आगे बढ़े हैं। मूल प्रस्ताव में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की बात कही गयी थी और भारतीय विमानपत्तन के पास केवल 26 प्रतिशत हिस्सेदारी की बात कही गयी थी। लेकिन हमने अपने कर्मचारियों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय किया कि मुंबई और दिल्ली विमानपत्तनों के लिए हमारी विशेष नीति होनी चाहिए।

इस सब कार्य-व्यापार में विमानपत्तनों की सुरक्षा और सकल प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे भी उठाये गये। हमने कहा है और हम इस बारे में विशेष बैठक बुलायेंगे। हमने दिल्ली तथा मुंबई विमानपत्तनों के पुनर्गठन के मामले में एफ.डी.आई. 74 प्रतिशत से घटाकर 49 प्रतिशत कर दी है। इसी के परिणामस्वरूप हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि कम से कम पांच प्रतिशत अंशधारिता भारतीयों के पास रहे। सुरक्षा से संबंधित मुद्दे भी उठाये गये थे। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सुरक्षा संबंधी बातों का समाधान भारत सरकार द्वारा ही किया जायेगा। सुरक्षा का दायित्व संयुक्त उद्यम के भागीदारों के हाथों में नहीं सौंपा जायेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जायेगी और ऐसा भी नहीं होगा कि भारतीय विमानपत्तन के पास आय का कोई साधन नहीं रहेगा। महोदय मैंने एककदम और आगे बढ़ते हुए, यह निर्णय लिया है कि हम कम से कम 35 दूसरे मैनू-मेटो विमानपत्तन विकसित करेंगे और जैसा कि महाजन जी ने उल्लेख किया है हमें उन्हें बहुत ही उच्च स्तर का बनायेंगे जिससे उन विमानपत्तनों की पहचान अच्छी क्वालिटी वाले विमानपत्तनों की बन सके। ये विमानपत्तन अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले विमानपत्तन होंगे। ये विमानपत्तन यातायात बढ़ने और समय गुजरने के साथ-साथ भारतीय विमानपत्तन के लिए उत्तरोत्तर अधिक पैसा अर्जित करने लगेंगे।

महोदय, हमें इस कार्य के लिए पैसा जुटाना होगा। यह मेरे कहने या स्थायी समिति के कहने या हमारे मित्रों के कहने से सच नहीं हो सकता कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास रिजर्व में पैसा है या नहीं। उसके पास रिजर्व में पैसा होने के जो आंकड़े बताये जाते हैं मुझे अब इस पर संदेह है। लेकिन मेरी इस मान्यता के बावजूद उसके पास रिजर्व में अच्छा खासा पैसा है। पर यदि हम उस रिजर्व पैसे को मुंबई या दिल्ली के विमानपत्तनों पर खर्च कर देते हैं, तो फिर दूसरे विमानपत्तनों का क्या होगा। वास्तव में हम ऐसा

[श्री प्रफुल पटेल]

करने में सक्षम है। मेरा पक्का विश्वास है कि दलगत भावना से ऊपर उठते हुए इस सभा उन सभी सदस्यों की आंकाक्षाएं, जिन्हें कई बार इस सभा में भी व्यक्त किया गया है तब तक दूर नहीं हो पायेंगी जब तक हम आजादी के 58 वर्षों के बाद भी यही मानते हैं कि मुंबई और दिल्ली के विमानपत्तन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण विमानपत्तन हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि चाहें जयपुर हो, त्रिवेन्द्रम हो, लखनऊ हो गुवाहाटी हो, कोलकाता, चेन्नई या भुवनेश्वर हो, सब जगह विमानपत्तनों की जरूरत है। इसलिए मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और वह सवाल यह है कि इन स्थितियों से कैसे निपटा जाये। लेकिन मैं इससे भी एक कदम आगे जाते हुए कहना चाहूंगा कि इस संबंध में पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। इस संबंध में वैश्विक, तकनीकी, वित्तीय तथा विधिक सलाहकारों के बारे में कुछ मुद्दे उठाये गये थे। ··*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें··*(व्यवधान)* मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसकेलिए जितने भी लोगों को नियुक्त किया गया है सबको उचित प्रक्रिया के माध्यम से ही नियुक्त किया गया है। इसमें किसी तरह की मनमानी नहीं चली है कि अमुक-अमुक व्यक्ति इस-इस क्षेत्र के सलाहकार होंगे। उनकी नियुक्ति एक प्रक्रिया के अधीन हुई है। अब मैं उस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताना चाहूंगा। इसके लिए दो भागों में बोलियां लगायी गयी थीं। एक तकनीकी बोली थी और एक वित्तीय बोली लगायी गयी थी। तकनीकी और वित्तीय बोलियां साथ-साथ लगायी गयीं। जब ये दोनों बोलियां -- वित्तीय और तकनीकी - लगायी गयीं उस समय बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा थी। अभी भी इस मामले में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है। इस मुद्दे का समाधान निकालना शेष है। सबसे पहले तकनीकी सलाहकार को-रिपोर्ट देनी होती है। इसके बाद सरकारी समीक्षा समिति है। तत्पश्चात् अंतरमंत्रालयीय समूह आता है और इसके बाद यह शक्तिप्राप्त मंत्रि समूह के पास जाती है। किसी भी स्तर पर प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जाता है।

माननीय सदस्यों ने अनेक शंकाएं व्यक्त की हैं। हमें कई पत्र और अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं और इनमें से कई सदस्यों ने अपने नाम लिखे हैं और कुछ ने पत्रों में नाम नहीं लिखे हैं। हमने इन्हें उचित स्थान पर भेज दिया है ताकि यह सुनिश्चित और जांच हो सके कि शिकायतें किस तरह की हैं। यहां पर जो कुछ भी उल्लेख किया गया है, उस पर निश्चित रूप से उचित विचार किया जाएगा। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त सभी बातों को नोट किया जा रहा है। इस तरह से किसी भी स्तर की अनेदखी नहीं हो सकती है। अब तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि चूंकि कोई भी रिपोर्ट अंतिम नहीं है, जो कुछ भी पढ़ा गया है अथवा कारण बताए गए हैं, उन पर विश्वास करके वक्तव्य या स्पष्टीकरण न देकर बहुत सावधानी बरत के ऐसा करना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी अन्य मुद्दों का समाधान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, देश तथा विश्व के हवाई यातायात के समग्र विकास के हित में हो ··*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। ··*(व्यवधान)* हम इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 1.06 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने पूर्ण पारदर्शिता का आश्वासन दिया है।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : महोदय, वह उन प्रश्नों का उत्तर देने से बचे जो मैंने पूछे हैं ··*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.06½ बजे

(इस समय श्री मोहम्मद सलीम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह निकाय इसकी जांच करेगा।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, जिस तरह से माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है, हम उससे पूर्णतः असंतुष्ट हैं ··*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.06¾ बजे

(इस समय श्री अजय चक्रवर्ती और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा भवन से बाहर नहीं जा सकता हूं इसलिए मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 15, विधेयक का पुरःस्थापन लेंगे।

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2005*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगली मद नियम 377 के अधीन होगी।

क्या इसे सभा पटल पर रखना संभव नहीं है?

(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, इसमें मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 15.12.2005 में प्रकाशित।

(एक) हिमाचल प्रदेश में हरे पेड़ों की कटाई पर लगे प्रतिबंध के कारण आवर्ती घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को विशेष आर्थिक मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश की वन सम्पदा की ओर दिलाना चाहती हूं जिसका अनुमानित मुल्य (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों सहित) लगभग एक लाख करोड़ रुपए आंका गया है। इतनी बड़ी सम्पदा उपलब्ध होने के बावजूद, पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र की संवेदनशीलता और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने राष्ट्र हित में हरे वृक्षों के कटान पर रोक लगा रखी है, जिससे प्रदेश में हरे वृक्षों का व्यावसायिक कटान पूर्णरूप से बंद है। इससे हिमाचल प्रदेश को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है, लेकिन केन्द्र सरकार ने उसकी भरपाई हेतु कोई प्रयास नहीं किए हैं। मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश, जो राष्ट्रहित में अपने हितों की कुर्बानी दे रहा है, वृक्षों के कटान रोक के कारण हो रही क्षति की पूर्ति के लिए उसे तत्काल 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष विशेष आर्थिक सहायता दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस.के. खारवेनथन।
श्री ए. साई प्रताप।

(दो) राजमपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सौ करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री ए. साई प्रताप (राजमपेट) : महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव के कारण हाल ही में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चक्रवात से तबाही हुई है।

महोदय, एक रात ओबुलावरीपल्ली के मंडल मुख्यालय में 390 मि.मी. की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। राजमपेट और कोड्डूर विधानसभा क्षेत्र, आठ मंडल मुख्यालयों में 7500 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए जिससे अनेक ग्रामीण बेघर हो गए। अनेक टैंक/जलाशयों में दरारें पड़ गई तथा बाढ़ के पानी ने सड़कों, पुलिया और पुलों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे सड़क परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया।

जिला प्राधिकारियों ने दोनों क्षेत्रों में 8000 एकड़ भूमि में हुई केला, पपीता, आम, संतरा, नींबू, पान के पत्ते जैसी फसलों तथा धान के खेतों को हुए भारी नुकसान, हानि को देखा और उसे दर्ज किया

[श्री ए. साई प्रताप]

है। इस स्थिति से ग्रामीण जनता और किसानों की शांतिपूर्ण जिंदगी बर्बाद हो गई है।

इन दयनीय स्थितियों में, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्थिति से निपटने हेतु तदर्थ आधार पर कम से कम 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता तत्काल प्रदान करे। यह धनराशि पूरे राज्य में पिछले माह में चक्रवाती प्रभाव के कारण हुई पूर्व क्षति के लिए 800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अतिरिक्त है। इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है कि वह राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु तदनुसार आंध्र प्रदेश राज्य को यह सहायता जारी करें।

(तीन) तमिलनाडु के पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वेदासेन्थुर, कंगयम और कल्लिमंडियम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खारवेनथन, भविष्य में जब कभी आप बोलना चाहें तो आपको पहले अपने स्थान पर जाना होगा।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी में बेदासेन्थुर तालुक में वेदासेन्थुर, कंगयम तालुक में कंगयम और ओड्डानचत्रम तालुक ने कल्लिमंडियम बहुत महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है। वेदासेन्थुर में लगभग 30 कताई मिल तथा अनेक वस्त्र इकाइयां हैं। यह करूर और डिंडीगुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर स्थित है। लेकिन दुर्भाग्य से वेदासेन्थुर शहर में कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। वेदासेन्थुर के लोग चाहते हैं कि यहां पर केनरा बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा हो।

इरोड जिले में कंगयम मक्खन, घी और कपड़े के लिए प्रसिद्ध केन्द्रों में से एक है। लगभग 30 मक्खन और घी उद्योग यहां कार्यरत हैं। सैंकड़ों हथकरघा कपड़ा उद्योग यहां कार्यरत हैं। इस क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि यहां केनरा बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सुविधा हो।

कल्लिमंडियम ओड्डांचत्रम तालुक में सबसे बड़े केन्द्रों में से एक है। कल्लिमंडियम मक्खन, घी और वित्तीय संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र से भैंसें और अन्य पशु देश के अन्य भागों में भेजे जाते हैं। यहीं से सब्जियां और खाद्यान्न भी उत्तरी भारत में भेजे जाते हैं। इस क्षेत्र के व्यापारी चाहते हैं कि यहां पर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा विशेष रूप से केनरा बैंक की शाखा हो अथवा कोई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हो।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वेदासेन्दुर, कंगयम तथा कल्लिमंडियम में शीघ्र बैंक शाखाएं खोलने हेतु बैंक प्राधिकारियों को निदेश दें।

(चार) कर्नाटक के तुमकुर जिले में नारियल किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए नारियल के पेड़ों को प्रभावित करने वाली भयानक बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए उपयुक्त एहतियाती उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर) : महोदय, कर्नाटक का तुमकुर जिला भारी सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है क्योंकि पिछले चार वर्षों में यहां पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। भूजल स्तर 660 फीट से कम होकर 700 फीट हो गया है। नारियल के पेड़ ब्लैक मिंड, रूट विल्ट आदि जैसे विभिन्न रोगों से प्रभावित हैं। वे जिले जहां नारियल के उत्पादन में बहुत ज्यादा गिरावट आई है, वे तुमकुर, कोलार, बंगलौर, तथा चिकमंगलूर और हासन के कुछ भाग हैं। यहां तक कि नारियल का आकार भी अपने मूल आकार से कम होकर एक चौथाई रह गया है। नारियल बागान के मालिक अपने बैंक ऋण कि किस्त अदा करने की स्थिति में नहीं है। कुछ छोटे किसान जो मुख्यतः नारियल के पेड़ों पर निर्भर हैं, ने आत्महत्याएं की हैं। खोपरा के निर्यात में काफी कमी आई है जिसे भारत का विदेशी मुद्रा अर्जन प्रभावित हुई है। इन संकटपूर्ण परिस्थितियों में भारत सरकार को कर्नाटक में नारियल उत्पादकों के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि नारियल उत्पादकों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा देने तथा उन्हें संकट से बचाने हेतु एक व्यापक पैकेज बनाना चाहिए।

(पांच) रेलवे में कार्यरत चलंत कर्मिकों, जिसमें "गार्ड" भी शामिल हैं की शिकायतों को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : महोदय, आर.ए.सी., 2002 की सिफारिशों के संबंध में सामान्यतः रेलवे के सचल कर्मचारियों और विशेषरूप से गार्ड श्रेणी में काफी असंतोष है। आर.ए.सी., ने सेवानिवृत्त लाभ के लिए वेतन अंश 55 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत कर दिया है तथा अन्य लाभ के लिए इस वेतन अंश को 30 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया। यह भी सिफारिश की गई है कि सचल भत्ते की दर 83.40 प्रति सैंकड़ा कि.मी. से कम करके 75.50 प्रति सैंकड़ा कि.मी. कर दिया जाए जिससे सचल कर्मचारियों के सचल भत्ते का लाभ बुरी तरह से बाधित होगा। इससे सचल कर्मचारियों में अत्यधिक असंतोष पैदा हुआ है और वह आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं।

इस समय मान्यताप्राप्त दोनों संघ ऑल इंडिया गार्ड कांउसिल के वैद्य अधिकार का समर्थन कर रहे हैं। और अधिक जटिलताओं से बचने तथा सचल कर्मचारियों से सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा तुरंत हस्ताक्षेप करने का अनुरोध है।

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

(छह) उड़ीसा में के.बी.के. क्षेत्र के विकास के लिए पुनरीक्षित दीर्घावधि कार्य योजना को वर्ष 2007-08 से पांच वर्षों की अवधि तक जारी रखने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, कालाहांडी-बोलनगीर-क्योंझर जिलों (के.बी.के.) के लिए संशोधित दीर्घावधिक कार्य योजना (आर.एल.टी.ए.पी.) में वर्ष 1998-99 से 2006-07 तक के 9 वर्षों की अवधि के लिए भारत सरकार के विशेष हस्तक्षेप की परिकल्पना की गई है। यद्यपि वर्ष 1998-99 में आर.एल.टी.ए.पी. के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मात्र 46 करोड़ रुपए थी, इसे वर्ष 2001-02 में बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये, वर्ष 2002-03 में 200 करोड़ रुपये और 2003-04 से आगे के वर्षों के लिए 250 करोड़ रुपये कर दिए गए। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सामाजिक बुनियादी ढांचे के गठन के माध्यम से लोगों के रहन-सहन के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्ष 2007-08 से आरंभ करते हुए कम से कम पांच वर्षों के लिए के.बी.के. क्षेत्र में इस तरह का केन्द्रीय हस्तक्षेप जारी रहना चाहिए। के.बी.के. का मुख्यालय कालाहांडी ज़िले में भवानीपटना में स्थित होना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पंकज चौधरी -- अनुपस्थित।

(सात) गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सूरत विशाल औद्योगिक क्षेत्र है जिसकी आबादी 40 लाख से भी अधिक हो गई है परन्तु उद्योगों की संख्या एवं आबादी को देखते हुए सूरत में डाकघरों की संख्या बहुत ही कम है जिसके कारण लोगों को एवं उद्योगों को अपना काम-काज करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को अपने पैतृक गांव में पैसा भेजने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डाक सुविधाओं के अभाव में अन्य प्राइवेट कुरियर काफी लाभ कमा रहे हैं। अगर डाक विभाग अपनी सुविधाओं को बढ़ाता है तो यह राजस्व डाक विभाग को मिलता। साथ ही सूरत का डाक भवन पुराने भवन में चल रहा है और जर्जर अवस्था में है। उसे नये भवन में स्थानांतरित किया जाना अति आवश्यक है। लोगों ने बताया है कि डाकघरों में डाक टिकट एवं मनी आर्डर भी नहीं मिलते हैं।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सूरत की आबादी एवं उद्योगों की संख्या के आधार पर और नये डाकघर खोले जायें एवं डाक भवन स्थित मुख्यालय को नये भवन में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही डाक भवन में सभी डाक सामग्री की उपलब्धि सुनिश्चित की जाए।

(आठ) पश्चिम बंगाल में उत्तर और दक्षिण 24 परगना में सुन्दरवन क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त रेल सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर) : महोदय, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र (जिला उत्तर और दक्षिण 24 परगना) जिसका एक बड़ा भाग मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मथुरापुर (अ.जा.) के अंतर्गत आता है, के लोग पर्याप्त रेल सेवा सुविधा के अभाव में कष्ट झेल रहे हैं।

मैं जयपुर से रायदिघी, केनिंग से सोनखली, जयनगर को जानतला तथा पार्क सर्कल से धामरवली के लिए रेलवे नेटवर्क सुविधाएं बढ़ाए जाने, बरूईपाड़ा - डायमंड हार्बर खण्ड का दोहरीकरण किए जाने का अनुरोध करता हूं जहां बरूईपाड़ा-मगराहाट उप खण्ड तथा बरूईपाडा - लक्ष्मीकांतापुर - काकद्वीप खण्ड पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है यह दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित क्षेत्रों के रेल यात्री इन खण्डों पर एकल लाइन पर भारी दबाव के कारण बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

सियालदाह - लक्ष्मीकांतापुर - काकद्वीप खण्ड में निसचिंदपुर और काशीनगर स्टेशनों के बीच माधवनगर रोड़ पर यथाशीघ्र एक ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र के लोगों की परेशानियां यथाशीघ्र कम करने हेतु कदम उठाए जाएं।

(नौ) केरल में परंपरागत मछुआरों को राज सहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का विशेष आबंटन किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, राज्य सरकार ने वर्ष 1990 से मछुआरों को उनकी नौकाओं के लिए आउट बोर्ड इंजन चलाने हेतु मिट्टी का तेल आबंटित किया। इन्हें मछली पकड़ने के लिए 15,500 परमिट जारी किए गए हैं जो प्रतिमाह 5,200 कि.ली. मिट्टी के तेल की आवश्यकता के लिए हैं। मार्च, 2001 तक केरल को मिट्टी के तेल का आबंटन 33,174 कि.ली. प्रतिमाह था। केन्द्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10,000 कि. लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह कम किया है। तद्नुसार, भारत सरकार द्वारा राज्यों को आबंटित मिट्टी के तेल में कमी करने पर राज्य सरकार मत्स्य क्षेत्र के लिए आवश्यकता का केवल 50 प्रतिशत दिया जाता है। इसलिए मछुआरों को खुले बाजार से अधिक मूल्यों पर मिट्टी का तेल खरीदना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप मछुआरों का शोषण होता है। सुनामी के पश्चात् मछली पकड़ने का काम भी कम हुआ है और उन पर ऋण का बोझ है। उन्हें ऋण भार से मुक्त करने के उद्देश्य से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे केरल में परम्परागत मछुआरों को राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल का विशेष आबंटन करें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पारस नाथ यादव -- अनुपस्थित
श्री अनिरुद्ध प्रयाद यादव -- अनुपस्थित

(दस) उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव (चन्दौली) : उपाध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ व अन्य राज्यों की तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश के चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों में भी तेजी से बढ रहा है। उसका एकमात्र कारण यह है कि वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया जिसके कारण बहकावे में आकर वे नक्सलियों का साथ दे रहे हैं। जंगलों में आदिवासी एवं आम लोगों को न पीने के पानी का इंतजाम है, न शिक्षा का और न ही जंगलों में कोई रोज़गार है। अत: आर्थिक तंगी के कारण यहां के गरीब एवं आदिवासी लोग नक्सलियों में भर्ती हो रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र बिहार से लगा हुआ है। इसलिये चन्दौली, सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिलों के लिये पीने का पानी, शिक्षा एवं रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये जाने अत्यंत आवश्यक हैं। उक्त जिले उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिलों में से हैं।

मेरे चन्दौली क्षेत्र में सिंचाई के लिये बन्धों एव नालों का ही एकमात्र सहारा है। नहरों की हालत जर्जर होने के कारण पानी खेतों तक नहीं पहुंचता। अत: किसानों की खड़ी फसलें सूख जाती हैं। जिस कारण किसान भुखमरी के कगार पर खड़ा है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त बन्धों, नहरों की मरम्मत के लिये केन्द्र सरकार अलग से अनुदान उपलब्ध कराये तथा उक्त जिलों की गरीब जनता को शिक्षा, पीने के पानी एवं रोज़गार मुहैया कराये ताकि यहां का नवयुवक वर्ग नक्सलवाद से न जुड़ सके और पूर्वांचल के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सेठी -- उपस्थित नहीं
श्री अजय चक्रवर्ती -- उपस्थित नहीं

(ग्यारह) पांडिचेरी में शीघ्र पंचायत चुनाव कराए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी, जो पहले एक फ्रांसीसी उपनिवेश रहा है, अपनी स्थानीय निकाय संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक कि विलय के बाद भी वहां 1968 तक स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से होते रहे थे। लेकिन तब से अब तक, 37 वर्षों तक, वहां इन निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं। इसके परिणामस्वयप जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और योजना प्रक्रिया से लोगों का संबंध जानबूझकर काट दिया गया है। यह संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद भी हो रहा है जिसमें इन निकायों के एक निर्धारित समयावधि पर चुनाव कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य बनाया गया है। एक बार जब संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन इन निकायों के चुनाव कराने को तैयार था तो किसी ने मद्रास उच्च न्यायालय में कई आपत्तियां उठाकर इसे रोक दिया। अब चुनाव आयोजित कराने की स्वीकृति दे दी गई है। फिर भी वहां चुनाव कराए जाने का कोई संकेत नहीं मिलता। इसीलिए, मैंने गत वर्ष संसद में यह मुद्दा उठाया था। माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। अब, एक वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है परन्तु चुनावों का कोई संकेत नहीं है। चूंकि पांडिचेरी, एक संघ राज्य क्षेत्र है अत: वहां पंचायतों के चुनाव आयोजित कराने की पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की है। चुनाव आयोजित कराने में असाधारण विलंब एक प्रकार से संविधान का उल्लंघन है। इसलिए, उसे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को मई 2006 में आयोजित किए जाने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को आयोजित करने के लिए तत्काल आदेश जारी करने चाहिएं। पांडिचेरी के बहुसंख्य लोगों के यही विचार हैं और भारत सरकार को इन लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। 37 वर्षों के पश्चात् निचले स्तर पर विकास और लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों को आर्थिक विकास और विकेन्द्रीकरण का लाभ मिलेगा।

(बारह) चाय पर लगाए गए वैट को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को निदेश जारी किए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, आंध्र प्रदेश में चाय उद्योग पर 12.5 प्रतिशत वैट लगाया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश ही ऐसे दो राज्य हैं जहां 12.5 प्रतिशत वैट लगाया गया है जबकि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुरूप अन्य राज्यों ने इसे घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। वैट की ऊंची दर के कारण चाय के मूल्यों में वृद्धि होगी तथा चाय के मूल्य संवेदी उत्पाद होने के कारण प्रभावित होंगे तथा इसके उपभोग में कमी आ सकती है। चाय के उपभोग में कमी और उसके परिणामस्वरूप मांग में कमी के कारण चाय उत्पादकों की आय में कमी होगी जिससे उस उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जो गत पांच वर्षों से घोर मंदी का सामना कर रहा है। इसलिए, उपभोक्ता को जिस मूल्य पर वस्तु मिलती है इसे तर्कसंगत स्तर पर रखना ही उचित होगा।

भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और एक प्रमुख निर्यातक है। इससे हमारे देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारतीय रेल के बाद चाय उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है जिसमें लगभग 50 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। रोजगार के यह साधन चाय के उपभोग में निरंतर वृद्धि पर निर्भर करता है। इस

अवसर पर चाय पर वैट में वृद्धि किए जाने से चाय से उपभोग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जिससे चाय बागान उद्योग में लगे लाखों लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।

महोदय, वैट की ऊंची दर होने के कारण पड़ोसी राज्यों से इसका आगम बढ़ जाएगा क्योंकि वहां वैट की दर कम है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार पर वैट की दर को कम करके चार प्रतिशत तक लाने हेतु दबाव डाले।

(तेरह) अप्रत्याशित तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लद्दाख और लेह क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति हवाई जहाज द्वारा करने के लिए टनेज का कोटा और सेवा विमानों में गैर सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री छेवांग थुपस्तन (लद्दाख) : महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रत्याशित आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर लगायी गई अपर्याप्त अधिकतम भार सीमा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण लेह और कारगिल की लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट परिषद, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो जिलों के नागरिक प्रशासन और व्यापक रूप से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि हम रक्षा मंत्रालय द्वारा आवश्यकता के समय नागरिक प्रशासन और स्थानीय जनसंख्या को प्रदान किए जाने वाले सहयोग के लिए आभारी हैं वहीं दूसरी ओर रक्षा बलों तथा नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने हेतु लद्दाख जैसे संवेदनशील व रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में इसे और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि लद्दाख वर्ष के छह से अधिक महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहता है अतः वहां के स्थानीय प्रशासन और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और नागरिकों को सेना के विमानों में विशेषकर श्रीनगर से कारगिल और तुब्रा से चंडीगढ़ लाने ले जाने के लिए सैन्य बलों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम भार क्षमता में वृद्धि करने तथा नागरिकों को पूर्व की भांति ही लाने ले जाने की सुविधा को पुनः बहाल करें, मेरी जानकारी के अनुसार यह सेवा अभी स्थगित कर दी गई है।

अपराह्न 2.27 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2005-06 -- जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद संख्या 17 -- अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) -- पर विचार करेगी। कल इसपर चर्चा पूरी हो चुकी थी। अब, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं इनमें से 17 लोगों ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर इस चर्चा में भाग लिया। मैं उनके द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों के लिए भी उनका आभारी हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें नई नहीं हैं। सामान्यतः, बजट के बाद, अगस्त के महीने में अनुपूरक अनुदानों की मांगों के लिए पहला अनुरोध किया जाता है और इसके पश्चात् दूसरा अनुरोध सामान्यतः दिसम्बर के महीने में किया जाता है। इस बार, वस्तुतः अनुपूरक अनुदानों की मांगों का दूसरा अनुरोध बहुत थोड़ी सी राशि के लिए हे जो नकदी के निर्गम को परिलक्षित करता है। यह केवल 1,965 करोड़ रुपये है और गत वर्षों की अनुपूरक अनुदानों की मांगों के दूसरे अनुरोध की तुलना में बहुत सकारात्मक है।

ये व्यय, जिन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए हम संसद को कह रहे हैं, अपरिहार्य हैं। ये अनुदानों की मांगों में अधिसूचित हैं। माननीय सदस्यों द्वारा प्रमुख मदों को नोट किया गया है। ये उर्वरकों पर राजसहायता, राज्य व्यापार निगमों के बकाया दावों को निपटाने, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को पुनरुज्जीवित करने हेतु एकमुश्त प्रावधान करने और राष्ट्रीय कपास निगम को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति करने हेतु हैं। माननीय सदस्यगण इसकी प्रशंसा करेंगे कि इसमें से प्रत्येक मद की आवश्यकता बजट प्रस्तुत होने तथा अनुपूरक मांगों के पहले अनुरोध के पश्चात् उत्पन्न हुई है। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि मैं इस सभा से अधिक धन की मांग करने के लिए आभारी हूं।

महोदय, विपक्ष के प्रमुख वक्ता, श्री कैलाश जोशी, ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं और स्पष्ट रूप से यह कहा है कि मुझे उन सभी का उत्तर देना चाहिए। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं लेकिन संभवतः उनके लिए आज उपस्थित रह पाना संभव नहीं रहा होगा। महोदय, जैसा भी हो श्री जोशी द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं पर मुझे जल्दी-जल्दी प्रकाश डालने दीजिए क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल की ओर से श्री जोशी ही प्रमुख वक्ता थे।

ग्रामीण गोदाम : यह नाबार्ड और एन.सी.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित किया जा रही योजना है। दिनांक 30 नवम्बर, 2005 तक लगभग 10,816 ऐसी परियोजनाएं मंजूर कर ली गई थीं जिनकी क्षमता 1,54,85,000 टन की थी। कुल अर्ह राजसहायता 434.23 करोड़ रुपये थी जिसकी तुलना में कृषि और सहकारिता विभाग ने 330.55 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिये थे। इसलिए, यह एक ऐसी योजना है जिसे बड़ी ही सक्रियता से क्रियान्वित किया जा रहा है

[श्री पी. चिदम्बरम]

और मुझे आशा है कि और कई गोदाम बनेंगे और इस देश में बड़ा भंडारण क्षमता का निर्माण होगा।

मांग सं. 7, गोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा, के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि कल्याण आयुक्त से आग्रह किया गया कि वे मुआवजे का वितरण शुरू करें और इसे 15.11.04 से 31.4.05 के बीच पूरा-कर लें। तदनुसार, विगत वर्ष मैंने 315.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था लेकिन 212.02 करोड़ रुपये का वितरण किया गया। इस साल हमने 663.71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और सितम्बर के अंत तक 419.76 करोड़ रुपये का वितरण हो चुका था। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने शेष राशि के भुगतान के लिए उच्चतम न्यायालय से समय बढ़ाने के लिए आग्रह किया है और आगे यदि वितरण का काम करना है तो मैं पैसे का प्रबंध करने के लिए सावधानी बरत रहा हूं ताकि वितरण किया जा सके।

मांग सं. 8 के अंतर्गत श्री जोशी ने पूछा है कि उर्वरक राज-सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान आवश्यक क्यों हो गया है। यह इस कारण आवश्यक हो गया कि क्योंकि उर्वरक के लिए कच्चे माल, जैसे -- नाफ्था और अमोनिया की कीमतों में वृद्धि हो गई है जो वस्तुतः कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का परिणाम है।

मांग सं. 18 के सम्बंध में श्री जोशी ने सुपर बाजार के कर्मचारियों की मजदूरी के बारे में जानना चाहा है। सुपर बाजार का अब परिसमापन किया जाना है। उच्चतम न्यायालय में एक मामला लम्बित है। बड़ी संख्या में स्टाफ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत पहले ही सेवा छोड़ चुके हैं लेकिन उपभोक्ता मामले विभाग ने शेष बचे थोड़े से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है। हम उन्हें उनका वेतन देने से इन्कार नहीं कर सकते। इसलिए, 42 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि थोड़े बचे कर्मचारियों को वेतन दिया जाए।

मांग सं. 32 के अंतर्गत श्री जोशी ने जानना चाहा है कि मैं भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ पैसे का भुगतान क्यों कर रहा हूं। राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड योजना की परिपक्वता अवधि 1980 मे पूरी हो रही थी और इसमें पैसा लगाने वालों को शुद्ध स्वर्ण के रूप में उनके परिपक्वता मूल्य का भुगतान किया जा रहा था। फिर भी जब इन स्वर्ण छड़ों का वजन निर्धारित किया गया तो इसमें 494.5 ग्राम का अंतर था। स्पष्ट तौर पर हमें इस अंतर वाले मूल्य को पूरा करना था और इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि चूंकि खाते का समाधान किया जा चुका था अतः साफ तौर पर हमें संसद से हमें धन देने के लिए मांग करनी थी और भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान कर इस खाते को बंद करना था। यह बहुत ही छोटी राशि थी।

मांग सं. 34 के संबंध में श्री जोशी ने जानना चाहा था कि स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन-फंड के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि अलग से क्यों निर्धारित की जा रही है। दूसरे माननीय सदस्य, शायद श्री सत्पथी, ने आई.डी.बी.आई. का मामला उठाया था। तथ्यात्मक स्थिति क्या है? तथ्यात्मक स्थिति यह है कि आई.डी.बी.आई. को एक कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने वाला अधिनियम पूर्ववर्ती सरकार के मार्ग-निर्देशन में लोक सभा द्वारा पारित हुआ था।

मुझे यह अधिनियम विरासत में मिलाया था। इस प्रकार हमें मा.ओ.वि. बैंक लि. मिला जो एक अन्य आनुषंगिक मा.ओ.वि. बैंक जो एक पूर्ण बैंक था, के साथ अब एक पूर्ण बैंक था। मूल बैंक की कोई शाखाएं नहीं थी। आनुषंगिक बैंक की शाखाएं थी। इसलिए, इस सभा द्वारा पारित अधिनियम के एक तार्किक उपगमन के रूप में भा.औ.वि. बैंक लि. को भा.औ.वि. बैंक के साथ विलय करना ही था। इसलिए इसका विलय कर दिया गया। स्ट्रेस्ड एसेट्स, गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों को पृथक किया गया है और स्ट्रेस्ड एसेस्ट्स स्टेबिलाइजेशन फंड का निर्माण किया गया है। अब इस स्ट्रेस्ड एसेस्ट्स स्टेबिलाइजेशन फंड को 250 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो इसे सक्षम बनाएगा क्योंकि 250 करोड़ रुपये की यह राशि वसूली के माध्यम से एस.ए.एस. से वापस मिल रही है। यह भा.औ.वि. बैंक के पुनजीर्वित होने के संकेत हैं। जिस सरकार की प्रतिभूतियों को पुनः खरीदने के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिन्हें हमने पुनर्गठन पैकेज के रूप में जारी किया था।

मांग सं. 41 के संबंध में श्री जोशी ने जानना चाहा था कि एक लाख रुपये का प्रावधान क्यों किया जा रहा है। यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के सर्वेक्षण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता के परीक्षण के लिए 2.34 करोड़ रुपये के परिव्यय को जुटाने के लिए किया जा रहा है। चूंकि 2.34 करोड़ रुपये एक नए शीर्ष के तहत खर्च करने होंगे इसलिए एक सांकेतिक प्रावधान के रूप में 1 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रकार माननीय सदस्य, श्री जोशी का प्रश्न का जबाव मिल गया होगा।

मैंने माननीय सदस्यों को बड़े ध्यान से सुना है जिन्होंने अर्थव्यवस्था तथा अर्थ-व्यवस्था की दिशा पर सामान्य विचार दिए हैं। मैं उनका आभारी हूं। हम माननीय सदस्यों के विचारों पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

हमने इस सभा में मध्यवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्यों को इस मध्यावधि-समीक्षा को पढ़ने का अवसर मिला होगा। मध्यावधि समीक्षा अर्थव्यवस्था की एक स्वस्थ्य तस्वीर पेश करती है। अब यदि श्री स्वाईं यह दावा करना चाहते हैं कि यह उनकी सरकार के कारण हुआ है तो इस प्रकार के दावे के लिए उनका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं उनके दावे को क्यों इन्कार

करूं? लेकिन मैं आशा करता हूं कि वे इस सरकार के पांचवें वर्ष में भी इसका दावा नहीं करेंगे। कभी न कभी कानून की सीमा को मानना ही पड़ता है।

विगत वर्ष अर्थव्यवस्था में 6.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। इस वर्ष, प्रथम अर्ध-वार्षिकी में, अर्थव्यवस्था में 8.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। लेकिन इस मध्यावधि समीक्षा के दौरान मैंने जो कुछ कहा उस पर मुझे सावधान किया गया है। मैंने कहा था कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था ने सात प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। श्री स्वाईं इस 'अधिक' शब्द को नही चुन सके। उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि वृद्धि सात प्रतिशत की होगी। ऐसा नहीं था, मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में सात प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी। इसका दूसरा पहलू भी है। मैंने अर्द्धवार्षिक समीक्षा से इस ओर संकेत किया था। मुझे खुशी है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर ध्यान दिया।

खनन, विशेषकर कोयला खनन, और विद्युत के क्षेत्र में धीमी वृद्धि हो रही है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। मैं समझता हूं कि इस सभा को कभी इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि यदि कोयला क्षेत्र से आपूर्ति नहीं होती है और कोयला के अभाव में विद्युत उत्पादन में भी बाधा आती है तो उच्च दर की बढ़ोतरी कैसे होगी। किसी को इस पर सैद्धांतिक या व्यावहारिक विचार देना चाहिए। सभा से मेरी अपील है कि हम इस पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अवश्य अपनाएं। कुछ आंकड़ों के अनुसार हमारे पास 200 वर्ष या 300 वर्ष या कोई कह सकता है कि 500 वर्ष के लिए कोयला भंडार है। लेकिन बड़ी ही अदक्षता के साथ हम इसका दोहन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कोयला भंडार के दक्षतापूर्ण दोहन में वह विधिक और आर्थिक ढांचा प्रमुख बाधा है जो अभी हमारे पास है। विद्युत मंत्रालय ने मुझे बताया है कि चूंकि कोयला प्राप्ति स्थानों से हमारा संपर्क नहीं है कोयला की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है तथा कोयला की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है, इसलिए विद्युत उत्पादन बाधित होती है। बिना विद्युत की उच्च वृद्धि दर कैसे मिल सकती है? खैर, यह कोयला और विद्युत पर चर्चा का अवसर नहीं है। मैं सिर्फ उन बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिनपर अर्द्धवार्षिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है। हम इसके बारे में बिल्कुल साफ है। इन दो क्षेत्रों में विकास की दर बहुत धीमी है। इस विकासदर में तेजी अवश्य लानी होगी। तभी मैया श्री स्वाईं या अन्य 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन फिलहाल 7 प्रतिशत से अधिक के विकासदर से ही हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। अब हम देखें कि यह 7 प्रतिशत से कितना अधिक है। यह 8 प्रतिशत के करीब होगा या सात प्रतिशत के आसपास होगा।

महोदय, मैंने लगभग आधा दर्जन विषयों को रखा है जिनका उत्तर दिया जाना है। चर्चा में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर मैं संभवतः नहीं दे सकूं। यह केवल अनुपूरक अनुदानों के लिए है। लेकिन मैं शीघ्रता से उन आधे-दर्जन प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिन्हें मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य विषय महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं निश्चिततौर पर सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सर्वप्रथम हम सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी की प्रगति को लें। हमने इस योजना की घोषणा अगस्त, 2005 में संभाव्य अंतर को वित्त पोषण द्वारा समाप्त करने के लिए किया था। अभी तक राज्य-सरकारों से हमें केवल 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सदस्यगण अपने-अपने राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजने के लिए कृपया कहें। इन 8 प्रस्तावों पर विचार करने के अधिकार प्राप्त समिति की 19 दिसम्बर को बैठक होगी। मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ प्रस्तावों को अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। नवम्बर, 2005 में मंत्रिमंडल ने एस.पी.वी. की स्थापना की अनुमति दी थी। उस पर काम चल रहा है। इस माह एस.पी.वी. का पंजीकरण होगा और हम आशा करते हैं कि हम उन अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान कर पायेंगे जिन्हें एस.पी.वी. द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है। मैं एक बार पुनः न केवल केन्द्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालयों से बल्कि 8 राज्य सरकारों से भी अपील करता हूं कि वे उन अवसंरचना सम्बंधी प्रस्तावों को भेजें जिन्हें एस.पी.वी. द्वारा वित्तपोषित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को पी.पी.पी. और एस.पी.वी. के द्वारा वित्तपोषण दोनों के लिए अच्छे प्रस्ताव हमारे पास भेजकर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

महोदय, यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन.आर.ई.जी.पी.) को इस वर्ष सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का संयोजन करके लागू किया जा रहा है। अगले वर्ष से पूर्णरूपेण एम.आर.ई.जी.पी. होगी। किन्तु एन.आर.ई.जी.पी. के प्रारंभिक खर्चों की पूरा करने के लिए हम एन.आर.ई.जी.पी. शीर्ष के अंतर्गत समग्र मांग के में से ही 300 करोड़ रुपए का पुनर्विनियोजन कर रहे हैं। हम कोई अलग से पैसा नहीं मांग रहे हैं।

कुछ प्रश्न स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में उठाये गए थे। यह एक शाश्वत प्रश्न है। यह हर बार उठाया जा रहा है। मैं समझता था

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : हर बार वही सामान्य सा जवाब होता है।

श्री पी. चिदम्बरम : एक मिनट प्रतिक्षा कीजिए। हम इस बार आपको सामान्य जवाब नहीं देंगे। यदि आपके पास कागज का टुकड़ा है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन संख्याओं को नोट कर लें। श्री येरननायडु, कृपया इन्हें एक कागज दे दें।

जी क्यू की वर्ष 2000 में स्थापना की गई थी। स्पष्ट है कि शुरूआती कुछ वर्षों में प्रारम्भिक कार्य किया जाना है। वर्ष 2002-03 में सरकार ने 1,327 कि.मी. पूरा किया था और मैं पूर्व सरकार या वर्तमान सरकार नहीं कह रहा हूं। 2003-04 में सरकार ने और

[श्री पी. चिदम्बरम]

1285 कि.मी. पूरे किए जिससे कुल 2612 कि.मी. हो गए। तीसरे वर्ष में या संप्रग सरकार के पहले वर्ष में इस सरकार ने 2087 कि.मी. पूरे किए जो कि पूर्व वर्ष से अधिक है और कुल योग 4699 कि.मी. था। चालू वर्ष में हमने अभी तक नवम्बर के मध्य तक 398 कि.मी. पूरे कर लिए हैं। इस समय कुल 5097 कि.मी. हो गए हैं। हम परियोजना की गति कम नहीं कर रहे हैं। हम परियोजना के प्रति उतने ही कटिबद्ध हैं जितनी कि पूर्व सरकार थी। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमें इस देश में स्वर्णिम चतुर्भुज चाहिए। मैं एक बार आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि मुझे उम्मीद है कि यह सरकार भी पूर्व सरकार जितनी ही कटिबद्ध है। हम अपने निर्धारित समय के अनुसार ही इसे पूरा करेंगे।

जहां तक एन.एच.डी.पी. चरण-दो का प्रश्न है तो उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कोरिडोर, इसे 2002 में स्थापित किया गया था। 2002-03 में कुल 557 कि.मी. पूरे किए गए थे। 2003-04 में केवल 31 कि.मी. जोड़े गए। 2004-05 में इस सरकार ने 119 कि.मी. जोड़े। 2005-06 में अभी तक हमने 81 कि.मी. जोड़े हैं। यह योजना थोड़ा अधिक समय ले रही है क्योंकि कुछ विशेष प्रकार की कठिनाइयां हैं। जी क्यू वर्तमान राजमार्ग लाइन पर है। परन्तु इस संबंध में हमें वास्तव में कई संड़कों को जोड़ना यह धीमी गति से चल रहा है। किन्तु इसका पूर्व सरकार अथवा वर्तमान सरकार से कोई मतलब नहीं। किन्तु इसे भी पूरा किया ज़ा रहा है।

इसके अलावा हमारे पास एन.एच.डी.पी.-तीन है। मेरे विचार से वह एन.एच.डी.पी.-एक से अधिक महत्वपूर्ण है जो कि जी क्यू अथवा एन.एफ.डी.पी.-दो है क्योंकि वह सभी राज्यों की राजधानियों, सभी औद्योगिक नगरों और सभी समुद्री पत्तनों और विमानपत्तनों को जोड़ेगी। यह प्रमुख और सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम के लिए बोली दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च में शुरू होगी।

जहां तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आवंटन का संबंध तो पुनः बहुत सी गलत जानकारी है। 2000-01 से 2003-04 तक चार वर्ष की अवधि के लिए कुल बजट आवंटन 9825 करोड़ रुपए था। यदि आप 9825 रुपए को चार से भाग करें तो चार वर्षों में औसत आवंटन 2446 करोड़ रुपए था, हां मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे बराबर आवंटित किया जाता है। इस सरकार के पहले वर्ष में 2004-05 में बजट आवंटन 2468 करोड़ रुपए था जो कि वर्ष का एक भाग ही था क्योंकि हम मई में ही सत्ता में आए थे और बजट सितम्बर में पारित किया गया था। 2005-06 में आवंटन 4220 करोड़ रुपए है। इसलिए, हम इस परियोजना को धीमा नहीं कर रहे हैं। वास्तव में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है।

मैं आई.डी.बी.आई. के बारे में पहले ही बोल चुका हूं।

जो दूसरा प्रश्न उठाया गया था वह कृषि विकास के बारे में था। प्रधान मंत्री ने बार-बार उच्च कृषि विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह प्राथमिक असंगठित है कि यदि कृषि क्षेत्र का चार प्रतिशत की दर पर विकास नहीं होता है तो 8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करना बिल्कुल असंभव होता है क्योंकि कृषि क्षेत्र का हिस्सा अभी भी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22 से 23 प्रतिशत है। कृषि के विकास का केवल चार प्रतिशत ही सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत योगदान देगा और सकल घरेलू उत्पाद के उस एक प्रतिशत के बिना भले ही उद्योगों और सेवाओं में कितना भी विकास हो, आप सकल घरेलू उत्पाद के विकास को 8 प्रतिशत से आगे नहीं ले जा सकते। यह बहुत सरल गणना है। कोई भी यह गणना कर सकता है। इसलिए, हम अधिक निवेश सरकारी निवेश, निजी निवेश, विशेषकर अवसंरचनात्मक निवेश अनाजों से अन्य फसलों की ओर विविधीकरण, बागवानी पर जोर, मूल्यवर्धित फसलों पर जोर और कृषि उत्पादों के निर्यात के द्वारा कृषि के विकास में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। रणनीति की अर्धवार्षिक समीक्षा में उल्लेख किया गया है। यदि आप अर्धकार्मिक समीक्षा को देखें तो आपको पता चलेगा कि अनेक पैराग्राफ कृषि के बारे में हैं। मैं समझता हूं कि इस रणनीति से भविष्य में अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

जहां तक कृषि विकास का प्रश्न है तो आप सब जानते हैं कि 2002-03 नकारात्मक था और उस नकारात्मक आधार पर 2003-04 ने बहुत तीव्र परिवर्तन देखा गया। किन्तु वह सांख्यिकीय है। 2004-05 में मानसून में 13 प्रतिशत कमी रही थी। इसलिए विकास केवल 1.1 प्रतिशत था। चालू वर्ष में पहली छिमाही में विकास 2 प्रतिशत है। यह संतोषजनक नहीं हैं बल्कि यह पिछले वर्ष से बेहतर है। मुझे आशा है कि विकास में दूसरी छिमाही में सुधार होगा क्योंकि रबी की फसल आ रही है। जलाशय भरे हुए हैं। बाढ़ के कारण कुछ क्षति हुई है किन्तु कुल मिलाकर हमारा अनुमान है कि कृषि में 2 प्रतिशत से अधिक और संभवतः 3 प्रतिशत के करीब विकास होगा। परन्तु जहां तक कृषि का संबंध है हमें अपने प्रयासों को मंद नहीं करना चाहिए। इस देश में यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।

महोदय, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के बारे में कुछ प्रश्न उठाये गए थे। 2003-04 में आबंटन और निर्गम 2,565 करोड़ रुपए था और उस वर्ष में 39,736 बस्तियों को शामिल किया गया था। 2004-05 में 2,930 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और 69,382 बस्तियां शामिल की गई थीं। 2005-06 में अभी तक हमने 4050 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के मुकाबले 1,766 करोड़ रुपए जारी किए हैं और अभी तक 35,000 बस्तियों को शामिल किया गया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी बस्तियों में पेयजल प्रदान, किया जाए। यह भारत निर्माण के अंतर्गत एक विषय

है और हम पर्याप्त धन जारी करते रहेंगे और अपने गांवों को पेयजल की आपूर्ति तेज करेंगे।

महोदय, निष्कर्ष में मैं यह कहूंगा कि यदि सभा में सभी वर्गों का सहयोग मिले तो मुझे विश्वास है कि हम भारत को तीव्र विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इसके लिए कठिन फैसले लेने की जरूरत है। मैं बहुत आदरपूर्वक कहता हूं कि इसके लिए निसंदेह मानवीय चेहरे की आवश्यकता है और इसके साथ ही जहां तक संभव हो एक गैर-आदर्शवादी व्यावहारिक दृष्टिकोण की जरूरत है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही अंत में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अधिक से अधिक राज्य सरकारें व्यावहारिक दृष्टिकोण की ओर रुख कर रहे हैं। मैं सभा के सभी वर्गों बी.जे.पी., बी.जे.डी., समाजवादी पार्टी, सी.पी.आई.(एम.) सी.पी.आई आदि से बहुत उत्साहजनक वक्तव्य देख रहा हूं विशेषकर जो दल किसी न किसी राज्य में सरकार में हैं वे मामलों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रही हैं। पिछले सप्ताह ही मैं कोलकाता में था। मैंने पिछले सप्ताह तिरूवनंतपुरम में सी.पी.आई.(एम.) के महासचिव का भाषण पढ़ा था। मैंने उड़ीसा में अपने अच्छे मित्र श्री नवीन पटनायक से बातचीत की थी। मैंने उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव से बातचीत की थी। हमारे अच्छे मित्र बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश बाबू कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आए थे। कांग्रेसी मुख्य मंत्री ही नहीं बल्कि अन्य सभी मुख्य मंत्री भी मानते हैं कि विकास निवेश का कार्य है। भारत का इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो (आई.सी.ओ.आर.) चीन से बेहतर है इसका अर्थ है कि हम निवेश को विकास में परिवर्तित करने में अधिक सक्षम हैं। हमारे मानव संसाधन अधिक उत्कृष्ट हैं। हमारे पास सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी हैं। हमारे यहां देश के अधिकांश भागों में अच्छा प्रशासन है हालांकि इसमें काफी सुधार किया जा सकता है। इस सबके होते हुए हम आम बोलचाल में कह सकते हैं कि हम पैसे की पूरी कीमत वसूल कर सकते हैं।

हम अधिकांश अन्य देशों की तुलना में निवेश किए गये प्रत्येक रुपये से अधिक विकास दर प्राप्त कर सकते हैं। 27 प्रतिशत से 28 प्रतिशत का निवेश करके हम 7 प्रतिशत से अधिक विकास दर प्राप्त कर रहे हैं। यदि सकल घरेलु उत्पाद अनुपात में 32 प्रतिशत का निवेश किया जाता है तो हम इससे भी अधिक विकास दर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विकास दर निवेश का परिणाम है और मैं सभा में सभी पक्षों से अपील करना चाहता हूं कि जब कभी हमें निवेश में कोई बाधा दिखाई दे तो उस बाधा को अवश्य दूर किया जाना चाहिए। हमें अवश्य ही निवेश करना चाहिए, हम कृषि में निवेश कर अवसंरचना में निवेश करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में निवेश करें, अनुसंधान और विकास में निवेश करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं -- हमें अनुसंधान और विकास, मानव संसाधन में अवश्य ही निवेश करना चाहिए और इस निवेश का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र और बजटीय संसाधनों से आएगा।

लेकिन निजी क्षेत्र भी धन जुटा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं और विदेशी निधियों से भी हमें निवेश के स्तर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

महोदय, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी है कि मैं जहां भी गया, जिस किसी मुख्यमंत्री से बात की वे सभी निवेश की गति बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पिछले 10 वर्षों में इस समय व्यापारिक विश्वास सबसे अधिक है। हर सर्वेक्षण से यह पता चलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सी.एम.आई.ई.) ने विकास दर को 7.6 प्रतिशत बढ़ा दिया है लेकिन मुझे ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा।

इसलिए, आज भारत के बारे में सभी जगह चर्चा है। तीन दिनों में प्रमुख कम्पनियों के कम से कम छह प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिले हैं और सभी एक अरब डॉलर या डेढ़ अरब डॉलर का निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। मि. बिल गेट्स ने मेरे साथ सुबह का नाश्ता किया -- इसलिए नहीं कि उन्हें मेरे साथ सुबह का नाश्ता किया -- बल्कि अगले दिन उन्होंने 17 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की। उन्हें दोपहर और रात्रि का भोजन कराकर मुझे खुशी होगी। इन्टेल के मि. क्रेग बैरेट ने एक बिलियन डॉलर का आश्वासन दिया है, वोल्क्सवैगन निवेश का वादा कर रहा है, नोकिया निवेश का वादा कर रहा है, मोटोरोला निवेश का वादा कर रहा है, जापानी निवेश एजेंसी के मि. उत्सुमी कल मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा कि जापान का 5 बिलियन डॉलर भारत में निवेश का इंतजार कर रहा है। हमने टोयटा के ओकुडा से एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वे अब भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। वे चीन से भारत तक अपना निवेश फैलाना चाहते हैं। यह एक बड़ा अवसर है। मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, केरल के मुख्य मंत्री तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्री आदि को भी यह सुझाव दिया।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश।

श्री पी. चिदम्बरम : आंध्र प्रदेश में मेरी ही पार्टी की सरकार है यदि मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ कहूं तो आप कहेंगे की यह आपकी पार्टी है। लेकिन हम निवेश के प्रति वचनबद्ध हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। *(व्यवधान)* मैं आपको साफ-साफ बता दूं कि कोई भी राज्य सरकार जो निवेश आकर्षित करना चाहती है उसे भारत सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर मित्रवत सहायता करेगी।

इसलिए, महोदय, मैं समझता हूं कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां थोड़ा सा प्रयास करके हम विकास दर को 8 प्रतिशत या इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं प्रत्येक सदस्य का सहयोग चाहता हूं और मैं आदर के साथ इस सभा से आग्रह करता हूं कि यह कृपया अनुपूरक मांगों के पक्ष में मतदान करे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[श्री खारबेल स्वाई]

सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के सम्बंध में मैं माननीय वित्त मंत्री से सादर पूछना चाहूंगा कि वे इस वर्ष इसके लिए कितनी राशि आवंटित कर रहे हैं और किस वर्ष तक प्रत्येक गांव या प्रत्येक घर में बिजली पहुंच जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विद्युत मंत्री से सम्बंधित है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, वास्तव में विद्युत मंत्री इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि प्रत्येक गांव को बिजली मुहैया करायी जाए और मैं समझता हूं कि इसमें चार से पांच वर्ष लगेंगे। अब योजना है कि मुख्य कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अवसंरचना भारत सरकार तैयार करेगी, बिजली गांवों तक पहुंचायी जाएगी और वितरण कार्य फ्रेंचाइजी मॉडल द्वारा किया जाएगा। हमने यही मॉडल अपनाया है। ढांचा खड़ा किया जा रहा है। इस ढाचे को खड़ा करने में कई एजेंसियां लगी हुई हैं, एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. तथा कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां इस कार्य में लगी हैं। मैं समझता हूं कि वित्त पोषण का प्रबंध हो गया है। उम्मीद है कि चार से पांच वर्षों में प्रत्येक गांव को बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी और इसके पश्चात् फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से घरों में कनेक्शन दिए जाएंगे। पूर्व में यदि किसी एक गांव में एक स्ट्रीट लाइट लग जाती थी तो हम उस गांव को विद्युतीकृत मान लेते थे। तीन वर्ष पूर्व तक यही मॉडल अपनाया जा रहा था। हमने उस मानक को अस्वीकृत कर दिया है। अब मानक ऐसा है कि एक गांव को तभी विद्युतीकृत समझा जाता है जब उस गांव के घरों का एक निश्चित भाग विद्युतीकृत हो जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 10 घर।

श्री पी. चिदम्बरम : क्या यह संख्या 10 है। मुझे ठीक-ठीक याद नहीं। लेकिन यदि वे कह रहे हैं कि 10 तो यह अवश्य ही सही होगा।

इसलिए, घरों की एक निश्चित संख्या विद्युतीकृत होनी चाहिए तभी एक गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा ना कि 40 वाट का कोई एक बल्ब किसी गली में जल रहा हो। हमारा लक्ष्य यही है और, मैं समझता हूं, हम इसे चार से पांच वर्षों में पूरा कर लेंगे। लेकिन माननीय सदस्य विद्युत मंत्री से पूछ सकते हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर कोई पुस्तिका भी प्रकाशित की होगी। मैं समझता हूं कि यह वेब-साइट पर उपलब्ध होगी, यह विद्युत मंत्रालय में उपलब्ध होगी और सदस्य इसे प्राप्त कर सकते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, माननीय मंत्री से मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। कृषि संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऋण वितरण का 18 प्रतिशत भाग किसान समुदाय को नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार द्वारा दसवीं योजना में बहुत सी योजनाओं की घोषणा की गई थी। तीन वर्ष पहले ही बीत चुके हैं और कई पेचीदी प्रक्रियाओं आदि के कारण मंत्रालय द्वारा अभी तक किसी योजना पर काम शुरू नहीं किया गया है। सम्बंधित मंत्रालय द्वारा इस सभा में की गई घोषणाओं की पूर्ति व कैसे करेंगे? हम दसवीं योजना के अंतिम भाग की ओर जा रहे हैं। इन योजनाओं को कब लागू किया जाएगा? मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे आशा है कि यह अंतिम स्पष्टीकरण होगा। अन्य विधेयक लम्बित है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब और स्पष्टीकरण न पूछें।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैं केवल आधे मिनट का समय लूंगा।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि दूसरे दिन माननीय मंत्री ने, डिप्टी चेयरमैन, योजना आयोग के साथ समाचारपत्रों में यह बयान दिया था कि यदि विनिवेश नहीं होता है तो वे 8 प्रतिशत सकल घरेलु उत्पादन विकासदर प्राप्त करन में सक्षम नहीं होंगे। माननीय वित्त मंत्री ने अभी-अभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में कहा है लेकिन उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के विनिवेश के बारे में कभी भी उल्लेख नहीं किया जो घाटे में चल रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, अंतिम दो स्पष्टीकरण कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर 18 प्रतिशत उधार देने के सम्बंध में यह सत्य है कि बहुत से बैंक 18 प्रतिशत से कम दे रहे थे। उन्हें 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। यह एक साल में नहीं किया जाता। पिछले वर्ष जब मैंने घोषणा की थी कि कृषि ऋण 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा तो आप में से कुछ लोगों ने शंका जाहिर की थी। हमने 32 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया। इस वर्ष भी हम कृषि ऋण में 32 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। वास्तव में अब हम 40 प्रतिशत के करीब पहुंच रहे हैं। यदि हम लगातार तीन वर्षों तक कृषि ऋण में 30 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं तो स्पष्टत: प्रत्येक बैंक 18 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए, 18 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने बैंकों से कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुरोध किया है। हमने यह पिछले साल प्राप्त किया था, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस वर्ष भी प्राप्त करेंगे और यदि भगवान ने चाहा तो अगले वर्ष भी हम इसे प्राप्त करेंगे। तीन वर्षों के बाद आप मुझसे यह

प्रश्न पूछेंगे कि कितने बैंकों ने 18 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त किया और तब मैं आपको जवाब दूंगा।

जहां तक विनिवेश का सम्बंध है तो इस बार भी गलती हुई है। विनिवेश से प्राप्त राजस्व को बजट में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यही राजनीतिक सहमति है कि हम लोग इसमें फर्जी काम करने में सक्षम हैं। विनिवेश राजस्व को अब राष्ट्रीय निवेश निधि में जमा किया जा रहा है। उस निवेश निधि से आमदनी होगी। उस आमदनी का अधिकांश, अर्थात् 70 प्रतिशत का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए किया जाएगा और शेष राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठित करने के लिए किया जाएगा। विनिवेश राजस्व को हमारी निवेश रणनीति से कुछ लेना-देना नहीं है। यदि उससे कोई आमदनी होती है तो यह अच्छा है। यह एक अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) वर्ष 2005-06 को सभा पटल पर मतदान के लिए रखूंगा :

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :-

मांग संख्या 1, 5, 7, 8, 10 से 12, 18, 20, 23, से 25, 29 से 32, 34, 36, 41, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 56 से 60, 63, 65, 67, 70 से 72, 75, 79, 80, 82, 83, 92, 100, 101 और 103 से 105"।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2005-2006 के अनुदानों की पूरक मांगों का द्वितीय बैच (सामान्य)

	संख्या और मांग का शीर्षक	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	1	2	3
1	कृषि और सहकारिता विभाग	3,00,000	2,00,000
5	परमाणु ऊर्जा	1,00,000	1,00,000
7	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	10,17,00,000	1,00,000
8	उर्वरक विभाग	1000,00,00,000	
10	कोयला विभाग	100,00,00,000	
11	खान विभाग	1,00,000	1,00,000
12	वाणिज्य विभाग	103,50,00,000	
18	उपभोक्ता मामले विभाग		1,00,000
20	संस्कृति मंत्रालय	1,00,000	
23	रक्षा सेवा-थल सेना	1,00,000	
24	रक्षा सेवा-नौसेना	1,00,000	
25	रक्षा सेवा-वायु सेना	1,00,000	
29	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	...	22,33,00,000
30	पर्यावरण और वन मंत्रालय	3,00,000	10,40,00,000
31	विदेश मंत्रालय	40,00,00,000	42,00,00,000

1		2	3
32	आर्थिक कार्य विभाग	2,00,000	1,00,000
34	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	250,02,00,000	243,02,00,000
36	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	200,00,00,000	
41	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	1,00,000	
44	अप्रत्यक्ष कर	1,01,00,000	
47	स्वास्थ्य विभाग	2,00,000	...
48	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1,00,000	49,00,000
50	भारी उद्योग विभाग	82,64,00,000	210,02,00,000
51	सरकारी उद्यम विभाग	15,00,000	
54	पुलिस	1,00,000	
56	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	...	1,00,000
57	बुनियादी शिक्षा ओर साक्षरता विभाग	2,00,000	
58	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	3,00,000	
59	महिला और बाल विकास विभाग	3,00,000	
60	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		1,00,000
63	विधि एवं न्याय	1,00,000	
65	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		5,00,00,000
67	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	
70	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		1,48,00,000
71	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	5750,00,00,000	...
72	योजना मंत्रालय	1,00,000	
75	लोकसभा	19,44,00,000	
79	ग्रामीण विकास विभाग	3,00,000	
80	भूमि संसाधन विभाग	1,00,000	...
82	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1,00,000	
83	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1,00,000	
92	कपड़ा मंत्रालय	290,89,00,000	...

1	2	3
100 शहरी विकास विभाग	2,00,000	659,01,00,000
101 लोक निर्माण विभाग		1,00,000
103 शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1,00,000	
104 जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	
105 युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय	2,00,000	
कुल जोड़	78,48,24,00,000	12,29,85,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.05 बजे

विनियोग (सामान्य) सख्यांक 5 विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 18 पर चर्चा करेंगे। श्री पी. चिदम्बरम।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय अैर विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 19 पर विचार करेगी। अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और विधेयक में जोड़े गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 15.12.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.07 बजे

आंध्र प्रदेश विधान परिषद् विधेयक, 2004

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 20 पर विचार करेंगे। अब श्री हंस राज भारद्वाज।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विधान परिषद् के सृजन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आंध्र प्रदेश विधान परिषद् विधेयक, 2004 में आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल में विधान परिषद् के सृजन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक मामलों से संबंधित उपबंध करने की मांग की गई है।

आंध्र प्रदेश की विधान सभा ने राज्य में विधान परिषद् के सृजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 (I) के अनुसार 8 जुलाई, 2004 को एक संकल्प पारित किया था। इस सम्बंध में यह कहा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश राज्य में 1985 से पूर्व एक विधान परिषद् अस्तित्व में थी जिसे 1 जून, 1985 से समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात, राज्य में विधान परिषद् को पुनर्जीवित करने के लिए आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प के आधार पर इस सम्बंध में एक विधेयक -- जिसमें तमिलनाडु राज्य के लिए भी उसी प्रकार के कुछ प्रावधान थे -- 10.05.1990 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था तथा उसे सभा द्वारा पारित किया गया। तथापि, नौवीं लोक सभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक व्यपगत हो गया। बाद में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने परिषद् को पुनर्जीवित करने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया।

वर्तमान विधेयक में आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद् के सृजन की मांग की गई है जिसकी सदस्यों की कुल संख्या 90 होगी जिसमें से 31 सदस्यों का चुनाव स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा होगा, स्नातक तथा शिक्षक चुनाव क्षेत्रों प्रत्येक में से 8 सदस्यों का तथा विधान सभा द्वारा 31 सदस्यों का चुनाव होगा शेष 12 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा। विधान परिषद् में प्रतिनिधित्व रखने वाले स्थानीय प्राधिकरणों में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड, जिला परिषद तथा मंडल प्रजा परिषद् होंगे।

इसलिए, विधान परिषद् का गठन स्थानीय प्राधिकरण चुनाव क्षेत्र को गठित करने वाले स्थानीय निकायों को छोड़कर ठीक वैसा ही जैसा विघटन पूर्व था।

16 दिसम्बर, 2004 को लोक सभा में पुर:स्थापित आंध्र प्रदेश विधान परिषद् विधेयक, 2004 को कार्मिक, लोक-शिकायत, विधि और न्याय सम्बंधी विभागीय -- संसदीय स्थायी समिति को जांच तथा रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 मार्च, 2005 को संसद में सभा पटल पर रखी थी जिसमें इसने विधेयक का पक्ष लिया था तथा शिक्षक चुनाव क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षकों के नाम को शामिल करने सम्बंधी मुद्दे पर पुन: विचार करने की सिफारिश की थी। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि विधान परिषद् में प्राथमिक शिक्षकों को मतदान का अधिकार देने का मामला 1957 से ही विचाराधीन है लेनिक सम्बंधित निकायों जैसे -- विधान परिषद वाले राज्यों और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के बीच सहमति के अभाव में यह संभव नहीं हो पाया है। इसलिए,, सरकार इस सिफारिश को स्वीकार नहीं कर रही है और विधानसभा संकल्प द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार ही इस विधेयक पर कार्यवाही कर रही है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा में इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विधान परिषद् के सृजन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के निर्माण के लिए जो विधेयक पारित होने जा रहा है वह एक स्वागत योग्य कदम है। उसके अनुसार, आंध्र प्रदेश विधान सभा ने भी एक संकल्प पारित किया कि आंध्र प्रदेश राजय में परिषद् का सृजन जरूरी है। इसलिए, माननीय विधि मंत्री आंध्र प्रदेश विधान परिषद् के सृजन हेतु यह विधेयक लाए हैं।

नगर निगम, नगरपालिकायें, नगर पंचायत कैंटोनमेंट बोर्ड, जिला प्रजा परिषद् और मंडल परिषद् इसके लिए चुनाव क्षेत्र होंगे तथा इन चुनाव क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से इस परिषद का गठन होगा। लेकिन जिस परिषद के विचार रखे गए हैं क्या उसका गठन वास्तव में आवश्यक था? इसका कारण है कि इस विधेयक को पारित करके तथा इस परिषद का सृजन केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि उन राजनीतिज्ञों को लाभ पहुंचाया जाए जिन्हें विधान सभा के लिए टिकट नहीं दिया जा सका है। यह विधान परिषद् केवल उन सभी उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाला स्थान नहीं होना चाहिए जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है।

इसलिए, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि से राज्य सभा की तरह एक वास्तविक विधायी निकाय बनाया जाए जिसे हम उच्च सदन कहते हैं ताकि आंध्र प्रदेश के विकास और उसे बेहतर बनाने के लिए इसमें

उचित चर्चा हो सके। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आंध्र प्रदेश में आत्महत्याओं की जांच के लिए श्री रेड्डी द्वारा एक-सदस्यीय समिति जांच का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में हुई आत्महत्याओं के लिए वहां की पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि वॉटर टैंकों का निर्माण नहीं होने, ट्यूब वेल नहीं लगाए जाने के कारण तथा जिन किसानों के ट्यूब वेल खराब हो गए थे उन्हें अनुग्रह अनुदान रोक दिए जाने के कारण ये मौतें हुई हैं। इसलिए, आंध्र प्रदेश की इन समस्याओं की आवाज नवगठित आंध्र प्रदेश विधान परिषद में गूंजनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार आंध्र प्रदेश की जनता को कुछ न्याय मिलेगा। चाहे कोई भी सरकार हो लेकिन लोगों के प्रति हमारी वचनबद्धता बरकरार रहनी चाहिए। चुनाव घोषणा पत्र से हम जो घोषणाएं करते हैं, लोगों के लिए उनका क्रियान्वयन होना चाहिए।

महोदय, अब बात सामने आ गई है, संप्रग सरकार ने तेलंगाना पार्टी या श्री चन्द्रशेखर राव से एक सौदा किया है और कहा है कि वे तेलंगाना राज्य बना देंगे। मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब आंध्र प्रदेश के उन कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की राजनीतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने, उन्हें शांत करने के लिए या जो छूट गए हैं उनके लिए यह विधेयक लाया गया है। हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राजग छोटे राज्यों में विश्वास करते हैं। हमने तीन नए राज्य बनाए -- छत्तिसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड -- जिसका जनता से हमें वादा किया था और हमने उसे पूरा किया। अब, हम संप्रग सरकार की वचनबद्धता को देखना चाहेंगे ...*(व्यवधान)*। तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए जो भी वचनबद्धता थी उसकी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। यह एक उपेक्षित क्षेत्र है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए।

श्री बिक्रम केशरी देव : मैं एक उपेक्षित क्षेत्र से आता हूं। यह कालाहांडी का क्षेत्र है जहां गरीब लोगों के उत्थान के लिए के.बी.के. कार्यक्रम चल रहा है। उस राज्य में कुछ कार्योन्मुखी कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे संविधान में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आंध्र प्रदेश विधान परिषद के गठन के बाद आंध्र प्रदेश के लोगों को कुछ न्याय मिलेगा। मैं सत्तापक्ष तथा वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार से योग्य उम्मीदवारों को भेजने का अनुरोध करता हूं जो लोगों के प्रति वचनबद्ध हों। यह एक राजनीतिक संरक्षण की जगह नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदया, हमारा देश मूलतः फेडरल यूनियन और सभी राज्यों का एक संघ है। कुछ मामलों में राज्य अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि संविधान में प्रावधान है -- राज्य कुछ क्षेत्रों में अपने कानून बनाने, अपना निर्णय लेने, अपनी आयोजना और अपने कार्यक्रम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं ने कहा था कि एक दूसरा सदन भी होना चाहिए। एक दूसरा सदन भी हो सकता है और राज्यों को अपनी जरूरत के अनुसार इसे बनाने की स्वतंत्रता होगी। इसलिए, जहां दूसरा सदन बनाया गया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका फैसला संविधान निर्माताओं द्वारा स्वयं किया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : फिर आपने इसे 1985 में भंग क्यों कर दिया था? ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव : क्या आपमें सुनने के लिए धैर्य नहीं है? *(व्यवधान)* आप चाहते हैं कि एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया जाए। ...*(व्यवधान)* कृपया धैर्य रखें मैं आपको बताऊंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न पैदा करें।

(व्यवधान)

श्री के.एस. राव : उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। मैं उनको बताऊंगा ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : उस समय केन्द्र में आपकी सरकार थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत बोलिए।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : जब उस समय संसद में कांग्रेस के 415 सदस्य थे ...*(व्यवधान)* फिर वे कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय इसका विरोध किया था? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, स्वाईं जी, यह तरीका नहीं है। आपको और आपकी पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री के.एस. राव : आंध्र प्रदेश में दूसरा सदन बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा था। लेकिन 1983 में जब तेलगु देशम पार्टी की सरकार सत्ता में आई तब यहां एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राज्य जैसा न होकर तानाशाही राज्य जैसा शासन रहा। राज्य के नेता ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्री काकुलम) : तब महान, श्री एन.टी. रामा राव आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री थे *(व्यवधान)*

डा. एम जगन्नाथ (नगर कुरनूल) यह एक प्रजातांत्रिक और चुनी हुई सरकार थी। *(व्यवधान)* आप ऐसा कैसा कह सकते हैं। *(व्यवधान)* उन्हें यह अंश निकाल देना चाहिए *(व्यवधान)*। जनता ने हमें सत्ता के लिए चुना था *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के.एस. राव के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री के.एस. राव : आप जो कहना चाहते हैं वह कहिए। *(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ : उन्हें वह अंश निकाल देना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत मे सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री के.एस. राव : उन दिनों राज्य विधान सभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था *(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : उपाध्यक्ष महोदय, आप उस शब्द का लोप करें। मेरे मित्र तेलगु देशम पार्टी की आलोचना कर सकते हैं लेकिन उन्हें उन शब्दों को वापस ले लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बाद में देख लूंगा। यदि आपत्तिजनक है तो कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, आपका धन्यवाद।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक शब्द कहें हैं।

श्री के.एस. राव : उस समय तेलगु देशम पार्टी का परिषद में कांग्रेस पार्टी के बहुमत से समझौता नहीं हो सका। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के.एस. राव के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री के.एस. राव : उन्हें भय था कि यदि कोई विधेयक विधान सभा में पारित हो जाता है और उसे परिषद को भेज दिया जाता है तो उन्हें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई गलती होती या यदि कोई मतभेद हो जाता तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि मामूली आलोचना का भी सामना कर पाते। परिषद जोकि एक संवैधानिक अंग था, में मामूली आलोचना उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं होने के कारण उन्होंने इसे समाप्त करने का ही निर्णय लिया। उनकी एक चुनौती थी कि वे परिषद को ही समाप्त करेंगे और यह देखेंगे कि दूसरे पक्ष से काई आलोचना न हो। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के.एस. राव के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री के.एस. राव : आंध्र प्रदेश विधान सभा में तेलगु देशम पार्टी का बहुमत था। उन्होंने 1983 में परिषद को समाप्त करने का एक संकल्प पारित किया और इसे संसद को भेजा। संसद में, लोक सभा में, 1985 में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या 415 थी। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपके पास केवल चार या पांच मिनट और बचे हैं।

श्री के.एस. राव : आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा बहुमत से लिए गए निर्णय के प्रति सम्मान दिखाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने यहां पूर्ण बहुमत होते हुए भी, जो 4/5 से भी ज्यादा था, कहा कि हमें उनकी इच्छाओं का आदर करना चाहिए और हमें उनके संकल्प का सम्मान करना चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश के इस विघटन के बिल्कुल विरोध में थी उन्होंने कहा कि इस पर किसी चर्चा की जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि हमें इस विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कर देना चाहिए और उनके अपने सदस्यों ने इसका समर्थन किया।

तेलगु देशम पार्टी के तत्कालीन नेता, श्री माधव रेड्डी ने अपना आभार व्यक्त किया था। आंध्र प्रदेश सरकार की इच्छाओं को स्वीकार

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करने के लिए उन्होंने केन्द्र सरकार से अपनी खुशी जाहिर की और उसका आभार व्यकत किया यह इस सभा के रिकॉर्ड में है।

श्री किन्जरपु येरननायडु : इसमें कोई गलती नहीं है।

श्री के.एस. राव : हां, इसमें कोई गलती नहीं है। हम इसकी सराहना करते हैं। आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु : चूंकि इसे समाप्त किया गया था इसलिए संसद का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उन्हें पुन: कोई संकल्प पारित करने तथा उसे भारत सरकार के समक्ष भेजने की आवश्यकता नहीं थी संभव है आंध्र प्रदेश के लोग आप को हर बार जनादेश नहीं दे सकते। *(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव : महोदय, वे मेरा आधा समय ले रहे हैं ...*(व्यवधान)* श्री अय्यपु रेड्डी ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव जी को जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने के लिए तथा आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प का स्वागत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ...*(व्यवधान)*

इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास 415 सदस्य थे हमने उनके संकल्प का स्वागत किया था और जनता की इच्छाओं का आदर किया था। अब, जबकि कांग्रेस की सरकार के अपने 185 सदस्य हैं, तेलगुदेशम पार्टी के 44 सदस्य हैं। उन्होंने विधान सभा में इसके पक्ष में 207 सदस्यों की मदद से एक संकल्प पारित किया है और केवल तेलगुदेशम पार्टी के 44 सदस्यों ने विरोध किया है जबकि अन्य किसी भी दल ने, इसका विरोध नहीं किया।

इस पृष्ठ भूमि में यही देखने को मिलेगा। यह भी इस तथ्य के बावजूद है कि कांग्रेस पार्टी ने इसे अचानक नहीं किया है। चुनाव में जाने से पहले ही उन्होंने यह वादा किया था। चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि 'यदि एक बार हमें चुन लिया जाता हे तो हम पुन: परिषद बनाएंगे।' इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य कह रहे थे यह कोई सोची-समझी रणनीति नहीं है। यह केवल उन लोगों को लाने के लिए नहीं है जिन्हे लोगों ने अस्वीकार कर दिया है या किसी के प्रति पक्षपात करने के लिए नहीं है। यह एक चुनावी घोषणा है, एक वचनबद्धता है।

यह मानते हुए कि वे जो कह रहे हैं वह सही है, क्या आज वे परिषद् में सभी 90 सीटों को कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ देने के लिए तैयार हैं? अभी भी परिषद में सभी 90 सीटों में से मात्र 31 सीट विधान सभा से आती है और इन 31 सीटों में से भी हमें अधिकतम केवल 19 सीटें मिलेंगी बाकी 12 सीटे विपक्ष को जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य कहते हैं कि अन्य 31 सीटें नगरनिगम, पंचायत मंडल अध्यक्ष और जिला परिषद आदि तथा अन्य क्षेत्रों से आएंगी। वे कहती हैं कि लोग कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हैं और कल यदि आप स्थानीय बोर्ड के चुनाव में जाते हैं तो उन्हें बहुमत मिल जाएगा। यदि उन्हें इतना ही विश्वास है तो वे कल ही क्यों नहीं कर लेते हैं। *(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : उसमें परिषद का कोई अधिकार नहीं है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु जब आपकी बारी आएगी तो आप जो चाहे बोल सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब वे बोल रहे हैं तो व्यवधान मत डालिए।

श्री के.एस. राव : भाजपा की टिप्पणी का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि यदि हम सभी 90 सीटें उनको दे देते तब वे ऐसी टिप्पणी कर सकते थे। लेकिन इस बार फिर अवसर उन्हीं लोगों को मिला है। हर दल निश्चितरूप से जनता के समक्ष जा सकता है और परिषद् में, नगरनिगम में और स्नातक चुनाव क्षेत्रों में ऐसा कह सकता है। समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग विद्वानों अर्थात् शिक्षकों और स्नातकों का है जो अपनी समस्याओं, अपने मुद्दों को रखने के लिए अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं तथा अपने पक्ष में कानून बनवाना चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं? वे राष्ट्र का विकास चाहते हैं। इसलिए, कुछ भी एक-पक्षीय नहीं होने जा रहा है। कल का निर्णय सबको करना है। इसके बारे में वे ही इतना शोर-गुल क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि उनके मन में जन-आंकाक्षाओं के प्रति सम्मान नहीं है। उनके मन में बहुमत द्वारा विधान सभा में पारित संकल्प के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें इसे खत्म नहीं होना देना चाहिए था। उन्हें इतना तो समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में कुछ भी कहने का उनका अधिकार है।

श्री के.एस. राव : जी हां, महोदय। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। वर्ष 1962 में तमिलनाडु के महान, सम्मानित नेता स्व. अन्नादुरई चुनाव हार गए लेकिन बाद में 1967 में वे लोक सभा के चुनाव में विजयी रहे, लेकिन वे विधान परिषद के एक सदस्य बन गए और मुख्य मंत्री बने। इसी प्रकार, स्व. राजगोपालाचारी 1952 में विधान परिषद से ही मुख्य मंत्री बने थे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री के.एस. राव : इसका मतलब हे कि कभी-कभी जब हमारे पास ऐसे प्रतिष्ठित लोग हों जिनकी सेवाओं की जरूरत हो, जिनकी बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए, जिनकी क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए तो एक दूसरा सदन बनाने में कोई बुराई नहीं है। यदि वे सत्ता में आते हैं तो कल वे भी ऐसे लोगों को ला सकते हैं। इसके लिए किसी एक दल को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। हमने कोई आरोप नहीं लगाया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री के.एस. राव : हमने उनके बारे में कोई आरोप नहीं लगाया। भाजपा के माननीय सदस्य कह रहे थे वे छोटे राज्यों के पक्ष में हैं। यदि वे वास्तव में छोटे राज्यों के पक्षधर थे तो तेलगु देशम पार्टी के साथ मिलकर चलने में उन्हें क्यों बाधा आ रही थी जो एक समग्र राज्य के पक्ष में थी? तेलगु देशम पार्टी अलग तेलंगाना राज्य का भरपूर विरोध कर रही थी। लेकिन बाद में वह तेलंगाना राज्य की मांग करने वालों के साथ हो गयी। यह इनकी कैसी नैतिकता है? यह इनका कैसा आचारशास्त्र है? ये इनके कैसे सिद्धान्त हैं? *(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, यह बात ठीक नहीं है। हमने इस बारे में पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें सलाह नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री के.एस. राव : प्रत्येक राजनीतिज्ञ का यही हाल है। वे स्वयं तो ऐसी स्थितियों से फायदा उठाना चाहते हैं। जब कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं वे उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता।

यहां तक कि 1990 में जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आयी थी, तब उसने एक संकल्प पारित किया था और इसे राज्य सभा के पास भेजा गया था। राज्य सभा में विधान परिषद बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। उस समय सी.पी.आई. (एम) सांसद श्री एम. हनुमंत राव ने कहा था, "यद्यपि हम सैद्धान्तिक रूप से इसके खिलाफ हैं, पर हम राज्य सरकार द्वारा पारित इस विधेयक का सम्मान करते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं।" अब जब ये लोग भाजपा या तेलगु देशम पार्टी के लोग ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं तो क्या यह बात उनकी समझ में नही आती?

मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में दूसरे सदस्य भी अपनी बात तर्क-संगत ढंग से रखें। इसमें किसी तरह के व्यक्तिगत पक्षपात का सवाल नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के पक्षपात का भी सवाल नहीं है। सभी पार्टियां ऐसा कर सकती हैं परिषद में योग्य, बुद्धिमान और सक्षम लोगों को लाया जा सकता है।

मैं इस विधेयक का सच्चे हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि किसी तरह के भेदभाव आरोप प्रत्यारोप के बिना और अनावश्यक रूप से लंबी चर्चा न करके इसे शीघ्र ही सभा द्वारा पारित कर दिया जायेगा।

श्री किन्जरपुर येरननायडु : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश विधान परिषद की बहाली के लिए जो विधेयक लाया गया है मेरी पार्टी उसका विरोध करती है। माननीय विधि मंत्री द्वारा विधेयक में उद्देश्यों और कारणों का जो कथन संलग्न किया गया है वह संतोषप्रद नहीं हैं।

हमारे देश में 20 से अधिक राज्यों में दूसरा चैम्बर अर्थात् विधान परिषद नहीं है। केवल चार राज्यों कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। एक और परिषद जम्मू और कश्मीर में है पर वह उनके अपने संविधान के हिसाब से है। हम इसे विधान परिषद का प्रावधान रखने वाला पांचवां राज्य नहीं मान सकते। भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार के लिए, संसद के लिए ऐसा करना न तो बाध्यकारी है और न ही ऐसी कोई संवैधानिक अनिवार्यता है। यह एक राज्य विशेष की सिफारिश मात्र है। कई दूसरे राज्यों ने भी ऐसी सिफारिशें की हैं। वर्ष 1976 में पंजाब सरकार ने पंजाब विधान सभा में इसी आशय का एक प्रस्ताव पारित किया था और इसे भारत सरकार के पास भेजा था, लेकिन भारत सरकार ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 1976 से अब तक कई राज्य सरकारों ने इस तरह के प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं।

वर्ष 1985 में जब श्री एन.टी. रामाराव ने विधान परिषद को समाप्त किया था, तभी से हमारी पार्टी का रुख एकदम साफ है। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में सत्ता में आयी और उन्होंने दो बार संकल्प पारित कर इसकी बहाली की सिफारिश की, तब भी मेरी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया और विधान सभा में मत-विभाजन के लिए जोर दिया।

विधान परिषद की क्या भूमिका होती है? विधान परिषद को कोई शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। यह केवल एक सलाहकार निकाय भर है। राज्य सभा को तो इतना अधिकार है कि वह किसी विधेयक को अस्वीकार कर दे पर विधान परिषद तो केवल सलाह दे सकती है। वह विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि संबद्ध विधान सभाएं उनके सुझावों को स्वीकार भी न करें। विधान परिषद हाथ की छठी उंगली की भांति है। इसके पुनर्गठित होने से राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ेगा।

कांग्रेस पार्टी कार्यकर्त्ताओं की ओर से इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि विधान परिषद का गठन किया जाये। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसका उल्लेख किया है। अतः यह विधेयक पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान पैदा न करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक राजनीति से प्रेरित है और विधान परिषद में कांग्रेस के उन लोगों को भरा जायेगा जिन्हें पिछले विधान सभा चुनाव में सीट नहीं मिली अथवा विधायक नहीं चुने जा सके। कांग्रेस पार्टी का यही एकमात्र उद्देश्य है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु के भाषण के अलावा अन्य किसी भी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : विधान परिषद को इसलिए बहाल किया जा रहा है कि उन लोगों को सदस्य बनाया जा सके जो पिछले चुनावों में विधान सभा सदस्य का चुनाव हार गये हैं। इस तरह विधान परिषद को निहित स्वार्थों वाले प्रतिनिधियों से भर दिया जायेगा। उन्हें मंत्रिपद से नवाजा जायेगा। यदि मुख्यमंत्री या कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने में रुचि रखता है और वह विधान सभा का चुनाव नहीं जीत पाया है, तो वह उसे पिछले दरवाजे से विधान परिषद के लिए मनोनीत कर देंगे और इस तरह उसे मंत्री अथवा मंत्रि परिषद का सदस्य बना दिया जायेगा ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, मैंने आपकी स्पीच के बीच में उनको बोलने के लिए अलाउ नहीं किया और जो उन्होंने कहा वह मैंने एक्सपंज करा दिया। इसलिए मैं आप से चाहूंगा कि आप भी उनको सुनने की कोशिश करें।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : उपाध्यक्ष महोदय, आप यदि संविधान सभा के वाद-विवादों का अध्ययन करें तो पायेंगे कि किस तरह डा. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में दूसरे चैंबर के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने कहा था :

> "हम इस संविधान द्वारा जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है कि हम दूसरे चैंबर को केवल प्रायोगिक तौर बना रहे हैं। हमने प्रारूप संविधान में दूसरे चैंबर को स्थायी चैंबर नहीं बनाया है। हमने इसे अपने संविधान का स्थायी भाग नहीं बनाया है। इसे केवल प्रायोगिक उपाय है, जैसा कि मैंने कहा, और इसका उपयुक्त प्रावधान भी है ... कि किस तरह से दूसरे चैंबर से छुटकारा पाया जाये।"

आंध्र प्रदेश विधान परिषद का गठन 1957 के 37वें अधिनियम द्वारा 1957 में हुआ था। इतने वर्षों बाद, हमें महसूस हुआ कि दूसरे चैंबर की कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है। इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है। यह राजनीतिक रूप से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का जरिया मात्र है। इसीलिए हमने परिषद को खत्म करने का फैसला किया था।

दूसरे चैंबर की उपयोगिता को लेकर संविधान सभा में विस्तार से चर्चा हुई थी। श्री कुलधर चालिहा का मानना था, "दूसरा चैंबर प्रगतिशील विधि-निर्माण के रास्ते में अड़चन के सिवा कुछ नहीं है।" मान लीजिये आप आंध्र प्रदेश विधान सभा में कोई प्रगतिशील कानून बनाना चाहते हैं, तो इस तथ्य के होते हुए भी कि यद्यपि विधान परिषद के पास कोई विधायी शक्तियां नहीं हैं, फिर भी विधेयक पारित होने के बाद जब आप इसे विधान परिषद के पास भेजेंगे तो वह उसे एक महीना दो महीने या तीन महीने भी विधायी शक्तियां न होने के बावजूद भी रोके रख सकते हैं। अब इतने लंबे समय तक रोके रखने के बाद उस प्रगतिशील विधेयक का क्या हश्र होगा? इसीलिए हमने विधान परिषद को समाप्त करने का फैसला किया था।

मैं यहां पर एक फ्रांसीसी संविधान सभा सदस्य द्वारा कही गयी बात को उद्धृत करना चाहूंगा। उसने कहा था "कानून जनता की इच्छा है और एक विषय पर लोगों की दो इच्छाएं नहीं हो सकतीं। जब दो चैंबर होंगे तो मतभेद और विभाजन निश्चित तौर पर होगा और अकर्मण्यता के कारण लोगों की इच्छा निष्क्रिय हो जायेगी।

ऐसे कई उदाहरण हैं। वर्तमान विधि मंत्री ही 1985 में तत्कालीन विधि मंत्री थे और उन्होंने ही आंध्र प्रदेश विधान परिषद की समाप्ति के लिए विधेयक पेश किया था। आज वहीं मंत्री आंध्र प्रदेश विधान परिषद के गठन के लिए विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधि मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह जिस पार्टी के सदस्य है वह पार्टी स्वयं के राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा करती है। यदि वह पार्टी आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के गठन की पक्षधर है, तो उसे कांग्रेस शासित दूसरे सभी राज्यों में भी इसी सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। यदि यह सच है कि विधान परिषद के गठन से राज्य में तरक्की होगी तो यह बहुत अच्छी बात है लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यदि वे कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, तो कांग्रेस द्वारा शासित सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन क्यों नहीं कर दिया जाता? यह तो दोहरी नीति है। यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका निभानी चाहिए। राज्यों में दूसरे चैंबरों की मौजूदगी को लेकर वाद-विवाद किया जाना चाहिए।

जब आप इतिहास में जायेंगे तो देखेंगे कि तमिलनाडु में वर्ष 1969 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में भी 1969 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। पंजाब विधान परिषद को 1969 में समाप्त कर दिया गया था। इस देश में ऐसे कई उदाहरण हैं।

जहां कहीं भी संसद की अनुमति से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया उसे दुबारा बहाल करने का प्रस्ताव नहीं किया गया। यह पहली बार हो रहा है कि संप्रग सरकार के नेतृत्व में कांग्रेस आंध्र प्रदेश विधान परिषद के गठन हेतु विधेयक लायी है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

मेरी पार्टी इस तरह की गतिविधि का भरपूर विरोध करती है *(व्यवधान)* यह एक राजनीतिक से प्रेरित गतिविधि है। दूसरा चैंबर एक राजनीतिक पुनर्वास केन्द्र बनकर रह जायेगा। इससे कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नही होगा। यह हाथ की छठी उंगली के समान होगी जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इससे राज्य पर बहुत अधिक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश के लोग राज्य में विधान परिषद के गठन के पक्षधर नहीं हैं। अतः मेरी पार्टी इस विधेयक का पुरजोर विरोध करती है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री किन्जरपु येरननायडु : मैंने पंजाब विधान सभा के संकल्प का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि मेरे अच्छे मित्र श्री के.एस. राव कह रहे थे कि हमे राज्य की विधान सभा तथा उस विशेष राज्य के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब विधान संकल्प का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन आपके पास केवल पांच मिनट हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : यदि ऐसा है तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि कोई व्यवधान पैदा किया जाए तो मैं बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि सभी चुपचाप सुनें। मै ऐसा व्यक्ति हूं जो संविधान के प्रावधानो का पालन कर रहा है। किसी दलगत राजनीति के आधार की बजाए मैं उस आधार पर इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं दलीय राजनीति पर नहीं बोल रहा हूं। 1985 में या उसके पूर्व क्या हुआ, मेरा भाषण इस पर आधारित नहीं है। मेरी बहस केवल आचार पर आधारित है।

अब सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं उस राज्य से हूं जहां द्विसदनीय विधायिका है -- श्री चित्रा -- विधान परिषद, और श्रीमूलम -- विधान सभा। आजादी से पूर्व इसे समाप्त कर दिया गया। केरल विधान सभा बनने से पूर्व यह द्विसदनीय थी। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान प्रख्यापित किया जा रहा था तब डा. अम्बेडकर वेस्टमिंस्टर की हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह यहां भी द्विसदनीय संसदीय विधायिका देने के लिए जोर दे रहे थे। इसलिए यहां लोक सभा और राज्य सभा बनीं।

भारत एक विशाल देश है। हमारे यहां विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं और यह एकदम स्वाभाविक है कि लोक सभा से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता क्योंकि यहां सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। चूंकि एक संघीय राज्य का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है इसलिए संसद में सभी के हितों की तथा सभी संस्कृतियों के प्रतिनिधित्व को स्थान नहीं मिल सकता। डा. अम्बेडकर का उपरि सदन, राज्य सभा, बनाने का विचार उचित था और सभी समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह सर्वोत्तम विचार था। नामनिर्दिष्ट करने की प्रथा की भी अनुमति दी गई। लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के अतिरिक्त लोक सभा में अन्य किसी को नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता था। यही उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त इस अधिकार भी दिए गए। वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में दोनों समान हैं और किसी विषय पर दोनों ही विचार करते हैं। इसलिए, यह आवश्यक था। यदि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य सभा की कोई भूमिका है तो हमने यहां इसके लिए एक विधायिका, परिषद का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य क्या है? मैं नहीं जानता। मंत्री महोदय ने इसकी व्याख्या नहीं की।

इस विषय पर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम मैं प्रो. रामदास द्वारा कुछ समय पूर्व दिए गए भाषण का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर था। हमने संविधान के तिहत्तरवें संशोधन और चौहत्तरवें संशोधन पारित किए हैं और यह अनिवार्य बना दिया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि पांडिचेरी जो एक संघ राज्य क्षेत्र है, ये पिछले 38 वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुआ है। इसके लिए विधि मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्हें इस प्रश्न का जवाब देना होगा। यदि मैं कहूं कि उन्हें संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए । मैं राजीव गांधी, के प्रति उचित सम्मान व्यक्त करता हूं और वे श्री गांधी के अनुयायी हैं जिन्होंने यह कानून पारित कराया था कि स्थानीय निकायों का चुनाव अनिवार्य होगा और वह भी पांच वर्षों के भीतर लेकिन पिछले 35 वर्षों में पांडिचेरी में कोई चुनाव नहीं हुए हैं। क्या हम इस विधेयक को पारित करके शर्मिंदा नहीं है?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : वह वर्ड मैंने एक्सपंज कर दिया है।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य है *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

*(व्यवधान)**

श्री हंस राज भारद्वाज : आपको ऐसा कहने का अधिकार नहीं है *(व्यवधान)* आप एक बहुत ही वरिठ सदस्य हैं। *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह एक संघ राज्य क्षेत्र है। यह देखना विधि मंत्री का काम है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन हो और उन्हें क्रियान्वित किया जाए *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इस संघ राज्य क्षेत्र में पिछले 38 वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब वे एक परिषद के गठन के लिए एक नया विधेयक ला रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि हम आर्थिक संकट में हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और अन्य राज्य संकट में हैं। हम निवेश के पीछे पागल हो रहे हैं।

राज्य में विकास गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए भी हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। अन्य सदन के गठन में करोड़ों रुपये खर्च होंगे। इसका क्या उद्देश्य है? यदि वे मुझे यह विश्वास दिला दें कि यह राज्य के लाभ के लिए है तो मैं इसके पक्ष में मतदान करूंगा। मैं राजनीति कारणों से या राजनीति समीचीनता के लिए मतदान नहीं करूंगा। क्या यह बच्चों का खेल है? क्या यह कोई मजाक की बात है? मैं माननीय विधि मंत्री को अवश्य याद दिलाना चाहूंगा कि हमने 1956 में भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। केरल में एक सदनीय विधायिका है। तमिलनाडु में केवल एक विधान सभा है। आंध्र प्रदेश में केवल एक विधान सभा है। लेकिन हमने एक काम किया। हमें आंध्र प्रदेश का उल्लेख विशेषरूप से करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना के लिए हमने 1957 में संकल्प पारित किया था। 1957 में इसे इसी सभा में पारित किया गया था। उसके बाद यह लागू हुआ। उस समय एक अभ्यावेदन दिया गया था, जैसा कि हमारे विद्वान साथी श्री के.एस. राव ने बताया और फिर यह अस्तित्व में आया। यह 1985 तक रहा। इसके बाद अचानक तमिलनाडु और अन्य राज्यों के मुकदमें के बाद इसको समाप्त करने के लिए एक नया संकल्प लाया गया। श्री राजीव गांधी ने राज्य विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प के साथ इस प्रस्ताव को लाकर अच्छा कार्य किया था *(व्यवधान)*। श्री राजीव गांधी ने इसे पारित करने के लिए अपनी सहमति देकर उदारता दिखायी। यह परिषद 1985 तक बनी रही। हमने महसूस किया कि यह जरूरी नहीं था और हमे इसे समाप्त कर देना चाहिए। फिर इसके लिए अनुरोध किया गया और हमने इसे समाप्त कर दिया। मैं वह समझ सकता हूं।

दो दशक पूरे होने से पूर्व ही उस परिषद को पुनः जीवित करने के लिए इस सभा के समक्ष एक नया संकल्प आ गया है जिसे 19 वर्ष पूर्व इसी सभा द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसे समाप्त करने के 20 वर्षों के भीतर ही हम पुनः एक संकल्प पारित करने वाले हैं। क्या यह बच्चों का खेल है? विधान सभा ने हमसे इस संकल्प को पारित करने के लिए आग्रह किया है। 1957 में यह विशेष मामले के रूप में किया गया था। इसके बाद इस सभा ने 1985 में इसको समाप्त करते हुए एक दूसरा संकल्प पारित किया था। वे हम पुनः उस पुरानी चीज को पुनः जीवित करने को कह रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन : यदि ऐसा ही होता रहा तो 2025 मे एक अन्य संकल्प आएगा जिसमें हम से इसे समाप्त करने को कहा जाएगा। हो सकता है मैं उस समय वहां नहीं होऊंगा। लेकिन यदि आंध्र प्रदेश विधान सभा इसे समाप्त करने के लिए हमसे एक संकल्प पारित करने को कहेगी तो क्या हम इसे पारित कर सकेंगे? वह एक राजनीतिक समीचीनता होगी। यदि सत्ताधारी दल इसे चाहता है तो वह संकल्प पारित करेगा। वह इसे पारित करने के लिए यहां भेज देगा। क्या हम रबर की मुहर है? क्या हम उनके हाथों की कठपुतली है? हम उससे बंधे हुए नहीं हैं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह एकदम बाध्यकारी नहीं है। अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार उन्होंने यह संकल्प पारित किया है लेकिन हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं। एकबार जब उन्होंने संकल्प पारित किया तो विशेष स्थिति में हमने उसका समर्थन किया था। अब यह तीसरी बार है जब वह हमसे उस परिषद को पुनः जीवित करने को कह रहे हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : फिर चौथी बार इसे समाप्त करने के लिये लाया जाएगा। *(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन : 1985 में उन्होंने इसे समाप्त करना चाहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, 2005 में वे इसे पुनः जीवित करना चाहते हैं। फिर कुछ समय बाद वे आप से इसे समाप्त करने के लिए कहेंगे।

महोदय, यह सभा इस संकल्प से बंधी हुई नहीं है। यह सभा एक संप्रभु निकाय है। हम किसी राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के आदेशों से बंधे हए नहीं हैं। इस सभा का अपना अलग स्वत्व है, इसका अपना अस्तित्व है और इस सभा की अपनी प्रणाली है हमें कोई आदेश नहीं दे सकता। वे अपनी मर्जी से संकल्प पारित करेंगे और संसद से अपनी परिषद को पुनर्जीवित करने को कहेंगे।

इसलिए, महोदय, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। हम इसके भागीदार नहीं हो सकते। यदि हम इसे पारित करते हैं तो यह सभा के इतिहास में एक काला धब्बा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह। आपकी बारी हमेशा इनके बाद आती है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : जी हां, और ये माहौल को उलटी दिशा में कर देते हैं।

चूंकि यह विधेयक संसदीय समिति की ओर से आया है, भार-साधक मंत्री जी तो इसके साधन मात्र हैं। जब पार्लियामेन्ट स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें सभी पक्ष के लोग थे, उन्होंने किसी कानून को आम सहमति से स्वीकृति दे दी है तो मैं नैतिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझता हूं कि संसदीय समिति में किसी भी कानून का समर्थन किया जाए और सदन के भीतर उसका विरोध किया जाए। यह कोई स्वस्थ परिपाटी नहीं होगी। इसलिए इन परिस्थितियों में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान बनाने वालों ने सभी राज्यों को इस बात का अधिकार दिया कि यदि वे जरूरी समझें तो अपने राज्य में सैकेन्ड चैम्बर बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो काउंसिल है, लोकल बॉडी से चुनकर मैं भी उसकी सेवा कर चुका हूं। हिन्दुस्तान की संविधान सभा बैठी तो मैं विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि संविधान सभा का चुनाव करते समय इस देश में लिमिटेड फ्रैंचाइज़ था, एडल्ट फ्रैंचाइज़ नहीं था। लिमिटेड फैंचाइज़ से चुने हुए लोगों ने भारत को दुनिया का अद्‌भुत संविधान दिया जो हर बारीकी से सज्जित है। इसे दुनिया के अच्छे संविधानों में गिना जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सैकेण्ड चैम्बर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जनता द्वारा रिजेक्ट लोगों को विश्राम की जरूरत है, इसलिए सैकेण्ड चैम्बर है। ऐसा आरोप लगाने वालों को अपने नेताओं का इतिहास देखना चाहिए। यदि बुरा न माना जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं का अधिकांश समय राज्य सभा में बीता है। लोक सभा के मुकाबले वे राज्य सभा से अधिक रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी लोक सभा के मैम्बर नहीं हैं। यदि राज्य सभा न होती तो श्री नरसिंह राव जी को प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करने का सौभाग्य या इस सदन द्वारा नेतृत्व देने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहुत सारी परिस्थितियों में यदि आप देखेंगे तो सैकेण्ड चैम्बर की जरूरत है। लेकिन किन राज्यों को इसकी जरूरत है, इसका अधिकार हमारे संविधान बनाने वालों ने राज्यों को विधान सभाओं को दिया है। ऐसा क्यों किया गया? आज उत्तर प्रदेश की आबादी 17 करोड़ 40 लाख है और 17 करोड़ 40 लाख का प्रतिनिधित्व कुल चार सौ असैम्बलीज के मैम्बर्स करते हैं। विधान सभा के एक सदस्य को 7-8 लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है और आपने इस सदन के भीतर एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि सीमाओं का परिसीमन होगा, असैम्बलीज़ का परिसीमन होगा, लोक सभा की सीटों का परिसीमन होगा, लेकिन सीटें सन् 2025 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। जब सन् 2025 तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ऐसी हालत में लोक सभा के मैम्बर्स का जो दायरा है, मैं जिस लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसकी आबादी 25 लाख है। इस देश में ऐसा प्रतिनिधित्व है, जिनके क्षेत्र की आबादी डेढ़ लाख है, लेकिन हमें 25 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, यह एक विषमता है। लेकिन जब आपने एक पद्धति बना दी कि जो बड़ी विधान सभाएं हैं, उनमें भी विधान सभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ेगी, ऐसी हालत में यदि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सैकिंड चैम्बर बनाकर कुछ ऐसे, जो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक होते हैं और किन्हीं खास परिस्थितियों में उन्हें मतदाताओं का विश्वास नहीं मिल पाता, ऐसी हालत में यदि उन्हें राज्य सभा में प्रवेश दे दिया जाता है, तो मैं इसे अनैतिक कहने के लिए तैयार नहीं हूं, यह कोई अनैतिक पद्धति नहीं है। इसीलिए बड़े राज्यों के लिए सैकिंड चैम्बर की बात कही गई। 70 लाख की आबादी का एक राज्य है, जो हमारे में से ही कटकर बन गया। वह कल तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उसका

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी प्रतिनिधित्व विधान परिषद में हुआ करता था। लेकिन 70 लाख की आबादी अलग कर दी गई, उसमें 90 विधान सभा के सदस्य हो गए, यदि वे वहां भी यह मांग करें कि हमें सैकिंड चैम्बर मिले, मैं समझता हूं कि यह तार्किक नहीं होगा। लेकिन यदि बड़े राज्य सैकिंड चैम्बर की मांग करते हैं, तो वह वाजिब मांग है और उसका समर्थन किया जाना चाहिए। इसमें हिन्दुस्तान के जितने बड़े राज्य हैं, यदि उनसे वार्तालाप करके भारत सरकार एक साथ उन सभी राज्यों में सैकिंड चैम्बर बना देती है, तो यह गैर-वाजिब नहीं होगा। आप या तो विधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की छूट दीजिए और यदि वह छूट नहीं देते हैं, तो सैकिंड चैम्बर बनाने की इजाजत होनी चाहिए, यह मेरा आग्रह है।

यह बार-बार कहा जाता है कि जो प्रतिनिधिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की वजह से भार बढ़ रहा है, जैसे सबसे बड़ा भार इन प्रतिनिधिक संस्थाओं से ही है। यह वही तर्क है जो इस बात को कहता है कि लोक सभा और राज्य सभा खर्चे की सबसे बड़ी जगह हैं, इसमें गैर-जरूरी खर्चे को रोकने के लिए इन संस्थाओं को बंद कर दिया जाए। यह लोकतांत्रिक दिमांग नहीं है, यह समिति दिमाग है, जो प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं को सीमित करे। इसलिए मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज़ के प्रतिनिधियों का पहले से प्रवेश है, प्रतिनिधित्व है, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का प्रतिनिधित्व है, ग्रेजुएट्स लोग जो जनता का चुनाव नहीं जीत सकते, अध्यापक हैं, किसी और संस्था में काम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व विधान सभा में नहीं हो सकता, वे जनता के 24 घंटे के सेवक नहीं हो सकते, क्या ऐसे लोगों का चुनी हुई संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? इसलिए ऐसे तत्वों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सैकिंड चैम्बर की बात कही गई। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के प्रतिनिधित्व हो सकें, अध्यापकों के प्रतिनिधित्व हो सकें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधित्व हो सकें और मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में शिक्षक वर्ग में सबसे अधिक संख्या प्राइमरी अध्यापकों की हो गई है। प्राइमरी अध्यापक किसी भी विधान सभा में अपने प्रतिनिधित्व में विहीन हैं। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि माननीय कानून मंत्री जी ने आंध्र प्रदेश के काउंसिल के गठन का जो प्रस्ताव रखा है, उसमें प्राइमरी टीचर्स को उनके प्रतिनिधित्व से वंचित किया है, यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में प्राथमिक विद्यालयों के टीचर्स का भी प्रतिनिधित्व काउंसिल में सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए एक संशोधन इन कानूनों में आना चाहिए।

इन थोड़े से सुझावों के साथ कि थोड़े से नॉमिनेटेड लोग, जिनकी पार्टियों के लिए बहुत जरूरत होती है, राज्य सभा में क्या होता है, प्रतिष्ठित खिलाड़ी जो देश और दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा करते हैं, वे चुनाव जीतकर तो नहीं आ सकते।

अपराह्न 4.00 बजे

अब श्री नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग एक-आध ही होंगे, जिन पर पार्टियों की कृपा होती है तो वह यहां आ जाते हैं, लेकिन आम तौर पर खिलाड़ी, सिनेमा के कलाकार, विभिन्न संगीतों के कलाकार का प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति में नहीं हो सकता है। ऐडल्ट फ्रेंचाइस में जनता के प्रति जो सीधी जिम्मेदारी है, वह उसका निर्वहन नहीं कर सकते। इसलिए एक पद्धति मानी गयी कि राष्ट्रपति जी यदि उचित समझें तो उनका मनोनयन कर सकते हैं। इसी तरह विधान परिषदों में राज्यपाल महोदय अपनी तरफ से ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कराते हैं। 12 नौमीनेटेड लोगों का प्रावधान सभी राज्यों में है, आपने यहां भी किया है, लेकिन इसकेलिए एक बंदिश होनी चाहिए। सोशल वर्कर्स की भी परिभाषा इसमें दी जाये। सोशल वर्कर्स जो अत्यंत अद्‌भुत और उच्च कोटि के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका भी मनोनयन हो सकता है। इस धारा का दुरुपयोग करके जो निंदा की जा रही है कि हमारे रिजैक्टेड पौलिटिशियन, जो कभी चुनकर नहीं आ सकते, उनका मनोनयन हो जाता है। राज्यपाल को जो 12 नामांकन का अधिकार है, उसे साफ तौर पर स्पेसीफाई करना चाहिए। यह स्पेसीफिकेशन होना चाहिए कि ऐकेडेमिक फील्ड, खेल-कूद, संगीत, कला आदि के क्षेत्र में जिनका उल्लेखनीय योगदान हो, ऐसे ही लोगों हो राज्यपाल और राष्ट्रपति को सैकिंड चैम्बर में मनोनीत करना चाहिए। इस आग्रह और सुझाव के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

***डा. रतन सिंह अजनाला** (तरनतारन) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश विधान परिषद के संबंध में माननीय विधि मंत्री, श्री भारद्वाज द्वारा लाए गए विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस विधेयक के विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं उस तर्क को सुन रहा था कि क्यों एक विधान परिषद की आवश्यकता है। यदि एक विधान परिषद जरूरी थी तो पहले उसे समाप्त क्यों किया गया? यदि इसे समाप्त किया गया तो इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। ऐसा महसूस किया गया कि इस परिषद की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। आज इस परिषद की आवश्यकता कैसे हो गई?

उपाध्यक्ष महोदय, आज आंध्र प्रदेश में तथा केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है। इस परिषद की आवश्यकता केवल कांग्रेस के लोगों को समायोजित करने और उन्हें जगह देने के लिए है। अन्यथा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर भारी खर्च आएगा। सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति खराब है। इन विधान परिषदों का पुनः सृजित करने संबंधी हमारे निर्णय से इन राज्यों की पहले से ही खराब हालत पर और बोझ पड़ेगा।

---

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डा. रतन सिंह अजनाला]

उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में संसद के ग्यारह सदस्यों के भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारनामे का उल्लेख करते हुए मैं शर्मिन्दा महसूस कर रहा हूं। इस प्रकार की और संस्थाओं को पुनर्जीवित करके हम भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देंगे। इस परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों द्वारा चयनित निकाय विधान सभा है। पंजाब में भी विधान परिषद थी। लेकिन बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। पंजाब में भी विधान परिषद को पुन बनाने की अपील की गई थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब पंजाब में ऐसा नहीं हो सकता तो अन्य राज्यों में ऐसा क्यों किया जा रहा है? यह अन्याय है, सभी राज्यों के साथ न्याय होना चाहिए।

विधि मंत्री एक दक्ष व्यक्ति हैं। किसी विधेयक को पारित करने के लिए विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। यह कोई चुनी हुई निकाय नहीं होगी। चाहे कोई सहकारिता निकाय हो या ऐसा कोई संस्थान हो, स्थानीय सरकारें इसमें अनियमितताएं करती हैं और परिषद के सदस्य इन निकायों के सदस्य होते हैं। इसलिए आज के समय की यही मांग है कि ऐसे फिजूल खर्च वाले कार्यों से बचा जाए और राज्यों को वित्तीय संकट से उबारा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यही मेरा अनुरोध है। विधान सभा के विचारों को मानते हुए इस विधेयक को पारित करना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। हमें अपने दिमाग और विवेक का उपयोग करना चाहिए। हम सभी चुने हुए सदस्य हैं।

हम लोक सभा के सदस्य हैं। हम यहां जनता की भलाई के लिए कानून बनाने हेतु यहां आए हैं। इसलिए, इस विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश विधान परिषद नामक महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक को लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मेरे मित्र ने अभी कहा कि उन पर अभियोग लगना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी को मिलकर श्री भारद्वाज जी के प्रशंसा में एक गीत लिखना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश के 7 करोड़ से अधिक लोग इस विधेयक को लाने के लिए निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करेंगे उनकी स्तुति करेंगे, उन्हें याद करेंगे। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संविधान के महान निर्माताओं की लोकतंत्र में बहुत बड़ी आस्था थी। वे लोग इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे क्योंकि वे लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, द्विसदनीय प्रणाली में विश्वास करने वाले थे और उन्होंने इस देश के राज्यों विधान सभा के साथ विधान परिषद का भी प्रावधान किया।

महोदय, एक महान दूरदर्शी के रूप में हमारे संविधान के महान् निर्माताओं ने देश में हर स्तर पर निचले स्तर से लेकर ऊपर तक, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहा था। यहां हमारे एक मित्र ने कहा कि विधान परिषद छठी अंगुली के समान है। मैं कहना चाहूंगा कि विधान परिषद लोकतंत्र की आंखों में से एक आंख है। एक राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, 'एकाक्षी लोकतंत्र है। केन्द्र में संसद के दो सदन हैं -- लोक सभा और राज्य सभा। मेरा एक नम्र निवेदन है कि हमारे यहां केवल 4 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं। सभी राज्यों में जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद होनी चाहिए। यहां तक की संघ राज्य क्षेत्रों में भी, जहां विधान सभाएं हैं, वहां विधान परिषद होनी चाहिए। विधान सभाएं लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।

अपराह्न 4.08 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

लेकिन विधान परिषद विद्वानों, व्यावसायिक लोगों, वकीलों, शिक्षाविदों, यहां तक की धार्मिक गुरुओं, समुदाय के नेता, समाजविज्ञानी, धार्मिकनेताओं, खिलाड़ियों स्पोर्ट्स्मैन, शिल्पकारों, कारीगरों आदि जैसे लोगों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभा लोगों का प्रतिनिधित्व केवल विधान परिषद में ही होता है। यदि उनको कोई मौका नहीं दिया जाता है तो हम उनके मौलिक अधिकार का, उनके प्रजातांत्रिक अधिकार से उन्हें वंचित कर रहे हैं। इसलिए, हम कहना चाहेंगे कि विधान परिषद को इस देश के प्रत्येक रूप में सर्वत्र प्रजातांत्रिक ढांचे का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में, 1986 में जब वहां डा. एम.जी.आर. की सरकार थी इसे समाप्त कर दिया गया था। इस बात का यहां उल्लेख किया गया। यदि एक राज्य से इसे समाप्त कर दिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसे दूसरे राज्य में नहीं बनाया जा सकता। मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में भी हमारे महान नेताओं ने कहा है कि वहां राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि 1986 में विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी। ईश्वर की इच्छा से 2006 में चुनाव के बाद डा. कलाईंगनार के नेतृत्व में तमिलनाडु में वही विधान परिषद पुनः स्थापित की जाएगी। ऐसा ही होने की संभावना है।

विधान परिषद के बारे में मैं एक या दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 12 प्रतिनिधियों को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तो नामनिर्देशन होता है तो यह नामनिर्देशन वाणिज्यिक सदन, व्यापार यूनियनों के लिए भी होना चाहिए। राज्य के सभी व्यापारिक यूनियनों को परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ अधिकांश धार्मिक नेता, अधिकांश आध्यात्मिक नेता समाज के विकास के लिए सामाजिक भलाई व उत्थान का कार्य कर रहे हैं वे कभी भी खुले तौर पर चुनकर नहीं आते हैं। वे कभी भी चुनाव नहीं लड़ते

हैं। देश के ये सच्चे आध्यात्मिक प्रत्येक जगह पाये जाते हैं। किसी राज्य विशेष में या किसी भी राज्य में जो आध्यात्मिक नेता लोगों को मिलजुलकर जीना सिखा रहे हैं, लोगों को शांति और सुख से जीने के लिए मार्ग दर्शन कर रहे हैं, वे लोगों को इस बात के लिए निर्देश कर रहे हैं कि लोगों के विचार एक होने चाहिए उन्हें इस परिषद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसके लिए जब राज्यपाल समुदाय के नेताओं का, लोगों के विभिन्न वर्गों का नाम-निर्देशन करते हैं तब उन्हें आध्यात्मिक नेताओं पर भी विचार करना चाहिए। उन लोगों को भी इस विधान-परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं डी.एम.के. पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री भर्तृहरि महताब बोलेंगे। कृपया पांच मिनट में पूरा कीजिए क्योंकि यहां कई वक्ता हैं। कृपया यदि आप सहयोग करें तो अच्छा होगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं केवल उन बातों को दोहराऊंगा जो आपने इस ओर बैठकर कहा था कि इसे जल्दी में पारित किया जा रहा है और हमें इसमें सहयोग नहीं करना चाहिए। इस बार आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए माननीय विधि मंत्री ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। लेकिन चर्चा जिस तरह शुरू हुई है, विशेषकर जब पूर्व के वक्ताओं ने अभी-अभी कहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सृजन की बात चल रही है। कल तमिलनाडु विधान परिषद की बात आ जाएगी। मैं नहीं जानता कि अन्य राज्यों का क्या होगा। स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद, आधी शताब्दी की चर्चा के बाद, जो विभिन्न प्रान्तों में परिषद के निर्माण के सम्बंध में संविधान सभा में चर्चा चली थी, आज मैं समझता हूं कि यह आवश्यक हो गया है कि हम उन चर्चाओं पर ध्यान दें जो 1947 या 1948 और 1949 में हुई थी।

अब मैं मूल विषय पर आना चाहूंगा। संविधान सभा में मत-भिन्नता थी। मतैक्य नहीं था क्योंकि उस समय स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। हमारे पास बड़े-बड़े राज्य थे। ये बड़े राज्य बंगाल प्रेसीडेंसी, बम्बई प्रेसीडेंसी और मद्रास प्रेसीडेंसी से विरासत में मिले थे। लेकिन उस समय डा. अम्बेडकर ने चर्चा पर तथा समिति जो उस समय गठित हुई थी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद साफ-साफ टिप्पणी की थी :

> "संविधान सभा विधान परिषद के निर्माण को संविधान में एक संक्रमणकारी प्रावधान के रूप में देखती है।"

मैं संविधान के इस "संक्रमणकारी प्रावधान" पर जोर देना चाहूंगा। यह कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था बल्कि एक संक्रमणकारी प्रावधान था और यदि हम केवल आंध्र प्रदेश विधान परिषद की बात करते हैं, जैसा कि आपने ठीक ही कहा था जब आप इस पक्ष में बैठे थे, तो इस संक्रमणकारी प्रावधान का उपयोग तब हुआ जब आंध्र प्रदेश विधान परिषद को समाप्त किया गया।

1957 में एक संकल्प प्रस्तुत हुआ था। यह लोक सभा द्वारा स्वीकृत हुआ था। तत्पश्चात 1985 में आंध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक संकल्प पारित किया था। वह आंध्र प्रदेश के लोगों का जनादेश था।

आज हमारे पास एक और जनादेश है जिसमें कहा गया है कि हमने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र मे अधिसूचित कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें उसके कारण ही मत मिले हैं। वह कितना है मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता परन्तु यह एक जनादेश है। किन्तु आज प्रश्न लोक सभा और सरकार के सामने उठा है और यह एक प्रश्न होगा जिसे दोहराया जाएगा कि क्या किसी विधान सभा का संकल्प परिषद की सृजन के लिए एकमात्र आधार होगा। मैं संविधान सभा संबंधी वाद-विवाद पर वापस जाना चाहता हूं। उस समय श्री मोहन सिंह ने ठीक ही कहा था कि एक बहुत सीमित फ्रेंचाइज प्रणाली तब सर्वत्र विद्यमान थी। उस समय देश के नेता, संविधान के निर्माता जब संविधान तैयार कर रहे थे और जब वे संविधान सभा में चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वे निर्वाचित सदस्य हैं और उन्हें संविधान सभा में लोगों का प्रतिनिधत्व करना चाहिए। यही प्रमुख कारण है कि कतिपय प्रावधान किए गए थे। किन्तु मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले ही वयस्क मताधिकार से आधी सदी बीत गई है। क्या हमने प्रगति नहीं की है? इस 21वीं सदी में एक अंतर्वर्ती प्रावधान की पुष्टि की जा रही है जिसे 20 वर्ष पहले समाप्त का दिया गया था। जिसे बाद में विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम इसे वापस लाना चाहते हैं। किस प्रयोजन के लिए? मैं मूल प्रश्न करता हूं कि क्या कानून बनाना वास्तव में जरूरी है। वास्तव में आंध्र प्रदेश विधान सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? क्या 60 दिन होती हैं? गत दस वर्षों में क्या आंध्र प्रदेश विधान सभा की 60 दिन बैठकें हुई थीं। नहीं। बहुत कम ऐसा हुआ है। केवल पश्चिम बंगाल विधान सभा ने ही 61 दिन पूरे किए हैं। और किसी राज्य विधान सभा की वर्ष में 60 दिन बैठक नहीं हो रही है। यदि यह स्थिति है तो आज विधान सभाओं के पास करने के लिए क्या विधायी कार्य हैं? अतः आपको चर्चा करने और बहस करने के लिए और कक्ष की जरूरत हैं। विधान सभा के पास 60 दिनों का, कार्य नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में वर्ष में मुश्किल से 31 दिनों की बैठकें होती हैं। फिर भी उनके पास परिषद है क्योंकि वह एक बड़ा राज्य है और जो चर्चाएं चल रही हैं *(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : उड़ीसा के बारे में क्या कहना है? *(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब : हमारे यहां परिषद नहीं है *(व्यवधान)* मुझे अपने राज्य के बारे में ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। हमारे राज्य

[श्री भर्तृहरि महताब]

में इस बार 49 दिन बैठक हुई हैं। गत वर्ष 55 दिन बैठकें हुई थीं। गत वर्ष से पहले के वर्ष में यह संख्या उससे काफी अधिक थी। किन्तु जब मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी भी राज्य में 60 दिन बैठकें नहीं हो रही हैं तो उड़ीसा भी उसका एक हिस्सा है। प्रत्येक को यह बात समझनी चाहिए। किन्तु इस पर चर्चा की गई थी। ऊपरि सभा अथवा परिषद के सृजन के बारे में विभिन्न प्रदेशों में पर उड़ीसा विधान सभा में भी चालीस के दशक के अंत में चर्चा हुई थी। मैंने उन वाद-विवादों का अध्ययन किया है। यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उस समय एक विचार किया गया था। कुछ सम्प्रदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उनके संगठनों की प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, शिक्षित समुदायों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इस पर चालीस के दशक के अंत में उड़ीसा विधान सभा में चर्चा हुई थी। उस समय प्रो. प्राणकृष्ण परीजा जोकि ब्लैकमैन परीजा सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वनस्पति विज्ञानी हैं, तथा जिन्होंने यह खोज की थी पौधों में जीवन है वे जनादेश के द्वारा विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। हमारे यहां एक ओर कुलपति डा. वैद्यनाथ मिश्र भी हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा परन्तु हार गए थे। हमारे यहां एक और विधि के गण्य-मान्य विद्वान हैं जो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे -- न्यायमूर्ति लिंगराज पाणिग्रही। वह मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होकर निर्वाचित हुए थे।

उन्होंने चुनाव लड़ा, विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और विधि मंत्री बने। उन्होंने पुन: चुनाव लड़ा, निर्वाचित हुए और उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष बने। परन्तु इसके साथ ही हमारे पास अनेक शिक्षित व्यक्ति हैं जिन्हें दल ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। क्या हमें यह मानना चाहिए कि आंध्र प्रदेश, उनके राजनैतिक दल, विशेषकर कांग्रेस दल शिक्षित लोगों का चयन करने की स्थिति में नहीं है ताकि उन्हें जनादेश मिल सके और विधान सभा के लिए निर्वाचित हो सके और इसीलिए सरकार चाहती है कि उन्हें परिषद के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए। यह ठीक नहीं है। आप इस तरह लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते।

श्री के.एस. राव : इसीलिए, तेदेपा के आंध्र प्रदेश विधान सभा में 44 विधायक हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु : ठीक है। आंध्र प्रदेश विधान सभा में हमारी सं. 44 है। पिछली विधान सभा में उनकी संख्या 26 थी। इस बार वे 44 विधायकों के साथ सत्ता में आए और अगली बार हम सत्ता में आएंगे।

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल श्री महताब ही बोल सकते हैं और अपनी बात अब समाप्त कर सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यदि सत्ताधारी दल चाहता है कि कुछ अच्छे लोग विधान सभा में आएं, विशेष क्षेत्रों के ज्ञानी व्यक्ति मंत्रालय में मंत्री बनाने के लिए विधान सभा में आएं अथवा शासन चलाने के लिए अधिक योगदान देने हेतु चुने जाएं तो उन्हें अपने को निर्वाचित करना चाहिए क्योंकि अंततोगत्वा पार्टी ही चुनाव लड़ती है व्यक्ति नहीं। राजनैतिक दल चुनाव लड़ते हैं चिह्न ही लोकप्रिय होता है। कभी-कमार ही व्यक्तियों को लोगों से जनादेश मिलता है और वे बहुत अच्छे और क्षमतावान होते हैं।

सभापति महोदय : श्री महताब, आपने 10 मिनट ले लिए हैं। कृपया सहयोग करें और अब अपनी बात समाप्त करें। हमें विभिन्न विचारों को सुनना चाहिए।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं विधि मंत्री को केवल एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह ज्ञानी हैं और उन्हें पता है कि हमें ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र से विरासत में क्या मिला है। ब्रिटिश द्वीपों, ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्डस तथा हाउस ऑफ कॉमन्स हैं। स्काटलैंड ब्रिटिश द्वीपों का एक भाग है परन्तु इसका कोई दूसरा चैम्बर नहीं है। इसकी संसद है परन्तु इसमें दूसरा चैम्बर नहीं है न ही वेल्स के पास है और न ही नार्दन आयरलैंड के पास है। हमारे यहां क्यों होना चाहिए।

महोदय, आज सरकार द्वार खोल रही है सरकार कुछ व्यक्ति समूहों को राजनैतिक संगठनों पर इस दिशा में बढ़ने का दबाव बनाने के लिए बढ़ावा दे रही है जिससे राजकोष को और हानि होगी और विभिन्न राज्यों के राजकोष पर अनावश्यक भार पड़ेगा। क्या यह आवश्यक है? मैं इसे अवश्यक नहीं समझता। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। जब पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने 1969 से दूसरा चैम्बर समाप्त कर दिया था तो हम दोबारा यह सब क्यों आरंभ कर रहे हैं। सरकार को पुन: समस्याओं का पिटारा नहीं खोलना चाहिए।

महोदय, मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक वचन दिया है और जैसा आपको पता है कि वे कहते हैं कि वे हमेशा अपना वचन पूरा करते हैं। परन्तु यह एकमात्र वचन है जिसे वे पूरा करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने गत 18 या 20 महीनों के दौरान अपने घोषणापत्र में किए गए किसी और वायदे को पूरा किया है। यह अंतिम वायदा है जिसे वे पूरा करने जा रहे हैं *(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने अनेक वायदे किए हैं। मैं नहीं समझता कि उन्हें वे वायदे आज याद हैं किन्तु सरकार अपने कुछ विशेष लोगों के कारण ही यह विधेयक लाई है। हमारी पार्टी आंध्र प्रदेश में दूसरा चैम्बर बनाने के पूर्णतया खिलाफ है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आंध्र प्रदेश विधान परिषद विधेयक, 2004 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद के सृजन के उद्देश्य से लाया गया है।

महोदय, इस बारे में काफी कुछ कहा गया है कि हमें आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के गठन के लिए इस विधेयक को लाना चाहिए अथवा नहीं। सामान्य परिस्थितियों में मुझे यही लगता है कि इस सभा ने आंध्र प्रदेश विधान सभा के निर्णय की ही पुनरीक्षा की है।

मेरा मानना है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने काफी सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया था कि भारत के बड़े राज्यों में विधान परिषदें हो सकती हैं और उस समय कुछ विधान परिषदें अस्तित्व में भी थीं। लेकिन यहां पर कोई सामान्य बात नहीं हैं। आंध्र प्रदेश में पहले से ही एक विधान परिषद थी जिसे समाप्त कर दिया गया था। मैं समझता हूं संसद के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जिसमें हम एक ऐसे मुद्दे पर दोनों पक्ष बहस कर रहे हैं कि पूर्व में विधान परिषद को समाप्त करने का लिया गया फैसला सही था या कि अब यह फैसला जिसके तहत हम विधान परिषद को दुबारा गठित करना चाहते हैं।

यदि विधान परिषद को पुनःर्गठित किया जाता है तो यह एक आम बात हो जायेगी। फिर ऐसा राजनीतिक उद्देश्यों से भी होने लग जायेगा। तब इस तरह की प्रथा चल निकलेगी कि कुछ राज्यों में इसे सृजित किया जायेगा और जब दूसरी सरकारें वहां आयेंगी तो वे उसे समाप्त कर देंगी। इसके बाद कोई और सरकार आयेगी तो वह पुनः इसे नये सिरे से सृजित कर देगी। अब हम संसद में ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस बारे में संसद को वही करना चाहिए जो राज्य चाहते हैं। यदि राज्य विधान परिषद को गठित करना या उसे खत्म करना चाहते हैं, तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम यह नहीं कह सकते या हम इस तरह की मनमर्जी नहीं चला सकते कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था है और इसमें हमारे राष्ट्रनिर्माताओं के कथनानुसार बड़े राज्यों में विधान परिषद हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। हम नहीं कह सकते कि इस राज्य में विधान परिषद नहीं हो सकती।

जैसाकि किसी ने उचित ही कहा है कि यदि आंध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार इसको रखने की पक्षधर होगी और तो वहां की दूसरी सरकार जो कि तेलगु देशम पार्टी की सरकार होगी इसे समाप्त करना चाहेगी ...*(व्यवधान)* तब वह फिर यहां विधेयक ले आयेंगे ...*(व्यवधान)* मुझे पक्का पता है कि वह ऐसा ही करेंगे। वह एक अलग बात है। जो मैं कह रहा हूं वह एक संभावित मामला हो सकता है ...*(व्यवधान)*

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने अपनी पूरी समझ-बूझ के साथ डा. अम्बेडकर के नेतृत्व में केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया था और जब ऐसा किया गया तब उस समय काफी लंबी चर्चा हुई थी। इस बारे में भी विचार किया गया कि हम अपने यहां अमरीकी शासन प्रणाली की भांति राष्ट्रपति प्रणाली क्यों नहीं अपनाते जो कि सुचारू ढंग से कार्य कर रही है।

हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रि परिषद वाली संसदीय प्रणाली अपनायी है। उस समय इन विषयों पर काफी वाद-विवाद हुआ था। मैं उस समय के वाद-विवाद का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। लेकिन तब इस बात पर चर्चा की गयी थी कि अमरीका का राष्ट्रपति किसी मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त करने के लिए उस क्षेत्र के सर्वोत्तम व्यक्ति का चयन कर सकता है। वहां मंत्री नहीं होते। वहां सेक्रेटरी आफ स्टेट और इसी तरह के दूसरे लोग होते हैं। फिलहाल, हमें इस बहस में नहीं पड़ना है। हम जो कहना चाहते हैं वह यह कि हमारे में राज्य सभा के सदस्य होते, जो मंत्री बन सकते हैं* ... और मंत्रालय में किसे काम करना चाहिए ... उसमें किस व्यक्ति को शामिल करना चाहिए। हमारे यहां इसी तरह की शासन प्रणाली है।

मैं इसकी सराहना करना चाहूंगा क्योंकि हमारे देश में कई तरह की परंपराएं हैं। ब्रिटेन के निम्न सदन में अधिकतर कानून परंपरा पर आधारित हैं। 58 वर्ष की आजादी में हमने भी कई तरह की परंपराएं विकसित की हैं। आपको याद होगा कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वह लोक सभा की नहीं अपितु राज्य सभा की सदस्य थीं।

लेकिन उन्होंने लोक सभा का सदस्य बनना उचित समझा। इसलिए उन्होंने राज्य सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और लोक सभा की सदस्य बन गयीं। मैं समझता हूं कि अपने देश में इस परंपरा को भी बनाये रखा जाना चाहिए* ... मैं समझता हूं कि यही एकमात्र उचित रास्ता है। हमें इन्हीं बातों पर अमल करना चाहिए। यही परंपराएं हैं। हमें इनसे क्यों भयभीत होना चाहिए? किसी ने सच ही कहा है कि यह तो पार्टी है जो चुनाव लड़ती है ...* वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उदाहरण पेश किया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि वह दूसरे सदन पर छींटाकशी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं इस मामले पर ध्यान दूंगा और देखूंगा कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : श्रीमती इंदिरा गांधी ने यहां एक उदाहरण पेश किया था और कांग्रेस पार्टी को भी इस मामले में उदाहरण पेश करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। अब मैं श्री जी. वेंकटस्वामी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मेरा भी यही मत है कि इस सभा को वही करना चाहिए जो राज्य के विधानमंडलों की इच्छा हो।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी (पेद्दापल्ली) : चेयरमैन, साहब सब लोग अंग्रेजी में बोले हैं लेकिन मैं अपनी बात हिन्दी में रखना चाहूंगा।

अभी लैजिस्लेटिव कौंसिल बिल को टी.डी.पी. के सदस्यों ने और दूसरी स्टेट्स से मैम्बर्स ने अपनी तरफ से क्रिटिसाइज किया है। वहां पब्लिक मैंडेट दिया गया है, तभी असेम्बली के स्पीकर ने इस मांग को स्टैंडिंग कमेटी में भिजवाया है। वहां इन सब लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में सपोर्ट किया है लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां उसे अपोज़ कर रहे हैं। यह बिल वहां की असैम्बली में पब्लिक मैंडेट मिलने के बाद पास किया गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा जोर देना ठीक नहीं है।

चेयरमैन साहब, यह उन लोगों का ख्वाब था जिन्होंने हिन्दुस्तान को आजाद कराया, उसका कांस्टीट्यूशन लिखा, उन्हें चैलैंज करने वाला कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने लिखा था कि दूसरे चैम्बर की जरूरत है और वह इसलिये है कि वीकर सैक्शन्स से जो लोग पढ़-लिखकर आये हैं, अगर उन्हें रोशनी देनी है तो उन लोगों के रिप्रेजेंटेशन की इस चैम्बर में जरूरत है। मुझ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक राज्य सभा में इन लोगों के लिये रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। मैं लॉ मिनिस्टर से दरखास्त करूंगा कि जिस समय डा. अम्बेडकर ने कांस्टीट्यूशन लिखा, दलितों में पढ़े-लिखे लोग नहीं थे। अब चूंकि एस.सी. एंड एस.टी. में पढ़े-लिखे लोग आ गये हैं, इसलिये उन्हें राज्य सभा और लेजिस्लेटिव कौंसिल में रिजर्वेशन मिलना चाहिये।

चेयरमैन साहब, मैं तेलंगाना रीजन से आता हूं जहां के लोगों की आवाज है कि कौंसिल बन जाने पर तेलंगाना की बात कहां हल होगी? मैं इस बिल में अमेंडमेंट मूव करना चाहता था लेकिन टाइम नहीं था, इसलिये नहीं कर सका। इस वास्ते एक शब्द लिखना था कि जब तेलंगाना बनेगा, तब कौंसिल उसे अपोज़ नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि वहां की जनता की आवाज है कि जब तेलंगाना बने, कौंसिल में कोई रुकावट नहीं होगी बल्कि तेलंगाना के लिये कौंसिल देनी चाहिये।

मैं एक और बात खास तौर से उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उस जमाने में श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे मूव किया था कि काउंसिल्स में टीचर्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। तेलुगुदेशम के लीडर श्री येरननायडु यहां बैठे हैं, वे मुझे माफ करें, श्री एन.टी. रामाराव जी ने मेरे से बात करते हुए कहा था कि इस लैजिस्लेटिव काउंसिल से मैं तंग आ गया हूं, यह किस वास्ते रखी है, इसे अबॉलिश करना चाहिए। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। लैजिस्लेटिव काउंसिल में चाहे कोई भी बात आये, अगर असैम्बली में आवाज नहीं उठी *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : श्री एन.टी. रामाराव ने कभी नहीं कहा कि 'यह निरर्थक है।' यही कहा कि यह छठी उंगली के समान है।

श्री जी. वेंकटस्वामी : मैंने 'निरर्थक' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

*(व्यवधान)**

****श्री जी. वेंकटस्वामी** :

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री वेंकटस्वामी, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। यदि आप अध्यक्षपीठ को संबोधित नहीं करते तो मुश्किलें पेश आ सकती हैं।

श्री जी. वेंकटस्वामी : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिये।

श्री सर्वे सत्यनारायण (सिद्दीपेट) : महोदय, आप उन्हे पांच मिनट का समय और दें।

सभापति महोदय : यदि आप इधर-उधर संबोधित करेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि परेशानियों से बचने के लिए आप केवल अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : हमारा लॉ मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि वह रिजर्वेशन के लिए कुछ कोशिश करें। यही नहीं बल्कि सारी काउंसिल्स में और राज्य सभा में यह होना जरूरी है। पचास साल पहले वीकर सैक्शंस के अंदर एक्सपर्ट्स नहीं आ सके, लेकिन आज एक्सपर्ट्स आ गये हैं। इसलिए यहां रिजर्वेशन देने के लिए मैं जोर देता हूं।

दूसरी बात यह है कि आज तेलंगाना में जो प्रॉबलम्स हैं, काउंसिल के आने के बाद कम से कम उन प्रॉब्लम्स पर इसमें बात कर सकें। इसलिए मैं काउंसिल को जरूरी समझता हूं और इसे सपोर्ट कर रहा हूं और जिन्होंने इसे अपोज किया है, मैं उन लोगो से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे अपोज न करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण तमिल भाषा में दिया गया, पर उसका अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध नही कराया गया।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, आंध्र प्रदेश विधान परिषद की बहाली का मुद्दा कुछ समय से संसद के बाहर चर्चा में है। कुछ वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को उस समय समाप्त कर दिया गया था जब श्री एन.टी. रामाराव वहां के मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन सरकार तथा विधान परिषद के बीच तीखे मतभेद हो गये थे।

मैं समझता हूं बाद में भी विधान सभा ने एक संकल्प भी पारित किया था लेकिन संसद में उस आशय से संबंधित कोई विधेयक नहीं आया। उस समय दोनों पक्षों की ओर से दूसरे सदन के पक्ष में और विरोध में कई तर्क दिये गये थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से ही दूसरे कारणों के आधार पर द्वितीय सदन का विरोध कर रही थी। वास्तव में, आजादी के बाद विगत कई वर्षों से, विभिन्न तरह की लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ स्थानों पर विधान परिषद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

लेकिन यहां पर मैं माननीय सदस्य श्री महताब द्वारा की गयी बात का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने विधान सभाओं तथा संसद में कार्य दिवसों की संख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह दु:ख की बात है कि विधानमंडलों के कार्यदिवसों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है।

मेरी समझ से पहली लोक सभा में कार्यदिवसों की संख्या प्रतिवर्ष 150 दिन के आस-पास रहती थी। लेकिन अब यह घट कर 80 दिन से कम रह गयी है। वह दूसरे विधानमंडलों का मुद्दा भी उठा रहे थे। आंध्र प्रदेश भी उन राज्यों में से एक है जहां संवैधानिक रूप से यह अनिवार्य है कि विधानमंडल के कार्यदिवसों की संख्या कम से कम 45 दिन रहेगी। मैं कहना चाहूंगा कि चाहें कांग्रेस हो या तेलुगुदेशम पार्टी, चाहे जो कोई सत्ता में हो, सरकारें विधानमंडलों की अनदेखी करने का प्रयास करती रही हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संसद में इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए तथा संसद के कार्यदिवसों की संख्या भी बढ़ायी जानी चाहिए क्योंकि सरकार विधानमंडलों के माध्यम से ही जनता और देश के प्रति जवाबदेह होती है। संसद और विधानमंडलों के कार्यदिवसों में आ रही कमी से स्पष्ट है कि सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है। बहरहाल जब हम यहां दूसरे विषयों पर चर्चा कर रहे हों तो इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक विधान परिषद बनाने के मामले का संबंध है तो मैं समझता हूं कि यह स्थायी समिति में भी चला गया है और मुझे बताया गया था कि स्थायी समिति ने पुराने तरीके को बहाल करने की सिफारिश की है। मैं मानता हूं कि विधान परिषद यथावत रूप में अब पुरानी बात हो चुकी है। एक तिहाई प्रतिनिधियों का विधान सभा के माध्यम से प्रतिनिधित्व होता है, एक तिहाई स्थानीय निकायों से होता है और मैं समझता हूं कि लगभग बारहवां हिस्सा स्नातकों के प्रतिनिधि के रूप में होता है। यह एक उपबंध है जिसकी आजादी के तुरंत बाद व्यवस्था की गई थी जब साक्षरता दर बहुत कम थी। अब, जबकि इस देश में लाखों स्नातक हैं और साक्षरता दर लगभग 70 प्रतिशत है तो यह सोचने का कोई अर्थ नहीं कि केवल स्नातक ही बुद्धिजीवी होते हैं जिन्हें विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। श्रमिक संघों तथा कामकाजी वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जिन्हें अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अध्यापकों का प्रतिनिधित्व होता है परन्तु अध्यापकों में बहुत बड़ी संख्या प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों की होती है और इन प्राथमिक अध्यापकों को चुनाव की परिधि से बाहर रखा जाता है और केवल हाई-स्कूल स्तर के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व मिलता है।

यहां, मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस समय भी विधि मंत्री के लिए महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करना संभव नहीं हुआ। हम विधान सभाओं और संसद में यह नहीं कर सके। किन्तु जब बहाली हेतु एक विधान आ रहा है तो मैं विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि यह महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के लिए तैयार हैं तो हम इसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यद्यपि, मेरे दल की राय है कि हम विधान परिषद बनाने से प्रसन्न नहीं हैं। हम मतदान से अलग रहेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश विधान सभा ने इसके हक में निर्णय लिया है? यदि संभव हो तो उन्हें इस पर विचार करने दो और हम कम से कम आंध्र प्रदेश विधान परिषद से महिलाओं को और प्रतिनिधित्व देने के लिए शुरूआत करें।

सभापति महोदय : अब रविन्दर नाहक धारावत। आपके पास अपने भाषण हेतु केवल तीन मिनट हैं।

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा) : हम आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पार्टी हैं ... *(व्यवधान)* हमें और समय कितना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल) : महोदय, आज सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश विधान परिषद का सृजन विधेयक पारित करने के लिए लाए गए बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की तरफ से कुछ चीजें सरकार के सामने लाना चाहता हूं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि पिछले चुनाव में हमने तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस, दोनों ने मिल कर चुनाव लड़ा था, जिसमें हमने जनता से वायदा किया था और आज उस वायदे को इस बिल के जरिए पूरा कर रहे हैं जिसके लिए मैं यू.पी.ए. चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी का अभिनंदन करता हूं। बी.जे.पी. नेशनल पार्टी है तथा हमारे दोस्त बी.जे.पी. सदस्य श्री देव साहब ने सही कहा और मैं उनसे सहमत हूं कि बी.जे.पी. जो स्मालर स्टेट्स का कंसेप्ट रखती है उसे उन्होंने करके दिखा दिया है। उन्होंने यह भी सही कहा कि देश

[श्री रविन्दर नाइक धारावत]

में ज्वलंत समस्याएं बहुत सी हैं, काउंसिल की जरूरत नहीं थी। आज देश में और विशेषकर तेलंगाना में बच्चों को बेचा और मार दिया जाता है, लोग आत्महत्यायें कर रहे हैं, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। जिस तरह से यह बिल लेकर आए हैं, उसी तरह से इन समस्याओं के ऊपर भी ध्यान दिलाना जरूरी है। मैं इस संदर्भ में दो-तीन पाइंट बताना चाहूंगा। हमारे काका वेंकटस्वामी जी ने जो कहा, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जब सोनिया गांधी जी ने कहा कि यू.पी.ए. एजेंडे में तेलंगाना का प्रस्ताव है, उसी तरह राष्ट्रपति जी के प्रसंग में भी प्रस्ताव है। जब काउंसिल बिल यू.पी.ए. एजेंडे में नहीं था, फिर भी उसे लाना पड़ा, क्योंकि हमने जनता के सामने वायदा किया था, उसे पूरा करने के लिए लाया गया। तेलंगाना राज्य बनाने की आज पचास सालों से समस्या चल रही है, अब इसका हल निकालना चाहिए। हमें श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। जो यू.पी.ए. एजेंडे में है, उसे वह पूरा करेंगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। जो यू.पी.ए. के चंद मित्र अपोज कर रहे हैं, उनसे सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जरूर बात करेगी और इस समस्या का हल निकालेगी। मैं बी.जे.पी. पक्ष से निवेदन करता हूं कि आप स्मालर स्टेट्स और काउंसिल बिल की सपोर्ट में खड़े हैं, उसी तरह तेलंगाना के लिए भी आप खड़े होंगे।

आजकल जब तेलंगाना मूवमेंट पचास सालों से चल रहा है, उसे दो बार मैनडेट मिल चुका है। एक बार जनता ने श्री चन्ना रेड्डी जी के नेतृत्व में बारह सदस्यों को जिताकर भेजा। दूसरा मैनडेट सन् 2004 में यहां पर टी.आर.एस. और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और तीनों प्रांतों में आंध्र, रायलसीमा और तेलंगाना में हमें समर्थन मिला, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसके लिए इस काम को करना है। इसी तरह काउंसिल में टीचर्स को मौका देना चाहिए, जो इस बिल में नहीं है। इसमें आज एम.सी., एस.टी. ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज़ को तवज्जोह देनी चाहिए और काउंसिल तथा राज्य सभा में स्थान देना चाहिए। दो राज्य बनेंगे तो दो काउंसिल जरूर बनेंगी। आज स्वर्गीय पोटी श्रीरामलू का टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था। उसमें हमारे नेता लोग यह कह रहे थे कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल करने के लिए उन्होंने प्राण त्यागे। नहीं, उन्होंने मद्रास प्रेजीडेंसी में से आंध्र प्रांत को अलग कर आंध्र प्रदेश बनाने के लिए प्राण त्यागे। मगर तेलंगाना और आंध्र को मिलाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के सृजन पर चर्चा कर रहे हैं तेलंगाना पर नहीं।

श्री बी. विनोद कुमार : महोदय, यह संबंधित है *(व्यवधान)*

श्री रविन्दर नाईक धारावत : महोदय, यह आंध्र प्रदेश विधान परिषद से संबंधित है और तेलंगाना से भी संबंधित है।

[हिन्दी]

अलग तेलंगाना राज्य के लिए पचास सालों में मूवमेंट चल रहा है। आज कुछ पार्टियों के आंध्र प्रांत के लोगों की वजह से यह बिल रुका हुआ है। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और कानून मंत्री श्री भारद्वाज जी से निवेदन करता हूं कि उन्हें तेलंगाना की स्थिति के बारे में मालूम है जहां आज गरीबी, गुरबत फैली हुई है। चार करोड़ तेलंगाना की जनसंख्या है। पिछली बार जब 1998 में चुनाव हुए थे, तब बी.जे.पी. ने "वन वोट -- टू स्टेट्स" का नारा दिया था और बाद में बी.जे.पी. सरकार ने तीन अलग राज्य भी बनाए, वह राज्य हैं -- उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़।

महोदय, उसी आधार पर हम बी.जे.पी. और उनके शीर्ष नेताओं से गुजारिश करते हैं कि वे इस पर उनका खुलकर समर्थन करें और तेलंगाना का साथ दें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : माननीय सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद विधेयक, 2004 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस विधेयक में परिषद के पुनर्निर्माण का उपबंध है जिसे 20 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में अस्पष्ट उद्देश्य और असंगत कारण बताये गए हैं। यदि हम उस विवरण को शब्दशः पढ़ें तो ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि यह विधेयक यहां पुरःस्थापित क्यों किया जाना चाहिए। मैंने जो एकमात्र कारण बताया था वह यह था कि आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 8 जुलाई, 2004 को विधान परिषद बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत से संकल्प किया था।

किन्तु तत्कालीन तेदेपा सरकार द्वारा 1985 में इस परिषद का उत्सादन किया गया था। उस दिन जब इसका उत्सादन किया जा रहा था तो चर्चा में बताये गए कारण समाप्त नहीं हुए हैं और अभी भी विद्यमान है। ऐसा लगता है कि यह विधेयक लाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं हैं। एकमात्र कारण है कि यह राजनैतिक कारणों पर आधारित है, कि तेदेपा सरकार ने इसे समाप्त किया था और कांग्रेस इसे पुनः बहाल करना चाहती थी।

मेरा दूसरा मुद्दा है कि इस विधेयक में संवैधानिक उपबंध की गलत व्याख्या की गई है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उन्होंने हमारे संविधान के अनुच्छेद 169(1) को उद्धृत किया गया है। इस विधेयक में संविधान के एक अंश की और इसकी भावना और इसकी

शिक्षाओं की उपेक्षा की गई थी तथा गलत व्याख्या की गई थी। मैं अनुच्छेद 169(1)(2)(3) को एक साथ मिलाकर और अलग-अलग उद्धृत करना चाहता हूं।

"संसद् विधि द्वारा किसी विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान परिषद् नहीं है, विधान परिषद् के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है।"

महोदय, इन शब्दों का सही भाव क्या है? अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया हे कि जहां विधान परिषद है वहां राज्य विधान सभा विधान परिषश्द का उत्सादन करने का संकल्प पारित कर सकती है और जहां विधान परिषद नहीं है वहां राज्य विधान सभा विधान परिषद के सृजन का संकल्प पारित कर सकती है। किन्तु आंध्र प्रदेश के मामले में पूर्व में विधान परिषद् थी और इसका 20 वर्ष पूर्व उत्सादन कर दिया गया था और अब इसे पुन: बहाल किया जा रहा है। किन्तु जहां तक संविधान के इस अनुच्छेद का संबंध है तो उत्सादन की गई विधान परिषद को बहाल करने का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। इस संवैधानिक मुद्दे पर यह असंगत और असंवैधानिक है। यही मैं मानता हूं और मेरी पार्टी मानती है और इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

मेरा अगला मुद्दा है कि यहां संविधान सभा के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। सी.पी.आई.(एम) के रूप में हम राष्ट्रीय स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं। हां, हमारे देश की विशेष विशेषताओं यथा -- बहुभाषा प्रकृति और बहुधर्मी चरित्र तथा बहु-दलीय राजनैतिक प्रणाली को ध्यान में रखते हुए हमें यह व्यवस्था अवश्य ही अपनानी चाहिए। इसके कारण हमें राष्ट्रीय स्तर पर ऊपरि सदन रखना चाहिए। परन्तु राज्य स्तर पर परिषद के मामले में यह बात नहीं है क्योंकि यदि आप राज्य परिषदों के मूल में जाएं तो आप देखेंगे कि वे कैसे अस्तित्व में आईं और किनके हितों के लिए इनका गठन किया गया था। ये कुछ सुसंगत प्रश्न हैं।

यह काफी हद तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद, जिसने हमारे देश पर 200 वर्ष तक शासन किया, की विरासत है। ये विधान परिषदें साम्राज्यवादी विरासत हैं और हमारी राष्ट्रीयता, हमारी संस्कृति तथा हमारे संसाधनों को दबाने के लिए साम्राज्यवादी विचार हैं। पूर्व विधान परिषदों में कौन थे? वे विधान परिषदें उन लोगों से भरी पड़ी थीं जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रशंसक थे जिन्होंने ब्रिटिश हितों के लिए अपने हितों की बलि दे दी थी। राजसी राज्यों के ऐसे लार्डस को राज्य विधान परिषद में सदस्यता दी जाती थी।

हमारे संविधान के अधीन अब संघीय व्यवस्था है। मैं आंध्र प्रदेश राज्य विधान सभा के संकल्प पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि इस तरह का संकल्प करना राज्य विधानमंडल का विवेकाधिकार होता है परन्तु इस देश की सर्वोच्च संस्था संसद के सदस्यों के रूप में हमें इस संवैधानिक उपबंध पर अवश्य ध्यान देना चाहिए जिसकी इस विधेयक को लाने में अनदेखी की गई है।

विधान परिषदों का पिछला अनुभव क्या है? मेरे कई सहयोगियों, विद्वान और अनुभवी सहयोगियों ने व्याख्या की है कि कैसे बदमिजाज, और लोगों द्वारा पराजित तथा भ्रष्ट राजनेताओं को पिछले दरवाजे से इन विधान परिषदों में वापस लाया गया और मंत्री बनाया गया। यह पूर्व वर्षों में अपनाई गई परम्परा है।

मेरा एक और मुद्दा है कि वे वहां क्यों थे। उन दिनों कोई अयस्क मताधिकार नहीं होता था। इसीलिए, जिन लोगों के पास कुछ सम्पत्ति अथवा धन होता था वे मतदाता बन जाते थे। इसीलिए वे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होता था। आप आज आंध्र प्रदेश विधान सभा की हालत देखिये। इस विधेयक में लगभग आठ स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। 294 सदस्यों की आंध्र प्रदेश विधान सभा में 196 स्नातक हैं। फिर व्यवसायी, कलाकार और अध्यापक भी हैं। फिर आंध्र प्रदेश विधान सभा में 26 प्रतिशत व्यवसायी डाक्टर और वकील हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वर्तमान विधान सभा में लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसलिए ऐसी परिषद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे लोगों में असंतोष पैदा होता हो।

यद्यपि परिषद का गठन किया जा रहा है फिर भी परिषद लोगों की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं से जुड़ी हुई नहीं है। आज आंध्र प्रदेश की जरूरतें क्या हैं? कहा जाता है कि संप्रग ने कुछ वायदा किया था और उस वायदे के कारण ही हमें यह विधेयक मिल रहा है। उन्होंने ऐसा कहा था। अन्य वायदे भी हैं जो इससे अधिक महत्वपूर्ण हैं। अब, हम नहीं कर पा रहे हैं *(व्यवधान)* यह लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

डा. बाबू राव मिडियम : मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : आपको पहले ही आठ मिनट दे दिए गए हैं। आपको एक मिनट में समाप्त करना चाहिए।

डा. बाबू राव मिडियम : *यह राज्य सरकार के बजट पर एक भार स्वरूप होगा। यह अनुमान है कि यदि इसे पुनरुज्जीवित किया जाता है तो इस परिषद का व्यय लगभग 6 करोड़ रुपये प्रतिमाह होगा। यह 72 करोड़ रुपये वार्षिक होगा। जब लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और जब उन्हें अन्य बहुत सी चीजों की आवश्यकता है तो*

[डा. बाबू राव मिडियम]

मुझे लगता है कि एक अन्य सभा के लिए, जो कि किसी भी प्रकार से लोगो की आकाक्षाओं को परिलक्षित करने नहीं जा रही है, 72 करोड़ रुपये व्यय करना एक फिजूलखर्ची है। इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह परिषद, जहां कहीं भी यह गठित होगी, विधायी और प्रशासनिक कार्यकरण में रुकावट पैदा करेगी और इससे स्थानीय निकायो के समक्ष अड़चनें आएंगी।

अपराह्न 5.00 बजे

जैसा कि हमारे विद्वान साथी ने कहा है कि पंचायती राज और नगर पालिकाओ के लिए पहले ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। यहां तक कि इन निकायों को भी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु समुचित अधिकार नहीं दिए गए हैं। इस परिदृश्य में एक विधायी परिषद का गठन करना विधान प्रक्रिया की राह में एक रुकावट ही होगा। जब भी किसी विधानसभा द्वारा पारित किया गया कोई विधेयक परिषद के पास भेजा जाता है तो उसे उस विधेयक पर अपनी राय देने में तीन से चार महीने का समय लगता है। मैं यह महसूस करता हूं कि यह स्थानीय निकायों तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यकरण की राह में रुकावटें पैदा करेगा। इसलिए, मैं पूरी सभा से इस उपाय पर पुनः विचार करने का अनुरोध करूंगा।

मैं इस असंवैधानिक विधेयक का विरोध करता हूं; मैं इस अनावश्यक विधेयक का विरोध करता हूं; मैं इस एक ऐसे विधेयक का विरोध करता हूं जिसे प्रशासनिक और विधायी स्वीकृति प्राप्त नहीं है; मैं आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद को पुनरुज्जीवित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद, 2004 के पुनर्गठन पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

जैसे कि हमारे सम्मानित सदस्यों के सुझाव आये हैं, टी.आर.एस., बी.जे.पी., सी.पी.आई. के अलावा, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी और केबिनेट के एप्रूवल के बाद अगर यह विधेयक आया है तो इसे हमें सर्वसम्मति से इसलिए पास करना चाहिए कि संविधान में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने अपर हाउस, लोअर हाउस, दो सदनों की उन्होंने यहां पर संविधान में व्याख्या की है। मैं तो कहता हूं कि 2, 4, 6 के अलावा जिन राज्यों में नहीं है, वहां भी बनानी चाहिए। लोअर हाउस का अगर सम्मान है तो अपर हाउस की वजह से है और अपर हाउस है तो वह लोअर हाउस की वजह से है। बहुत सारे विधेयक, बिल आते हैं, तमाम ऐसी समस्याओं पर चर्चा हम रखते हैं, जो दोनों सदनों में चर्चा होती हैं। कभी-कभी इस सदन में न होकर उस सदन में होती है तो वहां से बहुत सी चीजें निकलती हैं। इसलिए यह सदन होना बहुत जरूरी है। जैसी हमारे सुझाव से तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, जैसे कि हमारी विधान परिषद् में 12 सीटें नोमिनेटिड हैं, जिसमें साहित्यकार, कवि भी हैं, शायर भी हैं। इसके अलावा खेल से भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पंचायतों के प्रतिनिधि भी उसमें चुने जाते हैं, ग्रेजुएट कांस्टीट्यूंसी से भी हैं और इसके अलावा शिक्षक वर्ग से भी प्रतिनिधि उसमें हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और सरकार से मांग करूंगा कि विधान परिषद में, जो तमाम हमारे श्रमिक हैं, श्रमिकों की संख्या हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा है तो कम से कम श्रमिकों का भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके अलावा अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे। हमारे बहुत सीनियर मैम्बर वेंकटस्वामी जी ने कहा कि बहुत दिनों से यह मांग है कि विधान परिषद और राज्य सभा में कम से कम अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाये। उनका कम से कम कोटा फिक्स हो, तभी जाकर डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हम पूरा कर पाएंगे। उनकी जो एक धारणा रही है, वह पूरी हो पाएगी। इसके अलावा प्राइमरी अध्यापकों की भी संख्या ज्यादा है। हमारे दल के नेता मोहन सिंह जी ने भी अपनी बात रखी है, मैं उसका समर्थन करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि यह बिल सामयिक है और अन्य राज्यों में इस प्रकार के बिल आयें, वहां भी विधान परिषद गठित हों ताकि जनसमस्या और तमाम ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जिनसे उन समस्याओं पर चर्चा हो सके और लोगों को सम्मान मिल सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं आंध्र प्रदेश विधान परिषद विधेयक, 2004 के पुनर्गठन का घोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री असादूद्दीन ओवेसी** (हैदराबाद) : शुक्रिया। मैं अपनी पार्टी की जानिब से जो इस एवान में बिल को पेश किया है, मैं इसका खैरमकदम करता हूं और इसलिए खैरमकदम करता हूं कि हालिया असेम्बली और पार्लियामेंट के इलैक्शन में अवाम ने जो एतमाद वहां की कांग्रेस पार्टी को दिया, वह इस बुनियाद पर दिया कि एक प्रोग्राम अवाम के सामने रखा गया था। यह प्रोग्राम में यह बात भी शामिल थी कि अगर अख्तियार इनको मिलेगा तो रियासत में कानूनसाज़ कौंसिल को दोबारा आहिया यिका जायेगा। यहां पर मैं तक़रीर सुन रहा था हमारे तेलगुदेशम पार्लियामानी खायद की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी इनके दिलों में मरहूम एन.टी. रामाराव की इज्जत बाकी है। आप आज इसलिए इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि आपके मरहूम कायद ने इसकी मुखालिफत की थी, इसको बरखास्त किया था। मुझे वह दिन भी याद आ रहा है जब आंध्र प्रदेश की ऐवान असेम्बली

*मूलतः फारसी में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

में मैं एक रुक्न असैम्बली था, मेरे बाजू एन.टी. रामाराव बैठे हुए थे। उस वक्त आपकी ही पार्टी ने एन.टी. रामाराव साहब को एक मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। इस तरह से आप लख्तदार हो आए। मगर खैर यह तारीख का हिस्सा हैं। आज आपको अपने मरहूम खायद की यादें जिन्दा हैं। मगर सवाल यह पैदा होता है कि इनकी मुखालिफत क्यों की जाए। हमारा आइन यह इज़ाज़त देता है कि अगर एक रियासत की असेम्बली रैज़्लूयशन पास करके भेजती है तो उसको इस ऐवान में अगर पास किया जाता है तो रियासत में कानूनसाज़ काउंसिल का दोबारा आहिया किया जा सकता है। अभी बात आयी कि रिजर्वेशन खवातीन को मिलना चाहिए। मैं एक बात यहां पर रखना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की हमारी सियासत में अगर कोई वहांसबा करे कोई तज्जीया करे तो सबसे कम नुमाइंदगी किस को मिली, तारीख से लेकर अब तक तो वह मुसलमानों को मिली है। अगर तहफुज़ात आप देंगे कानूनसाज काउंसिल हो कहीं पर तो सबसे पहले मुसलमानों का नम्बर आना चाहिए।

दूसरी अहम बात यह है कि यह जो बिल पेश किया गया है, यह एक वादा किया गया था कि वहां की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें कई वादे थे। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा के आज आपकी यू.पी.ए. की हुकूमत में 37 अराकीने पार्लियामान ताइद कर रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आप लोग आंध्र प्रदेश से सौतेला सुलूक कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश को चन्द्रबाबू नायडू के वक्त में खुसुसी मौकफ हासिल था, मगर आज वह खुसुसी मौकफ हमको हासिल नहीं है। चाहे वह विजारत के कलमदानों में हो या फिर मरकज़ की तरफ से आन्ध्र प्रदेश को जो स्कीमें दी जाती हैं, उसका जायज हिस्सा नहीं मिल रहा है।

अपराह्न 5.06 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए*]

आज यहां तेलंगाना की बात निकली है। मैं साफ और वाज़ह अल्फाज में इस ऐवान के सामने कहना चाहूंगा कि तेलंगाना की जब बात आयी तो कांग्रेस और टी.आर.एस. दोनों ने मुशतरह का इलैक्शन लड़ा और मुशतरह के इलैक्शन के मैनिफेस्टों में यह बात रखी कि यदि मरकज़ में हुकूमत बनती है तो दूसरा स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाएगा। हम अपनी पार्टी की तरफ से मुतालबा करते हैं कि आप दूसरा स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बनाइए। तेलंगाना की पसमाइंदगी की जिम्मेदार कांग्रेस भी है, तेलगुदेशम भी है और जब टी.आर.एस. भी बन चुकी है। अब टी.आर.एस. तेलंगाना की बात करती है तो स्पीकर साहब यहां मुझे शायर का वह शेर याद आता है कि "घर को आग लगी, घर के चिराग से"। आज आपकी बुनियादें हिलकर रह गई हैं। अगर मेढक के एम.पी. साहब काम नहीं करते तो आप अब तक बिलकुल खत्म हो चुके थे। मगर तेलंगाना के मसले में हम चाहेंगे कि मुसलमानों की बात को सुना जाए। आप हम को रौंद कर हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते हैं। हमारा मुतालबा यह है कि दूसरा स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाए।

तीसरी बात, हमारे तेलगुदेशम के पार्लियामानरी खायद ने छटी अंगुली का जिक्र किया। छटी अंगुली की बात यह तारीखी जुमला अदा किया गया था, कासूब्रह्मान रेड्डी की तरफ से जिस वक्त जैंटलमैन्स एग्रीमेंट सीक्स फार्मुला पास किया गया था, वह यह बात कह रहा था कि तेलंगाना से एक शख्स को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा देना चाहिए। आपने नौ साल हुकूमत की, मगर आपने कभी छटी अंगुली का जिक्र नहीं किया मगर जब आज रियासत में कांग्रेस हुकूमत कर रही है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका नहीं है तो कम से कम अब आप तेलंगाना के साथ इंसाफ कीजिए। *(व्यवधान)* मैं कन्कलूड कर रहा हूं, क्योंकि हमें यह बात कहनी जरूरी है। कानूनसाज काउंसिल की बात तब कही जाती है, जब तेलंगाना का जिक्र आता है। हमारे बुजुर्ग खायद कितने रंजीदा हैं, मुझे इस बात का अंदाजा है। मैं आपके जरिए हुकूमत से गुजारिश करना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश में इंसाफ कीजिए। आन्ध्र प्रदेश को जो खुसूसी मौकफ मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। सिर्फ आज कानूनसाज काउंसिल का बिल लाकर हमको नहीं बहला सकते हैं कि हमने जो वादा किया था, उसको पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि जो और वादे किए गए थे, उसको पूरा कीजिए और उसके साथ ही साथ आन्ध्र प्रदेश को जो उसका जायज मुकाम मिलना चाहिए, वह आपको दिलाना पड़ेगा। रहा सवाल तेलंगाना का तो बगैर हमारी बात सुनें आप कोई फैसला नहीं कर सकते। हम आज भी इस बात को मानने को तैयार हैं कि आप दूसरा स्टेट रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बनाइए, हम अपनी बात अवाम के सामने रखेंगे। यह कहना गलत होगा कि दो मर्तबा तेलंगाना की आवाम ने फैसला दे दिया था।

आखिरी बात यह है कि कानूनसाज काउंसिल के सिलसिले में एन.टी. रामाराव ने इसको क्यों बर्खास्त किया क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के लोग ज़रा-ज़रा थे। दोबारा इक्तिदार अगर कांग्रेस को मिला तो उस वक्त भी यह रेजल्यूशन पास किया गया था, मगर मरकज में नेशनल फ्रंट की हुकूमत थी। यह कांग्रेस काम नहीं कर रही है, बल्कि यू.पी.ए. की हुकूमत इस कानून को पास कर रही है। हमारे तेलगुदेशम पार्लियामानी के दोस्त से मैं कहना चाहूंगा कि एन.टी. रामाराव को यदि आप याद रखते हैं तो यह भी याद रखें कि किस तरह आपने उनको धोखा दिया, किस तरह से उनको आपने घर में बैठाया। सिर्फ ये बातें कहना कि एन.टी. रामाराव हमारे खायद थे, इसलिए हमने मुखालिफत की थी। यह तारीखी हकीकत है। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और तेलंगाना के मसले में आप बगैर तेलंगाना के मुसलमानों को ऐतमाद लिए आप हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते हैं।

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

جناب اسد الدین اویسی (حیدر آباد): جناب شکریہ۔ میں اپنی پارٹی کی جانب سے، جو اس ایوان میں بل کو پیش کیا ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس لئے خیر مقدم کرتا ہوں کہ حالیہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں عوام نے جو اعتماد وہاں کی کانگریس پارٹی کو دیا، وہ اس بنیاد پر دیا کہ ایک پروگرام عوام کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اس پروگرام میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر اقتدار ان کو ملے گا تو ریاست میں قانون ساز کاؤنسل کو دوبارہ مہیا کیا جائے گا۔

یہاں پر میں تقریر سن رہا تھا۔ ہمارے تیلگو دیشم پارلیمانی قائد کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی ان کے دلوں میں مرحوم این۔ ٹی۔ راما راؤ کی عزت باقی ہے۔ آپ آج اس لئے اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے مرحوم قائد نے اس کی مخالفت کی تھی، اس کو برخاست کیا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد آرہا ہے جب آندھرا پردیش کی ایوان اسمبلی میں میں ایک رکن اسمبلی تھا، میرے بازو میں این۔ ٹی۔ راما راؤ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی ہی پارٹی نے این۔ ٹی۔ راما راؤ کو ایک منٹ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ کس طرح سے آپ طرفدار ہو گئے۔ مگر خیر یہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آج آپ کو اپنے مرحوم قائد کی یادیں زندہ ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت کیوں کی جائے۔ ہمارا آئین یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک ریاست کی اسمبلی ریزولوشن پاس کر کے بھیجتی ہے تو اس کو اس ایوان میں اگر پاس کیا جاتا ہے تو ریاست میں قانون ساز کاؤنسل کو دوبارہ مہیا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بات آئی کہ ریزرویشن خواتین کو ملنا چاہئے۔ میں ایک بات یہاں پر رکھنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی ہماری سیاست میں اگر کوئی محاسبہ کرے، کوئی تجزیہ کرے تو سب سے کم نمائندگی کس کو ملی ہے آزادی سے لے کر اب تک تو وہ مسلمانوں کو ملی ہے۔ اگر تحفظات آپ دیں گے قانون ساز کاؤنسل ہو کہیں پر تو سب سے پہلے مسلمانوں کا نمبر آنا چاہئے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، یہ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں کی کانگریس پارٹی کی طرف سے، اس میں کئی وعدے تھے۔ مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج آپ کی یو۔ پی۔ اے۔ کی حکومت میں 37 اراکین پارلیمان نائندگی کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ لوگ آندھرا پردیش سے سوتیلا سلوک کر رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کو چندرا بابو نائیڈو کے وقت میں خصوصی موقف حاصل تھا۔ مگر وہ خصوصی موقف ہم کو حاصل نہیں ہے۔ چاہے وہ وزارت کے قلمدانوں میں ہو یا پھر مرکز کی طرف سے آندھرا پردیش کو جو اسکیمیں دی جاتی ہیں، اس کا جائز حصہ نہیں مل رہا ہے۔

آج یہاں تلنگانہ کی بات نکلی ہے۔ میں صاف اور واضح الفاظ میں اس ایوان کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ تلنگانہ کی جب بات آئی تو کانگریس اور ٹی۔ آر۔ ایس۔ دونوں نے مشترکہ الیکشن لڑا اور مشترکہ الیکشن کے مینوفیسٹو میں یہ بات رکھی کہ اگر مرکز میں حکومت بنتی ہے تو دوسرا اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا جائے گا۔ تلنگانہ کی پسماندگی کی ذمہ دار کانگریس بھی ہے، تلگو دیشم بھی ہے اور اب ٹی۔ آر۔ ایس۔ بھی بن چکی ہے۔ اب ٹی۔ آر۔ ایس۔ تلنگانہ کی بات کرتی ہے تو اسپیکر صاحب یہاں مجھے شاعر کو وہ شعر یاد آتا ہے کہ "گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے"۔ آج آپ کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ اگر میدک کے ایم۔ پی۔ صاحب کام نہیں کرتے تو آپ اب تک بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مگر تلنگانہ کے مسئلے میں ہم چاہیں گے کہ مسلمانوں کی بات کو سنا جائے۔ آپ ہم کو روند کر ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دوسرا اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایا جائے۔

تیسری بات، ہمارے تیلگو دیشم کے پارلیمانی قائد نے چھٹی انگلی کا ذکر کیا۔ چھٹی انگلی کے بعد یہ تاریخی جملہ ادا کیا گیا تھا، کے۔ سبرامنی ریڈی کی طرف سے جس وقت جینٹل مینس ایگریمنٹ سکس پوائنٹ فارمولہ پاس کیا گیا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ تلنگانہ سے ایک شخص کو ڈپٹی چیف منسٹر کا عہدہ دینا چاہئے۔ آپ نے نو سال حکومت کی مگر آپ نے کبھی چھٹی انگلی کا ذکر نہیں کیا مگر جب آج ریاست میں کانگریس حکومت کر رہی ہے اور ڈپٹی چیف منسٹر آپ کا نہیں تو کم سے کم اب آپ تلنگانہ کے ساتھ انصاف کیجئے...... (مداخلت) میں ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ بات کہنی ضروری ہے۔ قانون ساز کاؤنسل کی بات تب کہی جاتی ہے، جب تلنگانہ کا ذکر آتا ہے۔ ہمارے بزرگ قائد کتنے رنجیدہ ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ میں آپ کے ذریعے حکومت سے گذارش کرنا چاہوں گا کہ آندھرا پردیش کے ساتھ انصاف کیجئے۔ آندھرا پردیش کو جو خصوصی موقف ملنا چاہئے وہ نہیں ملا ہے۔ صرف آج قانون ساز کاؤنسل کا جو بل لا کر ہم کو نہیں بہلا سکتے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ جو اور وعدے کئے گئے تھے اس کو پورا کیجئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آندھرا پردیش کو جو اس کا جائز مقام ملنا چاہئے وہ آپ کو دلانا پڑے گا۔ رہا سوال تلنگانہ کا تو بغیر ہماری بات سنے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ آپ دوسرا اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن بنایئے۔ ہم اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں گے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ دو مرتبہ تلنگانہ کی عوام نے فیصلہ دے دیا تھا۔

آخری بات یہ ہے کہ قانون ساز کاؤنسل کے سلسلے میں این۔ ٹی۔ راما راؤ نے اس کو کیوں برخاست کیا کیونکہ اس وقت کانگریس کے لوگ ڈرا دھرا رہے تھے۔ دوبارہ اقتدار اگر کانگریس کو ملا تو اس وقت بھی یہ ریزولوشن پاس کیا گیا تھا مگر مرکز میں نیشنل فرنٹ کی حکومت تھی۔ یہ کانگریس کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ یو۔ پی۔ اے۔ کی حکومت اس قانون کو پاس کر رہی ہے۔ ہمارے تیلگو دیشم پارلیمانی کے دوست سے میں کہنا چاہوں گا کہ این۔ ٹی۔ راما راؤ کو اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کہ طرح آپ نے ان کو دھوکہ دیا، کس طرح سے انکو آپ نے گھر میں دکھایا۔ صرف یہ باتیں کہنا کہ این۔ ٹی۔ راما راؤ ہمارے قائد تھے، اسلئے ہم نے مخالفت کی تھی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ان ہی جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا اور تلنگانہ کے مسئلے میں آپ بغیر تلنگانہ کے مسلمانوں کو اعتماد میں لئے آپ ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री एम.ए.के. स्वाईं। ये लास्ट स्पीकर हैं और जल्दी ही खत्म करने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : नहीं, सर, यदि जल्दी करना है तो मैं नहीं बोलूंगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का टाइम एग्ज़ास्ट हो चुका है। आपने रिक्वैस्ट की थी, इसलिए आपको बोलने का मौका दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : यदि यह बिल पास करना है, तो वैसे ही कर लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, आपकी मर्जी है।

श्री खारबेल स्वाईं : धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब बोलिए। कृपया विस्तार में न जाएं और कम से कम समय लें।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, आरंभ में मैं इस विधेयक पर बोलने के प्रति थोड़ा अनिच्छुक था क्योंकि मेरे दल की ओर से मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला कि इसका विरोध करना है या समर्थन। लेकिन, जैसे-जैसे यह वाद-विवाद आगे बढ़ता गया तो मुझे लगा कि नैतिकता के आधार पर सिद्धान्त रूप से एक पक्ष लेने के लिए मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेना ही चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखूंगा। मैं उनपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि इस विधेयक को लाने के पीछे उनका कोई राजनैतिक उद्देश्य है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लोकतन्त्र सहमत करने की एक कला है। यह कोई झगड़ने की कला नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से झगड़ने नहीं जा रहा हूं।

मेरा मुख्य बिन्दु यह है कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है? माननीय सदस्यगण श्री महताब और श्री बाबू राव पहले ही यह कह चुके हैं कि भारत में शायद ही कोई ऐसी विधान सभा है जिसकी वर्ष में 60 दिन से अधिक बैठक होती है। यह अधिसूचना जारी की जाती है कि अमुक तिथि तक विधानमण्डल की बैठक होगी। हमने यह देखा है कि सत्रावसान होने की अवधि से आठ से दस दिन पूर्व ही सभा स्थगित हो जाती है क्योंकि उनके करने के लिए उतना कार्य ही नहीं होता है। मेरे अपने राज्य में विधान सभा की बैठक को सत्रावसान से 11 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया क्योंकि सरकार का यह कहना था कि उनके पास करने के लिए कोई कार्य ही नहीं है। ऐसा केवल उड़ीसा के मामले में ही नहीं है अपितु अन्य राज्यों में भी *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे अपने राज्य के तथ्य बता रहे हैं। आपको चिंता क्यों हो रही है? कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : जब श्री मोहन सिंह बोल रहे थे तो वे राज्य परिषदों की तुलना राज्य सभा से कर रहे थे। राज्य सभा संविधान के अंतर्गत प्रदत्त एक निकाय है। मैं राज्य सभा तथा राज्य परिषदों के बीच के अंतर को दर्शाता हूं। यदि संविधान में संशोधन किया जाता है तो राज्य सभा उसमें हस्तक्षेप कर सकती है राज्य सभा में उसपर मतदान होता है। लेकिन राज्य परिषदों के यह शक्ति प्राप्त नहीं है। वे संविधान संशोधन में भाग नहीं लेतीं।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में विधान सभा विधायक मतदान करते हैं और विधान परिषद को सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्हें वित्तीय शक्तियां प्राप्त नहीं है। इनके पास कोई संवैधानिक शक्ति या वित्तीय शक्ति नहीं है तो उनकी आवश्यकता ही क्या है?

मैं आपको एक अन्य दिलचस्प उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में राज्य परिषद के लिए एक बड़ा कक्ष बनाया गया।

परन्तु बाद में इसका कड़ा विरोध किया गया और इस सदन को त्याग दिया गया। प्रारम्भ में इसका निर्माण किया गया परन्तु कुछ समय पश्चात् इसे बिल्कुल अनावश्यक समझा गया।

महोदय, चर्चा में किस प्रकार विचार व्यक्त किये गए हैं। कई वक्ताओं ने कहा है कि आन्ध्र प्रदेश में राज्य परिषद के गठन का उद्देश्य क्या है। एक उद्देश्य तो यह बताया गया है कि चुनाव घोषणापत्र में इसके गठन का वायदा किया गया था। परन्तु मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों से विनयपूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य परिषद को पुनर्गठन का मुद्दा चुनाव घोषणा पत्र का प्रमुख बिंदु था क्या लोगों ने इन्हें इस मुद्दे पर मत दिया था कि जब वे सत्ता में आयेंगे तो राज्य परिषद का गठन करेंगे। क्या किसानों द्वारा आत्महत्या प्रमुख मुद्दा नहीं था? क्या आन्ध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने का यह प्रमुख उद्देश्य नहीं था? तब वे ऐसा कैसे कह सकते हैं कि केवल राज्य परिषद के पुनर्गठन के उद्देश्य से ही लोगों ने उन्हें मत दिया था?

तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (टी.आर.एस.) के लोगों द्वारा एक जोरदार तर्क दिया गया है कि तेलंगाना राष्ट्र के सृजन को सुकर बनाने के लिए इसका गठन किया जा रहा है मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि "राज्य परिषद के गठन का उद्देश्य क्या है?"

[श्री खारबेल स्वाईं]

महोदय, वे कहते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मैं माननीय विधि मंत्री से अपील करना चाहूंगा कि यदि वे समझते हैं कि कुछ लोग जो सीधे चुनाव के माध्यम से नहीं आ पाते हैं उनके लिए है तो मैं कहना चाहता हूं कि एक संविधान संशोधन लाया जाना चाहिये और राज्य सभा की भांति विधानसभा में भी कुछ लोग नामनिर्देशित किये जा सकते हैं। राज्य परिषद का गठन करने के बजाय विधान सभा में कुछ लोगों को नामनिर्देशित करने के लिए संशोधन किया जा सकता है।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय हित में नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करना चाहूंगा कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। मैं विधि मंत्री जी से इस विधेयक को वापिस लेने का आग्रह करूंगा। इस मुद्दे पर कुछ और समय तक राष्ट्रीय स्तर की बहस होनी चाहिए। दो-तीन माह पश्चात् अगले बजट सत्र में वे इस विधेयक को पुनः पुरःस्थापित कर सकते हैं। इस बीच, लोक सभा में इसे वापिस लिये जाने के कारण निश्चय ही राष्ट्र का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित होगा और टी.वी. चैनलों तथा मीडिया में इस पर चर्चा होगी। यदि इस पर राष्ट्रीय सहमति बनती है और 'राष्ट्र यह महसूस करता है कि परिषद का गठन अत्यंत आवश्यक है' तो इस विधेयक को पारित किया जा सकता है।

महोदय, मैं जानता हूं कि सभा में उनका बहुमत है, उन्होंने अपने सदस्यों को यहां बुलाया है, हमारे पक्ष में शायद ही कुछ सदस्य हैं; वे इस विधेयक को पारित कर लेंगे। परन्तु वामदल इसका विरोध कर रहे हैं। लगभग पूरा ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। *(व्यवधान)*

चूंकि उनके पास बहुमत है वे इसे पारित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि विपक्ष की इस बारे में एक राय है वे हमारे और वामदलों के विचारों को बल दे सकते हैं कि यह कतई अनावश्यक है; इससे राजकोष पर और अधिक भार पड़ेगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः इन कारणों से मैं माननीय विधि मंत्रालय से पुनः अपील करना चाहूंगा कि इस विधेयक को वापिस लिया जाए और यदि आवश्यकता हो तो इसे फिर से लाया जा सकता है।

श्री हंस राज भारद्वाज : सभापति महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। इस विधेयक पर चर्चा का क्षेत्र सीमित था। परन्तु माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये और यह सभा उनके द्वारा चुने गये किसी भी विषय पर विचार करने को निरंकुश है।

महोदय, मैं प्राथमिक तौर पर क्या कर रहा हूं? इस विधेयक के माध्यम से मैं आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के संकल्प का अनुपालन कर रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 169 के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का विशिष्ट बहुमत एक संकल्प पारित करता है तो संसद विधान परिषद का गठन या इसे समाप्त कर सकती है।

महोदय, तेलुगू देशम पार्टी के नेता यहां उपस्थित हैं। उन्होंने इस परिषद के संबंध में 1985 के संकल्प का संदर्भ दिया है। उस समय भी मैं मंत्री था और मेरे अच्छे मित्र श्री एन.टी. रामाराव मुख्य मंत्री थे। उन्होंने इस बारे में मुझसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी। यद्यपि उस समय लोक सभा में हमारा 425 सांसदों का बहुमत था जो कि इसके विरोध में थे और हमारी पार्टी भी इसका विरोध कर रही थी क्योंकि वे विधान परिषद् को बनाये रखना चाहते थे। परन्तु तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने इस सर्वोच्च लोकतांत्रिक परम्परा को कायम रखा। इस सर्वोच्च लोकतांत्रिक परम्परा को कायम रखने के लिए, तत्कालीन सरकार में शामिल हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि आन्ध्र प्रदेश के लोगों में विधानसभा में बहुमत प्राप्त सरकार को चुना है, हमें इसका क्रियान्वयन करना चाहिए *(व्यवधान)* मुझे खेद है, मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हम यहां चर्चा के लिए एकत्रित हैं न कि व्यवधान डालने के लिए। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि सभा में यह प्रवृति बढ़ रही है कि रचनात्मक मुद्दों को ध्यान से नहीं सुना जाता। इस समय मैं कुछ परम्पराओं के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वर्ष 1985 में मैं इसी मंत्रालय में था तब हमने आंध्र प्रदेश विधानसभा का संकल्प पारित किया था। यही विधानसभा, जो कि हाल ही में जनमत के आधार पर चुनी गयी है, अब विधानसभा परिषद का सृजन चाहती है। मैने अपनी प्राथमिक टिप्पणियों में पहले ही यह निवेदन किया है कि मैंने इसका कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं। हमने किसी भी स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों को अस्वीकृत नहीं किया है। हम सर्वोच्च परम्परा को कायम रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ से श्री वी.पी. सिंह बदनौर ने ठीक ही कहा है कि हमें परम्पराएं बनाये रखनी चाहिए। राज्य की विधानसभा के अपने कार्य एवं स्वायत्तता है।

संसद में उपस्थित रहते हुए, हमें यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि विधानसभा के सदस्यों के अपने विशेषाधिकार हैं। संविधान द्वारा आबंटित क्षेत्रों में वे प्रभुतासम्पन्न है। यदि हम राज्यों की विधानसभाओं के प्रति आदर नहीं दिखायेंगे तो वह एक दुखद दिवस होगा। अतः इस देश के अर्ध-संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिए हमें राज्यों के प्रति आदर दिखाना चाहिए। यदि राज्य दुर्लभ अवसरों पर राज्य कतिपय संकल्प पारित करते हैं तो हमें उनके प्रति अनादर नहीं दिखाना चाहिए।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : केरल विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया है। उन्होंने बहुत से संकल्प सर्वसम्मति से पारित किये हैं। क्या आपने कभी उन पर विचार किया? *(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं इनका जवाब दूंगा। आप कृपया बैठ जाइये। आप नौजवान हैं, अब हम एक दूसरे की बात ध्यान से सुनें।

श्री खारबेल स्वाईं : पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किये गए संकल्प का क्या हुआ? *(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। यह संसद कतिपय क्षेत्रों मे संवैधानिक रूप से सक्षम है परन्तु जहां यह संवैधानिक रूप से विधायी कार्यों में सक्षम नहीं है वहां राज्यों को अधिकार दिये गए हैं। यह क्षेत्र बंटे हुए हैं। एक बार विधानसभा द्वारा संकल्प पारित कर दिये जाने पर यह सरकार संकल्प का क्रियान्वियन कर रही है। सरकार ने ऐसा करने का निर्णय लिया है।

अपराह्न 5.23 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

जहां तक पंजाब का संबंध है, मैं स्वयं भी एक पंजाबी हूं। पंजाब ने बहुत से परिवर्तन देखे हैं। पंजाब विभाजित होकर हरियाणा और पंजाब बनाने के साथ इसका कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में चला गया है। विचार विभिन्नता के कारण हमने बहुत कुछ खोया है। जब यह एक था तो पेप्सु को पंजाब में मिलाया गया था। हमने पाया है तो खोया भी है। पंजाब मे क्या हुआ? पहले के विधान परिषद भवन में अब हरियाणा विधानसभा है। क्या जो कुछ घटित हो चुका है उसे आप बदल सकते हैं? अतः कृपया अन्य राज्यों के संबंध में तर्क न दें। हमें इस विधेयक पर ही चर्चा सीमित रखनी चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश विधानसभा के संकल्प का क्रियान्वयन करने के लिए हम इस सभा के समक्ष आए हैं। संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि यह विधान परिषद् सृजित की जाए। सदस्यों ने कहा है कि इस पर खर्चा आएगा। इस व्यय को राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। एक विधानसभा द्वारा इस व्यय का प्रबन्ध किया जाएगा। इसका ध्यान रखने के लिए वहां एक सरकार है, इसकी चिन्ता हमें नहीं करनी है। आन्ध्र प्रदेश की अन्य कठिनाइयों का क्या होगा? वहां विधानसभा और एक चुनी हुई सरकार है अतः उसके बारे मे चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आन्ध्र प्रदेश के लोगों की भावनाओं का आदर कर रहे हैं। वहां उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ है *(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : विगत में आपने कितनी बार इनके प्रति सम्मान दिखाया है? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइयें।

श्री खारबेल स्वाईं : क्या आप मुझे एक मिनट का समय देंगे?

श्री हंस राज भारद्वाज : नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हमें सामान्य शालीनता बनाये रखनी चाहिए। मैं चर्चा का जवाब दे रहा हूं। मैंने पन्द्रह माननीय सदस्यों की बात ध्यान से सुनी है। आप इस सभा में मेरी कम से कम दो बातों का स्पष्टीकरण ही सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, संसदीय परम्परा के अनुसार मैं माननीय मंत्री से अपनी बात मानने का आग्रह कर सकता हूं। यदि वे मेरी बात नहीं मानते तो यह एक अलग बात है *(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज : मुझे खेद है। यह संसदीय शिष्टाचार नहीं है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय को अपनी बात समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, मैं उनकी बात नहीं मान रहा *(व्यवधान)* मैंने श्री स्वाईं को बताया है कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं चर्चा का जवाब दे रहा हूं *(व्यवधान)*

मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। आप किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में चर्चा कर सकते हैं। यह एकदम सरल प्रश्न है। 1985 में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प का सम्मान करते हुए, विधि मंत्री के रूप में मैंने इसे समाप्त करवाया था। आज उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के कारण विधानपरिषद के सृजन हेतु मैं यह विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। हम केवल इसका कार्यान्वयन ही कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

राज्य के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए हम इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के लोगों के प्रति निरादर नही दिखाना चाहिए। अतः मैं इस विधेयक को पारित किये जाने की सिफारिश करता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप बारी-बारी से अपना स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया।

श्री किन्जरपु येरननायडु : माननीय मंत्री महोदय ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश विधान सभा और वहां के लोगों के प्रति बहुत सम्मान दिखाया है। यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ है। तेदपा ने इसका विरोध किया और साम्यावदी दलों के लोगों ने सभा से बहिर्गमन किया। इस प्रकार उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया।

आन्ध्र प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके स्वीकृति हेतु इसे भारत सरकार के पास भेजा है। यह एक वर्ष से ज्यादा अवधि तक लम्बित रहा है। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को प्राथमिकता क्यों नहीं दी? आन्ध्र प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था और इस संबंध में विधान बनाने के लिए भारत सरकार के पास भेजा था। वह संकल्प इस संकल्प से पहले भेजा गया था। उस संकल्प के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए विधान परिषद के सृजन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों के लिए उपबंध करने वलो विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें और जो इसके विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें। मेरे विचार से निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, मैं मत विभाजन के लिए आग्रह कर रहा हूं *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात् मत-विभाजन का आग्रह नहीं किया जाता मत-विभाजन का आग्रह प्रस्ताव की स्वीकृति से पहले किया जाता है। यह प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नहीं होता *(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : नहीं, ऐसी परंपरा नहीं है। आप रिकार्ड देख सकते हैं। *(व्यवधान)* हमें संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए *(व्यवधान)* यह हमारा संवैधानिक अधिकार है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको मत-विभाजन के लिए आग्रह करने का अधिकार है। मैं आपसे सहमत हूं। आप मत-विभाजन का आग्रह कर सकते हैं।

दीर्घायें खाली कर दी जाएं।

अब, दीघायें खाली हो गयी हैं। महासचिव निर्देश पढ़ें।

महासचिव : स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली के संचालन के संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आकर्षित किया जाता है :-

1. मत-विभाजन प्रारम्भ होने से पहले प्रत्येक माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करे और केवल अपने स्थान से ही प्रणाली का संचालन करे।

2. जैसा कि देखा जा सकता है कि माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षपीठ के दोनों ओर "प्रदर्शक बोर्ड के ऊपर लाल बल्ब" जल रहे हैं। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है।

3. मतदान के लिए पहली घंटी के बाद निम्नलिखित दो बटनों को एक साथ दबाया जाए अर्थात् -- माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर एक 'लाल' बटन

   तथा

   सीट के सामने डेस्क के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में कोई एक बटन

हां	--	हरा रंग
ना	--	लाल रंग
अनुपस्थित	--	पीला रंग

4. दूसरी घंटी की आवाज सुनाई देने और लाल बल्बों के बुझने तक दोनों बटनों को दबाये रखना आवश्यक है।

   माननीय सदस्य कृपया इस बात को नोट कर लें कि यदि दूसरी घंटी की आवाज सुनाई देने तक दोनों बटनों को एक साथ दबा कर नहीं रखा गया तो मत रजिस्टर नहीं होगा।

5. कृपया मत-विभाजन के दौरान एक अन्य कहरूवा रंग के बटन (पी) को न दबायें।

6. माननीय सदस्य प्रदर्शक बोर्ड और अपने डेस्कों पर अपने मत को देख सकते हैं।

7. मत रजिस्टर न होने की स्थिति में वे पर्ची के माध्यम से मतदान करने के लिए कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विधान परिषद् के सृजन तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

अपराह्न 5.35 बजे

पक्ष में

*अंसारी, श्री फुरकान

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.

अय्यर, श्री मणिशंकर

अहमद, श्री ई.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस.

उरांव, डा. रामेश्वर

ओला, श्री शीश राम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम.

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

*केरकेटा, श्रीमती सुशीला

खारवेनथन, श्री एस.के.

गमांग, श्री गिरिधर

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

चन्द्र कुमार, प्रो.

चालिहा, श्री किरिप

चिन्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जोगैया, श्री हरि राम

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ठुम्मर, श्री वी.के.

*तंगबालु, श्री के.वी.

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दीक्षित, श्री सन्दीप

दूबे, श्री चन्द्र शेखर

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

देव, श्री संतोष मोहन

धारावत, श्री रविन्दर नाइक

*नरेन्द्र, श्री ए.

नायक, श्री ए. वेंकटेश

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री लक्ष्मणराव

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता

पानाबाका लक्ष्मी, श्रीमती

पायलट, श्री सचिन

फैन्थम, श्री फ्रांसिस

बंसल, श्री पवन कुमार

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

*भक्त, श्री मनोरंजन

भूरिया, श्री कांति लाल

मांझी, श्री राजेश कुमार

मारन, श्री दयानिधि

मिश्रा, डा. राजेश

मुकीम, मो.

मुखर्जी, श्री प्रणब

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैक्लोड सुश्री इन्ग्रिड

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मैन्या, डा. टोकचोम

यादव, डा. करण सिंह

यादव, श्री एम. अंजनकुमार

यास्खी, श्री मधु गौड

रघुप्रति, श्री एस.

राजा, श्री ए.

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी

राणा, श्री रबिन्दर कुमार

रामकृष्णा, श्री बाडिगा

रामदास, प्रो. एम.

राव, श्री के.एस.

राव, श्री डी. विट्टल

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री मधुसूदन

लालू प्रसाद, श्री

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

वाघेला, श्री शंकर सिंह

विनोद कुमार, श्री बी.

वुन्डावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेंकटपति, श्री के.

वेंकटस्वामी, श्री जी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम

शैलेन्द्र कुमार, श्री

सईदा, श्रीमती रूबाब

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सरोज, श्री तूफानी

सत्यनारायण, श्री सर्वे

साई प्रताप, श्री ए.

साहु, श्री चंद्रशेखर

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

*सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्रीमती प्रतिमा

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुम्बरूई, श्री बागुन

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव एच.

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हान्डिक, श्री विजय

विपक्ष में

*अहीर, श्री हंसराज जी.

आदिकेसावुलु, श्री डी.के.

खन्ना, श्री अविनाश राय

गाद, श्री तापिर

जगन्नाथ, डा. एम.

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर

धोत्रे, श्री संजय

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्रीमती अर्चना

*पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पॉल, डा. सिबैस्टियन

बेल्लारमिन, श्री ए.वी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.

महताब, श्री भर्तृहरि

मिडियम, डा. बाबू राव

मोहन, श्री पी.

येरननायडु, श्री किन्जरपु

राजेन्द्रन, श्री पी.

*राधाकृष्णन, श्री वरकला

राव, श्री पी. चलपति

रिजीजू, श्री कीरेन

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वाघमारे, श्री सुरेश

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.

सतीदेवी, श्रीमती पी.

सत्पथी, श्री तथागत

सुजाता, श्रीमती सी.एस.

हमज़ा, श्री टी.के.

उपाध्यक्ष महोदय : "शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 93
विपक्ष में : 25

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में : 93+ श्री मनोरंजन भक्त, श्री के.वी. तंगबालु, श्री ए. नरेन्द्र, श्रीमती सुशीला केरकेटा, श्री मोहन सिंह, श्री फुरकान अंसारी = 99

विपक्ष में : 25+ श्री वरकला राधाकृष्णन, डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री हंसराज जी. अहीर, श्री एस. मल्लिकार्जुनैया = 29

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, यह बहुत अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। इसलिए हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 5.36 बजे

(इस समय, श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

खंड 5

1951 के अधिनियम 43 के धारा '15 क' का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3 पंक्ति 37

"2004" के लिए स्थान पर

"2005' प्रतिस्थापित किया जाए" (3)

(श्री हंस राज भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 3

"2004" के स्थान पर

"2005' प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री हंस राज भारद्वाज)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 पंक्ति 1

'पचपनवें' के स्थान पर 'छप्पनवें' प्रतिस्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब संशोधित विधेयक को पारित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री हंस राज भारद्वाज : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप से, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खोल दी जाएं।

अपराह्न 5.41 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 21 पर चर्चा करेंगे। पिछली बार चौधरी विजेन्द्र सिंह बोल रहे थे। वे पहले ही दो मिनट ले चुके हैं। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पुन: कृषि की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि देश के 80 प्रतिशत किसान सौ प्रतिशत जनता को खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। पूरा देश आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। पूरे देश में आज भंडार भरे हुए हैं, लेकिन किसान आज की तारीख में आत्मनिर्भर नहीं है। यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी सरकार की, हमारी नीतियों की चूक है। 80 प्रतिशत बजट के किसान हकदार हैं, उसे बजट का बहुत कम अंश ही दिया जाता है। कृषि विभाग के द्वारा जितने बजट की मांग की जाती है, उतने बजट को, उसकी पूर्ति के लिए नहीं दिया जाता। इसका प्रभाव कृषि की तमाम समस्याओं पर पड़ता है। घाघरा कवि ने देश की आजादी के समय कहा था -- "उत्तम खेती मध्यम बांध, निश्चित चाकी भीख निदान।" लेकिन आज किसान समस्याओं से जूझते हुए बर्बाद हो गया है और आज इस कथन का उल्टा अर्थ निकालने लगा है। किसान कहता है कि उद्यम नौकरी माध्यम बांध और खेती हो गयी भीख निदान। महोदय, वास्तविकता यह है कि कृषि की स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत सारे सुझाव कृषि विभाग को दिए, जिन्हें हम अपनी नीतियों में शामिल करें और किसानों की समस्याओं का समाधान संभव हो सके, लेकिन ये तमाम सुझाव हमारी फाइलों तक ही सीमित रहे और किसानों की समस्याओं के लिए कानून नहीं बन सके। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि जब देश आजाद हुआ था, तब किसानों के कर्ज के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और आज उसे बढ़ाकर 70 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। जब इस राशि को हम मूलत: देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन जब इसकी तुलना अन्य विभागों के बजट से की जाती है, तब हमें पता चलता है कि कृषि पर कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो बजट वित्त विभाग को कृषि विभाग से भेजा जाता है, उसमें वित्त विभाग के द्वारा बहुत सारी कटौती की जाती है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो पाता है। जो राशि कर्ज के रूप में देने के लिए बजट में पास की जाती है, जिसे 18 प्रतिशत किसानों को दिया जाना चाहिए, जबकि 7 प्रतिशत किसानों को ही कर्ज के रूप में मुहैया कराया जाता है। मैं एक बात और कहूंगा, कि किसान आज भी दैवी आपदाओं और सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, इसीलिए आज किसान आत्मनिर्भर नहीं है। इस देश की कृषि मूलत: दैवी आपदाओं के ऊपर आत्मनिर्भर रहती है। आपने देखा होगा कि किसान कितनी भी खेती, कितनी भी लागत के साथ पैदा करने की कोशिश करे, यदि दैवी आपदा, ओलावृष्टि हो, जलप्लावन हो, अधिक वर्षा हो या सूखा हो, तो इन तमाम दैवी आपदाओं से किसान जूझता है और पतन के कगार पर पहुंच जाता है। हमारे यहां यह भी देखने को मिलता है कि कृषि विभाग आजादी के बाद मूलत: एक बड़ा विभाग था। इसी विभाग से जुड़ा हुआ बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, हर्टीकल्चर विभाग व अन्य विभाग, ये सभी विभाग कृषि विभाग में थे, आज इन सारे विभागों के अलग-अलग विभाग बन गए हैं। कृषि विभाग बहुत तैयारी के साथ कृषि को बढ़ाने की कोशिश करता है, कृषि उत्पादन की क्षमता को देश की पूर्ति तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कृषि विभाग को अन्य विभागों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब बिजली का संकट आता है, तो बिजली नहीं होती है। कभी सिंचाई के साधनों में कमी आ जाती है तो कभी सिंचाई विभाग निष्क्रिय हो जाता है। कृषि विभाग और किसान को दूसरे विभागों की निष्क्रियता का परिणाम भुगतान पड़ता है। हम चाहते हैं कि एक स्टैंडिंग कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए जो फसल के वक्त से पहले ही बने। जैसे रबी की फसल के वक्त से पहले सारे विभागों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जिसमें आपस में विचार विनियम हो कि इस तारीख से उस तारीख तक यह वक्त फसल के लिए होगा और

उस समय बिजली की अधिक सप्लाई देनी होगी और उस वक्त तक सिंचाई के साधनों को मुहैया कराना होगा। अगर इन विभागों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो किसान कृषि की उपज अपने तरीके से नहीं बढ़ा सकते। इस तरह ये तमाम चीजें संकट के रूप में उनके सामने आती हैं। बहुत सी डिमांड स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई हैं और बहुत सी चर्चाएं सदन में भी हुई हैं कि कृषि को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होगी, सारे विभागों को कोऑर्डिनेट नहीं किया जाएगा और समय से पहले तैयारी नहीं की जाएगी तब तक हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकते।

किसान को कर्ज की आवश्यकता पड़ती है। किसान को कर्ज देने के लिए हमारी सरकार ने वचनबद्धता को दोहराया है और बार-बार कोशिश भी की है। लेकिन किसान को कर्जा देने की जो प्रक्रिया है वह बहुत लंबी है। इस प्रक्रिया को सरल और शार्ट बनाने की आवश्यकता है। हम वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई। लेकिन क्रेडिट कार्ड की योजना में पुराने मानक हैं *(व्यवधान)* लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई, मूलतः उसका उद्देश्य किसानों में अधिक से अधिक कर्जा देकर किसानों में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता पैदा करना था। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक छोटा उद्योगपति जब छोटा सा उद्योग लगाता है तो उसके कर्ज लेने की कोई सीमा नहीं है। दूसरी तरफ किसान जब अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड की मांग करता है तो उस पर लिमिट फिक्स कर दी जाती है। उस लिमिट से उसकी पूर्ति नहीं होती है और पैसे के अभाव में किसान अच्छे तरीके से उत्पादन नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं कि उसकी सीमा बढ़ाई जाए और उसका कोई शार्ट तरीका अपनाया जाए।

इससे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि खाद, बीज मुहैया कराने का जब वक्त आता है तो किसान दूसरी विधाओं पर निर्भर रहता है। आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सैक्टर में एल.एस.एस. सोसाइटियां होती हैं, खादों के बड़े-बड़े गोदाम होते हैं जिन्हें बड़े लोग डम्प कर देते हैं। जिससे जब समय पर खाद नही मिल पाता है। किसान की उत्पादन बढ़ाने की तैयारी तो होती है लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता है। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था तब कृषि को प्रोत्साहन दिया गया था। इसके लिए प्रदर्शनियां लगी थीं और वैज्ञानिक भेजे गए थे। किसानों को प्रोत्साहन दिया गया था और नई तकनीक लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन बीच के समय में इस गति में अवरोध पैदा हुआ और ऐसा लगने लगा कि यहां के किसान को तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तकनीकी रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि पूरे मुल्क में सब विभागों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला है और नए इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं और इस संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं। हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, कृषि की समस्याओं का समाधान करना है तो हमें तकनीकी शिक्षा को इस विभाग में आगे लाना चाहिए और इस तरह के इंस्टीट्यूशन्स खोलने चाहिए जिससे किसानों को अच्छी जानकारी मिले। खाद की जानकारी मिले, ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी मिले, डेयरी की जानकारी मिले, हॉर्टीकल्चर की जानकारी मिले और बहुत से संबंधित विभागों की जानकारी मिले।

एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं कि किसी भी उत्पादक को लागत मूल्य से उपज मूल्य अधिक मिलता हे तो उसे प्रॉफिट होता है। जब लागत मूल्य और उपज मूल्य में कोई गैप नहीं होता या बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता। अक्सर देखा गया है जब कृषि के उपज मूल्य को निर्धारित किया जाता है तो समय से पहले निर्धारित नहीं किया जाता, जब समय निकल जाता है तब रेट फिक्स होता है। रेट फिक्स होने के साथ एक और चीज देखी गई है कि लागत मूल्य को देखकर उपज मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। बीच के सालों में आपने देखा होगा कि डीजल के रेट चार या पांच बार बढ़े हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन रेट बढ़ते हैं और उसका मूल्य एक डेट में निर्धारित किया जाता है। एक फसल का एक वर्ष के लिए मूल्य निर्धारित हो गया और अगर बीच में महंगाई बढ़े, चाहे तेले के रेट बढ़ें, चाहे डीजल के रेट बढ़ें, चाहे सिंचाई के रेट बढ़ें, इन तमाम चीजों का असर कृषि की उपज पर पड़ता है और ये तमाम चीजें प्रॉफिट को डैमेज करती हैं। किसान को प्रॉफिट नहीं मिलता है। किसान चाहे आंध्र प्रदेश के हों, चाहे तमिलनाडु के हों या देश की किसी भी स्टेट के हों, आत्महत्या के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को उपज का उच्च से उच्च मूल्य देने के लिए लागत मूल्य का निर्धारण एक साल के लिए किया जाता है और इसमें प्रयोग होने वाला सामान चाहे तेल हो, चाहे जो भी हो, उसका मूल्य भी उस साल के बीच में नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ाते हैं तो उसका मूल्य के साथ फिक्सेशन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों से किसानों को ऋण दिया जाता है। किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिये जाते हैं, उन लोगों के लिये फसल बीमा योजना भी है। मुझे यह कहते हुये संकोच नहीं होता है कि यहां सदन में गांवों से बहुत लोग चुनकर आते हैं और वे किसान ही हैं। हम लोग कृषि पर चर्चा करते रहते हैं लेकिन किसानों के लिये फसल बीमा योजना कहीं लागू नहीं है। किसानों के साथ बड़ी-बड़ी दुर्घटनायें होती रहती हैं। कभी सूखा है, कभी बाढ़ है और कभी ओलावृष्टि है लेकिन फसल बीमा योजना कहीं भी लागू नहीं होती दिखाई देती। जब किसानों को बैंक से लोन लेते समय उसका अंश देना पड़ता हे तो मैं चाहता हूं कि किसानों को उसका फायदा मिलना चाहिये ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। आज देश में 40 प्रतिशत किसान कृषि कार्य से छुटकारा पाने में लगे हुये हैं क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जब किसी इनसान को उद्योग में घाटा नजर आने लगता है तो वह

[चौधरी विजेन्द्र सिंह]

उसे नहीं करना चाहता। यही कारण है कि आज किसान खेती से हट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जितना ध्यान अन्य क्षेत्रों की तरफ दिया है, उससे ज्यादा ध्यान कृषि की तरफ दें जिससे किसान आत्मनिर्भर हो सके। इससे देश का विकास ही होगा।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। देश में किसानों के समक्ष समस्याओं को लेकर नियम 193 के अधीन चर्चा कराने के लिए मैं डा. चिन्ता मोहन का आभार व्यक्त करता हूं।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जब आप कृषि की बात करते हैं, जब आप किसानों के पलायन के बारे में सोचते हैं हमारे देश में दो मुख्य फसले हैं चावल तथा गेहूं, देश के अधिकांश किसानों द्वारा इन्हीं दो फसलों का उत्पादन किया जाता है।

कृषि मुख्यतः तीन चरणों पर आधारित है। पहला चरण है उत्पादन दूसरा खरीद, तथा तीसरा चरण है वितरण। यह देखा गया है कि इन तीनों प्रक्रियाओं में से हरित क्रान्ति के पश्चात् भारतीय किसान ने उत्पादन के चरण में अपने खेतों से अधिकतम उपज प्राप्त की है। प्रति हैक्टेयर उपज मे वृद्धि हुई है, प्रति हैक्टेयर उर्वरक खपत में वृद्धि दर्ज की गयी है तथा हमने हरित क्रान्ति के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

परन्तु हमें यह जानना चाहिए कि किसान कृषि में जो पैसा लगाता है उसे कितना पैसा वापस मिलता है। फसल की खरीद महत्वपूर्ण पहलू है। धान तथा गेहूं का उत्पादन किया जाता है तथा फिर इसकी खरीद की जाती है। सरकार विशिष्ट उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है उदाहरण के लिए चावल जिसे अन्ततः न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। खरीद के पश्चात किसान को पैसा मिलता है। परन्तु ऐसा देखा गया कि एफ.सी.आई. अथवा नैफेड जैसी संस्थाओं की कमजोर खरीद रणनीति के कारण व्यथा बिक्री की खबरें हैं। व्यथा बिक्री हमेशा ही होती है। जिसके कारण किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है।

साथ ही कृषि में निवेश महंगा होता जा रहा है। सरकार के पास पर्याप्त गोदाम नहीं है। परन्तु आज वित्त मंत्री महोदय ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) में गोदाम, भंडागार सुविधाओं के निर्माण हेतु काफी धनराशि उपलब्ध करायी है। यह एक अच्छा प्रस्ताव है। परन्तु आज भी चावल मिलें जो किसानों से धान खरीदती है को कम पैसा दिया जाता है। आज चावल मिलों से उदग्रहण चावल लगभग 800 रु. प्रति क्विंटल पर खरीदा जाता है परन्तु वही चावल सरकारी ऐजेंसियों जैसे नैफेड अथवा प्राथमिक ऐसेंसियों अथवा सरकारी संगठनों द्वारा खरीदा जाता है और 1036 रु. प्रति क्विंटल उदग्रहण मूल्य पर खरीदा जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि उत्पादक तथा चावल मिलों के मध्य संयोजन है। यदि चावल मिल उचित मूल्य पर धान नहीं खरीदते और यदि चावल मिल मलिकों को उचित उदग्रहण मूल्य मिले तो क्या होगा? उत्पादन लागत, ईंधन मूल्य, पैट्रोल, डीजल तथा धान प्रसंस्करण निवेश लागत में बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए सरकार को इस पहलु पर विचार करना चाहिए यदि चावल मिल मालिकों की ओर उचित ध्यान दिया जाए और उन्हें उदग्रहण चावल के लिए उचित मूल्य दिया जाए तो मुझे विश्वास है कि किसान आवश्यकता के समय अपने धान को व्यथा में नहीं बेचेगा।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कोहरे, मानसून तथा हिमपात से प्राप्त 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर जल समुद्र में बह जाता है और हम केवल 29 प्रतिशत जल का ही संरक्षण कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त मानसून की भविष्यवाणी के लिए हम अधिकांशतः ईश्वर पर निर्भर हैं इस क्षेत्र में भी हम असफल रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछली बार जून अथवा जुलाई 2002 में जब 29 जुलाई को मौसम की भाविष्यवाणी की गयी थी देश के 593 जिलों में से 12 राज्यों के 321 जिले बुरी तरह प्रभावित थे तथा सरकार ने स्थिति से निपटने का भरसक प्रयास किया। इसका श्रेय हरित क्रान्ति को जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे गोदाम अनाजों से भरे हुए थे जिसके कारण हम गरीबों, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को विभिन्न नई योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें। साथ ही हमें यह भी कहना चाहिए कि खरीद के समय हमें लाखों टन धान की हानि हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। आप छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के अनेक स्थानों पर जाएं वहां खरीदा गया धान खुले स्थानों पर रखा गया है तथा केवल तिरपाल से ढक कर रखा गया है। बाढ़ आने पर अनाज बह जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि खरीद प्रणाली तथा गोदामों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

जहां तक वितरण का संबंध है मैं इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि वितरण प्रणाली की ओर सुसज्जित और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसका पुनः पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

उड़ीसा के कालाहांडी, बोलानगीर और कोरापुट (के.बी.के.) जैसे स्थानों के लिए, जहां सरकार नये कार्यक्रम शुरू कर रही है, हम बहुत पहले से यह मांग करते रहे हैं कि इन लोगों को चल वैन (मोबाइल वैन) दी जाएं लेकिन उन्हें चल वैन नहीं मिली हैं। इसका कारण है कि यह कृषि का एक भाग है और इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। यह वितरण के संबंध में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम भी आपके मंत्रालय की देखरेख में है।

विकासशील और विकसित देशों के बीच हमारे सामने एक अन्य बड़ी चुनौती भी आ खड़ी हुई है। आप जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में क्या कुछ चल रहा है। मैं वाणिज्य मंत्री, श्री कमलनाथ को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने हांगकांग में इसका हल पाने की भरसक कोशिश की और अंत तक यह प्रयास किया कि भारतीय किसानों के हितों की उपेक्षा न हो। हांगकांग में विकासशील देशों और अन्य लोगों द्वारा बहुत शोरशराबा तथा बड़े प्रदर्शन हुए कि विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों का पक्ष ले रहा है और वे अपने यहां किसानों को दी जाने वाली राजसहायता को कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। विकासशील देश कहां जाएं? इसलिए मैं माननीय मंत्री श्री, कमलनाथ को बधाई देता हूं। यद्यपि वे अभी तक यहां नहीं आए हैं फिर भी जो काम उन्होंने किया उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उनके वहां जाने से पूर्व इस बात पर यहां चर्चा हुई थी। उन्होंने साफतौर पर कहा था कि वे बहुत कुछ नहीं कर पायेंगे क्योंकि विकसित देशों की लॉबी बहुत मजबूत है। इसलिए विकासशील देशों को भी अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लॉबी को और मजबूत करना पड़ेगा।

अब मैं अनुसंधान और विकास तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य विस्तार के बारे में बताना चाहूंगा। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसा संस्थान कृषि सम्बंधी राष्ट्रीय किसान निकाय पर एक हैंडबुक प्रकाशित करता है और भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा प्रकाशित कृषि सम्बंधी इस हैंडबुक के 2005 के अद्यतन संस्करण की राष्ट्रीय किसान निकाय ने जोरदार शब्दों में निंदा की है।

सायं 6.00 बजे

उन्होंने बताया कि यह पुस्तक वास्तव में 1980 के संस्करण की नकल थी। 1980 संस्करण को ही 2005 में पुन: मुद्रित किया जा रहा है। यह इस बात का संदेश दे रहा है कि सरकार क्या कर रही है, अथवा अनुसंधान और विकास से जुड़े लोग क्या कर रहे हैं या भा.कृ.अ.प. क्या कर रही है? भा.कृ.अ.प. वह संस्था है जो कृषि क्षेत्र से जुड़े सारे अनुसंधान और विकास कार्य करता है। यह बहुत ही दु:ख की बात है। इसलिए, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए और किसानों को अद्यतन अनुसंधान और विकास सामग्री दी जानी चाहिए तथा डा. स्वामीनाथन द्वारा शुरू की गई 'प्रयोगशाला से खेत की ओर' की अवधारणा तथा सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट के लिए रुकें। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, अब मुझे केवल पांच मिनट का समय चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए, मेरे पास 30 माननीय सदस्यों की सूची है जो अभी बोलने वाले हैं। यदि मैं इस चर्चा को जारी रखता हूं तो मैं समझता हूं कि हम इसे 11 बजे तक भी पूरा नहीं कर पायेंगे।

[हिन्दी]

मुझे मैटर्स ऑफ अर्जेन्ट पब्लिक इंपॉर्टैन्स भी लेना है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, कृपया मुझे और पांच मिनट बोलने की अनुमति दें।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : महोदय, हम चर्चा को जारी रखें। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि चर्चा को एक घंटे तक जारी रखा जाए। हम सात बजे 'शून्यकाल' शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हाउस एग्री करता है?

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, कल 'शून्यकाल' नहीं हुआ। मैं प्रत्येक व्यक्ति की ओर से अनुरोध करता हूं कि आज अभी आप 'शून्यकाल' शुरू करें। चर्चा कल की जा सकती है। वे अपना भाषण कल पूरा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है?

कुछ अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय तब तक के लिए बढ़ाया जाता है जब तक 'शून्यकाल' समाप्त न हो जाए।

श्री बिक्रम केशरी देव : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल भी जारी रखेंगे।

श्री खारबले स्वाई : महोदय, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री बिक्रम केशरी देव, आप दो मिनट में अपनी बात पूरी करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था दी है। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मिनिस्टर से बात करें।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव : अतः, भा.कृ.अ.प. की यही स्थिति है। इसलिए सरकार को किसानों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि आज हम लगभग 50,000 करोड़ रुपये मूल्य के दालें और तेल बीजों का आयात करते हैं। सरकार ने अब बागवानी मिशन की शुरूआत की है। लेकिन हम सब्जियों और बागवानी उत्पादों को नष्ट करके लगभग 45000 करोड़ रुपये का घाटा उठा रहे हैं। इसलिए इन तीनों क्षेत्रों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि वे वास्तव में बागवानी मिशन पूरा करना चाहते हैं तो वे खाद्य संसाधन मंत्रालय से भंडारण, शीत भंडारण, खाद्य संरक्षण और अन्य सारी बातों से संबंधित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण करें जो अपेक्षित है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गोरीशंकर चतुर्भुज बिसेन -- अनुपस्थित।
श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, इस वक्त संपूर्ण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड में वही व्यक्ति मरता है जिसके पेट में भोजन नहीं होता, जिसका पेट खाली होता है। इसमें तमाम खेतिहर मज़दूर भी आते हैं। आज लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि शहरों में ज्यादातर मज़दूर वहां पर खड़े मिलते हैं जिसका नाम लेबर चौराहा होता है। वे रोज़ कमाकर खाने वाले लोग हैं। रात में ज्यादातर ये लोग पुलों के नीचे पटरियों पर या पेड़ के नीचे अपना गुज़ारा करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मज़दूरों के लिए रैन बसेरा बनाए जाएं जहां वे अपना सिर छिपा सकें। खासकर दिल्ली में हमने देखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा कामगार मजदूर रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, उनको रैन बसेरा की सुविधा दी जाए। रैन बसेरा में जो तमाम अन्य सुविधाएं मिलती हैं, वहां पर जो उनका गद्दा और रजाई दी जाती है उसके लिए उनसे पैसे लिये जाते हैं, इस बात की भी जांच कराई जाए। इसके अलावा जगह-जगह अलाव जलाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा तत्काल की जानी चाहिए। वन विभाग के पास लकड़ियों की भरमार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वन विभाग द्वारा लकड़ियों की व्यवस्था कर चौराहों पर अलाव जलाई जाए तथा जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे जाएं ताकि वे मज़दूर ठंड से अपनी जान बचा सकें। उन्हें कम्बल भी बांटें जाएं, ताकि गरीब लोग ठंड से बच सकें। उत्तर प्रदेश से भी सूचना मिली है कि कम से कम 15-16 लोग ठंड से मर गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, खास कर माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और शहरी विकास मंत्री से गुजारिश करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर जनपद का मुख्यालय है, शहरी विकास मंत्रालय का मुख्यालय है, जहां तहसील का मुख्यालय है, ब्लाक का मुख्यालय है या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर रैन बसेरा बनाने की कृपा करें ताकि खेतिहर और रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, वे ठंड से बच सकें और अपना पेट भर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सिर्फ दो-दो मिनट का समय लें, क्योंकि सदस्यों की बहुत लंबी-चौड़ी लिस्ट है।

श्री टेक लाल महतो -- उपस्थित नहीं
श्री धर्मेन्द्र प्रधान -- उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिराचिंकिल) : महोदय, त्रिवेंद्रम में काम कर रहा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। वहां अनुसंधान कार्य होता है। जहां तक रोगियों के इलाज की बात है तो यह बहुत ही संतोषजनक है। इस क्षेत्र में प्राप्त स्वास्थ्य विकास को देखते हुए यह उपयुक्त संस्था है जिसे मानद विश्वविद्यालय का स्थान दिया जाना चाहिए। मैं न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बल्कि सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्री से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि त्रिवेन्द्रम स्थित क्षेत्रीय केन्द्र को मानद विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने के लिए वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री छत्तर सिंह दरबार -- उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान में मूंगफली की फसल की सरकारी खरीद नहीं होने के कारण, मूंगफली उत्पादक किसानों की समस्या व उनमें पनपे असंतोष व आक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूं।

यद्यपि मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1520 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो हर हालत में किसान की अपेक्षाओं से कम

है। मगर दुर्भाग्य यह है कि न्यूनतम मूल्य पर सरकारी खरीद नहीं हो पाने के कारण 1000 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से व्यापारियों को बेचना पड़ता है।

राजस्थान के बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, नागौर, गंगानगर सहित ज्यादातर रेगिस्तानी जिलों में कृषि विभाग के तिलहन उत्पादन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को मूंगफली उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य में लगभग 5 लाख मिट्रिक टन मुंगफली का उत्पादन होता है और अब जब राज्य की मंडियों मे 80 हजार से एक लाख बोरी मूंगफली रोजाना आती है, तो किसानो को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। अतः माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार स्वयं तथा राज्य सरकार की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीद किए जाने की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान असम के कर्बी आंगलांग जिले में सितम्बर माह में भड़की हिंसा, जातीय संघर्ष की स्थिति के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें एक सौ से ज्यादा जानें गईं और 46,000 से अधिक लोग बेघर हो गए जो इस समय 57 शिविरों में शरण लिए हुए हैं।

महोदय, 26 सितम्बर को जो हिंसा शुरू हुई थी, वह राज्य सरकार की निष्क्रियता की वजह से बिना रुके जारी रही! पुलिस प्रशासन की शुरूआती निष्क्रियता के कारण हिंसा कई गांवों में फैल गयी। इस हिंसा के कारण पहले से ही 120 से अधिक गांव जलकर राख हो गये और 3500 परिवारों को बेघर-बार होना पड़ा।

इस समस्या की जड़ में यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडैरिटी (यू.पी.डी.एस.) तथा दीमा हालान दाओगाह (डी.एच.डी.) जैसे आतंकवादी संगठन हैं। ये दोनों आतंकवादी संगठन केन्द्र सरकार के साथ हुए युद्ध-विराम समझौते के घटक हैं। युद्धविराम नियमों को लागू करने में विफलता के कारण आतंकवादियों को कैंप में जिन हथियारों को रखने की अनुमति दी गयी है उन हथियारों को जातीय नरसंहार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए, कर्बी तथा दीमा जातियों में हमेशा जातीय नरसंहार होता है। यह एक गंभीर मामला है।

राज्य सरकार इस स्थिति पर नियंत्रण करने में पूरी तरह नाकामयाब रही है और मुख्यमंत्री ने अपनी इस असफलता को खुलेआम स्वीकार किया है। बाद में भारत सरकार ने इस मामले मे दखल दिया और वहां सेना भेजी गयी लेकिन इस बारे में भारत सरकार को पहले से कार्रवाई करनी चाहिए थी। इन महीनों में वहां हिंसा अबाध रूप से जारी रही। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मामले में दखल दे ताकि वहां नियम कानूनों को लागू किया जा सके तथा उन निर्दोष लोगों को इस तरह की हिंसा का शिकार होने से बचाया जा सके। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस समय लगभग 46000 निर्दोष लोग कैंपों में रह रहे हैं। न तो उनके पास पहनने के लिए गरम कपड़े हैं और न ही उनके पास खाने-पीने की पर्याप्त वस्तुएं। क्या केन्द्र सरकार को इन लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए आगे नहीं आना चाहिए था? हम इस मामले की न्यायिक जांच चाहते हैं। राज्य सरकार घोषित कर चुकी है कि इस मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच करायी जायेगी लेकिन इस बात की न्यायिक जांच चाहते हैं कि वहां इस तरह की हिंसा लगातार तीन महीने तक कैसे होती रही?

अंत में मैं इस सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए पर्याप्त सहायता सामग्री भेजे और वहां हिंसा पर नियंत्रण स्थापित करे। हिंसा फैलाने वालों को पकड़ा जाये और हिंसा के कारणों का पता लगाया जाये। इस बात के पर्याप्त निवारक कदम उठाये जायें कि वहां हिंसा दुबारा न फैले।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जिन प्रान्तों में वन-बहुल क्षेत्र हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी, गैर-आदिवासी एवं वनवासी भाई रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति समान होती है। इन क्षेत्रों में जहां ज्यादा प्रमाण में जंगल हैं, वहां रहने वाले नागरिक, चाहे किसी भी जाति के हों, उनको खेती एवं वन व्यवसाय के अलावा और कोई धंधा नहीं है। ऐसी स्थिति में सभी आदिवासी भाइयों की समान आय होती है। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को सरकार की ओर से सभी सुविधाएं समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए।

महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में वर्तमान में भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत केवल आदिवासी एवं ट्रायबल लोगों को ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जाति के लोगों को योजनाओं के उन लाभो से वंचित रखा जाता है, जैसे खेती करने के लिए सहायता प्रदान करना है या आदिवासियों के बच्चों को विशेष पाठशालाएं खोलना और बच्चों को पढ़ाने की योजनाएं आदि। इनका लाभ उन क्षेत्रों मे रहने वाले सभी जातियों के लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि उनकी आय लगभग समान होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चन्द्रपुर और गढ़चिरोली में लगभग 80 प्रतिशत जंगल क्षेत्र है। वहां पर रहने वाले सभी जाति के लोगों की अतिशय गरीब अवस्था है और सभी दुर्गम क्षेत्रो में रहने वाले हैं और उनकी आय के भी साधन सीमित हैं। इसलिए यदि उन्हें न्याय देना है, तो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले सभी जातियों के आदिवासी भाइयों

[श्री हंसराज जी. अहीर]

को सरकार की योजनाओं का समान आर्थिक लाभ पहुंचना चाहिए। मेरी आपसे यही विनती है।

[अनुवाद]

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 के अमल में आने के बाद इसे पहली बार केरल मे राष्ट्रीय राजमार्ग-47 को चौड़ा करने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहीत करने हेतु लागू किया जा रहा है। पर इससे प्रभावित होने वाले लोगों को जो हर्जाना दिया जा रहा है वह बहुत कम है और वह उनको रोजी रोटी के लिए पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन होने तक, राजमार्गों को चौड़ा करने हेतु जमीन अधिग्रहीत करने का कार्य केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत होता था। जब राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तब प्रभावित भूमि मालिकों को पर्याप्त हर्जाना नहीं दिया जाता जैसा कि केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रावधान है।

केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन मालिकों को जमीन की बाजार कीमत के 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिया जाता है, पर राजमार्ग अधिनियम के तहत ऐसा नहीं होता। पुनः केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन मालिकों को जमीन की कीमत की 12 प्रतिशत राशि या तो अवार्ड की घोषणा की तारीख से अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख तक या फिर जमीन के वास्तविक अधिग्रहण की तारीख तक, दी जाती है। पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत यह मुआवजा राशि भी नहीं दी जाती। केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन मालिकों को इस बात की छूट होती है कि वे अपनी जमीनों का और अधिक अथवा बेहतर मुआवजा पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत जमीन मालिकों को उनके इस प्राकृतिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है। उनकी शिकायतों का निवारण केवल मध्यस्थ निर्णयों से ही हो सकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि जिन जमीन मालिकों की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग 47 को चौड़ा करने के उद्देश्य से अधिग्रहीत की जा रही है उन्हें केन्द्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुरूप पर्याप्त मुआवजा राशि दी जाये। मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध भी है कि वह इस बारे में विद्यमान नियमों में ढील दे और प्रभावित व्यक्तियों को शेष बची जमीन में इमारत बनाने की अनुमति दे। साथ ही वह प्रभावित व्यक्ति को भवन अथवा मकान को सुपुर्द करने के लिए छह महीने का समय दे, किसी तरह के कर लगाये बिना पर्याप्त मुआवजा दे. संपूर्ण मुआवजा राशि को एकमुश्त दे तथा विस्थापित परिवारों/व्यक्तियों का उचित स्थान पर पुनर्वास कराने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाये।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित मेडिकल कालेज और उसके अस्पताल, जो केन्द्र सरकार के अधीन आता है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह अस्पताल पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। इस अस्पताल में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सामान्य जन एवं गरीब इलाज कराने आते हैं। यहां तक कि नेपाल से भी अच्छी खासी संख्या में मरीज यहां आते हैं, परन्तु वहां के डाक्टर मरीजों का इलाज करने की जगह उनको लूटने का काम कर रहे हैं। अस्पताल में खून जांच से लेकर एक्सरे, अल्ट्रा साउन्ड, सीटी स्कैन, एम.आर.आई. अर्थात् सभी तरह की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, परन्तु वहां के डाक्टर मरीजों से ये जांच शहर के निजी जांच केन्द्रों से करवाते हैं, जहां निजी जांच केन्द्र उनसे भारी फीस वसूलते हैं। इस फीस में से संबंधित डाक्टर अपना कमीशन लेता है। आम तौर से यह स्थिति अस्पताल के सभी विभागों के डाक्टरों की है। यही नहीं, अस्पताल में देखने की बजाए वहां के डाक्टर मरीजों को अपने घर पर बुलाते हैं और उनसे अच्छी-खासी फीस बसूलते हैं। इस स्थिति से न केवल मरीज परेशान हैं, बल्कि केन्द्र सरकार की भी बदनामी हो रही है। कभी इस अस्पताल का नाम हिन्दुस्तान के कुछ गिने-चुने अस्पतालों में हुआ करता था, परन्तु अब डाक्टरों की इस तरह की करतूतों से न केवल उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है, बल्कि साधारण जनता भी परेशान है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि डाक्टरों की इन करतूतों पर रोक लगाई जाए ताकि मरीजों को केन्द्र सरकार की अवधारणा के मुताबिक इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मेरा यह भी आग्रह है कि सरकार गुप्त तरीके से इस मामले की जांच कराएं ताकि अस्पताल की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इससे पहले भी सदन में इस मामले को उठाया था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। हम जीरो ऑवर में बोल कर चले जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बिहार के तमाम लोग काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इलाज कराते हैं और यह एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। *(व्यवधान)* इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरफ गंभीरता से ध्यान देने का काष्ट करेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे।

[अनुवाद]

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय कार्टून फिल्में हमारे छोटे-छोटे बच्चों के मनोमस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही हैं। बच्चे ईश्वर की बगिया के फूलों की तरह होते हैं और वे फूलों की तरह ही हंसते खिलखिलाते हैं। पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह भारतीय सभ्यता की विरोधी

है और टीवी चैनेलों द्वारा दिखायी जा रही कार्टून फिल्में हमारे देश में ज़हर घोल रही हैं। हम यह कहते नहीं थकते कि हमारा भारत एक सशक्त भारत है, हतप्रभ कर देने वाला भारत है। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सरकार कार्टूनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति जैसे घातक कथाएं, पंचतंत्र, महाभारत और रामायण का प्रचार प्रसार करें ताकि भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित और प्रचारित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं असंगठित शिल्प श्रमिकों के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

दिसम्बर में भारत के विभिन्न प्रान्तों के हजारों श्रमिक पार्लियामेंट स्ट्रीट में जमा हुए थे। इसलिए जमा हुए थे, क्योंकि असगठित शिल्प श्रमिकों के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल सरकार लाये, उनकी यह डिमांड थी। क्योंकि जो निर्माणकर्मी हैं, जो बड़े-बड़े मकान बनाते हैं, लेकिन उनका कोई मकान नहीं है। अगर उनकी ज्यादा उम्र हो जाती है तो उनकी कौन देखभाल करेगा, इसलिए एक पी.एफ. का प्रावधान और पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। जैसे मटिया मजदूर हैं, जब उनका शरीर अच्छा होता है, उस समय वे कमाते हैं, बस दिन गुजारते हैं। बाकी समय कैसे गुजरेगा? जो हमारे ईंट भट्टे के श्रमिक हैं, जो बीड़ी मजदूर हैं, जो रिक्शापुलर हैं तो सारे भारत में ऐसे 37 करोड़ से भी ज्यादा असंगठित मजदूर हैं, लेकिन इनके लिए सोचना वाला कोई नहीं है।

हम लोग एम.पी. हैं, हमें भी पेंशन मिलती है। कोई डाक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर भी है, इनको पी.एफ. का लाभ भी मिलता है और पेंशन भी मिलती है। लेकिन आम जनता जिसको वोट देती है, जिनकी वजह से चुनकर पार्लियामेंट में आते हैं, वह हमारा गरीब किसान, खेतीहर मजूदर, खेत में काम करने वाला आदमी है, उनको तो यह सब नहीं मिलता है। हमारे पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत राहत हम लोग दे सके हैं, क्योंकि हमने किसी-किसी सलैक्टिड ट्रेड में पी.एफ. वहां चालू किया है।

हमारी सरकार से यह मांग है कि 37 करोड़ से ज्यादा जो खेतीहर मजदूर हैं, जो रिक्शापुलर हैं, ईंट भट्टे के श्रमिक हैं, जो निर्माणकर्मी हैं, इन सब लोगों के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल बनायें, ताकि उन लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले, एजुकेशन मिले, हैल्थ की प्राब्लम दूर हो और जब ज्यादा उम्र हो जाये तो वह अपने बाल-बच्चे लेकर दाना-पानी उनके मुंह में दे सके।

मुझे जो कहना है, कह दिया, मैं समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : पहले तो मैं दूसरी सीट से बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी सीट पर मेरे एक साथी ने कब्जा कर रखा है, इसलिए मुझे आप यहां से बोलने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोल ले।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत भू-भाग राजस्थान में है, यही नहीं देश की कुल जनसंख्या का 5.5 प्रतिशत एवं कुल पशुधन का 18.70 प्रतिशत भी अकेले राजस्थान में है, जबकि देश में उपलब्ध सतही जल मात्रा का 1.16 प्रतिशत सतही राजस्थान में उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या एवं चौमुखी विकास के साथ-साथ पेयजल, सिंचाई एवं उद्योगों हेतु जल की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, जबकि राज्य में सतही एवं भूजल संसाधन सीमित हैं। कई क्षेत्रों में जल में फ्लौराइड खारापन की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है। स्थिति यहां तक आ गई है कि प्रदेश के 237 ब्लाक में से मात्र 32 ब्लाक ही संरक्षित श्रेणी में रह रहे हैं। 1984 मे जहां दोहन मात्रा 35 प्रतिशत प्राथमिक जल स्रोतों जैसे पुरानी बावड़ी, टांके, कुंए, नलकूप और जिन हैण्डपम्पों का जलस्तर नीचे चला गया है, उनको ठीक करने के लिए एनीकट, हैण्डपम्प, खड़ीनिर्माण का जीर्णोद्धार होना नितान्त आवश्यक हो गया है, बल्कि यही नहीं, शहरों में भी वर्षा का पानी एकत्रित करना और गांवों में खड्डे खोदकर वर्ष का पानी एकत्रित करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि नदियां को जोड़ने के अतिरिक्त जल अभियान को सफल बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराए, जिससे कि शहर व गांवों में जल अभियान कार्य सफल हो सकें। वर्षा के जल को शहरों में एकत्रित करके जल का उपयोग हो सके और गांवों में भी जल को खड्डों में एकत्रित किया जाए, जिससे कि जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सके। मैं इन सब के लिए राजस्थान की वर्तमान मुख्यमंत्री बहन वसुन्धरा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत सुन्दर कार्यक्रम राजस्थान में चलाया है और राजस्थान में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और गांव स्तर पर उन्होंने बहुत सुन्दर योजना बनाई है।

राजस्थान में लोगों को पीने का पानी किस प्रकार से मुहैया हो सकता है। इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कहा जा रहा है कि पानी की समस्या के चलते अगला विश्व युद्ध हो सकता है। राजस्थान के लोग पानी को लेकर सुखी हों, यह बहन वसुंधरा जी का प्रयास है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से बहन वसुंधरा जी को धन्यवाद दे रहा हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत में इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकन तथा दूसरे अणु खनिजों वाले तटीय बालू खनिजों के विशाल भंडार हैं और ये प्लेसर भंडार के रूप में मौजूद हैं। इनमें से अधिकतर खनिज भंडार प्रायद्वीपीय भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, पर मुख्य भूमि पर भी प्लेसर भंडार के कुछ अपवाद हो सकते हैं। आरम्भिक खोज के अनुसार इल्मेनाइट के भंडार

[श्री ए.वी. बेल्लारमिन]

लगभग 348 मिलियन टन के आसपास हैं। कुल भंडार में से लगभग 87 मिलियन टन के इल्मेनाइट भंडार तमिलनाडु में, विशेषकर कन्याकुमारी, तिरूनेलवेली तथा तूतीकोरन जिलों में पाये गये हैं। कन्याकुमारी के भंडारों में इल्मेनाइट बहुत अच्छी ग्रेड की है और उसमें टी 102 तत्व दूसरी जगहों की तुलना मे 55 से 56 प्रतिशत अधिक है।

कन्याकुमारी में इल्मेनाइट के कुल खनिज भंडार लगभग 15 मिलियन टन के आसपास हैं। इस खनिज भंडार का अधिकतर हिस्सा मनावला कुरिची गांव के आसपास हे जो कि कन्याकुमारी से लगभग 25 किमी तथा त्रिवेन्द्रम से लगभग 75 किमी दूर है।

मनावला कुरिची में पहले से ही सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड कार्य कर रहा है, जोकि इल्मेनाइट, मोनोजाइट, रूटाइल, जिरकन इत्यादि सहित उपरोक्त उल्लिखित सभी तरह के खनिजों के उत्खन्न और उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। मनावला कुरिची संयंत्र वर्तमान में प्रतिवर्ष एक लाख टन इल्मेनाइट का उत्पादन करता है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह संयंत्र इल्मेनाइट उत्पादन की अपनी क्षमता को दोगुना तक बढ़ाने की योजना बना रहा है।

इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड के मनावला कुरिची संयंत्र से इल्मेनाइट का उपयोग कर कन्याकुमारी जिला में टाइटेनियम पिगमेंट उद्योग की शुरूआत की जा सकती है। मनावला कुरिची के आसपास सभी ढांचागत सुविधाएं -- जैसे कच्चे माल का नजदीक में ही मिल जाना, कुशल मजदूर, जमीन, पानी, रसायन तथा कचरा आदि के निकलने की व्यवस्था मौजूद है। इसके विपणन की भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और वहां इल्मेनाइट के अगले 100 वर्षों तक उपलब्ध होने की गारंटी है।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह कन्याकमारी जिला के मनावला कुरिची गांव में टाइटेनियम डाइ-आक्साइड के विनिर्माण की एक इकाई स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये।

सायं 6.27 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

बीसवां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता को बुलाने के पहले मैं श्री खारबेल स्वाई को आमंत्रित करता हूं कि वह कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करें।

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान रीवा विश्वविद्यालय जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, सरकार के नाम पर, उसके द्वारा की गई धोखाधड़ी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 1994 में डिप्लोमा इन फार्मेसी खोला गया। हिन्दुस्तान के सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उसे मान्यता प्राप्त है, मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त है। 276 छात्रों ने 8631 रुपये फीस देकर के एडमशिन लिया। कोई डेढ़-दो साल तक उन्होंने पढ़ाई की, इसके बाद उनको अंक सूची दी गई। उनको लेकर वे मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो उनसे कहा गया कि इन्हें तो इस कोर्स की मान्यता ही नहीं है। वे लड़के इतनी राशि खर्च करने के बाद आज दर-दर भटक रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा, वहां से जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे हाई कोर्ट गए। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देशित किया कि तीन महीने के भीतर इनकी समस्या का निराकरण किया जाए, लेकिन वह आज तक नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार के नाम पर धोखाधड़ी की गई है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सैक्शन 42 सब-सैक्शन-1 की व्यवस्था और निर्देशों के अनुसार 1984 में उन लड़कों का भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो कला या विज्ञान संकाय में हायर सैकेंड्री पास थे। उन लड़कों ने फीस देकर विज्ञापन के आधार पर बी.एस.सी. में 55 प्रतिशत नम्बर प्राप्त करने के बाद एक कोर्स किया, प्रायोजित परीक्षा पास की, डिज़र्टेशन किया और उसके बाद उनको जो डिप्लोमा दिया गया, उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा है। बाद में वह कोर्स बंद हो गया।

मैं भारत सकरार से कहना चाहूंगा, क्योंकि यह धोखाधड़ी उसके नाम पर हुई है, किसी सामान्य जालसाज ने यह धोखाधड़ी नहीं की है, एक शैक्षणिक संस्थान ने धोखाधड़ी की है, इसलिए कम से कम इतनी व्यवस्था करें कि वे 239 डिप्लोमाधारी छात्र, जिन्हें एक साल हुआ है, उन्हें मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन दिया जाए ताकि वे अपना मेडीकल स्टोर खोल सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अविनाश खन्ना, आपको केवल एक विषय पर बोलने की अनुमति दी जाती है।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान पंजाब के उन 470 गांवों की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां के लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण न अपनी जमीन इरीगेट कर सकते हैं और न ही उस पर घर बना सकते हैं।

सन् 1900 में एक एक्ट बनाया गया था जो फॉरैस्ट एक्ट का हिस्सा है। पंजाब में पंजाब लैंड प्रिज़र्वेशन एक्ट 105 वर्ष पहले इरोज़न रोकने के लिए बनाया गया था, तब बारिश होती थी। लेकिन 105 वर्ष बाद क्लाइमेट बदला है, वहां सिचुएशन बदली है, लेकिन उन लोगों को अपनी जमीन पर इरीगेशन, कल्टीवेशन और घर बनाने का मौका नहीं मिला। एक्ट को रीइन्फोर्स करना होता है, दुबारा पास करना होता है, जिसके लिए रिस्पैक्टिव कलैक्टर्स को उन लोगो को नोटिस देना होता है, उनकी बात सुननी होती है। लेकिन वह फार्मैलिटी भी पूरी नहीं की जाती। इस कारण वहां के लोग 470 गांवों की 66,166.82 हैक्टेयर जमीन को कल्टीवेट नहीं कर सकते। इसी तरह 3200 एकड़ के करीब जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए हैं। वे वहां भी अपनी रिहाइश नहीं बना सकते।

अगर पंजाब सरकार बिल या एक्ट अमैंड करने के लिए फॉरैस्ट मिनिस्ट्री को भेजती है तो कृपया लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उस एक्ट को अमैंड किया जाए। *(व्यवधान)* फॉरैस्ट से जुड़ा हुआ प्वाइंट है। दूसरी तरफ जापान ने कंडी एरिया, जिसमे तीन डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, खासतौर से मेरी कौन्सटीटूएंसी पड़ती है, उसमें कुछ पैसा पेड़ लगाने के दिया गया, लेकिन वहां पेड़ नहीं लगाए गए। वहां इतना बड़ा स्कैम है कि फॉरैस्ट ऑफिसर्स, फॉरैस्ट डिपार्टमैंट अगर कहीं-कहीं वन लगाता है तो आग लगाकर ऐसा शो कर दिया जाता है कि सारे फॉरैस्ट नष्ट हो गए। इसकी इन्क्वारी करवाने की जरूरत है।

मैं कहना चाहता हूं कि कंडी एरिया के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार को पी.एल.पी.ए. एक्ट अमैंड करने की अनुमति दी जाए ताकि लोग अपनी जमीन का सही इस्तेमाल कर सकें।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटना कुछ छात्रों के लिए मौत बन कर आयी है। यद्यपि रैगिंग का प्रचलन कई सालों से था और यह केवल व्यावसायिक महाविद्यालयों में था जहां इसका एकमात्र उद्देश्य गानों, नृत्य और स्वांग आदि से नए प्रवेश पाने वाले छात्रों का अपने वरिष्ठ सहयोगियों से परिचय कराना था। इसका एकमात्र उद्देश्य हंसी-मजाक था।

लेकिन हाल के बीते दिनों में इस गतिविधि ने उन छात्रों के माता-पिता के मन में भय भर दिया है जो महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि रैगिंग का चलन बद से बदतर हो गया है। पूरे देश में कुछ शिक्षण संस्थानों में और विशेषकर आंध्र प्रदेश में वरिष्ठ छात्रों के परपीड़ा से आनंद पाने के व्यवहार से कुछ मेधावी छात्रों को आत्म-हत्या करनी पड़ी है। जो माता-पिता तथा इस राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

यहां तक की छात्राएं भी इसमें पीछे नहीं है। मैं आंध्र प्रदेश के उन कॉलेजों का नाम नहीं लेना चाहता जहां कुछ कनिष्ठ छात्रों को एक कमरे में नजरबंद कर रखा गया। वरिष्ठ छात्राओं के अभद्र व्यवहार का उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह दूरदर्शन पर पीडितों द्वारा बताई गई घटनाओं के अनुसार है। महाविद्यालयों में रैगिंग के नाम पर किए जा रहे अमानवीय कृत्य का यह एक उदाहरण है। यद्यपि शैक्षिक संस्थाएं यह दावा कर रही हैं कि वे उपचारात्मक कदम उठा रही हैं फिर भी यह निर्बाध गति से चल रहा है। जब तक भारत सरकार संसद में एक व्यापक विधेयक लाकर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर प्रतिबंध नहीं लगा देती तब तक इस प्रकार की अमानवीय, बर्बरतापूर्ण गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शिक्षण संस्थानों में इस रैगिंग को बंद करने के लिए संसद में एक व्यापक विधेयक लाए जिसके चलते कभी-कभी छात्रों, माता-पिता और समाज को दुःखद और अपूरणीय क्षति उठानी पड़ती है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, बीना कटनी रेल लाइन जो पश्चिम मध्य रेलवे में पड़ती है, वह बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है। गुड्स ट्रेक होने के कारण छत्तीसगढ़ से आने वाली कोयले और लोहे की रेलगाड़ियों वहां से लगातार निकलती रहती हैं। हर पन्द्रह-बीस मिनट के अंतराल पर वहां से गाड़ी निकलती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए रेल यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार यात्रियों को खड़ी रेलगाड़ियों के बीच से झुककर निकलना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के गनेशगंज, जरूवाखेड़ा, नरयावली तथा मकरोनियां ऐसे स्टेशन हैं जहां एक समय में दो-तीन गाड़िया खड़ी रहती हैं। अभी दो-तीन साल पहले मकरोनियां स्टेशन पर एक व्यक्ति की मृत्यु इसी कारण हुई थी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पश्चिम मध्य रेलवे में, जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र के चार स्टेशन हैं वैसे जितने भी स्टेशन हैं जहां मार्ग की अव्यवस्था के कारण गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उन सभी स्थानों पर शीघ्रातिशीघ्र फुट ओवरब्रिज बनाने का सहयोग करें।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, हमारे डाक और तार विभाग ने हाल ही में अपनी 150वीं वर्षगांठ मनायी है। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी और मोबाईल टेलीफोन के युग में भी ग्रामीण भारत के बहुत से भागों में डाक और तार संचार और संवाद भेजने का एकमात्र साधन है। बड़े शहरों और शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण

[डा. के.एस. मनोज]

क्षेत्र में कोई कूरियर सेवा नहीं हैं और कोई भी कूरियर सेवा प्रदाता ग्रामीण क्षेत्र में इस काम के लिए आगे नहीं आयेगा।

डाक सेवाओं के अतिरिक्त, डाकघर गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का भी एक साधन है। बहुत से ग्रामीणों के पास डाकघर बचत खाता तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हैं। जहां बैंक नहीं है वहां के लोगों के लिए ये बहुत ही काम के हैं।

इन सभी कारकों पर विचार किए बिना सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से डाकघरों को बंद कर रही है। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक डाकघर को जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल, अलप्पूजा के पास है पिछले सप्ताह बंद कर दिया गया है। यह पांच दशकों से वहां काम कर रहा था। डाक अधीक्षक ने लोगों के विरोध के भय से रात्रि में ही फर्नीचर और अन्य सामान को वहां से हटाया था। अब उस डाकघर के सामने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में केवल अलप्पूजा में ही 15 अन्य डाकघर बंद किए जाने वाले डाकघरों की सूची में सम्मिलित हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में तथा अन्य जगहों पर डाकघरों के बंद करने के अभियान को रोका जाए और सरकार को डाकघरों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए अन्य उपायों पर विचार करना चाहिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, क्रिसमस को न केवल राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। सामान्यतः, उस दिन विश्वविद्यालयों में कोई कार्य नहीं होता न ही कोई परीक्षा आयोजित की जाती है। मैं अलगप्पा विश्वविद्यालय से संपर्क स्थापित करता रहा हूं। इस बार उन्होंने एम.बी.ए., बी.बी.ए., एफ-फील के लिए कई परिक्षाओं तथा अन्य बहुत-सी परीक्षाओं को उसी दिन लेना तय किया है। इसे अवश्य रोका जाना चाहिए। एक स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए कि इस शुभ दिन को विश्वविद्यालयों में तथा अन्य स्थानों में इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। मैं भारत सरकार से विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय को निर्देश देने का अनुरोध करूंगा ताकि वे क्रिसमस के इस पुण्य दिवस को परीक्षा आयोजित न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रामचन्द्र डोम -- अनुपस्थित।

श्रीमती पी. सती देवी (बडागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान एक अत्यंत ही लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू किये जाने तथा उनका उपदान पुनः बहाल करने की आवश्यकता है। यद्यपि जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना दो दशक पूर्व भारत सरकार द्वारा की गई थी फिर भी कर्मचारियों को, विशेषकर शिक्षण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ जैसे -- पेंशन, उपदान आदि नहीं दिए जाते हैं।

शिक्षकों की स्थिति विशेषरूप से अत्यंत दयनीय है। अपनी पूरी सेवा अवधि की समाप्ति के बाद जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें मात्र सी.पी.एफ. का प्रबंधन अंश मिलता है और कुछ नहीं। शिक्षण-समुदाय की यह स्थिति, जो दिन-रात मेहनत करते हैं यहां तक कि अवकाश के दिनों में भी लगे रहते हैं, को कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, और जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में न तो उनको न ही उनके परिवार के सदस्यों को कोई सुरक्षा प्राप्त है।

महोदय, 1991 से ही समय-समय पर प्राधिकारियों को कई अभ्यावेदन सौंपे गए हैं जिसमें उनकी दयनीय सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। इन लाभों को न दिए जाने से कर्मचारियों विशेषकर शिक्षण-कर्मचारियों, के बीच बहुत असंतोष और निराशा पैदा हो गई है।

महोदय, यह सत्य है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा पर हुए व्यय को एक निवेश के रूप में समझा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने से निश्चित रूप से ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। इसलिए यह बात किसी की समझ से परे है कि उपर्युक्त कार्य में लगे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को इनती कम प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय को अत्यंत गंभीरता से ले और जरूरी कार्रवाई शीघ्र करे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त जी ने एक बार कहा था :

"हम क्या थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी,
आओ मिलकर विचारें देश की समस्याएं सभी।"

मान्यवर मैं देश के अंदर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लगभग 1968 से इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं कि देश में ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल का बिल पार्लियामेंट में लाया जाए, उसे पारित किया जाए और लोकपाल नियम लागू करके, लोकपाल की नियुक्ति करके बड़े-बड़े पदों का उसके अंतर्गत किया जाए ताकि उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच की जा सके। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अनेक बार सभी पार्टीज ने अपने-अपने मैनीफेस्टो में इसकी घोषणा की है, सभी ने अपना संकल्प दोहराया है और पार्लियामेंट में कई बार इस पर चर्चा भी हुई और 2001 में बिल भी पेश हुआ, स्टैंडिंग कमेटी को भी चला गया, सलाहकार समितियों में भी इस पर चर्चा हुई लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति रह गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः यू.पी.ए. सरकार का ध्यान इस बात

की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि "मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की।" जैसे-जैसे दवा कर रहे हैं, वैसे-वैसे सारे देश के अंदर बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इसी प्रकार से एक उर्दू के शायर ने भी कहा था :

"गुलिस्तां बर्बाद करने को एक ही उल्लू काफी है,
अंजाम-ए-गुलिस्ता क्या होगा जहां हर शाक पर उल्लू बैठा है।"

ऐसी स्थिति में जब एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, सुशाशन पैदा करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और जनहित की भावना के अंदर, जनता की भावना का आदर करते हुए लोकपाल बिल जल्दी संसद में लाया जाए और इसे पारित कराकर लोकपाल कानून लागू किया जाए ताकि लोकपाल के अंदर सभी पद-प्रधान मंत्री से लेकर सारे पद उसके अंतर्गत लाए जाएं और जांच की जा सके जब भी कोई शंका हो और इस तरह से शंका का निवारण हो सके तथा देश के अंदर क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित हो सके।

सायं 6.45 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

पाकिस्तान द्वारा बंधक बनाए गए मछुआरों और उनकी नावों को शीघ्र छोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के मछुआरों जो पाकिस्तान की जेलों में यातना काट रहे हैं के सम्बंध में यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

महोदय, आप जानते हैं कि गुजरात के पास बहुत बड़ा समुद्री क्षेत्र है और वहां के मछुआरे लोग समुद्र में जाते हैं। समुद्र में थोड़ा सा आगे जाते ही पाकस्तानी कोस्ट्ल गार्ड्स उनको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। उनकी आधी-आधी जिन्दगी पाकिस्तानी जेलों में ही बीत जाती है। आपको जानकारी देने के लिए मैं सरकारी आंकड़े देते हुए बताना चाहता हूं कि अक्टूबर, 2003 से लेकर 13 फरवरी, 2005 तक 1142 मछुआरों को पाकिस्तानी कोस्ट्ल गार्डस पकड़कर ले गए और आज भी उनको पकड़ना चालू है। 10 सितम्बर, 2005 से लेकर 3 नवम्बर, 2005 तक मछुआरों की 35 बोट्स पकिस्तान की मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा पकड़ी गयी हैं और इन बोट्स के साथ पकड़े गए 210 मछुआरे भी उनकी जेलों में बन्द हैं। बार-बार बात करने पर उनको कभी-कभी छोड़ा जाता है। अभी भी बहुत से मछुआरे नहीं छूट सके हैं। इसके लिए विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन सही निर्णय नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों देशों के मछुआरों से, पकड़े जाने पर पूछताछ की जानी चाहिए और निर्दोष पाए जाने पर उन्हें वहीं से छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें जेलों में ले जाने के बाद छोड़ा जाता है तो उनका पूरा परिवार दुखी हो जाता है। उनके परिवार में कमाने वाला एक आदमी होता है और खाने वाले दस आदमी होते हैं, साथ ही उनकी बोट भी चली जाती है। इस तरह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि उनको सरकार द्वारा सहायता दी जाए और जीवन निर्वाह के लिए कुछ साधन उनको दिलाए जाएं। इसके साथ ही दोनों देशों की सरकारों द्वारा विचार करके उपयुक्त निर्णय लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको जेलों से रिहा किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं सम्बंधित मंत्री के ध्यान में यह बात लाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : उपाध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात नोट हो गई है। अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की ओर दिलाना चाहूंगा जो हाल ही में 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किया गया है।

सरकार द्वारा लगभग 63 शहरी क्षेत्रों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है। इस सम्बंध में मेरी आपत्ति है कि सभी राज्यों में से कुछ राज्यों में तीन-तीन शहर हैं और कुछ में दो या एक शहर हैं। यह निश्चित रूप से कहा गया है कि सभी राज्यों की राजधानी वाले शहरों को इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन इन शहरों की सूची पर नजर डालने के बाद मैंने पाया कि इसके लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ बड़े शहरों को शामिल किया गया है। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों को भी शामिल किया गया है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को भी शामिल किया गया है। ऐसा कोई विनिर्दिष्ट मानदंड नहीं है जिसके आधार पर सरकार इन शहरों का चयन कर रही है। अगले 15 सालों में शहरी आबादी बढ़ेगी और इस प्रकार समस्याएं भी बढ़ेगी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि शहरी सुविधाओं का सम्मिलित विकास हो। अगले सात वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं। वर्ष 2005-06 के लिए लगभग 5467 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। और 63 शहरों की पहचान की गई है। अब समस्या इस बात की है कि यदि

[श्री भर्तृहरि महताब]

सरकार ने धार्मिक शहरों का चयन किया है तो इसमें तिरूपति को शामिल नहीं किया गया है। यद्यपि अमृतसर, हरिद्वार, पुरी और बोध गया को शामिल किया गया है लेकिन तिरूपति को शामिल नहीं किया गया है जो कि धार्मिक पर्यटकों के लिए एक अन्य बहुत बड़ा आकर्षण केन्द्र है। सरकार ने कई बड़े शहरों को शामिल किया है लेकिन पश्चिम बंगाल से केवल दो बड़े शहरों, आसनसोल और कलकत्ता को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के लगभग सात शहरों को सम्मिलित किया गया है। इसलिए कोई विनिर्दिष्ट मानदंड नहीं है। सरकार बताये कि इन शहरों के चयन का तथा कुछ शहरों को छोड़ देने का मानदंड क्या है?

सरकार से मेरा अनुरोध है कि उसे कटक और तिरूपति को भी सम्मिलित करने पर विचार करना चाहिए तथा अन्य शहरों पर भी विचार करना चाहिए जो अर्ह हैं। इसके साथ ही मेरी मांग है कि सरकार उन विशिष्टताओं, मानदंडों के बारे में बताए जिनको आधार बनाकर इन 63 शहरों का चयन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने एक विषय रखना चाहता हूं। वंशधारा नदी उड़ीसा से बहती हुई आंध्र प्रदेश की ओर जाती है और फिर वहां से उड़ीसा होती हुई समुद्र में मिलती है। साठ के दशक में दोनों प्रदेशों में एक समझौता हुआ था कि वंशधारा के पानी का कैसे बंटवारा किया जाएगा। जब से आंध्र प्रदेश में नयी सरकार आई है तब से जानबूझकर दोनों प्रदेशों के अंदर तनाव बढ़ाने के लिए, राजनैतिक उद्देश्य से वंशधारा पर एक नये बांध की परिकल्पना हो रही है। पिछले 6 महीने पहले उड़ीसा के लोक सभा और राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यों ने माननीय जल संसाधन मंत्री जी, जो आज संसदीय कार्य मंत्री हैं के सामने इस मसले को प्रस्तुत किया था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने दोनों प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया। आंध्र प्रदेश की ओर से कोई नहीं आया। साठ के दशक में यह समझौता हुआ था और आज यह इंटर-स्टेट मामला है, दो प्रदेशों के हित का मामला है। चार-पांच दिन पहले आंध्र प्रदेश की माननीय रैवेन्यू मंत्री जी जाकर वंशधारा स्टेज-II की फाउंडेशन के लिए पहुंचे थे। उस पर आंध्र प्रदेश की जनता का भी विरोध है, जो लोग वहां से डिस-प्लेस हो रहे हैं उनका भी विरोध है और उड़ीसा का भी विरोध है। जब ऐसा विरोधी भाव है और उसका समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है कि जब ऐसे विषय पर पुन: ऐसा करना, संविधान के खिलाफ है देश हित के खिलाफ है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पुन: केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और उस काम को रुकवाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री खारवेल स्वाईं बोलें।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं अपने विषय को अभी नहीं उठाना चाहूंगा क्योंकि सम्बंधित मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

श्री विजय हान्डिक : महोदय, जो विषय वे उठाना चाहते हैं उस विशेष मुद्दे के सम्बंध में ब्यौरों की जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए, मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा।

श्री खारबेल स्वाईं : अपना विषय नहीं उठा रहा हूं क्योंकि सदन के नेता यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं विषय नहीं उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री हरिभाऊ राठौड़। यद्यपि आपकी सूचना देर से प्राप्त हुई, मैं आपको अवसर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सरकार के सामने रखना चाहता हूं। महाराष्ट्र में रहने वाला गोवारी समाज पिछले 40 साल से अपने को एस.टी. की सूची में सम्मलित करने की मांग कर रहा है। सैंकड़ो जनजातियां ऐसी मांग कर रही हैं लेकिन इनकी मांग अलग है। वर्ष 1967 मे एक बिल लाया गया था और इस पर यहां विचार-विमर्श भी हुआ था। इस संबंध में मैं आपका ध्यान 22 दिसम्बर, 1977 के प्रश्न संख्या 176 की तरफ दिलाना चाहूंगा, जिसके उत्तर में कहा गया था कि--

[अनुवाद]

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 सम्बंधी संयुक्त समिति ने इस समुदाय के मामले की जांच की थी। समिति ने महाराष्ट्र के राज्य के अमरावती, भंडारा, बुलढाना, चंदा नागपुर, वर्धा और यावतमाल जिलों में गोवरी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। संयुक्त समिति की इस सिफारिश पर तब विचार किया जाएगा जब भारत सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सूची के व्यापक पुनरीक्षण हेतु कोई विधान निर्माण का निर्णय लेगी।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, यह बिल 1967 में आया। उसके बाद जाइंट कमेटी के पास गया और जाइंट कमेटी ने रिक्मेंड किया। इस बिल को लाने में तीन पीढ़ियां बर्बाद हो गयी। इस मामले को लेकर नागपुर में 114 लोग शहीद हुए थे लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह बिल पुन: स्थापित हो। नागपुर में शहीद हुए परिवारों के लोग आज भी दर-दर भटक रहे हैं।

महोदय, वे इतने गरीब हैं, उनकी हालत ट्राइब से भी बदतर है इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप इस बिल की पुनर्स्थापना का आदेश दें।

श्री मुन्शी राम (बिजनौर) : मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर के निवासी फायरमैन श्री सूरज सिंह पुत्र श्री नन्हें सिंह, निवासी ग्राम हल्दुआमाफी, थाना स्योहारा, जनपद -- बिजनौर (उ.प्र.) जो कि फायर स्टेशन, गजरौला में तैनात थे। जिनकी ड्यूटी गंगा स्नान मेला, तिगरी, जिला -- ज्योतिबाफुलेनगर में दिनांक 4 नवंबर, 2005 को लगायी गयी थी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री सूरज सिंह दिनांक 16-11-2005 की रात्रि 11 बजे से लापता हो गए। परिवार के सदस्यों को जैसे ही यह पता चला, उन्होंने संबंधित थाने को सूचना दी। इस संबंध में मैं स्वयं भी उप महानिरीक्षक मुरादाबाद से फोन पर बात की कि फायरमैन सूरज सिंह लापता है। सभी प्रकार का प्रयास करने के पश्चात् दिनांक 26.11.2005 को सायं 6 बजे फायरमैन स्व. सूरज सिंह का मृत शरीर बृज घाट के पुल के नीचे से बरामद हुआ, जिसका रात्रि में ही पोस्ट मार्टम कराकर पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया। यह दर्दनाक घटना हत्या की साजिश प्रतीत होती है। पुलिस इस हत्या पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। फायरमैन स्व. सूरज सिंह के हत्यारों का पर्दाफाश करने के लिए मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उपरोक्त प्रकरण की सी.बी.आई. से जांच करायी जाये, जिससे इस घटना के जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2005/ 25 अग्रहायण, 1927 (शक), के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	योगी आदित्यनाथ श्री जे.एम. आरुन रशीद	322
2.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	323
3.	श्री चन्द्रभान सिंह	324
4.	श्री कमला प्रसाद रावत श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	325
5.	श्री एल. गणेशन श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	326
6.	श्री संजय धोत्रे श्रीमती निवेदिता माने	327
7.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा प्रो. महादेवराव शिवनकर	328
8.	श्री उदय सिंह	329
9.	श्री बसुदेव आचार्य	330
10.	श्री सीता राम यादव श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	331
11.	श्रीमती मनोरमा माधवराज	332
12.	श्री धुनषकोडी आर. अतिथन श्री शिशुपाल पटले	333
13.	डा. राजेश मिश्रा	334
14.	श्री गणेश सिंह	335
15.	श्री सनत कुमार मंडल श्री पी.एस. गढ़वी	336
16.	श्री एन.एन. कृष्णदास	337
17.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	338
18.	श्री चंद्रकांत खैरे	339
19.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	340
20.	श्री हेमलाल मुर्मू	341

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	3363, 3490
2.	आदित्यनाथ, योगी	3395, 3438
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	3478
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3350, 3371, 3427, 3465, 3466
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3288, 3378, 3449
6.	अजय कुमार, श्री एस.	3347
7.	अनन्त कुमार, श्री	3332
8.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	3403, 3443
9.	आठवले, श्री रामदास	3348
10.	"बाबा", श्री के.सी. सिंह	3370
11.	बैठा, श्री कैलाश	3373
12.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3353, 3412, 3488
13.	बर्मन, श्री हितेन	3297, 3383, 3431
14.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	3369, 3424
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	3442
16.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3357
17.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3330, 3397, 3486
18.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3295, 3389
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3337
20.	चौरे, श्री बापू हरी	3366
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3313
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3337, 3420
23.	चौधरी, श्री पंकज	3337, 3340, 3407
24.	चौधरी, श्री अधीर	3468
25.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	3342, 3482

1	2	3
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	3475
27.	धनराजू, डा. के.	3323
28.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3402, 3442
29.	गंगवार, श्री संतोष	3296
30.	गोहेन, श्री राजेन	3345, 3410
31.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3334, 3399
32.	हमज़ा, श्री टी.के.	3293
33.	हसन, श्री मुनव्वर	3364
34.	झा, श्री रघुनाथ	3291, 3425
35.	जिन्दल, श्री नवीन	3317, 3390, 3434
36.	जोगी, श्री अजीत	3355
37.	जोशी, श्री प्रहलाद	3469
38.	करूणाकरन, श्री पी.	3292, 3483
39.	कस्वां, श्री रामसिंह	3298, 3415
40.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3308
41.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3351
42.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3287, 3382, 3453, 3463
43.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3307, 3387, 3433, 3441
44.	कृष्ण, श्री विजय	3327
45.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	3414
46.	कुप्पुसामी, श्री सी.	3468, 3471
47.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3398, 3489
48.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3341
49.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3375, 3426, 3451
50.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3401, 3441
51.	महाजन, श्री वाई.जी.	3290, 3477
52.	महतो, श्री बीर सिंह	3408, 3465
53.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3331
54.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3313 3337, 3344, 3477
55.	महताब, श्री भर्तृहरि	3372
56.	मंडल, श्री सनत कुमार	3380
57.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	3474
58.	माने, श्रीमती निवेदिता	3402, 3442
59.	मसूद, श्री रशीद	3323
60.	मिडियम, डा. बाबू राव	3360
61.	मेघवाल, श्री कैलाश	3305, 3422
62.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3323, 3325
63.	मैन्या, डा. टोकाचोम	3472
64.	मोदी, श्री सुशील कुमार	3303, 3385, 3430, 3432
65.	मोहले, श्री पुन्नू लाल	3406
66.	मुकीम, मो.	3312
67.	मो. ताहिर, श्री	3398
68.	मोहिते, श्री सुबोध	3470
69.	मुन्शी राम, श्री	3398
70.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3345, 3410
71.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3446
72.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3333
73.	निखिल कुमार, श्री	3354, 3405
74.	ओराम, श्री जुएल	3310, 3417, 3420, 3450, 3458
75.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3289, 3420, 3421, 3448, 3457
76.	पलनिसामी, श्री के.सी.	3321, 3485
77.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3328
78.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3333, 3384, 3416

1	2	3
79.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3299, 3479
80.	पासवान, श्री राम चन्द्र	3376
81.	पासवान, श्री सुकदेव	3326, 3409, 3444
82.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3324, 3371
83	पाठक, श्री ब्रजेश	3361, 3418, 3446, 3459, 3492
84.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3304
85.	पाटील, श्री डी.बी.	3349
86.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3301, 3413, 3475
87.	पटले, श्री शिशुपाल	3398
88.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3311, 3406, 3408
89.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3405, 3487
90.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3320
91.	रामदास, प्रो. एम.	3318, 3392
92.	रामकृष्णा श्री बाडिगा	3343
93.	राणा, श्री रबिन्दर कुमार	3325
94.	राव, श्री के.एस.	3346
95.	राव, श्री रायाप्रति सांबासिवा	3323, 3333, 3419, 3447, 3491
96.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3314, 3337
97.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3386, 3439
98.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3294, 3366, 3411, 3465
99.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3322, 3406
100.	साई प्रताप, श्री ए.	3300
101.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3316, 3388, 3435, 3454, 3461
102.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	3473
103.	सरोज, श्री तूफानी	3362
104.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3302, 3393, 3445, 3490
105.	सेठी, श्री अर्जुन	3337, 3367
106.	शाहिद, मोहम्मद	3398
107.	शैलेन्द्र कुमार	3319
108.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3358
109.	शिवाजी राव, श्री अधलराव पाटील	3394, 3420, 3437, 3456, 3460
110.	शिवन्ना, श्री एम.	3368, 3423
111.	शिव''क्रर, प्रो. महादेवराव	3489
112.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3465
113.	सिंह, श्री अजीत कुमार	3416, 3420
114.	सिंह, श्री चन्द्रभान	3329, 3396
115.	सिंह, श्री दुष्यंत	3476
116.	सिंह, श्री गणेश	3379, 3428, 3452, 3462
117.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3402, 3442
118.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3352
119.	सिंह, श्री मोहन	3339, 3404
120.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3315
121.	सिंह, श्री राकेश	3336, 3481
122.	सिंह, श्री सुग्रीव	3324, 3427
123.	सिंह, श्री सूरज	3420
124.	सिंह, श्री उदय	3400
125.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3338, 3480
126.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3333
127.	सुब्बा, श्री एम.के.	3286, 3381, 3429
128.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	3293, 3335
129.	सुमन, श्री रामजीलाल	3441

1	2	3
130.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3440
131.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3322, 3331
132.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3384, 3416
133.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3391, 3436, 3455, 3464
134.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3350, 3359, 3420, 3484
135.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3340, 3344
136.	वीरेन्द्रकुमार, श्री एम.पी.	3365

1	2	3
137.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3350, 3371, 3465, 3366, 3467
138.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	3374, 3420
139.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3352, 3356
140.	यास्खी, श्री मधु गौड	3350, 3371, 3465, 3466, 3467
141.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3377, 3485
142.	जाहेदी, श्री महबूब	3306

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन		325, 326, 327, 329, 340
रक्षा		328, 331
सूचना और प्रसारण	:	339
पंचायती राज		
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		324, 333, 338
रेल		322, 323, 330, 332, 334, 335, 337, 341
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		336

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन		3287, 3330, 3343, 3350, 3351, 3358, 3363, 3394, 3398, 3400, 3404, 3420, 3427, 3430, 3431, 3436, 3437, 3439, 3453, 3456, 3460, 3461, 3462, 3469, 3472, 3474, 3475, 3476, 3479, 3480, 3482, 3484, 3488, 3490
रक्षा		3286, 3309, 3317, 3323, 3324, 3328, 3337, 3370, 3377, 3378, 3386, 3390, 3414, 3425, 3434, 3442, 3447, 3455, 3464, 3486
सूचना और प्रसारण		3289, 3295, 3296, 3314, 3316, 3319, 3331, 3339, 3352, 3353, 3357, 3364, 3375, 3389, 3411, 3426, 3451
पंचायती राज		
संसदीय कार्य	:	
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		3305, 3306, 3313, 3333, 3341, 3344, 3354, 3356, 3359, 3365, 3380, 3391, 3401, 3402, 3403, 3405, 3406, 3409, 3413, 3417, 3419, 3440, 3441, 3443, 3449, 3463, 3465, 3468, 3471, 3477, 3478, 3485, 3487, 3489, 3492
रेल		3288, 3290, 3291, 3292, 3293, 3297, 3298, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3007, 3008, 3310, 3311, 3312, 3315, 3318, 3320, 3321, 3326, 3327, 3329, 3332, 3334, 3335, 3336, 3338, 3340, 3342, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349,

	3355, 3361, 3362, 3367, 3368, 3369, 3371, 3372, 3373, 3374, 3376, 3379, 3381, 3382, 3383, 3387, 3395, 3396, 3397, 3399, 3407, 3408, 3410, 3415, 3416, 3424, 3428, 3429, 3432, 3433, 3435, 3438, 3444, 3445, 3450, 3452, 3454, 3458, 3459, 3466, 3467, 3470, 3473, 3481, 3483, 3491
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	+3294, 3299, 3322, 3325, 3360, 3366, 3384, 3385, 3388, 3392, 3393, 3418, 3421, 3422, 3446, 3448, 3457

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/15/17/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।